(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 2] सप्तम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का 8वां दिवस [संख्या 6

शुक्रवार,

दिनांक 27 फरवरी, 1981

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री बालचन्द्र आर्यवीर ।

डग विधान सभा क्षेत्र की कुण्डला सड़क का निर्माण

89. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) झालावाड़ के डग विधान सभा क्षेत्र में कुण्डला सड़क पर वर्तमान में कितने मार्ग पर डामर बिछाया जा चुका है ?

(2) यह सड़क कुल कितने किलोमीटर लम्बी है ?

(3) क्या सड़क निर्माण करते समय ठेकेदार द्वारा पूरा मैटीरियल डाला गया था ?

(4) क्या यह भी सही है कि उस सड़क के अधिकारियों ने कोई देखरेख नहीं की ?

(5) क्या यह भी सही है कि अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से सड़क बिलकुल बेकार बनाई गई है ? अब सरकार उसके लिये क्या कठोर कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1) मरम्मत कार्य के अन्तर्गत 4 किलोमीटर में कुटाई एवं डामर का कार्य वर्ष 1980-81 में पूर्ण हो गया है।

(2) पीहूमेला से कुण्डला होती हुई, राजस्थान सीमा तक सड़क की कुल लम्बाई 15 कि. मी. है।

(3) जी हां।

(4) अधिकारियों द्वारा पूर्ण कार्य की देखरेख की गई थी।

(5) सड़क निर्माण मापदण्डों के अनुसार बनाई गई है किसी भी अधिकारी की ठेकेदार के साथ कोई मिलीभगत नहीं है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सड़क निर्माण की स्वीकृति कब हुई थी और सड़क को स्वीकृत हुए कितना समय हुआ ? आपने बताया कि इस सड़क की स्वीकृति हुई व पूरी हो चुकी है।

(श्री बालचंद्र आर्यवीर)

बताया कि इसमें ठेकेदार और अधिकारियों की कोई मिलीभगत नहीं है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इसकी स्वीकृति कब हुई और इसका कार्य कितने समय में पूर्ण हुआ ?

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : मैंने निवेदन किया था, 4 किलोमीटर सड़क बनी है 1980-81 में। मेन्टीनेन्स के हैड से 4 किलोमीटर का काम हुआ। अगले वर्ष में और काम हाथ में लिया जायेगा। ठेकेदार के संबंध में भ्रष्टाचार की शिकायत है तो दे दीजिये उस पर कार्यवाही की जा सकती है। विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि सड़क बन चुकी है लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जो सड़क बनी है वह बिलकुल बेकार बनी है। इसमें मेटीरियल नहीं डाला गया है, न डामर डाला गया है और बनने से पहले ही उखड़ने लग गई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उसकी जांच करवा कर ठीक करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई तो जरूर जानकारी करेंगे, कार्यवाही करेंगे।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिकायत कर रहा हूं। क्या मेरे पर आपको विश्वास नहीं है ? मुझे इस संबंध में पूरी जानकारी है सड़क बनने के पहले ही उखड़ने लग गई है।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : आवश्यक जानकारी प्राप्त करके कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री दीपेन्द्र सिंह।

गरीबी और बेरोजगारी की समस्या का समाधान

90. श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के गत 8 माह में क्या कार्यक्रम लागू किये गये और उनका क्या परिणाम रहा ?

कृषि मंत्री (श्रीमती कमला) : राज्य में चालू वित्तीय वर्ष 1980-81 में गरीबी और बेरोजगारी को कम करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में मूलतः दो प्रमुख योजनाओं की क्रियान्विति की गई :

(1) एकीकृत ग्रामीण विकास योजना : यह योजना पूर्व में सिर्फ 133 विकास खण्डों में थी और इस वर्ष से समस्त 236 विकास खण्डों में लागू कर दी गई। इसमें लाभान्वित होने वाले व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे आने वाले व्यक्ति हैं।

(2) काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत कार्य किया गया। माह अक्टूबर, 1980 से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से रोजगार उपलब्ध कराने हेतु काम के बदले अनाज योजना के स्थान पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना लागू कर दी गई है।

(श्रीमती कमला)

इन योजनाओं के अतिरिक्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के अन्य विकास मदों के अन्तर्गत भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं।

इस वर्ष के अन्त तक विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 2.62 लाख व्यक्तियों के लिये रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आज से 8 माह पूर्व, जब से आपने इन योजनाओं का कार्य शुरू किया है, प्रदेश में कुल बेरोजगारों की संख्या कितनी थी ? बेरोजगारों में से जिनको आपने रोजगार उपलब्ध कराया उनमें शिक्षित, अशिक्षित और छिपे हुए बेरोजगारों का प्रतिशत क्या था ? अध्यक्ष महोदय, यह इसी से संबंधित है। जब से योजना शुरू हुई कुल बेरोजगारों की संख्या क्या थी ? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जितने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवा दिया उन बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने के बावजूद कितने प्रतिशत बेरोजगार बचे रह गये जिनको रोजगार देने की आप उम्मीद रखते हैं और अब तक उन्हें रोजगार न मिलने के क्या कारण थे ?

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है, फिर भूल जायेंगे।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारों का जो रजिस्ट्रेशन रोजगार विभाग के अन्दर किया हुआ है उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है लेकिन उन लोगों को भी रोजगार देने के लिये सरकार ने फार्मूला एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत बनाया है। यह प्रोग्राम बनाया है कि प्रति ब्लाक 600 परिवार प्रति वर्ष हम रोजगार देंगे। वह फार्मूला यह है कि जो भी गरीबी की रेखा से नीचे होंगे उनके सलेक्शन के बाद में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना काम में लाई गई है उसके तहत अब तक के जो हमारे परिणाम हैं उससे 60 हजार परिवार दिसम्बर के अन्त तक लाभान्वित हो चुके हैं। जब कि इसके पूर्व के दो वर्षों में सिर्फ 51 हजार फैमिलीज लाभान्वित हुई थीं इस एक वर्ष के अन्दर ही, जब कि दो महीने कम हैं, 60 हजार लोगों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जा चुका है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मैंने अपने प्रश्न में हजारों की संख्या नहीं पूछी, मैंने पूछा है कि जब से आपने रोजगार उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है उस समय बेरोजगारों की संख्या क्या थी ? जिन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया है उनमें शिक्षित, अशिक्षित, छिपे हुए बेरोजगारों का प्रतिशत क्या था, जो रेकार्ड में नहीं थे उनका प्रतिशत क्या था और जो रोजगार उपलब्ध कराने से रह गये उनका प्रतिशत क्या है ? मैंने दो सवालों में प्रतिशत पूछा है।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, जो रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं उनमें से कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया इसके आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं, मैं उपलब्ध नहीं करवा सकती क्योंकि जो रजिस्टर्ड हैं

(श्रीमती कमला)

उनमें से जितनों को नौकरी दी, जितनों को सैल्फ एम्प्लायमेन्ट दिया है वे अलग हैं लेकिन लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सरकार दो योजनाएं लागू कर रही है। 3500 से वार्षिक जिनकी कम आमदनी है, यह क्राइटेरिया माना है कि उनको गरीबी की रेखा से नीचे मान कर सलेक्शन करें। उनमें ट्रेण्ड लोगों को सब्सिडी देकर रोजगार दिया है तो इस वक्त जो एम्प्लाइड हुए ट्रेनिंग के जरिये उनके आंकड़े 1958 है। 60 हजार लोगों को सैल्फ एम्प्लायमेंट के जरिये रोजगार दिया जा चुका है जो कि एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के फिगर्स हैं। इसके अलावा काम के बदले अनाज योजना, जो अब राष्ट्रीय ग्रामीण योजना में परिवर्तित की है, के आंकड़े और सार्वजनिक निर्माण विभाग, कृषि, सिंचाई विभागों के अन्तर्गत जिनको रोजगार मिलने वाला है उनके फिगर्स वर्ष के अन्त तक असेस होंगे।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो इस वर्ष का नहीं पिछले 8 महीनों का स्पेसिफिक पीरियड के बारे में पूछा है। तब तक के आंकड़े सरकार को भेज देने चाहिए।

दूसरा सवाल प्रतिशत का है जो आप नहीं बता रही हैं। सरकार ने जब इन योजनाओं को स्वीकार किया था तो क्या सरकार ने रोजगार देने की नीयत से इन योजनाओं को शुरू किया था। उस समय बेरोजगारों का कितना प्रतिशत था और उसमें से कितने प्रतिशत को आपने काम दिया है? आपने आंख मींच कर इन योजनाओं को शुरू कर दिया। यह नहीं देखा कि कितनों को रोजगार मिल रहा है।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, आंख मींच कर योजनाएं शुरू नहीं की गई हैं। जो सैकण्ड राउन्ड आफ नेशनल सम्पल सर्वे 1977-78 में हुआ उसके मुताबिक उन्होंने जो फिगर्स दिये हैं उसमें उन्होंने बताया है कि राजस्थान में 54 प्रतिशत यानि 27 लाख पूअर फेमिलीज ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हैं। उनको रोजगार देने की दृष्टि से हमने यह आधार बनाया है। इस आधार के मुताबिक प्रति ब्लाक 600 फेमिलीज को सलेक्ट करके प्रति वर्ष प्रति ब्लाक रोजगार देने का कार्यक्रम हाथ में लिया है। इसलिए यह कहना कि बिना किसी साइन्टिफिक वे के काम शुरू किया गया है, सही नहीं है। बिना आंकड़ों के काम शुरू किया गया है, ऐसी बात नहीं है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : सरकार ने जिन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है, क्या उन लोगों को सरकारी नौकरियों में लगाया गया है? परमानेन्ट रोजगार में कितनों को लगाया गया है या केवल टेम्प्रेरी रोजगार ही लोगों को दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है। आप, माननीय सदस्य, विस्तृत जानकारी मांग रहे हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : जिन लोगों को रोजगार दिया गया है उन लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए दिया गया है। गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए रोजगार देने का मापदण्ड क्या है जिसके आधार पर ऊंचा उठाने की बात कही गयी है?

श्रीमती कमला : इस योजना के लिए जैसा कि राजस्थान में और दूसरी जगह पर

(श्रीमती कमला)
क्राइटेरिया है, इस आधार पर इस कार्यक्रम को लिया गया है। उसमें 3500 रुपये वार्षिक आमदनी से कम आमदनी जिन लोगों की आंकी जाएगी, उन परिवारों को प्राथमिकता से काम दिया जाएगा। यही आधार इसके अन्दर माना गया है। इसमें सरकार ने परमानेन्ट नौकरी कितनों को दी हैं, यह तो एक अलग से प्रश्न है। इसकी सूचना मेरे पास में उपलब्ध नहीं है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मंत्री महोदया, मुझे यह जानकारी मिली है कि सरकारी नौकरियों पर बेन लगा हुआ है। उसके बाद बेरोजगारों को कोई परमानेन्ट रोजगार नहीं मिला है। इस प्रश्न का कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है।

श्रीमती कमला : मैंने निवेदन किया है कि जो सरकारी योजनाएं विकास की हैं उनके अन्तर्गत जितने शहरी, ग्रामीण लोगों को रोजगार दिया जाएगा उसका असेसमेन्ट तो साल के अन्त में किया जाएगा। जिन लोगों को अब तक रोजगार दिया गया है उसके जो मौजूदा आंकड़े हैं वे आपको बता दिये गये हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मैंने 8 महीने का पूछा है।

श्रीमती कमला : अभी दो महीने फरवरी और मार्च बाकी हैं। उसके पहले के आंकड़े सदन को बता दिये गये हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो 60 हजार लोगों को रोजगार दिया गया है उसके जिलेवार आंकड़े मंत्री महोदया बता दें?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : एक पूरक प्रश्न मुझे भी पूछने की अनुमति दें।

श्री गोपाल पचेरवाल : क्या यह सही है कि भरतपुर में ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गया और बाड़मेर, बूंदी जिलों में एक को भी रोजगार नहीं दिया गया?

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यह आखिरी पूरक प्रश्न है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि हमारे संविधान में आर्टिकल 41 के अन्तर्गत काम की गारन्टी का डाइरेक्टिव प्रिंसिपल है। क्या इसको ध्यान में रखते हुए बेरोजगारों, जिनको रोजगार नहीं मिला है, को सरकार बेरोजगारी भत्ता देने की योजना बना रही है जैसी कि बिहार और वेस्ट बंगाल राज्यों में है?

श्री श्रीराम गोटेवाला : मंत्री महोदय, यह भी इसके साथ-साथ बता दें कि क्या शहरी क्षेत्रों में भी कोई योजना बेरोजगारों को काम देने की चालू करने जा रही हैं या करेंगी?

श्रीमती कमला : शहरी क्षेत्रों में सड़क निर्माण, पी.एच.ई.डी. की योजना, म्यूनिसिपल की सफाई योजना और जितने

(श्रीमती कमला)

योजना मद के विकास कार्य हैं, उन सब में शहरी लोगों को रोजगार मिलता है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय गोविन्दसिंह ने बेरोजगारी भत्ता देने के बारे में पूरक प्रश्न पूछा था उसका उत्तर देने के बाद प्रश्न समाप्त...

श्री वीरेन्द्र सिंह शेखावत : परमानेन्ट रूप से कितने लोगों को रोजगार दिया जा रहा है ? यह सारी टेम्प्रेरी रोजगार देने की बात है। परमानेन्ट रोजगार की कोई बात नहीं हुई है पिछले आठ महीनों में। इसका कोई जवाब नहीं दिया है मंत्री महोदया ने।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो आंकड़े बताये हैं वे स्थायी रोजगार के बताये हैं। इसमें अस्थायी रोजगार के कोई आंकड़े नहीं हैं। नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसके बाबत निवेदन है कि अभी सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने के बाबत में कोई निर्णय या नीति निर्धारित नहीं की है लेकिन रोजगार के अवसर ज्यादा से ज्यादा सृजित किए जाएं उसके तहत राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, राष्ट्रीय एकीकृत ग्रामीण विकास योजना और दूसरी योजनाएं चालू की गई हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री नाथूसिंह।

भुसावर कस्बे में पत्रकारों को कथित पिटाई

91. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि 23 अक्टूबर 1980 को वैर क्षेत्र के विधान सभा चुनावों के समय भुसावर कस्बे में कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं द्वारा कतिपय पत्रकारों की पिटाई की गई ?

(2) क्या यह सही है कि पत्रकारों द्वारा इस सम्बन्ध में एफ. आई. आर. दर्ज करवाई गई थी ?

(3) यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) जी नहीं। ग्रामवासियान पथैना एवं पत्रकारों द्वारा आपस में झगड़े व मारपीट के बारे में थाना भुसावर पर परस्पर विरोधी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

(2) जी हां।

(3) अभियोग में अपर पुलिस अधीक्षक भरतपुर द्वारा अनुसंधान जारी है।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि जन संपर्क अधिकारी, भरतपुर ने सरकार को कोई गुप्त रिपोर्ट भेजी है इस घटना के बारे में ? यदि भेजी है, तो वह क्या है ?

दूसरा प्रश्न है, क्या उस दिन उस समय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सामने रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी क्या उसका स्थानान्तरण जयपुर करवा दिया गया है ?

तीसरा प्रश्न है, क्या यह सही है कि 15 दिसम्बर, 1980 को पत्रकार सम्मेलन में मुख्य मंत्री ने पत्रकारों को इस तरह की धमकी दी थी ? क्या यह सही है कि

(श्री नाथूसिंह)
पत्रकारों के पास कोई कैमरा था उस घटना के समय और उनके साथ जन सम्पर्क अधिकारी था ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस मामले के अन्दर पहला प्रश्न किया गया है कि भुसावर कस्बे में कांग्रेस के कतिपय कार्यकर्त्ताओं द्वारा पिटाई की गई। मेरा आपसे निवेदन है कि जो एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई है उसमें कांग्रेस वर्कर्स का कोई नाम दर्ज नहीं है। इसके अलावा एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं···

श्री नाथूसिंह : नाम बताये गये हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं पढ़ कर सुना देता हूं। अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहता हूं···

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : यह तो रंग दे रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट के अन्दर इलेक्शन पिटीशन दायर हो चुकी है। वह वहां पर विचाराधीन है। मामला सबजुडिस है। इस बात का नियम है कि सबजुडिस मामले के अन्दर बहस अधिक न हो। फैक्चुअल पोजीशन दे दी गई है। एफ. आई. आर. के अन्दर कांग्रेसियों का नाम नहीं है।
इसके अलावा मैं···

श्री नाथूसिंह : आप तो केवल नाम बता दें जो कि एफ.आई.आर. में थे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपकी आज्ञा हो तो मैं पढ़कर सुना दूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है जिनके नाम हैं वे बता दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एफ.आई.आर. मैं पूरी पढ़ देता हूं। सेवा में, श्री थानेदार साहब, भुसावर आज दिनांक···

एक माननीय सदस्य : आप तो केवल नाम बता दें।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर एक तो हरबंस सिंह और एक श्री वीरेन्द्र सिंह व उनके 15 अन्य साथी हैं···

श्री नाथूसिंह : यह बता दें कि यह हरबंस सिंह कौन है ? क्या यह सरकारी कर्मचारी है या वैसे ही नागरिक है ? एक तो यह। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि क्या जिला जन सम्पर्क अधिकारी के पास या उनके साथ जो पत्रकार थे उनके पास कोई कैमरा था ? दूसरी बात क्या जिला सम्पर्क अधिकारी ने कोई रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी है ? अगर हां, तो इसमें खास बात क्या है ? क्या 15 नवम्बर को मुख्य मंत्रीजी ने भरतपुर क्षेत्र में पत्रकारों को इसके बारे में कहा था ? मेरे दोनों प्रश्न हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक जिला जन सम्पर्क अधिकारी की रिपोर्ट का सम्बन्ध है उनकी ओर से कोई गुप्त क्या वैसी रिपोर्ट राज्य सरकार को नहीं मिली। हरबंस सिंह के बारे में यह पूछा गया हरबंस

(श्री प्रद्युम्न सिंह)
सिंह कौन है और क्या काम करता है। यह नाम मैंने पढ़ा था। इसके बाद मैंने पता लगाने की कोशिश नहीं की कि वह कौन था। एफ.आई.आर. में यह नहीं था कि उनमें कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता भी था।

श्री नाथूसिंह : कैमरा था क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं है कि जन सम्पर्क अधिकारी के पास कैमरा था।

श्री नाथूसिंह : जन सम्पर्क अधिकारी के पास नहीं था तो क्या पत्रकारों के पास था ? सारे पत्रकार और जन सम्पर्क अधिकारी एक जीप में गये थे, उनमें से किसी के पास कोई कैमरा था क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में निवेदन करूं कि एक एन्टी रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी थी गांव वालों की ओर से पत्रकारों के खिलाफ कि कुछ महिलाओं के साथ उन लोगों ने बात करने की कोशिश की और उन महिलाओं के फोटो खींचना चाहते थे। गांव की महिलाओं ने कहा कि हमारे यहां पर पर्दा प्रथा है, फोटो खिंचवाने के हम आदी नहीं हैं। इनकी रिपोर्ट से जाहिर होता है कि पत्रकारों के पास कैमरा रहा होगा।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, पत्रकारों ने जो रिपोर्ट दर्ज करवायी उसका क्या समय था और ग्राम वालों ने जो रिपोर्ट दर्ज करवायी उसका क्या समय था ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : पत्रकारों ने 11 बजे रिपोर्ट दर्ज करवायी थी और गांव वालों ने 12 बजे।

एक माननीय सदस्य : दिन के या रात के ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : दिन के।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस समय एफ. आई. आर. दर्ज करवायी गयी, उस समय पत्रकारों के पास कोई कैमरा था ?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इनके फोटो तो बिना कैमरे के ही खिंच गये।

श्री नाथूसिंह : क्या उस समय वहां पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मोहन सिंह भाटी भी थाने में उपस्थित थे ? उसके बाद उनका तबादला कर दिया गया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, उनके तबादले का इस रिपोर्ट से कोई संबंध नहीं है। उनका तबादला प्रशासनिक कारणों से किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में भी निवेदन किया कि यह मामला कोर्ट के विचाराधीन है इसलिये मैं इसकी डिटेल्स में जाना नहीं चाहता हूं। इस तबादले का रिपोर्ट से कोई संबंध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, संबंध है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय पत्रकार वहां पहुंचे उस समय वहां पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मोहन सिंह भाटी भी थे। उनके सामने ही पत्रकारों की रिपोर्ट लिखवायी गयी थी। उस रिपोर्ट को लिखवाने के तुरन्त पश्चात् वहां पर एस. पी. और कलेक्टर पहुंचे

(श्री नाथूसिंह)
उन्होंने मोहन सिंह भाटी, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक थे, को डांट पिलायी, आपने रिपोर्ट क्यों दर्ज की। उनका तुरन्त वहां से स्थानान्तरण कर दिया गया। इसलिये इसका इससे बहुत संबंध है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : प्रशासनिक कारणों से उनका तबादला किया गया। इस रिपोर्ट से उनका कोई संबंध नहीं था।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : यह तो ठीक है कि प्रशासनिक कारणों से किया, पर तारीख तो बता दें ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक्चुअल डेट तो याद नहीं है लेकिन इसके बहुत दिनों के बाद किया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह तो बेकार वक्त खराब कर रहे हैं, इसको राजनैतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर इलेक्शन पिटीशन हो चुकी है इसलिये ज्यादा जानकारी देना उचित नहीं है। इस पर विस्तार से चर्चा करने से उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

श्री गोपाल पचेरवाल : पत्रकारों ने तो कोई मुकदमा नहीं किया है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि जब तक इलेक्शन पिटीशन का निर्णय नहीं हो जाता है इसके अनुसंधान को स्थगित रखा जाये ? एक। दूसरा, अब तक के अनुसंधान से क्या यह मालूम हुआ है कि पत्रकारों का कैमरा छीना गया था ? इसके बारे में बयानों से मालूम हुआ होगा। क्या इस प्रकार की कोई रिपोर्ट राज्य सरकार को मिली है जो कि पत्रकारों के संगठन के द्वारा नियुक्त टी. एन. कौल द्वारा दी गयी थी ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अन्त में क्या नाम बताया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : श्री टी. एन. कौल, जनवरी में राजस्थान वर्किंग जर्नलिस्ट ने इस सारे मामले की जांच करने के लिये टी. एन. कौल को नियुक्त किया था। उन्होंने कोई रिपोर्ट राज्य सरकार को दी है क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : एफ. आई. आर. से कोई कैमरा छीनने की बात स्पष्ट नहीं होती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एफ. आई. आर. की बात नहीं कर रहा हूं। अब तक के अनुसंधान से जो जानकारी हुई है उससे पता लगा कि क्या कोई कैमरा छीना गया है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के नेता को प्रशासन का तजुर्बा है और, पुलिस के भी वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं। वैसे तो एफ.आई.आर. ही होती है बिना उसके कोई काम नहीं चलता है। एक तरफ तो ये एलीगेशन लगाते हैं कि जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं वे पत्रकारों की तरफदारी कर रहे थे इसलिये हमने उनको हटा दिया। दूसरी तरफ बात करते हैं, अगर यह बात थी तो उन्होंने सही एफ.आई.आर. दर्ज क्यों नहीं करवायी ? यह बात ठीक तरह समझ में नहीं आती है। एफ.आई.आर. में कैमरा छीनने की बात नहीं थी।

(10)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एफ.आई.आर. की बात नहीं कर रहा हूं मैं अनुसंधान की बात कर रहा हूं। किसी के बयान से या और अन्य तरह से आपको पता चला कि कैमरा छीना गया था? क्या कहीं इसका उल्लेख आया है?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने 161 के बयानों को देखा नहीं है। इस पत्रकार दल में केवल भरतपुर के ही पत्रकार नहीं थे सब जगह के पत्रकार थे। भरतपुर के तो केवल दो ही पत्रकार थे एक महेन्द्र चीमा और एक अमर खत्री। इनके बयान लिए जा चुके हैं और किसी के बयान आज तक 161 के तहत नहीं लिए गए हैं। मैं अभी इस वक्त कहने में असमर्थ हूं कि 161 के बयानों में क्या है? कैमरा छीनने की बात कही गयी है या नहीं?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

काफी समय हो गया है, माननीय सदस्य! मैंने पर्याप्त अवसर दे दिया है, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह : बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, पत्रकारों को पीटा गया, हरबंस सिंह नाम का व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है।

(व्यवधान)

श्री माणकमल मेहता (पाली) : यह तो पुलिस के पास होना चाहिए, इनके पास कैसे आ गया।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : मैंने इनको कई बार यह कमीज पहनते देखा है, ये मेरे घर के सामने रहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसमें 15 मिनट का समय दे दिया गया है। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहन करें। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण करें

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजिये, आर्डर प्लीज, आसन पैरों पर है। आर्डर प्लीज। मैंने आपको पूरक प्रश्न पूछने का पर्याप्त अवसर दे दिया है। माननीय सदस्य, इसमें 15 मिनट से अधिक का समय लग गया है। कृपया स्थान ग्रहन करें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक): आसन पैरों पर है।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, आसन पैरों पर है। आप आसन के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्ण सम्मान के साथ कहना चाहता हूं...

(व्यवधान)

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अंकित न हो

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! समय जा रहा है, माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर, आर्डर।

अंकित न हो।

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं अब कुछ भी इजाज़त नहीं दूंगा। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ! बैठ जायें, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

अंकित न हो।

श्री नाथूसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री बुलाकी दास कल्ला।

(व्यवधान)

मुझे विवश होकर कार्यवाही करनी पड़ेगी, माननीय सदस्य। आप सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित कर रहे हैं।

अंकित न हो

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : बहिष्कार की इजाजत दी जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे विवश होकर नाम से सम्बोधित करना पड़ेगा अथवा अन्य कार्यवाही करनी पड़ेगी। पिछले दस मिनट से आप बाधा उपस्थित कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न। श्री बुलाकीदास कल्ला।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

मैंने पर्याप्त अवसर दिया है, आपको अपनी बात कहने का।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : फिर भी +++ करते हैं।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : इसको एक्सपन्ज किया जाय +++ शब्द को।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यदि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है तो मैं देख लूंगा, मैंने सुना नहीं।

अगला प्रश्न। श्री बुलाकी दास कल्ला।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

बीकानेर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था

92. **श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर शहर में ट्रैफिक सिगनल आज से दो वर्ष पूर्व लगे थे ? यदि हां, तो वे तब से लेकर आज तक बंद क्यों पड़े हैं ? इन्हें कब तक चालू किया जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर शहर जिला मुख्यालय होने के बावजूद भी वहां उपयुक्त तांगा स्टेण्ड, टैक्सी स्टेण्ड एवं साइकिल स्टेण्ड नहीं है ? यदि हां, तो कब तक ये स्टेण्ड्स उपयुक्त स्थान पर बना दिये जायेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि बीकानेर शहर के मुख्य बाजारों (पुराना बाजार, सुपारी बाजार, वेदों का चौक, मोहता चौक, जस्सूसर गेट, चौखूंटी) आदि स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस की चौकियां नहीं हैं ? यदि हां, तो कब तक इन स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस को लगाकर प्रबन्ध कर दिये जायेंगे ?

राज्य मन्त्री, गृह (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) जी हां, वे ट्रैफिक सिगनल तकनीकी खराबी के कारण बन्द पड़े हुए हैं । इन्हें जल्दी ही ठीक करवाने की कार्यवाही की जा रही है ।

(2) जी नहीं । बीकानेर शहर में 12 तांगा स्टेण्ड तथा 12 ही टैक्सी स्टेण्ड निर्धारित हैं । कोई साइकिल स्टेण्ड निर्धारित नहीं है ।

(3) जी हां । ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था इन स्थानों पर आवश्यकतानुसार की जाती है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बीकानेर शहर में क्या कोई बस स्टेण्ड है ? मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं तांगा स्टेण्ड और बस स्टेण्ड कहां-कहां पर हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह तो इनसे ज्यादा आपको मालूम होगा ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरा प्रश्न यह है कि ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था नई बस्तियों में कब तक हो जायेगी ? क्या यह सही है कि शहर के बीचों बीच भारी वाहन नियमित रूप से चलते हैं ? क्या इनको रोकने के लिए रिंग रोड का निर्माण शीघ्र किया जायगा ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पी. डब्ल्यू. डी., रोडवेज और पुलिस के सब सवाल एक साथ पूछ लिये हैं । मैं इनके पहले प्रश्न का उत्तर दे देता हूं, कहां कहां तांगा-स्टेण्ड है और कहां-कहां बस स्टेण्ड, यदि आपकी आज्ञा हो । तांगा स्टेण्ड- रेलवे स्टेण्ड, हॉस्पिटल, चोपड़, कटला, माल स्टेशन रोड, रेलवे स्टेशन के पास, सार्दूल स्कूल के पास, बड़ा बाजार, मोहतों का चौक, गोस्वामियों का चौक, दाऊजी रोड, गंगा गेट, रानी बाजार, टैक्सी स्टेण्ड, मोतिया बाजार ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, ये तांगा स्टेण्ड के नाम गिनाये जा रहे हैं, ये सिर्फ कागजों पर ही हैं । मैं यह जानना चाहता हूं ट्रैफिक पाइन्ट्स कितने हैं और कितनी दुर्घटनायें हुई हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, दुर्घटनाओं के बारे में तो जानकारी नहीं मांगी गई थी।

एक माननीय सदस्य : ट्रैफिक पाइंट्स कितने हैं बीकानेर में ?

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): मंत्री महोदय ने बताया है कि यातायात काफी बढ़ा है, परन्तु इतने वर्षों से . . .

श्री अध्यक्ष : मैं जब इजाजत दूं तब माननीय सदस्य बोलें।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी।

कोई भी बात गलत तरीके से नहीं की जानी चाहिए, सदन के नियम हैं, इसमें सदन की मर्यादा भंग होती है।

श्री देवीसिंह भाटी : मैंने क्या गलत बात कही है, कृपया बताइए ताकि मेरा दिमाग साफ हो जाए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : (भीम) क्या यह सही है कि जिस अनुपात से ट्रैफिक बढ़ रहा है उस अनुपात से पुलिस विभाग के पास न साधन है न स्टॉफ है? उसके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है? जो अधिनियम हैं उनकी पालना कराने में पुलिस सक्षम क्यों नहीं है?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि . . .

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : उत्तर आने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आपस में बातें नहीं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा है वह एक आम प्रश्न पूछा है। प्रश्न केवल बीकानेर से संबंधित था। फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि जैसे ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है पुलिस इसकी व्यवस्था करती जाती है। यह सही है कि जो पुलिस का स्टाफ है उसकी तुलना में ट्रैफिक पिछले सालों मे काफी बढ़ा है लेकिन सरकार इस मामले में सजग है, पुलिस विभाग भी इस बारे में सजग है। जहां ट्रैफिक पुलिस की आवश्यकता है वहां पर ट्रैफिक पुलिस के सिपाही तैनात किये जाते हैं। जैसे आवश्यकता होगी, व्यवस्था की जायेगी।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, यह आश्चर्य की बात है। उन्होंने स्वीकार किया है, जब से ये ट्रैफिक सिगनल्स लगे हैं तब से आज तक बेकार पड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इनको लगाने में कितना खर्चा हुआ और चालू न करने के लिए कौन जिम्मेदार है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन ट्रैफिक सिगनल्स को 34 हजार रुपये में खरीदा गया था और कुछ दिन चलने के बाद ही खराब हो गए। इसका पेमेन्ट किया था नगर विकास न्यास, बीकानेर ने। जिस कम्पनी से ये सिगनल्स खरीदे गए उनसे लिखा पढ़ी की गई तो उन्होंने कहा लो वोल्टेज आने के कारण सिगनल्स खराब हो गए हैं, इनके अन्दर स्टेबलाइजर लगाये जाने चाहिये। इसके बाद भी तकनीकी खराबी इतनी अधिक आ गई कि ये चालू नहीं हुए। अब निर्णय लिया गया पिछले माह यातायात सलाहकार समिति में कि नगर परिषद् और राज्य विद्युत् मंडल के जी॰ एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स हैं दोनों मिल कर इसको ठीक करायें। इसका जो खर्चा आएगा, वह नगर परिषद् बीकानेर वहन करेगी। मुझे आशा

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
है, जैसा मैंने कहा है, सिगनल्स शीघ्र लगाने की कार्यवाही की जायेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, स्थान ग्रहण करें। मुझ पर छोड़िए। आवश्यक प्रश्न होता है तो मैं इजाजत देता हूं।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत।

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बसेज चलाना

93: श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मार्गों के राष्ट्रीयकरण की नीति से सरकार हट रही है?

(2) क्या यह सही नहीं है कि उदयपुर तथा अलवर जिले में रोडवेज की बसेज मार्ग पर चलने की आज्ञायें निकल जाने पर भी बसेज नहीं चलाई जाने की आज्ञायें हुई हैं?

(3) क्या यह सही है कि कई राष्ट्रीयकृत मार्गों पर दस दस बारह किलोमीटर तक बीच में प्राइवेट बसेज को चलाने की मंत्री महोदय ने लिखित में सिफारिश भी की है?

यातायात मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1) जी नहीं।

(2) अलवर जिले के बहरोड-शाहजहांपुर, बहरोड, मुगलकोटा, शाहजहांपुर-राजस्थान सीमा, बहरोड-माण्डन, बहरोड–जानसूर, बहरोड़- मगवाड़ी, कोटपुतली-जयपुर। राजस्थान सीमा। कोटपूतली-नारायणपुर, शाहपुरा-नारायणपुर, मार्गों के संबंध में, मोटर वाहन अधिनियम 1939 की धारा 68-घ की उप-धारा (3) में अधिसूचना निकल जाने पर वाहन संचालन प्रारम्भ नहीं हुआ।

उदयपुर जिले के उदयपुर-कोटड़ा मार्ग की आज्ञा निकल जाने पर मार्ग की दशा खराब होने के कारण वाहन संचालन नहीं किया जा सका।

(3) जी नहीं।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : आपने जो रास्ते बताये हैं, नोटिफिकेशन के बाद भी किन कारणों से वाहन संचालन नहीं हुआ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जो आदेश निकाला उस आदेश में है कि 10-1-81 अथवा उसके पश्चात् में प्रारम्भ किया जाना चाहिए। पूर्व की भी इस सम्बन्ध में मैं जानकारी देना चाहूंगा। कई रूट्स 12-9-77 को स्वीकृत हुए और 19-11-78 को चालू हुए, 4-4-77 को स्वीकृत हुए, 19-11-78 को चालू हुए, 22-2-77 को स्वीकृति प्रकाशित हुई 5-12-78 को चालू हुआ। इतना ही नहीं, कई रूट्स तो 10-1-77 से 1-12-79 तक चालू हुए। नोटिफिकेशन होने का मतलब यह नहीं है कि जिस दिन से हो उसी दिन से चालू किया जाए, इसके पश्चात् कभी भी चालू किया जा सकता है। जहां तक उदयपुर का सवाल है, कोटड़ा रूट ठीक नहीं था उस कारण से 3-4 साल लग गए, कोटड़ा का रास्ता कैसा है, उसको माननीय सदस्या स्वयं जानती हैं। ये जो भी

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)
दूसरी सड़कें बताई हैं, इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र निर्णय लेकर प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बीच में वैकल्पिक व्यवस्था होती है ? जो रोडवेज को रूट्स दे दिए, उन पर पहले प्राइवेट बसेज चलती थीं, बीच में क्या व्यवस्था होती है ? कई बार समाचार पत्रों में पढ़ा है कि वहां पर रोडवेज को रूट देने के कारण सवारियों को परेशानी हुई है। प्राइवेट आपरेटरों ने भी बसेज बन्द कर दीं और रोडवेज ने भी चालू नहीं की तो वैकल्पिक व्यवस्था का प्रोविजन होगा ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जब तक रोडवेज की बसेज प्रारम्भ नहीं होती तब तक प्राइवेट बसेज चलती हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : प्रश्न यह है कि नोटिफिकेशन इश्यू होने के बाद क्या यह सही है कि अलवर डिपो में बसें चली गईं यदि हां, तो कितनी बसेज चली गईं ? बसेज पड़ी हुई हैं लेकिन चलना प्रारम्भ नहीं हुआ।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : डिपो वाली बात मुझे मालूम नहीं।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अलग नहीं है। In pursuance of notification, you will kindly appreciate. बसेज फालतू पड़ी हुई हैं वहां पर।

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

वन्य जीव अभयारण्य

94. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं ? इनमें रहने वाले पशुओं तथा वहां के जंगलों की सुरक्षा के क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

(2) क्या इन अभयारण्यों के वन्य जीवों की गणना की गई है ? यदि हां, तो कुल कौन-कौन से वन्य जीव कितने हैं ? कृपया सभी अभयारण्यों के जीवों की सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) गत वर्षों में इन जीवों की संख्या में तेजी से हो रही गिरावट व इनकी संतति के प्रजनन के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वन मंत्री (श्री दुल्हाराम) : (1) राज्य में कुल 12 वन्य जीव अभयारण्य हैं। इनमें रहने वाले पशुओं की सुरक्षा के लिये वन्य जीव (संरक्षण)...

अनेक माननीय सदस्य : समझ में नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : दुबारा पढ़िये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, पत्रकार लॉबीज में...

श्री अध्यक्ष : बीच में बाधा उपस्थित न करें। नियमों को पढ़ें। इस सदन के प्रांगण के अलावा लॉबीज में या कक्षों में

(श्री अध्यक्ष)
क्या होता है, इसका यह सदन नोटिस नहीं लेता है।

श्री दुलाराम : पशुओं की सुरक्षा के लिये वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53 सन् 1972) के अन्तर्गत इनका शिकार करना पकड़ना अथवा नुकसान पहुंचाना अवैध घोषित किया गया। अभयारण्य क्षेत्रों को राजस्थान वन अधिनियम के अन्तर्गत रक्षित अथवा आरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया है। इन अभयारण्यों में पाये जाने वाले वन्य जीवों तथा वहां के वनों की सुरक्षा एवं उक्त अधिनियम की पालना हेतु अतिरिक्त स्टॉफ लगाया गया है तथा राज्य में सात वन्य जीव गश्ती दलों का भी गठन किया गया है।

(2) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) गत वर्षों में कुछ वन्य जीवों की संख्या में हुई गिरावट को रोकने की दृष्टि से वन्य जीवों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। राज्य में गठित किये गये वन्य जीव गश्ती दलों द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन रोकने के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। अभयारण्यों में वन्य जीवों के निर्भयतापूर्वक विचरण हेतु वन क्षेत्रों में सभी प्रकार की कटाई एवं वन उपज का निकास भी बन्द कर दिया गया है। इन क्षेत्रों में चराई बन्द करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण राज्य में सभी वन्य जीवों के शिकार पर इस वर्ष रोक भी लगाई जा चुकी है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय से जो प्रश्न पूछा था उसमें यह पूछा था कि वन्य जीवों की गणना की गयी तो कब की गयी ? उसका जवाब मंत्री महोदय ने मुझे नहीं दिया।

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, वन्य जीवों की गणना 7980 में की गयी। वैसे, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहूंगा कि वन जीवों की गणना में बहुत दिक्कत आती है। उनकी गणना के अन्दर दिक्कत इसलिये आती है कि वह इधर-उधर समूह में घूमते रहते हैं। जिस प्रकार दूसरे लोगों की जनगणना होती है उस जनगणना और वन जीवों की गणना की परिभाषा में फर्क होता है। वैसे मैंने निवेदन कर हा दिया कि इनकी गणना 79-80 में हुई। सूची मैंने सदन के पटल पर रख दी है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, सन् 52 में वन्य जीवों की गणना के बारे में क्या था ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह अलग से प्रश्न है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि उसमें दिक्कत आती है और जैसे दूसरी गणना होती है वैसे नहीं होती है तो क्या जो सूची सदन के पटल पर रखी गयी है उस सूची को मैं अधूरी मानूं ?

श्री दुलाराम यह बात नहीं है जो सरकार से सूची दी गयी है वह सही है।

(व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आपने कहा कि इसमें कठिनाई आती है जब कठिनाई आती है तो शायद यह सूची जो आपने दी वह करेक्ट नहीं है'।

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, जो सूची सदन के पटल पर रखी गयी है वह सही है, पर इसके बावजूद भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जो कि वन विभाग के अधिकार में नहीं हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वन विभाग के अभयारण्य के एरिया से जानवर दूसरे जंगलों में भी चले जाते हैं इसलिए मैंने निवेदन किया कि इसमें कठिनाई आती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया शान्ति रहें। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। प्रश्नकर्ता।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने वाइल्ड लाइफ को बढ़ावा देने के लिये कहा है। उनके आदेशों के अनुसार हिन्दुस्तान के सभी प्रदेशों में वाइल्ड लाइफ के लिए कार्यक्रम किये जा रहे हैं और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। तो अपनी राजस्थान सरकार इसके लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री दुलाराम : वैसे तो यह प्रश्न अलग है, अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो आदेश दिये हैं उनके अनुसार हम कार्यवाही कर रहे हैं और करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। ऑर्डर, ऑर्डर। श्री राम सिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, मैं वन मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर जितने वन्य जीव अभयारण्य हैं उनमें से हिरण की सुरक्षा के लिये कहां कहां पर केन्द्र स्थापित किये गये हैं? क्या यह सही है कि अभी और दो वन्य जीव अभयारण्य बीकानेर और जोधपुर के पास बनाये जा रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज उन क्षेत्र में हिरणों का शिकार किया जाता है। वन विभाग और पुलिस विभाग वाले मिले हुए रहते हैं जिससे शिकारी लोग इनका शिकार करके उनकी खाल को शहरों में ले जाकर ऊंचे मूल्यों पर बेचते हैं, इसको रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि यह अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है। आप इस प्रश्न को अन्य तरीके से, प्रश्न के माध्यम से उठायें।

श्री दुलाराम : वैसे, अध्यक्ष महोदय, वन विभाग को ज्यों ही जानकारी मिलती है तो पुलिस उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही

(श्री दुलाराम)
करती है और वन विभाग भी उनके खिलाफ कार्यवाही करता है। अगर माननीय सदस्य के पास कोई ऐसा केस हो जिसके अन्दर कार्यवाही नहीं हुई हो तो आप मुझे बतावें उसमें राज्य सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कुल 53 शेर बताये जाते हैं लेकिन अभी एक शेर बयाना में आया है जो कि बहुत नुकसान कर रहा है। वह कहां से आया ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। यह अलग से प्रश्न है। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, अलग से प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। ऑर्डर प्लीज।

श्री रामसिंह बिश्नोई : वह शेर बयाना का नहीं बैर का शेर होगा।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य जो भी प्रश्न पूछें वह आसन की ओर मुंह करके पूछें आपस में नहीं पूछें।

श्री श्रीराम गोटेवाला।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में कुल 12 वन्य जीव अभयारण्य हैं दस पहले थे और दो अभी पिछले साल जोधपुर और जयपुर में जोड़े गये हैं। जयपुर में नाहरगढ़ के ऊपर वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किया गया है। पिछले वर्ष जब बजट प्रस्तुत किया गया था तब बजट में यह कहा गया था कि नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य पर राज्य सरकार 25 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान था। मेरा यह निवेदन है कि उन 25 लाख रुपये में से कितने रुपये नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य पर खर्च हुए ?बताने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन कर देना चाहता हूं कि पाली जिले के बाली तहसील में गत दिनों ....

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न नहीं है। वहां के जिलाधीश ने पाली के कुछ बड़े जागीरदारों के साथ मिल कर चीते को मारा है और वहां पर शिकार करते हैं। कलेक्टर खुद शिकार करते हैं उनके खिलाफ राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें। माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से एक

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
प्रश्न पूछना चाहती हूं। अलवर से जो शेरनी जयपुर में रामनिवास बाग में लाकर रखी गयी थी उसको यहां से बाहर भेज दिया गया। वह शब्बो शेरनी यहां पर जेल में रह नहीं सकी क्योंकि वह तो महलों में घूमती थी आजादी से। वह अब कहां है? उस शब्बो का कुछ भी पता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, ऑर्डर ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।"

मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप शासन को हसयोग दें। यहां होता यया है कि जब भी कोई प्रश्न सदन में आता है तो सभी माननीय सदस्यों की यह मनोवृत्ति रहती है कि चलो बहती गंगा में हाथ धो लो। इससे काफी दिक्कत हो जाती है क्योंकि समय कम रह जाता है और कई महत्वपूर्ण प्रश्न रह जाते हैं दूसरे माननीय सदस्यों के। वैसे तो एक दो प्रश्न प्रश्नकर्ता के द्वारा करने के बाद अगर कोई उपयोगी सुझाव दूसरे माननीय सदस्य देना चाहें और अगर वह सुझाव अच्छे हों तो मैं खुद ही उपयोगी सुझावों के लिए माननीय सदस्यों को एक दो पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे देता हूं। लेकिन हर प्रश्न पर सभी माननीय सदस्य पूरक प्रश्न पूछने लग जाते हैं यह कहां तक उचित है। माननीय सदस्य सभी अपने-अपने क्षेत्र के बारे में प्रश्न पूछते हैं उन प्रश्नों का जवाब तैयार करने के लिये मंत्री महोदय रात-रात भर जागते हैं और आपको सूचना बाहर से मंगाकर-एकत्रित करके देते हैं। इसके बाद में आप, माननीय सदस्य, मुझ पर छोड़ दें तो अच्छा होगा। मैं इस प्रयास में रहता हूं कि प्रश्नों के जवाब कारगर ढंग से यहां आ जावें और माननीय सदस्य सन्तुष्ट हो सकें। सदन के प्रश्न काल का समय अल्पकालिक होता है इसलिए आप प्रश्न पूछते हैं और मेरा प्रयास यह रहता है कि सही जानकारी आपको प्राप्त हो जाये।

एक माननीय सदस्य : यहां पर पक्षियों और पशुओं के बारे में सही जानकारी की बात है।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिये कि यह अलग से प्रश्न है।

प्रश्न संख्या 95

अगला प्रश्न। श्री चतुर्भुज।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न संख्या 101 है उस प्रश्न का जवाब सरकार भी देना चाहती है अगर आपकी अनुमति हो तो उसको ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम पंचायतों के ग्रुप सचिव

95. श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या एक से लेकर तीन ग्राम पंचायतों तक का कार्य एक ग्रुप सचिव को दिया हुआ है ?

(2) क्या यह ग्रुप सचिव पंचायतों का कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ग्रुप सचिव पंचायतों का कार्य सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार की कोई शिकायत विभाग में प्राप्त नहीं हुई।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जसलाण (लाडनूं) के पशु की चोरी

83. श्री रामधन (लाडनूं) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लाडनूं तहसील के गांव जसलाण के एक किसान की ऊंटनी की चोरी हुई जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना जसवंतगढ़ में दर्ज है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ऊंटनी के तीन चोरों में से दो का चालान प्रस्तुत कर दिया गया है तथा एक चोर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया तथा चोरी गई ऊंटनी को अभी तक बरामद नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। तीसरे अभियुक्त भागीरथ सिंह, जिसके कब्जे में माल मशरूका दो ऊंटनी हैं, के फरार होने के कारण अभी तक ऊंटनियां बरामद नहीं की जा सकी हैं। प्रयास जारी है।

विदेशी नागरिकों का जिला सीकर में अनधिकृत प्रवास

84. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सीकर जिले में इस समय अवैध रूप से कितने विदेशी नागरिक रह रहे हैं ? इनमें से कितने लोगों ने भारत की नागरिकता चाही है ?

(2) पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने के पश्चात् इस समय कितने लोगों ने गृह आयुक्त या आरक्षी अधीक्षक, सीकर के पास अवधि बढ़ाने के प्रार्थना-पत्र दिये हैं; कितने स्वीकृत किये गये हैं तथा कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है ? कितने लोगों को सीमा के बाहर भेजा गया है ?

उत्तर

(1) जिला सीकर में 27 पाक नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं जिनमें से 3 पाक नागरिकों ने स्थाई निवास की सुविधा चाही है तथा 24 पाक नागरिक भूमिगत चले आ रहे हैं।

(2) पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी पासपोर्ट की अवधि

(गृह मंत्री)

नहीं बढ़ाई गई है। पासपोर्ट की अवधि सम्बन्धित देश के देहली स्थित दूतावास द्वारा ही बढ़ाई जाती है। किसी भी पाक नागरिक को पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने पर गिरफ्तार नहीं किया गया है और ना ही सीमा के बाहर भेजा गया है। केवल 12 विदेशियों की पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने पर वर्ष 80-81 में प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे जिनमें 9 को भारत सरकार के आदेशानुसार वीजा वृद्धि की गई है। सन् 1980 में 2 पाक नागरिकों को पाकिस्तान के लिये निष्कासित किया गया तथा वर्ष 1981 में एक पाक नागरिक को गिरफ्तार किया गया है।

रैवासा, तहसील दांतारामगढ़ में नमक उत्पादन हेतु भूमि का आवंटन

86. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सीकर जिले के दांतारामगढ़ तहसील के रैवासा ग्राम में नमक भूमि का आवंटन किया गया है ?

(2) यदि हां, तो किन किन व्यक्तियों को किस सन् में कितनी कितनी भूमि का आवंटन किन किन शर्तों पर किया गया है? —कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) इनमें से कितने लोगों ने नमक का उत्पादन शुरू कर दिया है तथा कितने डिफाल्टर हैं ? कृपया डिफाल्टर्स की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) क्षेत्र बाढ़ग्रस्त होने के कारण अभी तक किसी भी आवंटित को कब्जा नहीं दिया गया है, अतः नमक उत्पादन नहीं किया जा रहा है। कृषि भूमि से अकृषि भूमि में परिवर्तित भूखण्डों पर सभी इकाइयों ने नमक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। चूंकि भूखण्डों का कब्जा विभाग द्वारा नहीं संभलाया गया है अतः डिफाल्टर का प्रश्न नहीं उठता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

जिला टोंक में सिंचाई बांध

87. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) टोंक जिले में सिंचाई की दृष्टि से चालू वर्ष में कौन कौन से नये बांधों का निर्माण प्रारम्भ किया गया ? ये बांध कब तक बनकर पूर्ण हो जावेंगे ?

(2) इन बांधों से कितनी बीघा जमीन सिंचित होगी ?

(3) इन बांधों पर कितनी-कितनी राशि व्यय होगी ? कृपया बांधवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) टोंक जिले में सिंचाई की दृष्टि से चालू वर्ष में कोई भी नये बान्ध का

(सिचाई मंत्री)

निर्माण प्रारम्भ नहीं किया गया। अतः पूर्ण होने का प्रश्न नहीं है।

(2) चालू वर्ष में कोई नये बांध के निर्माण प्रारम्भ नहीं कराये जाने के कारण किसी जमीन के सिंचित होने का प्रश्न नहीं है।

(3) चालू वर्ष में नये बान्धों के निर्माण पर शून्य राशि व्यय होगी।

बीकानेर जिले की औद्योगिक इकाइयां

88. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बीकानेर जिले में जो औद्योगिक इकाइयां पंजीकृत हैं उनमें कितनी-कितनी पूंजी का विनियोजन हुआ है? सूची मय औद्योगिक इकाइयों के पूरे पतों सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) इन पंजीकृत इकाइयों में से किन-किन को औद्योगिक भू-खण्ड रियायती कीमतों पर किस किस-तारीख को आवंटित किये गये हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) किसी भी इकाई को रियायती दर पर भू-खण्ड आवंटित नहीं किये गये हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

चम्बल के जल का सदुपयोग

89. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

चम्बल नदी की कोटा बैराज से लेकर धौलपुर तक कितनी दूरी है? धौलपुर और आगे बह कर जाने वाले जल के उपयोग करने हेतु क्या राज्य सरकार किसी योजना पर विचार कर रही है? यदि हां तो कृपया इस योजना की रूपरेखा सदन की मेज पर रखें? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

चम्बल नदी की कोटा बैराज से लेकर धौलपुर तक की दूरी लगभग 350 कि.मी. है। कोटा सवाईमाधोपुर एवं भरतपुर जिलों में उपयोग हेतु निम्न सिंचाई परियोजनाएं विचाराधीन हैं।

नाम योजना	तहसील	जिला	सी.सी.ए.
1	2	3	4
1. इन्द्रा लिफ्ट	हिण्डौन, गंगापुर बामनवास, टोडा-भीम एवं बयाना	सवाई माधोपुर भरतपुर	93930 हैक्टेअर (232101 0) एकड़
2. पीपल्दा लिफ्ट	खंडार	सवाईमाधोपुर	12000 हैक्टेअर (29652 एकड़)

(उद्योग मंत्री)

1	2	3	4
3. रोधियान लिफ्ट	सपोटरा, करेली, बासरी	सवाईमाधोपुर, भरतपुर	15240 हैक्टेअर (37658 एकड़)
4. डोगरिया लिफ्ट	सपोटरा	सवाईमाधोपुर	6400 हैक्टेअर (15814 एकड़)

उपरोक्त क्रम संख्या 2 का सर्वेक्षण हो चुका है और तखमीना बनाया जा रहा है। जबकि क्रम संख्या 1, 3, 4, की फिजीबिलिटी रिपोर्ट मुख्य अभियन्ता द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है और सर्वेक्षण कार्य हाथ में लिया जा रहा है।

नागौर व बीकानेर को लिफ्ट सिंचाई से जल उपलब्ध कराना

90. श्री रामधन (लाडनूं) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राजस्थान नहर परियोजना से लिफ्ट सिंचाई योजना बनाकर नागौर एवं बीकानेर को जल उपलब्ध कराने की कोई योजना बनाई गयी थी ? यदि हां, तो कृपया उस योजना का प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। योजना की मुख्य बातें संलग्न परिशिष्ट में दर्शाई गई हैं। योजना बहुत मंहगी होने के कारण राज्य सरकार ने इसे स्वीकृत नहीं किया।

(योजना की मुख्य बातों के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

दाईं मुख्य नहर कोटा का बी. सी. रेश्यो

91. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या कोटा जिले की दाईं मुख्य नहर पर लिफ्ट सिंचाई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इसका बी. सी. रेश्यो क्या है ?

(2) इन योजनाओं के अन्तर्गत कितनी भूमि की सिंचाई हो सकेगी तथा अनुमानित व्यय कितना होगा ?

(3) ये योजनायें अभी किस चरण में हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। कोटा जिले की दाईं मुख्य नहर पर लिफ्ट सिंचाई योजना स्वीकृति हेतु राज्य सरकार द्वारा सैन्ट्रल वाटर कमीशन को भेजी जा चुकी है जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। लिफ्ट सिंचाई योजना का बी.सी. रेश्यो वर्किंग कैपीटल पर 5 प्रतिशत ब्याज दर से 8.18 तथा 10 प्रतिशत ब्याज की दर से 4.999 : 1 है।

(2) इस योजना के अन्तर्गत दायीं मुख्य नहर से 88000 एकड़ भूमि में सिंचाई करने का प्रावधान है। इस योजना पर 1136 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है।

(3) योजनायें स्वीकृति हेतु राज्य सरकार द्वारा सैन्ट्रल वाटर कमीशन को

(सिंचाई मंत्री)

भेजी जा चुकी है जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है।

टोंक पंचायत समिति के ग्रामों का विद्युतीकरण

92. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पंचायत समिति, टोंक के कितने गांव विद्युतीकृत नहीं हैं और क्यों ?

(2) कितने चरणों में कब-कब और कितने–कितने गांवों के विद्युतीकरण की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति टोंक में 202 ग्राम विद्युतीकृत नहीं हैं। क्योंकि इन ग्रामों के विद्युतीकरण करने हेतु अभी कोई योजना स्वीकृत नहीं है।

(2) जी नहीं। अभी कोई स्वीकृत योजना नहीं है। क्षेत्र में उच्च प्रसारण प्रणाली के अभाव में अभी कोई ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्वीकृत कराया जाना संभव नहीं है।

उदयपुर नगर खंड के उपभोक्ताओं से बकाया की वसूली

93. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 तक उदयपुर विद्युत् नगर खण्ड में उपभोक्ताओं से पिछले वर्षों की बाकियात के नाम से राशि जमा करने हेतु बिलों में इन्द्राज कर भेजी गयी ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) इस वसूली का आधार क्या था ?

(3) क्या यह सत्य है कि विभाग की लापरवाही के कारण जमा खर्च बराबर नहीं होने से उक्त वसूलियां की जा रही हैं ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि सैंकड़ों उपभोक्ताओं ने पुरानी जमा की रसीद दिखाकर यह वसूलियां रुकवायी हैं ?

(5) क्या इस वसूली में भ्रष्टाचार दृष्टिगोचर होता है ?

उत्तर

(1) जी हां। उदयपुर नगर खण्ड में 23-4-75 से नवम्बर, 1977 तक के विद्युत बिलों की बकाया राशि संबंधित उपभोक्ताओं के माह सितम्बर, अक्टूबर व दिसम्बर, 1980 के बिलों में इन्द्राज करके भेजी गई थी। कुल राशि निम्न प्रकार थी।

मण्डल की राशि	5,43,570.60
विद्युत कर	63,517.08
कुल	6,17,087.68

(2) मण्डल द्वारा 23-4-75 से महाराणा भोपाल इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के अधिग्रहण के पश्चात उपभोक्ताओं के बिल बनाये जाने की पद्धति में परिवर्तन किया गया। नई व्यवस्था को सुचारु रूप से लागू करने में कुछ समय लगा तथा इस अवधि में उपभोक्ताओं की बकाया राशि का मासिक बिलों में इन्द्राज नहीं किया जा सका था।

(विद्युत मंत्री)

(3) जी नहीं। इसका मुख्य कारण पद्धति में परिवर्तन किया जाना था।

(4) कुछ उपभोक्ताओं ने दिसम्बर, 1977 के पश्चात् जो बकाया राशि जमा करा दी थी उनके बिलों में आवश्यक संशोधन कर दिया गया था। इस तरह के उपभोक्ताओं की संख्या बहुत कम है।

(5) जी नहीं। यह तथ्यों पर आधारित है।

निम्बी जोधा लाडनूं से मणु तक कच्ची सड़क की मरम्मत

94. श्री रामधन (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील लाडनूं के ग्राम निम्बी जोधा से मणु तक वर्ष 1972-73 में एक कच्ची सड़क बनी थी ? क्या इसकी मरम्मत आज तक नहीं हुई ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार इसकी मरम्मत कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) लाडनूं तहसील में ग्राम निम्बी जोधा से मणु तक कच्ची सड़क की अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत वर्ष 1972-73 में स्वीकृति प्राप्त हुई थी व वर्ष 72-73 में कच्ची सड़क बना दी गई थी।

यह सड़क अकाल राहत में बनी थी व विभाग की रख-रखाव सूची में सम्मिलित नहीं है।

(2) साधारणतया अकाल राहत के अन्तर्गत निर्मित सड़कों का रख-रखाव विभाग नहीं करता है। जो सड़कें अग्रिम योजना में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत होती हैं, उन सड़कों का रख रखाव विभाग द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही सम्भव होता है।

टोंक जिले की सड़कों का निर्माण

95. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) टोंक जिले में वर्ष 1981-82 में कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जावेगा ?

(2) उपरोक्त सड़क का कौन-कौन से गांव में निर्माण होगा ? कृपया क्रमशः सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) टोंक जिले में सन् 1981-82 में विभिन्न गांवों में प्राप्त स्वीकृति के आधार पर 43 किलोमीटर सड़क निर्माण की सम्भावना है।

(2) उपरोक्त सड़कों के निर्माण से 18 गांव लाभान्वित होंगे। सूची (क) साथ में संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

कोटा में सीलिंग कानून के तहत अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

96. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)
करेंगे:—

(1) क्या सरकार कृषि भूमि सीलिंग के पुराने व नये कानून के स्थान पर एक ही कानून बनाने का विचार रखती है ?

(2) क्या कृषि भूमि सीलिंग के अन्तर्गत प्राप्त भूमि का मुआवजा कोटा जिले में अभी तक किसी को दिया गया है ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को ?

(3) क्या सरकार मुआवजा शीघ्र ही दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान में कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा का अधिरोपण, राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 1960 के द्वारा किया गया था। बाद में राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 लागू किया गया जिससे पुराने सीलिंग कानून को रिपील कर दिया गया। मौजूदा में वर्ष 1973 का कानून लागू है। इस कानून की धारा 4 (1) के दूसरे परन्तुक में यह व्यवस्था है कि यदि किसी व्यक्ति या परिवार के लिए कृषि भूमि की अधिकतम सीमा पुराने कानून से कम है तो उस मामले में वही अधिकतम सीमा रहेगी।

(2) अभी तक कोटा जिले में कृषि सीलिंग कानून के तहत अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा किसी को भी नहीं दिया गया है।

(3) सीलिंग कानून के तहत मौजूदा में मुआवजा निर्धारण करने की प्रकिया धारा 19 में दी हुई है जिसके तहत अधिकृत अधिकारी को फेयर रेन्ट तय करना होता है जिसमें कई दिक्कतें हैं। इनको देखते हुए राज्य सरकार ने इस धारा में संशोधन प्रस्तावित किया है जिसके लिए एक संशोधन विधेयक राजस्थान विधान सभा के मौजूदा सत्र में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह संशोधन हो जाने पर मुआवजे के निर्धारण की प्रक्रिया काफी सरल हो जावेगी और मुआवजे का चुकारा तत्परता से किया जा सकेगा।

जिलाधीश बाड़मेर द्वारा नियुक्त पटवारी

98. श्री अमीन खां (शिव) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सन् 1980 में तत्कालीन जिलाधीश बाड़मेर ने कितने पटवारियों की नियुक्ति की ? उसमें बाड़मेर जिले के कितने अल्पसंख्यक उम्मीदवार थे और उनमें से कितने अल्पसंख्यकों की नियुक्ति की गई ?

उत्तर

वर्ष 1980 में तत्कालीन जिलाधीश द्वारा केवल दो उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई। वर्ष 1980 में सीधी भर्ती प्रतियोगिता दो बार आयोजित की गई जिनमे अल्पसंख्यक वर्ग के 6-6 उम्मीदवार थे। प्रतियोगिता परीक्षा में मेरिट में न आने के कारण किसी भी अल्पसंख्यक का चयन जिलाधीश द्वारा नहीं किया जा सका।

करौली क्षेत्र में कृषि भूमि पर अवैध निर्माण

99. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि करौली शहर में कृषि भूमि पर हजारों मकान, भूमि को

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)
आबादी में परिवर्तन किये बगैर ही बनाये गये हैं ?

(2) यदि हां, तो कितने मकान हैं ? कृपया अनधिकृत निर्माण करने वालों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अनेक मकान अनधिकृत रूप से बने हैं।

(2) 73 मकान बनवाये गये हैं। अनधिकृत निर्माण कराने वालों की सूची संलग्न हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में खनिज सम्पदा हेतु सर्वेक्षण

100. **श्री नन्द लाल मीणा (प्रतापगढ़):** क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र में भू-वैज्ञानिकों द्वारा खनिज सम्पदा का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है ? यदि हां, तो किस-किस जिले में किस प्रकार के खनिज पाये गये हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

जनजाति उपयोजना क्षेत्र, जो कि मुख्यतया उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व सिरोही का है, में खनिज सम्पदा का सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। चूंकि खनिज सर्वेक्षण कार्य एक निरन्तर प्रक्रिया है अतः यह कहना उचित नहीं होगा कि यह कार्य पूरा कर लिया गया है।

विभाग द्वारा अब तक किये गये खनिज सर्वेक्षण द्वारा इन क्षेत्रों में निम्न खनिजों की खोज की गई—

(1) जिला बांसवाड़ा—

(i) ग्रेफाइट:-खनिज की खोज माही बजाज सागर क्षेत्र एवं अन्य स्थानों पर की गई, जिसके परिणामस्वरूप इस खनिज का खनन राजस्थान के खनिज विकास निगम द्वारा किया जा रहा है तथा एक परिष्करण संयंत्र की स्थापना भी कर दी गई है।

(ii) लाइम स्टोन- कालिंजरा, बारी खमेरा, तलवाड़ा क्षेत्र में सीमेन्ट ग्रेड लाइम स्टोन का पता लगा है किन्तु इस क्षेत्र में रेल यातायात की सुविधा उपलब्ध न होने से इन लाइम स्टोन भंडारों का सीमेन्ट उद्योग में उपयोग अभी नहीं हो सका है।

(2) जिला डूंगरपुर:-

(i) फ्लोराइट:-मांडो की पाल, एवं काहिला क्षेत्रों में फ्लोराइट खनिज का पता लगाया गया एवं खनन कार्य प्रारम्भ किया गया। अब खनन कार्य राजस्थान खनिज विकास निगम द्वारा किया जा रहा है एवं परिष्करण संयंत्र की स्थापना की भी कार्यवाही की जा रही है।

(ii) अलोह धातु:-पादर की पाल (डूंगरपुर) क्षेत्र में अलोहधातु के खनिज का पता लगाया गया। खनिज परिष्करण के लिये नमूने राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को भेजे गये हैं।

(खनिज मंत्री)

(iii) लाईम स्टोन:—सावला क्षेत्र में सीमेन्ट ग्रेड लाइमस्टोन का पता लगाया गया किन्तु इस क्षेत्र में भी रेल सुविधा नहीं होने से इन भण्डारों का अभी उपयोग नहीं हो सका है।

(3) जिला उदयपुर:—(छः तहसीलें एवं गिर्वा पंचायत खण्ड)

(i) रॉक फास्फेट:—झामरकोटड़ा क्षेत्र में रॉक-फास्फेट के भण्डारों की खोज की गई एवं खनन कार्य प्रारम्भ किया जो अब राजस्थान स्टेट माइन्स एवं मिनरल्स लि. द्वारा किया जा रहा है। इस क्षेत्र में एक परिष्करण संयंत्र की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

(ii) वैराइट्स:—सगत रेलपालिया क्षेत्र में वैराइटस खनिज की खोज की गई एवं खनन कार्य राजस्थान खनिज निगम द्वारा किये जाने हेतु लीज प्रदान कर दी गई है।

(iii) लौह धातु:—नथारा की पाल क्षेत्र में लौह खनिज के भण्डारों का पता लगाया गया किन्तु निम्न श्रेणी के होने से इनका अभी उपयोग नहीं हो सका।

(iv) अलौह धातु:—अभी हाल ही में अंजनी क्षेत्र (सलूम्बर) में ताम्रधातु के भण्डार मिलने के संकेत प्राप्त हुए हैं अभी केवल एक बोर होल से प्राप्त नमूनों के विश्लेषण से बहुत उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुये हैं। इस परियोजना पर अभी कार्य जारी है।

(4) जिला सिरोही

अलौह धातु:—डेरी क्षेत्र में अलौह धातु खनिजों के भण्डारों का पता लगाया गया एवं खनन कार्य हेतु यह क्षेत्र राजस्थान खनिज विकास निगम को दिया गया है जो मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि. की सहायता से एक प्रोजेक्ट प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं।

उपरोक्त खनिज भण्डारों के अतिरिक्त इन जनजाति क्षेत्रों में अन्य खनिज जिनका खनन किया जा रहा है उनमें मुख्यत: लैड-जिंक, सोपस्टोन, एसबसटस, मार्बल एवं इमारती पत्थर हैं।

जयपुर शहर के विभिन्न मार्गों पर खुले पड़े मेन होल

101. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर):—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जयपुर में अशोक मार्ग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग एवं रामसिंह हाईवे पर कई मेन होल खुले पड़े हैं? यदि हां, तो कब से? इनको आवृत्त करने के बारे में सरकार का क्या विचार है?

उत्तर

अशोक मार्ग व जवाहर नगर मार्ग पर कोई सीवरेज लाइन नहीं है, अतः इनके कोई मेन होल भी नहीं हैं। पानी की पाइप, जो इन मार्गों से गुजर रही है, के कुछ वाल्वों के ढक्कन चोरी हो जाने की जानकारी जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हुई। कुछ स्थानों पर नये ढक्कन लगाने की व्यवस्था करदी गई एवं शेष में की जा रही है। राम

(स्वायत्त शासन मंत्री)
सिंह हाईवे पर गटर लाइन के कुछ मेन होल खुले पड़े थे, उन पर कवर रखवा दिये गये हैं।

आदिवासी क्षेत्रों में नियुक्त परियोजना अधिकारी

102. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या जनजाति विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है जनता शासन के दौरान आदिवासी क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के लिए प्रतापगढ़ व आबू रोड में परियोजना अधिकारी लगाये गये थे ? अब इन परियोजना अधिकारियों को किन कारणों से हटाया गया है ?

उत्तर

इस विभाग की स्वीकृति क्रमांक एफ 1 (32) सीटीएडी/लेखा/78-79/3022-34 एवं 3035-50 दिनांक 6-5-78 के अनुसार जिला सिरोही में आबू रोड व जिला चित्तौड़गढ़ में प्रतापगढ़ के लिये उप परियोजना अधिकारियों के पद सृजित किये गये थे।

जिलाधीश की सिफारिश एवं विभिन्न अधिकारियों में कार्यों का समन्वय अच्छी प्रकार रखने तथा चित्तौड़गढ़ के तीन लघु खण्डों (1) छोटी सादड़ी (2) बड़ी सादड़ी तथा, (3) बेगूं के कार्यों को जिलाधीश के निर्देशानुसार देखने के कारण राजकीय आदेश क्रमांक एफ. 1(28) कार्मिक/क. 4/78, दिनांक 22 मार्च, 1980 से उप परियोजना अधिकारी प्रतापगढ़ का मुख्यालय चित्तौड़गढ़ हस्तान्तरित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। उक्त आदेशों की अनुपालना से उप परियोजना अधिकारी प्रतापगढ़ का मुख्यालय दिनांक 15-5-80 को प्रतापगढ़ से चित्तौड़गढ़ शिफ्ट किया गया।

उप परियोजना अधिकारी आबू रोड का मुख्यालय आबू रोड में कभी नहीं रहा। आबू रोड का कार्यालय सिरोही में ही रहा। आबू रोड में उपयुक्त भवन उपलब्ध नहीं हो सका। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 1(28) कार्मिक/क-4/78 दिनांक 15-2-79 द्वारा उप परियोजना अधिकारी का कार्यालय दिनांक 30-6-79 तक सिरोही में ही रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये और 1-7-79 से उक्त कार्यालय को आबू रोड में शिफ्ट करने के आदेश प्रदान किये गये। आबू रोड में उपयुक्त भवन नहीं मिलने तथा विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने तथा जिलाधीश को जनजाति विभाग से संबंधित कार्यों में सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से जिलाधीश सिरोही की सिफारिश के अनुसार उप परियोजना अधिकारी का मुख्यालय सिरोही में ही रखा गया।

वर्तमान में परियोजना अधिकारी आबू रोड का मुख्यालय सिरोही तथा उप परियोजना अधिकारी प्रतापगढ़ का कार्यालय चित्तौड़गढ़ में ही है।

तहसील प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन आश्रम स्कूल

103. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या जनजाति विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील प्रतापगढ़ में आश्रम स्कूलों का निर्माण पूर्ण

(श्री नन्दलाल मीणा)

हो चुका है ? यदि हां, तो कहां कहां पर ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) एक आश्रम स्कूल में कितने छात्रों की आवासीय सुविधा का प्रावधान है ?

(3) वर्तमान में कितने आश्रम स्कूल चल रहे हैं ? इनमें कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया ? निर्धारित संख्या से कम प्रवेश देने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा तहसील प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले में तीन आश्रम विद्यालयों के निर्माण करवाने की योजना थी। इसमें से सुहागपुरा व देवगढ़ आश्रम विद्यालयों का निर्माण हो चुका है। रामपुरिया आश्रम स्कूल का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। इस आश्रम स्कूल के भवन हेतु 1979–80 में ही राशि स्वीकृत हुई थी। स्कूल भवन का कार्य चालू है

(2) आश्रम स्कूल प्रारम्भ होने वाले प्रथम वर्ष में 50 छात्र एवं द्वितीय वर्ष में 100 छात्रों को आवासीय सुविधा दिये जाने का प्रावधान है।

(3) वर्तमान में जनजाति क्षेत्र में 9 आश्रम विद्यालय चल रहे हैं। सात आश्रम विद्यालयों में माह सितम्वर, 80 के अन्त तक 532 छात्र प्रवेश पा चुके थे। दो आश्रम विद्यालय आरम्भ करने के आदेश माह नवम्बर, 80 में ही जारी हुये हैं अतः सूचना प्राप्त करके उपलब्ध करा दी जायगी। सात में से पांच आश्रम विद्यालयों में छात्र संख्या पूरी है। केवल दो आश्रम विद्यालय मीन तलेटी (सिरोही) व सुहागपुरा (चित्तौड़गढ़) में आवंटित स्थानों से क्रमशः आठ व साठ कम हैं। ये कमी छात्र उपलब्ध न होने के कारण है।

अजमेर नगर में राजकीय व अराजकीय कार्यों हेतु प्रदत्त सीमेन्ट

104. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिनांक 1-1-1980 से आज तक अजमेर नगर में राजकीय निर्माण कार्यों के अलावा जनता द्वारा कितनी-कितनी सीमेन्ट की कब-कब किस प्रयोजन हेतु मांग की गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जनता के प्रार्थना-पत्र पर किस किस तारीख को कितनी-कितनी सीमेन्ट अलॉट की गई ? कृपया सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 1–1–80 से 23-2-81 तक अजमेर नगर में राजकीय निर्माण कार्यों के अलावा जनता द्वारा भिन्न भिन्न प्रयोजन हेतु सीमेन्ट की, की गई मांग की सूची सदन की मेज पर प्रेषित है।

(2) जनता के प्रार्थना-पत्रों पर भिन्न-भिन्न तारीखों में दी गई सीमेन्ट की सूची सदन की मेज पर प्रेषित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

जयपुर-नागौर ग्रामीण आंचलिक बैंक द्वारा अन्त्योदयी परिवारों को प्रदत्त ऋण

105. श्री रामधन (लाडनूं): क्या अन्त्योदय योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर–नागौर ग्रामीण आंचलिक बैंक, निम्बी शाखा द्वारा पिछले साल कितने अन्त्योदय परिवारों को ऋण दिया गया? उसमें प्रत्येक को कितनी अनुदान राशि दी गई थी?

(2) क्या यह सही है कि अन्त्योदय परिवारों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान राशि नहीं दी गई? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक निम्बी शाखा ने पिछले साल 31 अन्त्योदयी परिवारों को ऋण दिया था उनमें से केवल 1 व्यक्ति श्री रूधाराम पुत्र श्री घासीराम जाट निवासी सीवा को रुपये 1415/– की अनुदान की राशि दी गई।

(2) जी हां, अनुदान वितरण करने हेतु बैंक में अभिकरण के बचत खाते में राशि रुपये 10,000/– जमा करवाई गई थी। इसके अलावा पूर्व में भिजवाई गई राशि रुपये 2480/– बैंक द्वारा उपयोग में नहीं लाने के कारण बैंक द्वारा बचत खाता में जमा करदी गई। अग्रिम दी गई राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने की सूरत में और अधिक राशि जमा नहीं कराई जा सकी। इस कार्यालय की जब स्वीकृतियों के माध्यम से बैंक द्वारा अनुदान नहीं दिया जाना मालूम हुआ तो अभिकरण के अंकेक्षण दल को माह दिसम्बर, 1980 में वस्तुस्थिति ज्ञात करने हेतु भिजवाया गया। अंकेक्षण दल ने रुपये 11311/– के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर अभिकरण को प्रस्तुत किये। इसके आधार पर एक चैक संख्या 184162, दिनांक 6-1-81 राशि रुपये 11311/–कोषालय नागौर से पारित करवा कर भिजवाया गया परन्तु उक्त बैंक द्वारा 3 सप्ताह में भुगतान नहीं उठाया गया। बैंक ने अभिकरण को यह चैक कोषालय नागौर से पुनः समयावधि बढ़वाने के लिए भेजा जो 25-2-81 को कोषालय द्वारा समयावधि बढ़ाकर बैंक को भेज दिया गया है। शेष अन्त्योदयी परिवारों की अनुदान राशि रुपये 40,000/– चैक संख्या 185825, दिनांक 25-2-81 द्वारा बैंक को कोषालय से पारित करवाकर भिजवादी है एवं अनुदान राशि का संबंधित अन्त्योदयी परिवारों को पन्द्रह दिन की अवधि में भुगतान कर दिया जावेगा।

जयपुर–टोडारायसिंह बस सेवा

106. श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा जयपुर से टोडारायसिंह तक कितनी सीधी बसें चालू की हुई हैं?

(2) क्या इस मार्ग पर बसें नियमित रूप से चल रही हैं?

उत्तर

(1) निगम द्वारा जयपुर से टोडारायसिंह तक 4 एकल सेवायें संचालित की जाती हैं।

(2) जी हां।

जिला सीकर के मार्गों के राष्ट्रीयकरण की योजना

107. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सीकर जिले में कितने प्रतिशत मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया गया ? इन पर परिवहन निगम की कितनी बसें चल रही हैं ?

(2) प्राइवेट बस मार्ग कितने हैं तथा इन पर कितनी बसों का परमिट दिया गया है ?

(3) कितने और मार्गों के राष्ट्रीयकरण की योजना विचाराधीन है तथा कब तक करने का विचार है एवं कौन-कौन से बस मार्ग राष्ट्रीयकृत किये जायेंगे ?

उत्तर

(1) सीकर जिले में दिनांक 31-5-80 तक 59.81% मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है और वर्तमान में इन मार्गों पर प्रति दिन सीकर आगार से 61 वाहनों से 191 परिचक्र तथा अन्य आगार की 96 बसों से 218 परिचक्र संचालित किये जा रहे हैं।

(2) सीकर जिले में प्राइवेट बस मार्ग 51 हैं इन पर 181 बसों के परमिट दिये गये हैं।

(3) वर्तमान में एक मार्ग यथा सीकर-अजमेर वाया भूड़-दातारामगढ़-नावा मार्ग के राष्ट्रीयकरण की योजना मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 68–डी (2) में राज्य सरकार के विचाराधीन है जिसका निर्णय हो जाने के पश्चात् योजना का क्रियान्वियन सम्भव हो सकेगा।

लाडनूं तहसील में रिक्त कनिष्ठ अभियन्ता का पद

108. श्री रामधन (लाडनूं) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि लाडनूं तहसील के तहत एक जूनियर इन्जीनियर का पद रिक्त है ? यदि हां, तो क्यों तथा उस पद पर नियुक्ति अब कब तक कर दी जाएगी ?

उत्तर

जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता। लाडनूं तहसील में सहायता विभाग द्वारा सम्वत् 2037 की अभाव स्थिति में कोई कनिष्ठ अभियन्ता का पद सृजित नहीं है।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर में लिपिकों की नियुक्ति

109. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 1973 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर ने एक प्रस्ताव द्वारा बोर्ड के कार्यालय में लिपिकों की अस्थाई नियुक्तियां दैनिक दर पर ही किये जाने का निर्णय लिया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि जून, जुलाई, 1980 में बोर्ड में लिपिकों की

(श्री कैलाश मेघवाल)
नियुक्तियां की गयीं ? इसका क्या कारण रहा और किन किन को नियुक्त किया गया ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि फरवरी, 1980 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा लिपिकों की भर्ती हेतु परीक्षा आयोजित की गयी थी ?

(4) क्या इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर योग्यता सूची तैयार की गयी थी ? यदि हां, तो कब प्रकाशित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि जून, जलाई, 1980 में हुई तदर्थ नियुक्तियों में उक्त योग्यता सूची का उल्लंघन किया गया और पक्षपात के कारण सूची में से मनमानी नियुक्तियां की गयीं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। 1973 में दैनिक दर पर लिपिकों को नियुक्ति की व्यवस्था नहीं थी। बोर्ड ने 13-2-73 को अध्यक्ष को अस्थाई नियुक्ति करने का अधिकार दे दिया था।

(2) जी हां। पूर्व में कुछ रिक्त पद होने तथा कुछ नव सृजित होने के कारण नियुक्तियां की गईं। सूची संलग्न है।

(3) जी हां।

(4) जी हां। योग्यता सूची प्रकाशित करने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। बोर्ड ने 11-5-80 को यह निर्णय ले लिया कि रिक्त पदों पर ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त किया जाये जिन्हें 31-3-80 तक लगातार कार्य करते हुए 6 मास से अधिक समय हो गया है और जो निर्धारित योग्यता रखते हैं। इन्हें टाइप टेस्ट पास करने के लिए एक वर्ष का समय दिया गया।

(5) रिक्त पदों पर नियुक्तियां बोर्ड के 11-5-80 को लिए गए निर्णयानुसार ही की गई।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

गंता तथा अयानों में गौण मंडियां स्थापित करना

110. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गंता तथा अयाना में कृषि उपज मंडी की गौण मंडियां खोले जाने हेतु वहां के नागरिकों तथा किसानों की मांग है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों इलाकों में उपज तथा भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए वहां पर गौण मंडियों का होना अति आवश्यक है ?

(3) उक्त दोनों स्थानों पर गौण मंडियां स्थापित करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है तथा कब तक ?

उत्तर

(1) अयाना में गौण मण्डी स्थापित करने हेतु वहां के विधायक की मांग पर जांच कराकर पाया गया कि अयाना में मंडी शुल्क से आय रुपये 15,000/- वार्षिक ही हो सकती है। अतः गौण मंडी प्रांगण

(कृषि मंत्री)
अयाना में स्थापित करना आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं समझा गया । गैंता के सम्बन्ध में कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है ।

(2) जी नहीं । माल की आवक कम होने के कारण अभी अयाना में गौण मण्डी यार्ड स्थापित करना उचित नहीं समझा गया है । गैंता में गौण मण्डी यार्ड स्थापित हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है ।

(3) अभी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

राजस्थान नहर के लिए प्राप्त कोयला व सीमेंट

111. **श्री माधवसिंह दीवान (सोजत):** क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान नहर के लिए पिछले पांच वर्षों में कितना कोयला व सीमेंट प्राप्त हुई ? सिंचाई विभाग द्वारा कितनी मात्रा की मांग की गई थी ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) सीमेंट व कोयले की मात्रा कम मिलने के क्या कारण थे तथा इससे इस योजना की क्रियान्विति में कितना फर्क पड़ा तथा विभाग को कितना घाटा हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि अब दूसरे चरण का कार्य शुरू हो गया है और इसका हैड आफिस जयपुर में होने से कार्य करने में काफी असुविधा रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में इसका हैड आफिस जोधपुर स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) राजस्थान नहर के कार्य को समय अनुसार पूरा करवाने के लिए सरकार क्या भावी कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर के लिए पिछले पांच वर्षों में कोयले व सीमेंट के लिए की गई मांग व प्राप्ति के आंकड़े परिशिष्ट 'क' व 'ख' में दर्शाए गए हैं ।

(2) सीमेंट वांछित मात्रा में नहीं मिलने का कारण यह रहा कि इसका उत्पादन कम रहा तथा कभी कभी रेल मार्गों पर प्रतिबन्ध रहा । कोयला वांछित मात्रा में नहीं मिलने का कारण यह रहा कि कोयला खानों से परियोजना क्षेत्रों तक इसे ढोने के लिए रेल वैगन्स प्राप्त नहीं हुए । कोयले की वांछित मात्रा में प्राप्ति नहीं होने के कारण नहरों को पक्का (लाइनिंग) करने के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके । फलस्वरूप इसकी निर्माण लागत में कीमतों की वृद्धि के कारण बढ़ोतरी होगी । परियोजना के पूरे होने और सिंचाई पूर्ण विकसित होने पर 31 लाख टन वार्षिक खाद्य उत्पादन होने का लक्ष्य है । परियोजना के निर्माण में जितनी देरी होगी, देश इस खाद्य उत्पादन से वंचित रहेगा ।

(3) जी नहीं । दूसरे चरण का कार्य वर्ष 1971–72 में ही प्रारम्भ हो गया था । द्वितीय चरण के निर्माण से सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का कार्यालय बीकानेर में ही है, जयपुर में केवल राजस्थान कैनाल बोर्ड का कार्यालय है जो कि राजस्थान कैनाल की पूरी योजना से सम्बन्धित है और जिसका चेयरमैन राजस्थान कैनाल विभाग का

(राजस्थान नहर मंत्री)

प्रशासनिक सचिव है। द्वितीय चरण का अभी फिलहाल मुख्य अभियन्ता का कार्यालय जोधपुर ले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, चूंकि मुख्य अभियन्ता प्रथम चरण व मुख्य अभियन्ता द्वितीय चरण के दफ्तर शामिल हैं।

(4) राजस्थान नहर को समय अनुसार पूरा करने हेतु राज्य सरकार, राजस्थान नहर निर्माण हेतु उचित मात्रा में कोयला व सीमेंट दिलाने व उचित मात्रा में धन राशि उपलब्ध कराने हेतु हर स्तर पर प्रयत्नशील है। छठी पंचवर्षीय योजना में निर्माण कार्यों के लिए 162.5 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है।

(आंकड़ों के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

गणपतराय सरावगी चिकित्सालय में महिला चिकित्सकों के रिक्त पद

112. श्री रामधन (लाडनूं) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि लाडनूं में गणपतराय सरावगी चिकित्सालय में दो महिला चिकित्सकों के पद लम्बे समय से रिक्त हैं? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक इन पदों पर नियुक्ति कर दी जाएगी?

उत्तर

जी हां।

स्थानान्तरण के कारण जिन डाक्टरों का लाडनूं में पदस्थापन किया गया था उन्होंने वहां कार्यभार नहीं सम्भाला। उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए, वहां शीघ्र ही अन्य डाक्टरों का पदस्थापन करने के आदेश जारी किये जावेंगे।

व्यवस्था का प्रश्न
पत्रकार दीर्घा में पत्रकारों की अनुपस्थिति

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में कुछ समय पहले प्रश्न संख्या 91 का जवाब दिया जा रहा था जब मंत्री महोदय ने उत्तर दिया उसके पश्चात् मैंने ऐसा देखा है कि प्रेस गैलरी पूर्णतया खाली है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रेस गैलरी में कोई नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बैठे हुए हैं ना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे तो मालूम नहीं है।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : कई बार आप देखते होंगे कि गैलरीज़ खाली रहती हैं।

श्री अध्यक्ष : आपके पीछे की ओर गैलरी में बैठे हैं।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें। अब जीरो आवर शुरू हुआ है और विरोधी दल के नेता महोदय कुछ कहना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है। पत्रकारों ने इस तरह से पहले कभी हाउस से वाक आउट नहीं किया है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
वाक आउट करने का मूल कारण यह रहा है कि मंत्री महोदय, जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया, जब पत्रकारों की तरफ से दर्ज कराई गयी एफ.आई.आर. का उल्लेख सदन में करना चाहते थे तो उस समय करने नहीं दिया। लेकिन उनके विरुद्ध जो मुकदमा दायर किया गया और जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि पत्रकार महिलाओं के जबरन फोटो खींचना चाहते थे, जब वह बात कही गयी तो उनको किसी ने रोका नहीं। जब हमने इस बात के लिए प्रश्न किया तो मंत्री महोदय ने उत्तर नहीं दिया। इसको किस तरह से अवाइड किया जाये यह तो बात समझ में आती है लेकिन मंत्री महोदय पत्रकारों पर आरोप लगायें यह समझ में नहीं आता। उन्होंने एक प्रकार से आरोप लगाया। आरोप इसलिए कि पत्रकारों के विरुद्ध दर्ज की गयी रिपोर्ट का उल्लेख कर दिया लेकिन पत्रकारों के पक्ष में बात कही गयी वह मंत्री महोदय ने नहीं कही। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तीन महीने में अनुसंधान में क्या सरकार को यह भी पता नहीं लगा कि पत्रकारों का कैमरा छीना गया या नहीं छीना गया तो जो सरकार उत्तर दे रही है उस सरकार पर किस प्रकार से भरोसा किया जा सकता है कि वह न्याय करेगी? यह सरकार उत्तर नहीं दे सकती कि अनुसंधान बन्द कर दिया गया है या जारी है। इलेक्शन पिटीशन के कारण से अनुसंधान पर कितना असर पड़ेगा और चालान होगा या नहीं। यह सब बातें इस प्रकार की हैं कि आखिर पत्रकार भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने अपनी यूनियन के माध्यम से एक वयोवृद्ध पत्रकार को इसकी जांच करने के लिए भेजा। उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को भेजी। भरतपुर के पत्रकारों ने भी जांच रिपोर्ट सरकार को भेजी यह सब कुछ हुआ। उसके बाद में माननीय प्रद्युम्न सिंह जी का उत्तर सुनकर मुझे दुख हुआ। ज्यादा दुख इसलिए है कि प्रद्युम्न सिंह जी-इस प्रकार का उत्तर; मैं समझता हूं, देना मन से नहीं चाहते थे लेकिन मजबूरी में उन्होंने उत्तर दिया। यह सारी घटनायें उनकी जानकारी में थीं। किस सीमा तक लीपापोती भी जा सकती है वह सीमा वह भी समझते हैं और मैं भी समझता हूं। लेकिन सीमा के बाहर जाकर कोई यह इलजाम लगाने की कोशिश करे कि उनकी जांच होगी और कैमरा छीना गया या नहीं यह सरकार को अभी तक जानकारी नहीं। सरकार को अभी तक जानकारी नहीं कि वर्किंग जर्नलिस्ट के प्रतिनिधियों ने जांच करके इनको रिपोर्ट दी है। इन सब बातों से ऐसा लगता है कि पत्रकारों की प्रतिष्ठा को बहुत जबर्दस्त आघात है और मंत्री महोदय ने उत्तर दिया उसके कारण से वह आघात है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाकर आप स्वयं पत्रकारों के प्रतिनिधियों को बुलायें और इस बात की चेष्टा करें कि पत्रकार किस कारण से वाक आउट करके गये। बिना पत्रकारों के विधान सभा चले उसमें यह कह सकते हैं कि किसका भाषण छापे और किसका भाषण नहीं छापें—यह तो एक हलकी बात होगी। हम भाषण देने के लिए न इस पक्ष के सदस्य यहां आये हैं और न उस पक्ष के सदस्य आये हैं। सदन में एक सत्ता पक्ष है और एक विरोधी पक्ष है

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और हमारी सारी कार्यवाही को जनता तक पहुंचाने वाले या तो रेडियो हैं या फिर समाचार-पत्र हैं। एक अंग जो इस विधान सभा का अंग है वह अंग यदि अनुपस्थित रहे और वहीं भी प्रोटेस्ट स्वरूप अनुपस्थित रहता है तो मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, आपसे और माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही 5-10 मिनट के लिए स्थगित की जाये और फिर आप पत्रकारों के प्रतिनिधियों को बुलाकर बात करें कि किस प्रोटेस्ट में उन्होंने वाक आउट किया है और किस प्रकार से उनकी शंका का समाधान किया जा सकता है। उनका जो अपमान हुआ है उसकी किस प्रकार से क्षतिपूर्ति हो सकती है। इन सारी बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि विधान सभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी जाये।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पत्रकारों का अपमान करने का कोई इरादा नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दिया जाये। उत्तर देने दीजिए। मेरा अपमान करने का कोई इरादा नहीं था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। जब विपक्षी दल के नेता महोदय बोल रहे थे तो सब ने ध्यानपूर्वक उनको सुना उन्होंने मन्त्री महोदय के बारे में कुछ बातें कहीं। पहले उनको उत्तर देने दीजिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा पत्रकारों का अपमान करने का न इरादा कभी था, न है और न कभी रहेगा। आपने कैमरे के बारे में बात पूछी थी, सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन एक कैमरे के बारे में यह किया गया था विपक्ष के नेता द्वारा, जिस समय यह बात की गई थी कि कैमरा छिनाया गया या नहीं छिनाया गया तो मैंने उसका उत्तर दिया कि एफ. आई. आर. जो दर्ज कराई गई उसमें कैमरा छिनाने का जिक्र कहीं नहीं है। अब रह जाता है कि 161 के बयानों की बात, तो उसमें भी यह बात आ सकती थी कि कैमरा छिनाया गया या नहीं छिनाया गया। उसके संबंध में, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि बाद में मैंने जो इन्फार्मेशन ली है उसमें भी पत्रकारों के कैमरे छिनाने की बात 161 के बयानों में भी नहीं आई। मैंने इनफरेन्स इस बात से निकाली कि पत्रकारों की रिपोर्ट के बाद जो गांव वालों ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें इन्होंने महिलाओं की फोटो खींचने की बात कही उस आधार पर मैंने यह कहा कि कैमरा हो सकता है, उनके पास रहा होगा। मैंने सिर्फ इतना कहा और अगर उनकी भावनाओं को मेरी कही हुई बात से ठेस लगी हो तो मैं तो क्षमा मांगने के लिए तैयार हूँ।

मैंने तो फैक्चुअल पोजीशन को नरेट किया था और वह आपके सामने निवेदन की थी। कभी उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने या उनको बेइज्जत करने या अपमान करने का इरादा नहीं था जो एक्चुअल

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

बात है, जो मेरे पास थी मैं तो उसको नरेट कर रहा था। तो अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः आपके माध्यम से सदन के विरोधी पक्ष के नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि आपने जो बात कही है वह बातें गलत हैं। अध्यक्ष महोदय, अनुसंधान जारी है और पिटीशन से अनुसंधान का कोई संबंध नहीं है। इसके अन्दर पिटीशन दायर होने के बाद लाइटली 11 तारीख को राजस्थान पत्रिका के श्री महेन्द्र चौमा के बयान लिए गए हैं। फिर बाहर के पत्रकार भी इसमें शरीक थे। तो अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पत्रकारों के अपमान की बात जो माननीय विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने कही है वह पत्रकारों को उल्टे प्रवोक करने के लिए कही है। अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, मैंने सिर्फ एक्चुअल पोजीशन को नरेट किया है। मैं क्षमा माँग रहा हूं इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय ने कहा उसका उत्तर मंत्री महोदय ने दे दिया। अब आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि उस समय अपमान किया यह तो विवादास्पद माननीय सदस्य ने माना ही है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने नहीं माना।

अनेक माननीय सदस्य : अपमान नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं केवल यही कह रहा था कि इन्होंने अभी कहा कि मैंने जो बात कही है पत्रकारों को प्रवोक करने के लिए कही है। आप ऐसा समझते हैं कि पत्रकारों का एलीमेन्ट ऐसा ही है···

श्री प्रद्युम्नसिंह : किनका ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनका।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह ह्यूमन साइक्लॉजी है। मैं पत्रकारों की साइक्लॉजी नहीं कह रहा हूं। यह ह्यूमन साइक्लॉजी है। यह आपकी खुद की साइक्लॉजी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने एक बात कही उसकी मैं प्रशंसा करना चाहूंगा, मेरी तरफ से अपमान हुआ है वह माफी मांगने को तैयार हैं। उनकी इच्छा थी। मैंने आपसे निवेदन किया जब सत्ता पक्ष, विरोधी पक्ष दोनों यह चाहते हैं इस सम्बन्ध में यदि कुछ हो गया है उसका निराकरण करने के लिये पत्रकारों से बातचीत की जाये। इस आधार पर निवेदन करना चाहूंगा···

(व्यवधान)

श्री रतना राम चौधरी (रानीवाड़ा) : मंत्री के ऊपर जो गलत आरोप लगाया है आप क्षमा मांगें····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं भी निवेदन करने का अधिकारी हूं। इस अधिकार के नाते निवेदन करना चाहता हूं कि पत्रकार अगर विधान सभा से बाहर वाक आउट करके चले जायें यह सदन के लिये शोभा की बात नहीं है··

एक माननीय सदस्य : कई बार आप भी चले जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिये नहीं कहता हूँ, अध्यक्ष महोदय, मैं ही नहीं चला जाता कई बार मंत्री लोग भी वाक आउट कर जाते हैं· ·

एक माननीय सदस्य : वह आपके समय में हुआ होगा· ·

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य उनको सदन का अंग मान कर चलते हैं। बिलकुल सही वजह है। वह तथ्य सरकार स्वीकार करने को तैयार नहीं है, पिटाई हुई, कैमरा छीना गया इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं उल्टा इलजाम लगाने की बात कर रहे हैं · · ·

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई इलजाम नहीं लगाया· ·

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूँ· · · · ·

(व्यवधान)

क्षमा मंगवा दो तो इस समस्या का समाधान हो सकता है· ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने कोई इलजाम नहीं लगाया।

पत्रकारों की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर आपका किस नियम के आधार पर है ?

श्री नाथूसिंह : हाउस की परिभाषा में, अध्यक्ष महोदय· · ·

एक माननीय सदस्य : नियम बताइये।

श्री अध्यक्ष : यह मेरे ऊपर छोड़ दीजिये। कृपया बैठ जायें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, सत्ता पक्ष, विरोधी पक्ष और उसके साथ साथ जितनी भी गैलरीज हैं माननीय पत्रकार हैं उनको जगह अलाटेड है, वह भी इस हाउस की परिभाषा के अन्दर आते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं हाउस के तीनों पक्ष, सत्ता पक्ष, विरोधी पक्ष और पत्रकार। तीनों में से आज एक पार्ट गायब है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, · · · ·

श्री अध्यक्ष : प्रश्न क्या है· · ·

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : इसलिये, अध्यक्ष महोदय, · · ·

श्री अध्यक्ष : बैठे-बैठे क्यों बोल रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि मंत्री महोदय के जवाब से सन्तुष्ट न होकर उन्होंने· · ·

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था के प्रश्न पर आइये, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : मेरा निवेदन यह है कि जब तक पत्रकार गैलरीज में वापस नहीं आ जाते तब तक हाउस की कार्यवाही चल नहीं सकती।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, मैं समझ गया आपका पाइन्ट आफ आर्डर· ·

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर प्लीज ।

आपकी परिभाषा समझ ली। आपका पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि सदन की परिभाषा में गैलरीज और कक्ष वगैरह सब आते हैं। क्योंकि पत्रकार दीर्घा खाली है इसलिये सदन की कार्यवाही चल नहीं सकती। सदन की कार्यवाही यदि सदन के कुल सदस्यों के 10 प्रतिशत सदस्य उपस्थित हों, अध्यक्षता करने के लिये कोई अधिकृत व्यक्ति हो तो फिर यह प्रश्न पैदा नहीं होता कौन उपस्थित है, कौन उपस्थित नहीं है। इसलिये सदन का हिस्सा, सदन का प्रांगण और जो कार्यवाही चल रही है वह दूसरी अलग चीज है। सदन के प्रांगण में केवल माननीय सदस्य प्रवेश कर सकते हैं। वे कब जा सकते हैं मैंने निवेदन पहले कर दिया।

अब मैं आता हूं, विपक्ष के नेता महोदय ने यहां पर यह बात कही कि पत्रकारों ने नाराज होकर इस विधान सभा के इतिहास में प्रथम बार बहिर्गमन कर दिया इसलिये सदन की कार्यवाही स्थगित करके उनसे अपने को वातचीत करनी चाहिये। पहली बात तो मुझे यह अधिकृत रूप से सूचित नहीं किया गया कि पत्रकारों ने बहिर्गमन किया। उनको क्या नाराजगी हो गई इसके कारण मैं, जब चेम्बर में जाऊंगा तो पत्रकार बन्धुओं से बात करूंगा। यह बात सही है कि विचारों की स्वतन्त्रता जनतंत्रवाद का एक पूर्ण और आवश्यक अंग है। जनतंत्रवाद की कल्पना नहीं की जा सकती यदि उसमें विचारों की स्वतन्त्रता नहीं है। विचारों की स्वतन्त्रता आज के युग में जनतंत्र के अंग के रूप में ली जाती है। पत्रकारों को क्या शिकायत है उनको विचार प्रकट करने की क्या-क्या सुविधा है और वह जो कुछ कहते करते हैं समाज के ऊपर उसका कितना असर होता है। हमारे और पत्रकारों के सम्बन्ध सदैव मधुर रहे हैं, मधुर रहेंगे और किसी कारणों से कोई नाराजगी हो गई है तो उन कारणों में भी हम जायेंगे। जहां तक कार्यवाही स्थगित करने का प्रश्न है, सदन की कार्यवाही कुछ नियमों के अन्तर्गत ही स्थगित की जाती है। इसलिए नियमानुसार सदन की कार्यवाही इस बात को लेकर बिना तथ्यों की पूरी जानकारी किये स्थगित नहीं की जा सकती। परिस्थितियों को यदि मैं देखता हूं तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाये। यदि ऐसा हुआ है उसके कारणों में जायेंगे, पत्रकारों को बुला कर बात करेंगे। राजनीतिज्ञों का और पत्रकारों का हमेशा मधुर संबंध रहा है। पत्रकार महत्वपूर्ण हैं, राजनीतिज्ञ भी महत्वपूर्ण हैं। रोमियो और जूलियट का खेल खेला जाये तो दोनों अंग आवश्यक हैं। हम तो इसके एक महत्वपूर्ण पात्र हैं। उनको सुविधा देते हैं उनके कार्यकलापों में कभी हमारे विरोध में लिख दिया, कभी पक्ष में लिख दिया। हमारा पक्ष यदि गौण हो जाता है तो उनको चर्चा करने का बहुत कम विषय हो जाता है। दोनों अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। मधुरतम संबंध रहने चाहिए। कोई नाराजगी हो जाती है इसके कारण भी हो सकते हैं। हम तो राजनीतिज्ञ हैं, आप तो हमेशा यह कहते रहे हैं। हमारे संबंध पूर्ववत रहेंगे। आपने बात कही है, कोई प्रस्ताव तो आया नहीं है, इसलिए निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता। आपने जो बात कही उसको ध्यान में रख कर मैं पत्रकार बंधुओं से आप सब की तरफ से बात

(श्री अध्यक्ष)

करूंगा। यह प्रकरण समाप्त किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह प्रकरण मामूली सा नहीं है। निर्णय का सारा आधार यह है कि आपको सूचना नहीं है, केवल यही आधार है ...

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। सूचना का सवाल नहीं है, क्या परिस्थितियां हैं, क्या जानकारी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन्होंने जो उत्तर दिया है वह कारण है। उत्तर इस प्रकार का दिया है एक वर्ग विशेष के बारे में, मैं ऐसा नहीं समझता था कि पत्रकारों के साथ इस प्रकार का व्यवहार प्रद्युम्नसिंह जी करेंगे। यह किसी को उम्मीद नहीं थी। आपने विचार स्वतन्त्रता की बात कही है। पत्रकार विचार स्वतन्त्रता के लिए ही वहां गये थे। वहां उनको जमकर पिटाई की गई और उनके कपड़े फाड़े गये, कैमरे छीन लिये गये। तो विचार स्वतन्त्रता रही कहां? पत्रकार तो केवल यही देखने गये थे कि चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं या नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः निवेदन करूंगा कि इसमें 5-7-10 मिनट का समय लगेगा। आप यह बतायें कि नियमों के आधार पर स्थगित हो सकता है? कई बार हाउस नियमों के विरुद्ध भी स्थगित हुआ है इसलिए मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा ...

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही स्थगित करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है।

श्री हजारीलाल शर्मा (पिलानी) : मेरा निवेदन यह है कि सभा की कार्यवाही चाहे स्थगित न करें लेकिन सभा की कार्यवाही चलते हुए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुला ली जाये, उसमें पत्रकारों को भी बुला लिया जाये और वहां यह बात तय कर ली जाये ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग नहीं है, तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के जितने अख्तियारात होते हैं वे मेरे में निहित होते हैं अगर मैं आवश्यक समझूंगा तो आप लोगों को भी बुला लूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था में कोई अवरोध पैदा नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि विधान सभा में पत्रकारों के लिए जिस प्रकार का सम्मान प्रकट किया जाना चाहिए था, उस प्रकार की कार्यवाही हम नहीं कर रहे हैं। मैं फिर आशा करता हूं कि इसमें विरोधी पक्ष और कांग्रेस के नेता और आप पांच मिनट के लिये बुलाकर बात कर सकते हैं कोई लम्बी चौड़ी इसमें बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यदि आप इस सम्बन्ध में कुछ करना चाहते हैं तो पत्रकार जो वाक आउट करके गये हैं जिनका अपमान किया गया है, उस अपमान को सहने की ताकत न पत्रकारों में हो सकती है और न ही दूसरों में हो सकती है। जहां विचार स्वतन्त्रता का प्रश्न है विचार स्वतन्त्रता का दमन हुआ

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
है, पिटाई हुई, डकैती हुई और फिर भी सरकार···

(व्यवधान)

हो-हुल्लड़ करेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता जितना पत्रकारों का सम्मान करते हैं, उससे ज्यादा हम उनका सम्मान रखते है···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य···

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। जब कांग्रेस के मुख्य सचेतक महोदय बोल रहे हैं तो कृपया···

श्री रतना राम चौधरी : विरोधी दल के नेता महोदय बोल रहे थे तो हमने शान्ति से सुना। अब हम इनको बोलने नहीं देंगे।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : पिटाई करके सम्मान करने का अच्छा तरीका मिला।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पिटाई करने के बाद अच्छा सम्मान दिया तो मैं निवेदन करना चाहता हूं न तो मैं वहां मौजूद था और न ही वहां नाथू सिंह जी मौजूद थे और न विरोधी दल के नेता महोदय मौजूद थे। यह तो पुलिस की रिपोर्ट है। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर ही माननीय मंत्री जी ने यहां जवाब दिया है। अब यह सही है या नहीं, इसकी जानकारी कर लेंगे। लेकिन···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तीन महीने तक तो अनुसन्धान को दबा कर बैठे और अब कहते हैं जानकारी कर लेंगे···

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने इस मामले को कोई दबाया नहीं है···

(व्यवधान)

हमने कोई केस को नहीं दबाया और न ही आज दबाने की इच्छा है···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

एक माननीय सदस्य : विपक्ष के नेता महोदय बोल रहे थे तो···

श्री खेतसिंह राठौड़ : वाक आउट करना है तो कर लीजिये। मैं यही निवेदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने जैसी कि सारे हाउस को रिक्वेस्ट की है, शान्तिपूर्वक बैठ कर बात कर लेंगे। हमारे यहां के नेता, जन सम्पर्क मंत्री और आपको, सबको बुला लेंगे और उनको सुन लेंगे। सुनने के बाद समाधान कर लिया जायेगा। अब इस इश्यू को आगे बढ़ाना कि हाउस को एडजोर्न किया जाये यह मैं उचित नहीं समझता हूं। हाउस को चलने

(श्री खेत सिंह राठौड़)
दिया जाये जब आप चैम्बर में जायेंगे तब बात कर लेंगे।

(व्यवधान)

श्री लच्छूराम (मण्डावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय पांच मिनट के लिये हाउस को स्थगित कराना चाहते हैं। इससे मेरा आशय यह है कि हाउस का मुख प्रेस है अगर इस इस प्रेस को बन्द कर दिया जाये तो आदमी की अभिलाषायें कौन जान सकेगा। आज सारे हिन्दुस्तान में क्या क्रियाकलाप है, क्या अभिव्यक्तियां हैं ये सब प्रेस के मार्फत ही जानी जा सकती है। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पुरजोर शब्दों में नम्र निवेदन है दो–चार मिनट के लिये हाउस को इस मामले में स्थगित करके, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय ने सही तथ्यों को छिपाने की कोशिश की है बहुत ही चतुराई के साथ…

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा नहीं, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, चीफ व्हीप साहब ने कहा माननीय मंत्री और दूसरे मंत्री वहां मौजूद नहीं थे। मैं सूचना देना चाहता हूं आपके माध्यम से सदन को कि उस समय कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष, श्री राम नारायण जी चौधरी वहां मौजूद थे। जो दूसरी रिपोर्ट हुई है वह ग्रामवासियों से करवाई है…

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा की इजाजत नहीं दूंगा माननीय सदस्य…

श्री लच्छूराम : जान बूझकर मंत्री महोदय ने बहुत चतुराई के साथ सही तथ्यों को छिपाया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य। आप सदन की कार्यवाही में व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं। कृपया बैठ जायें।

श्री नाथू सिंह : मुख्य मंत्री जी ने…

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य…

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, टी. एन. कौल की रिपोर्ट यहां पढ़ी जाने वाली थी, उसको भी पढ़ने नहीं दिया गया। हाउस को मालूम नहीं है कि टी. एन. कौल ने क्या रिपोर्ट दी। आपने उसको पढ़ने से रोका, मैं तो कहती हूं, सारे तथ्य टी. एन. कौल की रिपोर्ट में दर्ज हैं कि उस समय क्या घटना घटी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि सदन की कार्यवाही में बाधा न डालें। मैं कार्यवाही करूंगा।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आप चेतावनी दें यह तो आपकी मर्जी की बात है लेकिन पत्रकारों का अपमान करके हाउस से बहिर्गमन हो और हाउस चलाना चाहें तो इस प्रकार यह हाउस नहीं चलेगा। पत्रकारों को बाहर निकालकर हाउस को चलाना ठीक नहीं है··

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : पत्रकारों को पिटाई करवाते हैं, मरवाते हैं··

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह जनतंत्र के खिलाफ हैं··

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : शर्म नहीं आती इनको, पत्रकारों की पिटाई कराई। औरतों को छेड़ा, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आयोग की तरफ से उन्हें परमिशन मिली थी। वे परमिशन से गये थे। चुनाव आयोग के ऊपर कोई नहीं होगा, जिसने उनको सहारा देने के लिए भेजा था। मैं समझती हूं कि यह गलत कार्यवाही हुई है, इस पर ध्यान देना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उनसे फर्जी वोट लिये गये। पत्रकारों को मारा गया, इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार बदनाम होने वाली थी, वहां लोगों ने कहा था कि हमारे नाम पर वोट पहले ही पड़ गये, जब कि हम लाइन में यहां खड़े ही थे। ऐसा एक नहीं सैंकड़ों की संख्या में लोगों के फर्जी मतदान कराये गये। इस बात का जब पता लगने वाला था, पत्रकारों को, उनकी जानकारी के लिए, उनकी छानबीन के लिए, जब हम गये उस समय जब अन्दर प्रवेश कर रहे थे··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जान बूझकर सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित की जा रही है। आर्डर प्लीज, मुझे सुन लीजिए आप, पहले।

श्री खेतसिंह राठौड : लीडर आफ अपोजिशन होकर··

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य

एक माननीय सदस्य : × × ×

श्री दाऊदयाल जोशी : हम जानते हैं कि हमारे नेता भैरोंसिंह शेखावतजी ने जो बताया है··

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर है. चीफ व्हीप ने धमकी दी है कि ये हाउस से हमको निकाल देंगे। ये कौन होते हैं सदन से निकालने वाले ? यह कहा, यह हम चलने नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण करें। वातावरण उग्र हो गया, इसमें क्या बात कही, मैंने सुना नहीं लेकिन मैं सदन की प्रोसीडिंग मंगवाकर के देख लूंगा।

एक माननीय सदस्य : ये गीदड़ भभकी यहां नहीं चलेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वे तो खुद ही कहते हैं कि मैं निकाल दूंगा। किताब उनके पास है, प्रोविजन निकालने का है · ·

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्यों से मैं पुनः नम्र निवेदन करूंगा कि इस विषय पर काफी विस्तृत चर्चा हो गयी। आपकी नाराजगी है, वह स्वाभाविक है, समझ में मेरी आ गयी, मैंने आपको आश्वासन भी दिया कि इस पर बैठ करके बात कर लेंगे लेकिन उसके बाद में कुछ माननीय सदस्य जान-बूझकर सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सदन की कार्यवाही में जान-बूझ कर बाधा नहीं डाल रहे, हम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : संघर्ष करने का सर्वोत्तम तरीका यह है कि आसन जो बात कहे, उसके अनुसार कारगर चर्चा हो। मैं जैसा अवसर दूं, उसके अनुसार चर्चा करें। उस माध्यम को आप छोड़कर · ·

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहां छोड़ रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : छोड़ रहे हैं, मैंने निवेदन कर दिया कि इस पर पर्याप्त चर्चा हो गयी। अब आगे की चर्चा शान्ति से हो जाये। कृपया इस बात की · ·

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। मैं माननीय सदस्यों से नम्र निवेदन करूंगा कि सदन की आगे की कार्यवाही को चलाया जाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, हम भी नम्र निवेदन करना चाहेंगे आपसे बिलकुल नम्र निवेदन करना चाहेंगे कि हाउस की पहले भी कार्यवाही स्थगित हुई है, ऐसी बात नहीं है कि पहले नहीं हुई है। आप 5-10 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित करके उनको बुला लें, वार्ता के लिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया सहयोग दें। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

अब मुझे विवश होकर नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करनी पड़ेगी। आप सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित कर रहे हैं। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। मुझे बाध्य होकर कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हमारे अधिकारों का विषय है, हम आपसे · · · ·

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती थी कि प्रेस की अवमानना सदन में हो, सदन के बाहर हो और उसके बाद मुख्य सचेतक महोदय अपोजिशन को यह चैलेन्ज कर रहे हैं और निर्देश देने की तरह हाथ से इशारा कर रहे हैं कि वाक आउट कर जाइये, उसके बाद ये कहें कि हम निकाल देंगे। यह सदन लोकतंत्र की रक्षा के लिए है या लोकतंत्र की हत्या के लिए है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने तो इतना कहा भी नहीं है, अगर कहा भी है तो आप तो एक्शन से शो कर रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आपकी सारी पार्टी, लोकतन्त्र की हत्या कर रही है। आप कानून में नहीं रहना चाहते हैं, आप यह चाहते हैं कि कार्यवाही न चले और आगे के बिजनेस को नहीं लिया जावे, क्या यह लोकतन्त्र की हत्या नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सब लोगों ने सुना है, आप कह कर मुकरते हो, यह गलत तरीका है। अभी कहा और अभी मुकर गये, सब लोग सुन रहे हैं, आपने कहा है। यह क्या तरीका है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि पाइन्ट ऑफ आर्डर के अधिकारों का ही दुरुपयोग हो रहा है।

स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का औचित्य

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं रूल 50 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

"Subject to the provisions of these rules, a motion for an adjournment of the business of the House for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance may be made with the consent of the Speaker."

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो अभी पत्रकारों का वाक आउट हुआ यह घटना सदन की कार्यवाही आरम्भ होने से पहले की है। सदन की कार्यवाही जब आरम्भ हुई, उसके बाद में इनका वाक आउट हुआ या इन्होंने बायकाट किया, उसकी घटना की सूचना आधे घण्टे पहले देने या उसकी 3 प्रतियां जो देने का नियम है, उसकी तो मैं पालना कर नहीं सकता

श्री अध्यक्ष : वह जरूरी भी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और वह जरूरी भी नहीं है। तो हाउस में इस प्रकार की घटना हुई, जिस घटना के लिए मैं चाहूंगा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि सदन का रेगूलर बिजनेस सस्पेण्ड किया जाये, इसके ऊपर चर्चा की जाये। इस सम्बन्ध में मैं, अपना एडजोर्नमेन्ट मोशन पेश करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप जानते हैं मैं बहुत अधिक व्यस्त था, मैं इस पर अपना पूरा माइण्ड नहीं लगा सका। मैं ऐसी स्थिति में नहीं था कि निर्णय ले सकूं। इसके लिए मैं निर्णय को सुरक्षित करता हूँ। आप मुझसे चैम्बर में मिलकर बात कर लें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज आपके द्वारा जब सदन में और बातें कही गई, आज सरकार की ओर से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुए चार दिन के बाद विवाद का उत्तर दिया जाएगा सब प्रकार की बातें होंगी, क्या उसका इस सवाल की दृष्टि से···

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : बैठ जाओ, बैठ जाओ···

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इस विधान सभा की, प्रोसिडिंग आम जनता के अन्दर प्रचारित हो जाये, विधान सभा के अन्दर इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो गई, आज माननीय मुख्य मन्त्री जी भाषण देंगे और वे इन चार दिन की बातों का उत्तर देंगे, राज्यपाल महोदय के भाषण के पश्चात् किस प्रकार की स्थिति आएगी, सरकार अपनी ओर से सारी बातों को स्पष्ट करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे विषय होते हैं जो लोगों के, जनता के हित में हो वे सब ठीक रूप से आ जावें। जनता को विधान सभा में होने वाली सारी प्रोसिडिंग्स की जानकारी हो जावे यह तभी सम्भव है जबकि पत्रकार दीर्घा के अन्दर पत्रकार बन्धु बैठकर माननीय मुख्य मन्त्री जी का भाषण सत्ता पक्ष के नेता का भाषण, विधान सभा के नेता का भाषण सुन सकें। इस प्रकार की···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप भाषण नहीं देंगे। अंकित नहीं हो।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : XXX

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

(व्यवधान)

आपके नेता महोदय ने जो बात कही है उसी को आप दोहरा रहे हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उसी के सम्बन्ध में ही कह रहा हूं कि यह जनता के बीच में कैसे जाएगी···

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं होने का आदेश दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है, उस पर मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं···

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(५८)

श्री खेतसिंह राठौड : आपके व्यवस्था के प्रश्न पर ही व्यवस्था दी है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मेरी सुनिए तो सही। आपके तो समझ में आयेगी नहीं · ·

श्री खेतसिंह राठौड : समझ का ठेका तो आपके पास है · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी समझ में तो ताला लगा हुआ है, वह मेरे से नहीं खुलने वाला है । मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन कर रहा हूं कि मैंने जो मोशन दिया है कि एडजोर्नमेंट आफ दी हाउस का मतलब है कि आज की कार्यवाही को स्थगित किया जावे । यह नहीं कि आप रूलिंग कल देंगे और छः दिन के बाद हाउस की कार्यवाही स्थगित होगी । इस एडजोर्नमेंट मोशन का मतलब है कि इस समय जो कार्यवाही चल रही है उसको स्थगित किया जावे · ·

श्री अध्यक्ष : अभी तो काफी लम्बी देर तक चलेगी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : या तो आप रिजेक्ट कीजिये । कह दीजिये कि आपका मोशन रिजेक्ट किया जाता है · · ·

श्री अध्यक्ष : आज की कार्यवाही अभी खतम नहीं हो रही है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत एडजोर्नमेंट आफ दी हाउस का मतलब यह है कि इसी समय सदन की कार्यवाही है, उसको स्थगित किया जाये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था के प्रश्न के लिए निवेदन करता हूँ ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप रिजेक्ट कर दीजिए,

श्री अध्यक्ष : यह आपका फर्माना बिलकुल ठीक है कि आज की कार्यवाही को स्थगित करके विचार किया जाये उन प्रस्तावों के लिए तो बिलकुल सही होता है जो समय से पूर्व दे दिये जाते हैं, लेकिन तत्काल जो लाये जाते हैं उसके अन्दर शासन से यह अपेक्षा करके चलें, खास तौर से जितना उग्र वातावरण आज चल रहा था, उसमें समय लगना स्वाभाविक है ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : इसमें समय की आवश्यकता नहीं है । गवर्नमेंट से कोई रिपोर्ट नहीं लेनी है, गवर्नमेंट से कोई फैक्ट्स नहीं लेने हैं । आपको ही तय करना है · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यहां की सदैव परम्परा रही है . . .

श्री भैरोंसिह शेखावत : चीफ व्हीप बोल रहे हैं, उनको सुन लेने दें।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित नहीं करें । माननीय सदस्य

(श्री अध्यक्ष)
मैं आसन से आज्ञा नहीं दूंगा। आर्डर, आर्डर;....

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर; आर्डर, आर्डर; आर्डर।
अंकित न हो।
श्री घनश्याम तिवाड़ी : XXX

श्री अध्यक्ष : अगला कदम उठाने को मैं बाध्य होऊंगा...

(व्यवधान)

अंकित नहीं हो, माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है..

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री गोपाल पचेरवाल : विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ने...

श्री अध्यक्ष : इसमें मैं सभी माननीय सदस्यों से सहयोग चाहूंगा...

श्री गोपाल पचेरवाल : यह सरकार लोकतंत्र की बात करती है और पत्रकारों के मुंह पर ताला लगा कर पत्रकारों को दबाना चाहती है..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरा धैर्य टूट रहा है माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित कर रहे हैं। आर्डर आर्डर...

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, जितना समय इसमें बर्बाद हो गया उतनी देर में तो आप मुझे सुन लेते।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर...माननीय सदस्य..

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं जो निवेदन कर रहा था...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अव्यवस्था फैला रहे हैं, सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य कृपया...माननीय सदस्य मैं पहले अव्यवस्था के लिए नाम से सम्बोधित करूंगा। माननीय सदस्य...

श्रीमती उजला अरोड़ा : आज का काम आज और अभी का अभी मैंने सारे दफ्तरों में बोर्ड लगे देखे हैं। सरकार की ओर से वितरित किये गये हैं, आज का आज और अभी का अभी। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इसको अभी लें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्या, मुझे विवश नहीं करें। मैं पाइन्ट आफ आर्डर अलाउ नहीं

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

करूंगा। माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए आसन की अनुमति

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पाइंन्ट आफ आर्डर कैसे अलाउ नहीं करेंगे···

(व्यवधान)

पाइन्ट आफ आर्डर कैसे अलाउ नहीं करेंगे, यह हमारे अधिकारों का हनन है···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब मैं निम्न माननीय सदस्यों को नाम से सम्बोधित करूंगा और जो बचा हुआ समय है उससे उनको सस्पेंड करने का प्रस्ताव लाया जाएगा ······

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैं नाम से सम्बोधित कर रहा हूं। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज माननीय सदस्य धैर्य की भी कोई हद होती है। माननीय सदस्य, अब मुझे बाध्य नहीं करें। अच्छा होगा···

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर की इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

यह विचार का विषय नहीं है इसलिए नहीं आ सकता।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी (बांसवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि इस सदन की बहुत शानदार परम्परायें रही हैं। इस सदन के पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की है। आज जो प्रश्न सदन में उपस्थित है, हो सकता है कि कुछ माननीय सदस्यों को बहुत सेंसेटिव लगता हो। कुछ लोगों को यह लगता हो कि दूसरी ओर से ज्यादती हो रही है। मगर, अध्यक्ष महोदय, डेमोक्रेटिक सेट अप में अगर हम एक दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ करके केवल एक दूसरे को नहीं सुनने की स्थिति बना देंगे तो हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य विरोधी पक्ष के नेता से हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि वे कम से कम प्रत्येक पक्ष की बात को सुन करके निर्णय लेने में मदद करें, अध्यक्ष महोदय को तो उससे किसी नतीजे पर पहुंचने के अन्दर मदद मिलेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय आपकी आज्ञा हो तो मैं निवेदन करूं।

अध्यक्ष महोदय, जोशीजी सदन के बहुत ही अनुभवी माननीय सदस्य हैं। जैसा जोशीजी ने कहा....

श्री अध्यक्ष : आप दो ही हैं यहां पर। नहीं, तीन हैं तीसरे भी हैं, वे यहां पर नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक और हैं।

उन्होंने जो परम्परा की बात कही है, मैं उनको एक मिनट में याद दिला दूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जिस दिन परम्परा टूटी उस दिन उनको कितना आघात लगा था। यह परम्परा तोड़ने की परम्परा कहां से पैदा हुई है। उस पर यदि वे गंभीरता से विचार कर लेते तो शायद इस तरह की बात कहने की आवश्यकता नहीं होती। यहां दो मामले उपस्थित थे माननीय जोशी जी, आप यहां पर नहीं थे, पत्रकारों के मामले का इस समय उल्लेख नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन है पाइन्ट आफ आर्डर रेज करने का। एक विधायक के नाते मेरा अधिकार है जिसको कोई छीन नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय व्यवस्था देकर उसको रिजेक्ट कर सकते हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय इस प्रकार की व्यवस्था नहीं दे सकते कि पाइन्ट आफ आर्डर को मैं सुनूंगा ही नहीं। यह क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन पर सारे मैम्बर्स एजीटेटेड हैं।

श्री अध्यक्ष : इसके लिए मैं अर्ज कर देता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन कर दूं।

अभी जोशीजी ने जो बात कही है इस सम्बन्ध में कि माननीय अध्यक्ष महोदय को समय दिया जावे। हम भी समय के लिए ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपने परम्परा की याद दिलाई है। तीस वर्षों के इतिहास में कभी भी इस प्रकार से सदन का बायकाट नहीं किया है जैसा कि आज बायकाट किया गया है। इसलिए मैंने यह रिक्वेस्ट आसन से की थी कि अध्यक्ष महोदय कृपया अपने चैम्बर में पत्रकारों के प्रतिनिधियों को बुलाकर इस विषय में चर्चा करें और जब तक इस मामले का कोई निराकरण न हो उस समय तक के लिए हाउस की कार्यवाही को स्थगित कर दें...

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : सदन की कार्यवाही स्थगित नहीं होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : केवल इतना ही निवेदन किया है। ऐसी कोई नयी बात नहीं है कि सदन की कार्यवाही स्थगित नहीं हुई हो। कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित की गई है। सदन में विघ्न पैदा होने पर सदन की कार्यवाही स्थगित की गई है। इसलिए आज हाउस की कार्यवाही को दस मिनट के लिए स्थगित किया जाए और पत्रकारों के साथ बात-चीत की जाए यह प्रश्न है।

(व्यवधान)

परन्तु मुख्य सचेतक महोदय ने तो धमकियां तक दे डालीं कि सदन से निकाल दिये जाओगे। आप ही बताइये...

श्री हरिदेव जोशी : आपकी और उनकी मिलीभगत है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं जोशी जी को धन्यवाद दूंगा मुख्य सचे-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सक की प्रतिष्ठा को उन्होंने खतम कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि सदन की कार्यवाही को आप दस मिनट के लिए स्थगित कर दें और दस मिनट के समय में, अध्यक्ष महोदय, अपने चैम्बर में जाकर पत्रकारों के प्रतिनिधियों से बातचीत करें। मैं आपसे इस सम्बन्ध में जानकारी चाहता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुझे नाम लेकर सम्बोधित किया गया है इसलिए मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि इस बारे में स्पष्टीकरण दूं। अगर इस मसले में मैं कोई मददगार साबित हो सकता हूं, कुछ कोशिश कर सकता हूं तो मैं तुच्छ सेवा के लिए तैयार हूं परन्तु यह कभी भी संभव नहीं है सदन का चलता हुआ बिजनेस एब्रप्टली एडजोर्न कर दिया जाये। मगर यह बात भी सही है कि जब कभी भी अर्जेन्सी हो तो अध्यक्ष महोदय टेम्पर्स को कूल डाउन करने के लिए कोशिश करें। अध्यक्ष महोदय ने अपनी ओर से कोशिश की है और उन्होंने यह निवेदन भी किया है कि अपन चल कर बात-चीत करते हैं। आप, अध्यक्ष महोदय पत्रकारों के प्रतिनिधियों से बातें करलें और सदन की कार्यवाही का संचालन चेयरमैन करते रहेंगे···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम भी उसमें भाग लेने को तैयार हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सुखलाल सैणचा (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के राज में माननीय भैरोंसिंह जो एक तरफ बात करते जाते थे और दूसरी तरफ हाउस चलता रहता था। यह हुआ है।

श्री हीरालाल देवपुरा (मंत्री, संसदीय कार्य) : माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल ने एक सुझाव रखा प्रस्ताव के रूप में। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था देने का अधिकार माननीय अध्यक्ष को है। जो स्थगन प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष को आधे घंटे पूर्व मिल जाते हैं, उन पर उसी दिन अध्यक्ष महोदय व्यवस्था दे देते हैं और जो स्थगन प्रस्ताव विशेष तरीके से रखा गया है, उस समय सदन की कार्यवाही चल रही है। अध्यक्ष महोदय ने स्वयं कहा है कि स्थगन प्रस्ताव पर रूलिंग रिजर्व रखता हूं। इस पर वे व्यवस्था देंगे। अध्यक्ष महोदय ने यहां तक कहा है, जिस बात को लेकर प्रश्न उठा है, वे पत्रकारों, दूसरे व्यक्तियों और विरोधी पक्ष के नेता और सत्ता पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करके इसका समाधान निकालेंगे। पत्रकार दीर्घा से पत्रकारों का जाना वास्तव में ठीक बात नहीं है। पत्रकार क्यों चले गये ? मंत्री महोदय ने भी अपने जवाब में कहा था स्पष्ट रूप से कि पत्रकारों को अपमानित करने की कोई भावना नहीं है। परन्तु इस पर भी वातावरण उग्र हो गया और उस समय हुआ, मैं बहुत ही नम्र शब्दों में विपक्ष के माननीय नेता महोदय को निवेदन करूंगा, जब उन्होंने यह कहा कि हाउस को चलने नहीं देंगे। किन्तु उधर से पहले शोर हुआ और उसके पश्चात् चीफ व्हीप महोदय ने भी कोई बात कह दी। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप

(श्री हीरालाल देवपुरा)

इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। आप इस सदन में दोनों पक्षों में बैठे हैं। आप इसके महत्व को जानते हैं। चीफ मिनिस्टर की हैसियत से, सदन के नेता की हैसियत से आप बैठे हैं और विपक्ष के नेता के रूप में भी। मेरी यह मान्यता है, वैसे सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है परन्तु उसमें नेता की जिम्मेदारी विशेष होती है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस वातावरण को कूल डाउन करने में हम सब को मिल कर कार्य करना चाहिए और अध्यक्ष महोदय को सहयोग करना चाहिए। जो हाउस की कार्यवाही चल रही है वह तो चलती रहे। कई मौके ऐसे आये हैं जहां पर कि अध्यक्ष महोदय ने अपनी रूलिंग को रिजर्व रखी है। अध्यक्ष महोदय ने जिन-जिन लोगों को चाहा है, इस सदन में विपक्ष के नेता महोदय, सदन के नेता महोदय, और अन्य माननीय सदस्यों को जिनको कि महत्व का समझकर इस पर्टीकूलर ववेश्चन के लिये बुलाया है और मसले का हल निकाला है और सदन की कार्यवाही चलती रही है। अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में बातचीत होती रही है और इस प्रकार सदन की कार्यवाही को चलाने में सहयोग दिया है। मेरा निवेदन है कि विपक्ष के माननीय नेता महोदय गंभीरता से इस पर विचार करें। हाउस की कार्यवाही चलती रहे और मीनवाइल जैसी कि अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है, वे चैम्बर में जाकर के इस प्रश्न का निराकरण करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : मैं खड़ा हो गया हूं इस, लिए मेरी पाइन्ट आफ आर्डर से उच्च प्रायोरिटी है।

विपक्ष की यह नाराजगी है कि मैंने पाइन्ट आफ आर्डर उठाने की इजाजत नहीं दी। मेरे स्वभाव को आप जानते हैं। 9 महीने से आपकी सेवा कर रहा हूं। पाइंट आफ आर्डर किसी एक उद्देश्य से उठाया जाए तो यह मेरा कर्त्तव्य है कि उसके ऊपर सुन कर अपना निर्णय दूं। लेकिन पाइन्ट आफ आर्डर एक के बाद एक उठा रहे हैं जिनका एक ही उद्देश्य था। जब पाइन्ट आफ आर्डर उठाया जाए तो सभी माननीय सदस्य शान्त होकर उसको सुनें। उस वक्त इसको उठाया जाये, परन्तु मुझे क्षमा करें, यह महसूस हुआ कि पाइन्ट आफ आर्डर तो केवल एक माध्यम है, सदन की कार्यवाही नहीं चलने देने का और अपनी बात मनवाने का। उग्र वातावरण में कोई किसी को नहीं सुन पाता है। उस वक्त माननीय सदस्य पाइन्ट आफ आर्डर उठाते हैं। पाइन्ट आफ आर्डर तब उठाया जाता है जब कोई विचारणीय विषय हो और कोई मुद्दे की बात कहनी हो, तब माननीय सदस्य पाइन्ट आफ आर्डर उठा सकते हैं। यह बात है वरना मेरा कोई इरादा नहीं था इजाजत नहीं देने का। वास्तव में पाइन्ट आफ आर्डर नियमों के अनुसार उठाया जाता है तो उसे रोकने का मेरा कोई इरादा नहीं है परन्तु यहां पाइन्ट आफ आर्डर के दुरुपयोग का प्रश्न है। इस दुरुपयोग को रोकना मेरा कर्त्तव्य है। एक पाइन्ट आफ आर्डर का निर्णय किया तो माननीय सदस्य दूसरा पाइन्ट आफ आर्डर उठाते हैं इसको मैं बाधा समझता हूं सदन की कार्यवाही में। पाइन्ट आफ आर्डर में मुख्य मुद्दा यह है कि सदन की कार्यवाही रोकी जाये स्थगित किया जाये इसके लिये विकल्प सुझा दिया गया है।...

(श्री अध्यक्ष)

मुझे स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था देनी है। उसके बाद मैं चैम्बर में चला जाऊंगा और सभापति महोदया इस सदन की कार्यवाही का संचालन करेंगी।

स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

श्री भंवरलाल शर्मा : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। मैं आपको कन्विन्स करूंगा। कृपया रूल 54 देखें :

....Mode of asking for leave to move adjournment motion—(1) The Speaker, if he gives consent under rule 50 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall, after the questions and before the list of business is entered upon, call the member concerned who shall rise in his place and ask for leave to move the adjournment of the House :

अब प्रश्न यह है कि विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ने एक स्थगन प्रस्ताव रखा है और आपने उसको स्वीकार कर लिया है....

श्री अध्यक्ष : निर्णय सुरक्षित रखा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप मुझे समय दें। मैं अपनी बात कम्पलीट कर लूं।...

माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता ने जो कहा...

(व्यवधान)

आपने कहा वह भी ठीक है। उस पर आपने अनुमति दे दी और कहा कि इसको बाद में देखूंगा। मतलब यह हुआ कि आपने विचारार्थ इसको ले लिया। आपने यह तो कह दिया कि यह जो प्रस्ताव है यह अण्डर रूल 50 ठीक है, आपने यह तो स्वीकार कर लिया। अब सवाल यह है कि आप फैसला अभी दें या बाद में, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया आपकी बात, आपका फर्माना यह है...

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं पूरी बात कह देता हूं तो जब यह आ गया, आपने कन्सेन्ट दे दी यहां तक तो दिक्कत नहीं है। अब आगे पढ़िये इसको if the matter proposed is in order अगर इन आर्डर नहीं है तो आप रिफ्यूज कर देंगे आपने यह भी नहीं कहा--it is in order. You have consented. तो क्या होगा--after the question hour and before the business is entered तो क्वेश्चन आवर समाप्त हो गया अब आपके सामने सिवाय इसके कि इसको प्रपोज करने वाले जो प्रस्तावक हैं, उनको बोलने की अनुमति दें और कोई विकल्प नहीं रहा इसलिए मेरा निवेदन है कि 24 के अन्तर्गत आप विरोधी दल के नेता को इस प्रस्ताव पर विचार प्रकट करने दें।

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम जी।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : अध्यक्ष महोदय, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य के बराबर तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं लेकिन मेरा निवेदन है कि विरोधी पक्ष के नेता ने जो मोशन रूल 50 के अन्तर्गत मूव किया है इस पर आपसे कन्सेण्ट चाही है, कि आप कन्सेन्ट दें कि मोशन इन-आर्डर है और

(श्री परसराम मदेरणा)

इसको रेज किया जा सकता है 50, 51, 52, 53 में, अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था दी है। एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है जैसा कि विरोधी पक्ष के नेता ने कहा है कि ऐसे मामले हाउस में उठे हैं। वह प्रक्रिया हम नहीं अपना सकते थे क्योंकि मोशन की स्थिति यहां हुई बात पर पैदा हुई है। 9 बजे तक एडजोर्नमेंट मोशन देने का समय निर्धारित किया है उसके बाद यह प्रश्न खड़ा हुआ है इसलिये वर्बल मोशन मूव किया है और वर्बल मोशन पर अध्यक्ष महोदय की कन्सेन्ट चाहते हैं कि इसको सही माना जाये। तो अध्यक्ष महोदय ने न तो रिफ्यूज किया है और न कन्सेन्ट दी है–Neither he has given consent nor he has refused. अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि क्योंकि यह ऐसा मामला है और हाउस अभी चलेगा हाउस के मैटर को आप एडजोर्न कराके पब्लिक इन्ट्रेस्ट के मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं। वह समय माननीय सदस्यों के सामने है अभी तक। इसलिए चैम्बर में वे पब्लिक इन्ट्रेस्ट के मामलों को देखकर निर्णय करना चाहते हैं, वह आर्डर में है या नहीं है स्वीकृति दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह ठीक है लेकिन अब रूल्स के···

(व्यवधान)

वह सुन रहा हूं लेकिन क्या रूल्स के हिसाब से कंसेंट को भी पोस्टपोन किया जा सकता है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : आप इस प्रकार से वर्बल मोशन मूव कर सकते हैं कोई इस प्रकार का विकल्प है क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता Whether consent may be post- poned. ?

श्री परसराम मदेरणा : He has not refused or rejected. He has deferred and he has a right to defer.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह कहां है ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय ने यही तो बात कही है कि मैं मोशन पर विचार करूंगा अपने चैम्बर में, कंसेंट दूं या न दूं, इसकी व्यवस्था दूंगा। यह बात कही है। इसमें सरकम्सटांसेज की स्थिति खड़ी हुई है। इससे अच्छी व्यवस्था, मैं समझता हूं कोई भी नहीं दी जा सकती थी। मेरा अनुरोध है हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने इंटरप्रिटेशन का प्रश्न रखा है और विरोधी पक्ष के नेता ने भी रखा है लेकिन अभी तक मामला विचाराधीन है, पोस्टपोन नहीं किया है वह निर्णय देंगे तब तक आप शान्ति से बिजनेस चलने दें उसके बाद किस वक्त भी एडजोर्न हो सकता है। रेगूलर तो यह है कि क्वेश्चन आवर के बाद दूसरा बिजनेस एंटर होने के पहले वह मोशन दिया हुआ होता 9 बजे के पहले तो उस पर अध्यक्ष महोदय व्यवस्था दे देते आर्डर की या रिफ्यूजल की। रिफ्यू जल में आपको 2–2 मिनट मिल जाते और आर्डर

(श्री परसराम मदेरणा)
में होता तो हाउस का बिजनेस एडजोर्न हो जाता···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह वाकआउट कर गये···

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : और आपका मैटर डिस्कस हो जाता लेकिन यह प्रश्न उस वक्त नहीं आया। क्वेश्चन आवर के बाद सबका एडजोर्नमेंट मोशन रखा है रूल 50 के नीचे उस पर उन्होंने कहा है कि विचार नहीं कर सका हूं इसलिये मैं थोड़ी देर बाद विचार करके आज जब तक बिजनेस चलता है तब तक मैं इस पर व्यवस्था दे दूंगा। बहुत ही उचित व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री भंवरलालजी शर्मा ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि विपक्ष के नेता महोदय ने जो स्थगन प्रस्ताव रखा था उसकी फार्मेलिटीज सब पूरी कर लीं, उसको स्वीकार कर लिया है इसलिये इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है कि अन्य सब जो कार्य-सूची के कार्य हैं उनको स्थ लिया जाकर इस पर विचार किया जाये।

माननीय सदस्य को यह विदित है कि यह प्रश्न तत्काल आया था इसलिये प्रस्तावकर्ता ने कहा था कि मैं फार्मेलिटी अभी पूरी नहीं कर सकता। रूल्स में स्थगन प्रस्ताव के लिये समय निर्धारित है कि सदन की बैठक से इतने समय पूर्व पहले देना होगा, इतनी प्रतियां देनी होंगी उसके बाद में अध्यक्ष विचार करता है और अपना निर्णय देता है। चूंकि परिस्थितियां ऐसी थीं कि उसमें ये सभी फार्मेलिटीज प्रस्तावकर्ता पूरी कर नहीं सकते थे इसलिये मैंने यह कह दिया कि कागज पर बिना लिखे हुए, बिना समय का ध्यान रखे हुए मैं लिख देता हूं कि प्रस्ताव आ गया है। लेकिन केवल मेरे पास आ जाने से सभी दूसरी बातें, फार्मेलिटीज पूरी कर दें, यह नहीं माना जा सकता। भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी राय व्यक्त की वह बिलकुल नियमों के अनुसार है। वही व्यवस्था मैंने पहले दी थी उनकी राय से इत्तफाक करते हुए। उन्होंने जो सजेशन दिये हैं वे ठीक है। माननीय भंवर लालजी शर्मा ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसको मैं निरस्त करता हूं।

अब जो रेगुलर बिजनेस है हाउस का उसको लिया जावे, मैं इसमें आपके सहयोग की अपील करता हूं। अगर वापस रामायण पर आ जायें इस बात पर आ जायें कि राम कौन था, रावण कौन था तो यह बिलकुल बात सही है कि स्थगन प्रस्तावों के द्वारा सदन की कार्यवाही को रोकना चाहते हैं। स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत कर दिया और सदन की कार्यवाही चलने देना नहीं चाहते। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस स्थिति में नियम बिलकुल स्पष्ट हैं। मैं सदस्यों से निवेदन करता हूं कि आसन और सदस्य के सम्बन्ध बहुत मधुर रहे हैं। माननीय सदस्य चाहे पिछली पंक्ति में बैठने वाले हों चाहे अगली पंक्ति में बैठने वाले हो, चाहे किसी दल के हों, अपने संबंध बहुत ही मधुर रहे हैं। हमेशा आपकी सेवा करने की मैंने कोशिश की है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलें इसलिये कृपया मुझे सहयोग दें नियमों के अनुसार। सदन की कार्यवाही चलाने के लिये नियमों का आश्रय लेना पड़े यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसलिये मेरा माननीय सदस्यों से यही निवेदन करना है कि सदन की आगे की कार्यवाही है वह प्रारंभ की जाये। मेरे ख्याल से पत्रकार बन्धुओं से भी पूछ लें

(श्री अध्यक्ष)
तो वे मेरे पक्ष में होंगे कि अध्यक्ष जी का कहना ठीक है।

श्री लच्छूराम : आन ए पाइन्ट आफ क्लेरीफिकेशन···

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ क्लेरीफिकेशन के नियमों में माननीय सदस्य है ही नहीं। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइये। कृपया बैठ जाइये, माननीय सदस्य। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे दो मिनट का समय दें। आपने इतना किया; अध्यक्ष महोदय, सारी बाधा ही दूर हो जाये।

श्री अध्यक्ष : आप तीस साल की परम्पराओं···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सारी बाधा ही दूर हो जायेगी, कोई बाधा नहीं रहेगी।

श्री अध्यक्ष : बाधा दूर करने के लिए तो···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने अपनी व्यवस्था दी, हमें शिरोधार्य है। विरोध पक्ष का कर्त्तव्य है कि लोकतंत्र की रक्षा करे। हम ऐसा महसूस कर रहे हैं, पत्रकारों के साथ जिस प्रकार का अपमान हुआ, उसके प्रतिरोधस्वरूप उन्होंने वाक आउट किया है। इस हाउस का एक अंग इस सदन के अन्दर नहीं है, उस अंग की प्रतिष्ठा की पुनःस्थापना किए बिना यदि सदन की कार्यवाही चलती है तो हम उसको किसी प्रकार भी उचित नहीं समझते हैं। आपने बार बार कहा कि हम बाधा उपस्थित कर रहे हैं। हमने न बाधा उपस्थित की है न बाधा उपस्थित करने का कोई कार्यक्रम है। लेकिन इस प्रकार की स्थिति में हम इस प्रकार की कार्यवाही में भागीदार नहीं हो सकते हैं, जिस कार्यवाही में इस प्रकार की स्थिति है। अतः बाधा को बिलकुल मिटा देने के लिए हम इस सदन से वाक आउट करते हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया बहुत जल्दी वापस पधारें। मुझे थोड़ा समय दें, फिर पधारें तो अच्छा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह मैं स्पष्ट कर दूं आपकी व्यवस्था के विरोध में वाक आउट नहीं कर रहे हैं, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। लेकिन सरकार का जिस प्रकार का एन्टी जर्नलिस्ट, एन्टी प्रेस रुख है, जिस तरह से पिटाई करवाई जिस तरह से उनका अपमान करवाया

(व्यवधान)

उसके कारण से वाक आउट कर रहे हैं।

अनेक माननीय सदस्य : हम नहीं सुनेंगे।

श्री चन्दन मल बैद : घंटे भर तक मत आना।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं समझती हूं कि जिस तरह से किया गया है, शान्तिपूर्ण तरीके से व्यवस्था करने की बात थी, बजाय इसके वाक आउट करने के लिए बाध्य किया गया, इसका सारा दोष इस सरह की व्यवस्था का है। लगता है पूरी भजन मण्डली आई है और कोई काम नहीं करने दे रही है।

(बहिर्गमन)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले की रामगंज मंडी तहसील में सहरावदा जालिमपुरा में नियमों के विरुद्ध की जा रही एक खदान में एक मजदूर की मृत्यु के विषय में।

माननीय सदस्य ने तीन अन्य स्थगन प्रस्तावों की सूचना भी दी है, जिन्हें व्यवस्था में शामिल नहीं किया जा रहा है।

(2) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर जिले की तहसील कोलायत की बहुत सी जमीन राजस्थान नहर निर्माण के लिये अवाप्त करने के बावजूद उसका मुआवजा किसानो को न दिये जाने के विषय में।

(3) श्री बंसीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा में गत 25 फरवरी को आयकर अधिकारी श्री एम. एन. खन्ना की रहस्यमय ढंग से हुई मृत्यु के विषय में।

इन्हीं माननीय सदस्य ने दो और स्थगन प्रस्तावों की सूचना भी दी है, जिन्हें व्यवस्था में शामिल नहीं किया जा रहा है।

(4) श्री लच्छूराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से केन्द्रीय सहकारी बैंक झुंझुनूं में बैंक मैनेजर की कार्य प्रणाली के कारण झुंझुनूं की सहकारी समितियां ऋण से वंचित रह गई हैं, इस विषय में।

(5) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा के माध्यमिक स्कूलों के वरिष्ठ अध्यापकों द्वारा परीक्षाओं के बहिष्कार के कारण उनमें व्यवधान पड़ने की आशंका के विषय में।

(6) श्री समर्थलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 20 फरवरी को नीम का थाना स्थित अनुसूचित जनजाति छात्रावास को जलाये जाने के विषय में।

(7) सर्व श्री हंसराज शर्मा व चुन्नीलाल जेलिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर नगर में नगरपालिका क्षेत्र में टी. बी. के मरीजों का वार्ड चालू रहने के विषय में।

(8) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से इन्द्रगढ़ तहसील में इन्द्राणी बाध की वजह से किसानों की जमीनें, कुएं, मकान आदि नष्ट हो गये हैं, इस विषय में।

(9) श्री रघुवीर सिंह कौशल, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर, जयपुर व कोटा क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार की घास के फैलने से वहां के पौधों व पशुओं में बीमारियां फैलने के विषय में।

(10) श्री रामकंवार बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य सरकार द्वारा कृषि सहकारी समितियो के माध्यम से दी गई जमीनों के कब्जे किसानों को नहीं दिये जा रहे हैं, इस विषय में।

(श्री अध्यक्ष)

(11) श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सतपुड़ा ताप बिजली घर से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उत्पन्न की जा रही बिजली में से निर्धारित अंश राजस्थान को न मिलने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(12) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में वेरी वेतन आयोग की रिपोर्ट में देरी होने के कारण कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष के विषय में।

मैं चाहूंगा कि सरकार इस विषय में सदन में आगामी 9 मार्च, 1981 को एक वक्तव्य दे।

(13) श्री नंदलाल मीणा ने तहसील प्रतापगढ़ के आदिवासी किसानों के झोंपड़े वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा जला दिये जाने की घटना के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। इस विषय में भी मैं चाहूंगा कि सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया जाये जिसकी तिथि बाद में तय की जावेगी।

(14) सर्वश्री गोपाल पचेरवाल, यदुनाथसिंह, सुश्री पुष्पा जैन, घनश्याम तिवाड़ी व डा. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से 16 फरवरी, 81 को आमेर के पास हुई बस दुर्घटना के विषय में कुछ स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी थी। सरकार से जो तथ्य प्राप्त हुए हैं उनके अध्ययन से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इन तथ्यों में कुछ आवश्यक जानकारी की कमी है। अतः इस मामले में विस्तृत तथ्य मंगाये जा रहे हैं।

इनके अतिरिक्त निम्नांकित सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों की सूचना भी प्राप्त हुई है:– श्री नाथूसिंह, श्री गुलाब चन्द कटारिया, श्री भगवानदास शास्त्री, सर्वश्री बालचन्द्र, आर्यवीर व अनंग कुमार जैन। यह स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं और इन्हें अन्य माध्यमों से उठाया जा सकता है, अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

समिति का प्रतिवेदन

राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित सम्पादकीय से सम्बन्धित विशेषाधिकार हनन प्रश्नों पर विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री बृज सुन्दर शर्मा!

श्री बृजसुन्दर शर्मा (सभापति, विशेषाधिकार समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पत्रिका के दिनांक 20 सितम्बर, 1978 के अंक में प्रकाशित सम्पादकीय लेख से सम्बन्धित सम्पादक, प्रबन्धक एवं मुद्रक के विरुद्ध निर्दिष्ट विशेषाधिकार प्रश्न पर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री बृजसुन्दर शर्मा, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि हेतु किया है उसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन करने हेतु नियत समय आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ाया गया।

श्री बृज सुन्दर शर्मा, सभापति, विशेषाधिकार समिति दूसरा प्रस्ताव करेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पत्रिका के दिनांक 2 अक्टूबर, 1978 के अंक में प्रकाशित सम्पादकीय लेख से सम्बन्धित सम्पादक, प्रबन्धक एवं मुद्रक के विरुद्ध निर्दिष्ट विशेषाधिकार प्रश्न पर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री बृजसुन्दर शर्मा, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापन करने हेतु नियत समय में वृद्धि हेतु किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन करने हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ाया गया।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

देबारी क्षेत्र उदयपुर एवं अलवर जिले में लगी केमिकल फैक्ट्रियों से जल प्रदूषण होने से फसलों को क्षति

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत श्री घनश्याम तिवाड़ी, देबारी क्षेत्र उदयपुर एवं अलवर जिले में लगी केमिकल फैक्ट्रियों से जल प्रदूषण होने से फसलों की क्षति की ओर जनस्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

(अनुपस्थित)

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर !

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (पंचायत मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर जो धन्यवाद प्रस्ताव है··

एक माननीय सदस्य : आप भी जल्दी पूरा कर दें वह तो हैं नहीं।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जो इसमें बताया गया है और इसमें जिन मुद्दों को उठाया गया है उन पर विचार करने के बाद ऐसा लगता है कि विरोधी दल के जो सदस्य महानुभावों ने विचार व्यक्त किये वे शायद भूल गये कि वे क्या कह रहे हैं और किन परिस्थितियों में कह रहे हैं। जिन बिंदुओं को उन्होंने उठाया, चाहे अकाल के प्रति, चाहे पीने के पानी की स्थिति के प्रति, चाहे और स्थितियां हों इन सब पर मैं बात करूं इससे पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट को दिशा निर्देश हीन बताया है और

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

दिशा निर्देश बताने का अर्थ साफ है इस बजट में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, कोई योजनायें नहीं हैं, राजस्थान को आगे ले जाने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाने जा रहे हैं इन बातों का उल्लेख नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बजट को दिशा निर्देश हीन कहने से पहले उन्हें अपने. .

(1.21 म.प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन)

श्री जयकृष्ण शर्मा : बजट कहां रखा है अभी यह तो...

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : ठीक है। राज्यपाल का अभिभाषण है।

तो जो दिशाहीन बताया है इसमें यह कहना चाहता हूं कि गत ढाई वर्ष के प्रशासन से उन्हें सबक लेना चाहिये था। चाहे कोई भी राजनैतिक दल हो सत्ता में आ जाता है और चला जाता है कोई रहेगा और कोई नहीं रहेगा किन्तु जो समय से सबक नहीं लेता है जो अनुभव से सबक नहीं लेता है, मैं समझता हूं कि वह राजनीतिज्ञ कुशल व्यक्तित्व का नहीं हो सकता है। पिछले ढाई साल के जनता पार्टी के राज ने जो दिशा निर्देश दिये वह दिशा निर्देश सदन के समक्ष हैं। जनता पार्टी के दिशा निर्देश निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने पिछले 30 वर्षों में देश के निर्माण में देश को धर्म निरपेक्ष बनाने में प्रयत्न किया और जिसकी नेता श्रीमती गांधी थी केवल उनको और उनके साथी जो लोग थे, कार्यकर्ता थे परेशान करने का ही दिशा निर्देश दिया था। यदि इस तरह की दिशा को ही दिशा निर्देश समझकर चलते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्वयं उनके सोचने का प्रश्न है। इस बारे में जहां तक देश को प्रगति की ओर ले जाने का सवाल है समाज को आगे ले जाने का सवाल है इस सम्बन्ध में जो घोषणा है उनके सम्बन्ध में और जो आगे की योजनायें हैं उन पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है।

इसके साथ-साथ उन्होंने एक बात कही कि इस मंत्री मंडल में कुछ ऐसे अंग लगाये गये हैं जो विकलांग वर्ष के अन्दर इस सरकार को विकलांग बना देंगे। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे कृत्रिम अंग जनता पार्टी की हुकूमत के अन्दर थे जिसने ढाई साल के अन्दर जीवन चलाने की कोशिश की और ढाई साल के बाद ही इस देश की महान् जनता ने उनको उखाड़ कर फैंक दिया। सवाल यह है कि कांग्रेस के साथी जो कांग्रेस के प्रति निष्ठावान हैं, जो देश और प्रांत को आगे ले जाने के लिए वचनबद्ध हैं हम सब एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं और एक ही नेता के प्रति निष्ठावान हैं तो इस तरह की भ्रामक बातें कह कर सदन को गुमराह करने का असफल प्रयास किया गया है विरोधी दल के नेता के द्वारा।

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

मैं इसके साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं कि जो नान परफार्मेन्स की बात कही कि यह सरकार नहीं चल रही है, इस तरह की बात विरोधी दल के नेता ने कही, बात सही है जितनी कठिन परिस्थितियों में सत्ता सौंपी वह किस तरह की थी जिसमें कई प्रकार की कठिनाइयां थीं। काम के बदले अनाज योजना में केवल राजनैतिक आधार पर काम किया और उसके कारण जन प्रतिनिधियों को किस सीमा तक ले गये इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि प्रदेश को न केवल अन्य क्षेत्रों में वल्कि औद्योगिक एवं वित्तीय क्षेत्रों में सभी क्षेत्रों के अन्दर इतना पिछड़ा कर दिया गया कि राज्य सरकार को अपनी योजनाओं को मूर्त रूप देने की दृष्टि से क्रियान्वित करने की दृष्टि से कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा फिर भी इतना आत्म विश्वास इस सरकार और बैठे हुए कांग्रेस साथियों का है कि चाहे कितनी ही विषम परिस्थितियां हों कितनी ही कठिन घड़ी हो, कितना ही कठिन मुकाबला हो सब को दूर करके इस प्रान्त को आगे ले जायेंगे, श्रीमती गांधी और देश के प्रमुख राजनैतिक दल कांग्रेस के नेतृत्व में जो देश का प्रमुख राजनैतिक दल है उसके नेतृत्व में।

इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सर्विसेज के डिमोरलाइजेशन की प्रवृत्ति हो रही है। मैं एक बात कहता हूं कि सर्विसेज किसी राजनैतिक दल के प्रति निष्ठावान नहीं होती है जो भी राजनैतिक दल आता है उसकी जो नीतियां होती हैं उनको क्रियान्वित करने में लगना ही उसका दायित्व है। हमारे कांग्रेस दल की जो नीतियां हैं और जो कांग्रेस दल की सरकार की नीतियां हैं वे बिलकुल साफ हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके हितों की रक्षा की नीति है। उनका विश्वास हमसे जुड़ा है और देश को हम जिस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं उनकी क्रियान्विति के अन्दर उनका सहयोग हमें प्राप्त हो और इतना ही निवेदन करना चाहता हूं वह सहयोग समन्वय हमें प्राप्त भी हो रहा है। कोई यह कहे की सर्विसेज का डिमोरलाइजेशन हो रहा है यह गलत है। हो सकता है कि कुछ अधिकारी ऐसे हों जो राजनैतिक दलों का संरक्षण प्राप्त करते रहे हों, कुछ कर्मचारी ऐसे हो सकते हैं जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हों, उनके सम्बन्ध में अवश्य कार्यवाही की जाती है तो यह डिमोरलाइजेशन की परिभाषा में नहीं आता है। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

हमने इस बात का प्रावधान किया है कि जो अधिकारी अपने कर्त्तव्य के प्रति जागरूक हैं और जो योजनायें तथा कार्य उनको दिये जाते हैं क्रियान्वित करने के लिए और वे उसमें सक्षम हैं उन सबका एक सम्मान है, एक स्थान है। इसलिए सर्विसेज को डिमोरलाइजेशन की बात कह कर जो बात पैदा करने की कोशिश की गयी है कुछ राजनैतिक दलों द्वारा यह एक राजनैतिक चाल है। तो मेरा विश्वास है कि वे राजनैतिक दल इसमें सफल कभी नहीं होंगे।

सभापति महोदया, मैं एक बात मानकर चलता हूं कि विरोधी दल के नेता काफी अनुभवी व्यक्ति हैं। वे काफी अनुभव प्राप्त किये व्यक्ति हैं और वे इस सीमा तक चले जायेंगे कि सरकार के नो रत्नों की गिनती वे करवा देंगे यह आश्चर्य

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

की बात है मेरे जैसे व्यक्ति के लिये। क्योंकि उन्होंने यह नवरत्न कहकर उन अधिकारियों के प्रति जो सदन के सदस्य नहीं हैं सीधा आक्षेप किया है। हम जब सदन में बोलें तो निश्चित रूप से ध्यान रखें कि जो सदन में नहीं आता है जो सदन का सदस्य नहीं है उनके संबंध में हम किसी प्रकार के विचार प्रकट नहीं करें। किन्तु विरोधी दल के नेता ने उस मर्यादा का उल्लंघन किया है और अपनी राजनैतिक सूझबूझ और जो कार्य-क्षमता है उसको अपदस्थ किया है।

सभापति महोदया, इस सारी चर्चा के दौरान किसान रैली जो आयोजित की गयी 16 तारीख को उस पर काफी चर्चा की गयी। जो कहा गया कि आपको शक्ति दे दी, आपको सत्ता दे दी उसके बावजूद भी आपको इस प्रकार के आयोजन की क्या आवश्यकता थी। मैं कहना चाहता हूं कि इस किसान रैली ने जनता पार्टी का जो भ्रामक प्रचार था जो आज से कुछ वर्ष पहले ही टूट गया था, जो भ्रामक प्रचार कर रहे थे उसको समाप्त कर दिया। किसान किसके साथ हैं, मजदूर किसके साथ हैं यह साफ कर दिया। देश के इतिहास में इतनी बड़ी किसान रैली ना आज तक हुई है और ना ही होगी।

क्योंकि आखिर में देश के कोने कोने से किसान आये थे पूर्व से भी आये पश्चिम से भी आये, उत्तर से भी आये, दक्षिण से भी आये सब कोने से किसान और मजदूर बड़ी तादाद में आये उनको परेशानी इस बात से हो रही है कि देश के इतनी बड़ी तादाद में किसान वहां कैसे पहुंचे। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो देश के निर्माण की प्रक्रिया में सहयोग देता है, देश की उन्नति में अपनी शक्ति का सदुपयोग कर रहा है उसके समर्थन के लिए कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो स्वयं अपने आप उस रैली में भाग नहीं लेता, इसी के कारण एक बड़ी तादाद में किसान रैली में भाग लेने गये। जो सरकारी तंत्र से दुरुपयोग की बात कही तो मैं आरोप लगाने वालों से पूछना चाहता हूं कि वे कहां हैं, वे आरोपों को सिद्ध करें। सरकारी तंत्र का न तो हमने दुरुपयोग किया है और न ही करना चाहते हैं। लोग जिस तरह भी पहुंचे जो भी साधन मिला उससे पहुंचे। उसका कांग्रेस संगठन ने आयोजन किया है सरकारी तंत्र का तो केवल इतना सा सहयोग रहा है कि जो इतने बड़े आयोजन के लिये सरकार नियमानुकूल कर सकती थी उसे करने का प्रयत्न किया है। हमने रेलों को लिया है तो रेलों के हिसाब से जो पैसा खर्च होता है वह हमने जमा कराया है। बसें लीं उसका भी पैसा जमा कराया और अगर कोई पैसा बाकी है तो भी जमा करावेंगे। इसलिये यह कहना कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया, गलत है। अगर उनके मन में यह भ्रम है तो इसे निकाल देना चाहिये। उन्हें असलियत से मुंह नहीं छिपाना चाहिये। किसान मजदूर उनके साथ नहीं रहा है। किसान मजदूर समझ गया है कि जनता पार्टी अलग अलग टुकड़ों में बंट गयी है इसके हाथ के टुकड़े-टुकड़े हो गये हैं अब वह जनता पार्टी किसान मजदूरों के हितों की रक्षा नहीं कर सकती है, उनके अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती है। यही कारण था कि उनके मन में जो भावना है, वे इस भावना को इस रूप में लेना चाहते हैं और वे आरोप-प्रत्यारोप करके इसके महत्व को कम करना चाहते हैं।

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसान रैली का जो महत्व है वह निश्चित रूप से किसानों के हितों के रूप में फलीभूत होने वाला है। फिर मजदूर और किसान समझ जायेगा। इतने बड़े आयोजन के बाद जो सुविधायें उनको मिलेगी उनसे वह स्वयं इस बात के लिये अपना आत्म निरीक्षण करेंगे। और फैसला करेंगे कि कांग्रेस दल उसके हितों की रक्षा करता है।

सभापति महोदया, एक बात जो कही गई है शिक्षा के क्षेत्र की बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिस स्थिति में हमारी विधान सभा का गत सत्र, प्रारम्भ हुआ उस समय देश की क्या आर्थिक स्थिति थी और प्रान्त की क्या आर्थिक स्थिति थी, उसको देखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करने की बहुत कम गुंजाइश थी। फिर भी हमने 800 प्राथमिक शालायें, 250 सैकण्डरी स्कूल और 250 मिडिल स्कूल खोले।

इसके साथ ही आपकी सूचना के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि जो किसानों की बात करते हैं या जो किसानों के हितों की बात करना चाहते हैं तो हमें आंकड़ों से यह सिद्ध करना होगा कि उन्होंने पिछले दो सालों में केवल चार स्थानों पर कृषि विषय खोला जबकि हमने केवल एक ही वर्ष में 26 स्थानों में कृषि विषय खोला, यह एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसको उन्होंने स्वीकार की। आज जब कांग्रेस की एक नीति है, सरकार की एक नीति है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इसलिए कृषि की शिक्षा दी जाये इसी बात को ध्यान मे रखकर यह निर्णय किया गया।

माननीय सभापति महोदया, शिक्षा के सम्बन्ध में स्थानान्तरण की बात भी बहुत बढ़ा-चढ़ा कर कही गई। मैं केवल इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 78-79 के अन्दर 12415, 1979-80 में 14343 और 1980-81 में 14619 और गत वर्ष 14343 और इस वर्ष 14619 कुल स्थानान्तरण हमने किये। यह ठीक है कि स्थानान्तरण के नाम पर शिक्षकों को गुमराह करने का प्रयत्न किया गया, एक राजनैतिक लाभ लेने का प्रयत्न किया गया। सदन के माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है आपके द्वारा कि कोई भी सर्विसेज ऐसी नहीं हैं जिनके अन्दर दस प्रतिशत स्थानान्तरण नहीं होते हों। आज राजस्थान के अन्दर यदि डेढ़ लाख शिक्षक हैं और उनमें से यदि 10 पर्सेन्ट स्थानान्तरण हो जाते हैं तो कोई बड़ी अनोखी घटना नहीं होती। जैसा कि मैंने कहा ये हर बात को चाहे कानून में हो, चाहे नियमों के अनुकूल हो, चाहे वास्तविकता के आधार पर हो तो भी उसको तोड़ने-मरोड़ने में लगे रहते हैं इसलिए उन्होंने शिक्षकों के स्थानान्तरण के प्रश्न को भी एक राजनीतिक तूल दिया। वह राजनीतिक तूल कितना सफल होगा, कितना असफल होगा, वह समय ही बताने वाला है मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं।

इसके साथ साथ एक बात की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि सरकारी तंत्र का उपयोग हम करते हैं। हमारे समय में नियुक्ति के लिये एक प्रक्रिया थी कि एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज से नाम आते थे और उन्हीं में से नियुक्तियां होती थीं। मैं यह पूछना चाहता हूँ, विरोधी दल के नेता महोदय यदि सुन रहे हों, क्या आवश्यकता थी इस प्रक्रिया को खतम करने की कि एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज के बगैर भी आवेदन दिये जा सकते हैं और

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

नौकरियों में भर्ती की जा सकती है? इस प्रक्रिया का कारण केवल यही था कि आर.एस.एस. के लोगों को, साम्प्रदायिक विचारधारा के जो लोग हैं उनको प्रशासन के अन्दर ला सकें उनको भागीदार बना सकें। प्रशासन में जो इस तरह की प्रक्रिया उन्होंने अपनाई वह निश्चित रूप से एक राजनीतिक षड़यन्त्र था। मैं यह चुनौती देना चाहता हूं कि इतना बड़ा षड़यन्त्र इस प्रान्त के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। इस तरह की प्रक्रिया अपने आप में बोल रही है और यही कारण था कि जैसे ही इनका शासन खतम हुआ, उसके बाद जब राष्ट्रपति शासन प्रान्त में लागू हुआ उस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रक्रिया के दौरान जबकि एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज से नाम लेने की बात थी, वह नहीं लेकर जो नियुक्तियां की गई जिनको एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज से नाम नहीं लेकर इस प्रक्रिया को समाप्त करके सर्विसेज में लिया गया उसको मैं एक राजनीतिक षड़यन्त्र के अलावा और कुछ नहीं कह सकता। मैं यह आरोप लगाना चाहता हूं कि यह एक राजनीतिक षड़यन्त्र था, यदि इस प्रक्रिया की जांच होगी तो वह हम सिद्ध भी कर पावेंगे ऐसा मेरा विश्वास है।

सभापति महोदया, एक बात जो यहां कही गई है और जिसको उन्होंने पहले भी कहा। चने की निकासी के सम्बन्ध में मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि चने की निकासी का प्रस्ताव कृषि विभाग का था और मंत्रिमण्डल में उस पर विचार हुआ था, खाद्य विभाग से यह प्रस्ताव नहीं आया था। 21-10 को यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ, 22-10 को मुख्य मंत्री जी ने हस्ताक्षर किये और 23-10 को इसको लागू कर दिया गया तो 21, 22 और 23 तीन दिनों में इस सारी प्रक्रिया को पूरा किया गया। मैं विरोधी दल के नेता को यह कहना चहता हूं कि उन्होंने शुगर के प्रश्न को लेकर अखबारों में एक वक्तव्य दिया था कि खाद्य मंत्री को बर्खास्त किया जाये अन्यथा इस अदालत में जायेंगे। मैं यह चाहता हूं जो ये कहते हैं, करें केवल अखबारों में छापने के लिये ही बात न करें यदि उन्होंने कहा था कि बर्खास्त नहीं किया जायेगा तो वे अदालतों में जायेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं यदि उनमें नैतिक साहस है, यदि उनमें आत्म विश्वास है और सच्चाई है तो वे अदालतों में मेरे खिलाफ जावें, मैं उनकी चुनौती को स्वीकार करके चलना चाहता हूं यदि वे वास्तव में एक पाई का भी भ्रष्टाचार सिद्ध कर देंगे कि चीनी के वितरण के सम्बन्ध में हमने नियमों का उल्लंघन किया या इस तरह का काम किया जिसकी वजह से कोई गोलमाल हुआ हो, केवल अखबारों में वक्तव्य देने मात्र से ही काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा था इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं सदन के माध्मम से कहना चाहता हूं कि वे निश्चित रूप से अदालतों में जावें और अदालत में जाने के बाद जो भी फैसला होगा वह शिरोधार्य होगा। अगर मेरे खिलाफ होगा तो जो भी सजा मिलेगी उसके लिये मैं तैयार हूं और उनके खिलाफ होता है तो सदन जो कहे करने को तैयार रहें, यही मेरा निवेदन है।

इसके साथ ही साथ जो उन्होंने खास तौर से मेरे व्यक्तिगत प्रश्नों को लेकर कहा और इसलिये मैं यह कहना चाहता

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

हूं, प्रेस में भी बहुत बड़ी चर्चा चली और उस चर्चा के अन्दर कई बातें उन्होंने कहीं। उन्होंने कहा मेरे नाम से, दो लड़के हैं, दिलीप प्रभाकर और अशोक प्रभाकर। सभापति महोदया, चूंकि वे सदन के सदस्य नहीं हैं मेरा उत्तरदायित्व हो जाता है कि मैं इस बारे में स्पष्टीकरण करूं। पता नहीं विरोधी दल के नेता ने कहां क्या कहा था, आज की राजस्थान पत्रिका में जो समाचार छपा जिस प्रेस को बहुत जिम्मेदार बताया जाता है, जिस प्रेस के लिये इतनी बातें कहीं गई है वह प्रेस क्या छापता है कि मैंने उनको नेशनल परमिट दे दिये। मैं यह जानना चाहता हूं विरोधी दल के माननीय नेता से नेशनल परमिट की बैठक कब हुई, परमिट दिये कब हैं? अगर वह कह दें एक भी व्यक्ति को नेशनल परमिट मिला है या उनको देने की बात है तो बात समझ में आती है। इस तरह का समाचार आज राजस्थान पत्रिका के पहले पृष्ठ पर छपा है। इस तरह आप अन्दाज लगा सकते हैं, समाचारों को तोड़-मरोड़ कर, यह एक साजिश चल रही है, यह एक निश्चित बात है। मैं भी प्रेस का एक कार्यकर्ता रहा हूं। मैंने भी समाचार पत्रों में काम किया है। देश के स्तर को मैं जानता हूं, देश की मंशा को जानकर मैं चलता हूं। मैं देश सम्मान करके चलना चाहता हूं। इस तरह से वास्तविकता को तोड़-मरोड़ कर नहीं पेश किया जाना चाहिये। यदि इस तरह की स्थितियां होती हैं तो निश्चित रूप से हमारे लोकतन्त्र के लिये यह उचित नहीं है और प्रेस के लिये भी सम्मानजनक नहीं है। इसलिये आज जो राजस्थान पत्रिका में छपा है विरोधी दल के नेता और जिन्होंने छापा है उनको मैं यह चुनौती देकर चलना चाहता हूं वे इसको सिद्ध कर दें कि मेरे लड़कों को दो नेशनल परमिट दिये गये। इस तरह से मिथ्या और भ्रामक समाचार छापने से कोई काम चलने वाला नहीं है।

इसके साथ ही उन्होंने एक बात और कही, प्लाट की नीलामी की बात। मेरे लड़के की बात उन्होंने कही। मेरे लड़के को नीलामी में बोली लगाने का अधिकार नहीं है, लोकतन्त्र की बात वे कह रहे थे। मैं कहना चाहता हूं, मेरे बालिग लड़के हैं, मेरे विवाहित लड़के हैं क्या उनको अधिकार नहीं है कि वे नीलामी में खड़े होकर जमीन का एक हिस्सा ले सकें? यदि इस तरह के प्रश्न को भी वे एक राजनीतिक तूल देना चाहते हैं, इस तरह के प्रश्न को उठाकर वे राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं इस तरह से उनको राजनीतिक लाभ मिलने वाला नहीं है, इस तरह के मनगढ़न्त षड्यन्त्र करके, आरोप लगाकर उन्होंने ढाई साल तक राज किया और जनता ने इसका क्या फैसला किया इससे उनको सबक लेना चाहिये था किन्तु सबक लेने के बजाय वे और बहकते जा रहे हैं, और उलटते जा रहे हैं। पता नहीं उनकी क्या मनःस्थिति होती जा रही है कि उनको वास्तविकता भी नजर नहीं आती आज के जमाने में। इसलिये दूसरा आरोप यह लगाया गया। इसके साथ ही मेरा एक निवेदन आपसे और है। जिन प्रश्नों की ओर भी सदन का ध्यान जाना चाहिये, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिये आज जब इस तरह से व्यक्तिगत आरोप लगाये जाते हैं मैं दूसरी चुनौती भी देना चाहता हूं कि सदन

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

इस बात की जांच करायें कि लाल कोठी योजना के अन्तर्गत किस तरह से भूमि का आवंटन हुआ, किस प्रकार की क्या कार्यवाही हुई इसके लिए सदन में विस्तृत रूप से स्वायत्त शासन मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि लाल कोठी योजना में जो घोटाला हुआ, खातरिया वास के लोगों को नियमों के विपरीत प्लाटों का आवंटन किया गया उसकी भी जांच कराई जाये। इसके साथ ही साथ वे कहते हैं कि साहब, इस सरकार ने विकास की दृष्टि से कुछ नहीं किया। बात सही है। अकाल के भयंकर दौर से हम गुजर रहे हैं। अकाल का जब प्रश्न आयेगा तो विस्तार से चर्चा करूंगा। इस सम्बन्ध में मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूं, करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि दिन रात परिश्रम किया जा सकता है, दिन रात मेहनत की जा सकती है, साथियों को विश्वास में लिया जा सकता है, सदस्यों का स्वागत कर उनकी बात सुनी जा सकती है जो साधन उपलब्ध हैं, उनका समुचित उपयोग करके अकाल का सामना करना पड़ेगा। अकाल को राजनैतिक तूल देंगे तो उसका मुकाबला करने में कठिनाई आयेगी। जिस तरीके से हम करना चाहते हैं उसमें खास तौर से विपक्ष के साथियों से इतनी उम्मीद तो करना चाहता हूं, वह उम्मीद लगती नहीं क्योंकि आज जिस तरह का वातावरण सदन में बनाया गया, जिस तरह का आधार बनाया जा रहा है, हर एक्शन का, हर परिस्थिति का वे लाभ लेने में लगे हुए हैं। मैं इतना ही विश्वास से कह सकता हूं कि कांग्रेस सरकार निश्चित रूप से इस बात के लिए वचनबद्ध है कि जिन लोगों को काम की आवश्यकता है, उनको काम पर लगाया जाये। इसलिए हमें राजनैतिक जीवन में काफी अनुभव हुआ है। उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि बड़े संघर्ष के दिन अब आ रहे हैं। अप्रेल, मई, जून व जुलाई का जो समय आयेगा, पीने के पानी की समस्या की दृष्टि से, अकाल राहत कार्यों की दृष्टि से, हमारे सामने चुनौती है, किन्तु जैसा मैंने कहा चुनौतियां जीवन में हमेशा आती हैं और कांग्रेस संगठन व सरकार के सामने भी चुनौतियां आज नहीं 30 वर्षों से कई बार अकाल पड़े हैं लेकिन हिम्मत और विश्वास के साथ सरकार ने अकाल राहत कार्य प्रारंभ करके पीने के पानी का प्रबन्ध करके, चारे की समस्या का समाधान करके उसका हल निकाला है। मैं तो केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि करीब 28 करोड़ रुपये हम 31 मार्च, 1981 तक इस सारे प्रश्न पर खर्च करने वाले हैं और एक मार्च से राजस्थान के अन्दर अब जो 31 लाख मजदूर काम कर रहे हैं उसको पांच लाख तक परसों एक तारीख से लगाने के लिए हमने आदेश इस सम्बन्ध में दे दिए हैं।

अब तक कामों को स्वीकृत करने में काफी परेशानी आ रही थी और वे सब स्वीकृतियां एक लाख से ऊपर जो काम की स्वीकृतियां थीं उनकी प्रक्रिया में परिवर्तन किया है और परिवर्तन कर के जिलाधीशों से कहा है कि वे जिस जिले में जितने काम प्रारम्भ हो सकें उतने प्रारम्भ करें और जो लोग काम पर आना चाहें उन्हें मना न किया जाये क्योंकि जैसा मैंने कहा कांग्रेसी साथियों से पिछले दिनों में काफी मिलना हुआ—बाड़मेर, भीलवाड़ा, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ जैसलमेर, जालौर, पाली।

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

इन सभी साथियों से मिलना हुआ है और माननीय सदस्यों का आग्रह रहा है कि जो 3॥ लाख मजदूरों की संख्या है इसमें काम चलने वाला नहीं है। इसलिए 3॥ लाख की संख्या को बढ़ाकर 5 लाख किया गया और काम स्वीकृत करने की जो पद्धति थी उस पर भी पुर्नविचार करके जिलाधीशों को अधिकार दिए गए।

एक बात और इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूँ। हमारा प्रयास यह होगा कि अन्य विभाग जैसे कृषि उपज मंडी समिति, डेयरी, डी.पी.ए.पी. और माइन्स इन चारों के पास सड़क बनाने के लिए एक गांव को दूसरे से जोड़ने के लिए जो पैसा है उसको पूल किया जाये ताकि अकाल राहत योजना के अन्तर्गत जितने अर्थ वर्क करवा सकें उतने करवा लें। अगर सड़क कच्ची रहती है तो वर्षा आने के बाद अर्थ वर्क बह जाता है। बाकी काम यदि कृषि मंडी समिति, डी. पी. ए. पी. और डेयरी वाले ले लें तो इस काम में काफी सफलता होगी। इस संबंध में मुख्य मंत्री से चर्चा हुई, उन्होंने तीनों विभागों के सैक्रेटरीज को बुलाकर इस संबंध में चर्चा की है और आज शाम हम फिर बैठकर सारे प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं कि अकाल के अंदर जो कच्चे काम हैं उनको पक्का बनाने की दृष्टि से क्या किया जा सकता है। तो जहां तक अकाल का प्रश्न था, मैंने आपसे कहा।

हम मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं, राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहते हैं। प्रयत्न हमारा यही रहेगा। कहीं कुछ गलतियां हुई हैं काम में, किसी को नाराजगी रही हो तो उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस संबंध में दिशा निर्देश दें। कई ऐसे लोग हैं जिनका अनुभव है और उनका लाभ निश्चित रूप से सरकार को लेना चाहिए। इसलिए मैं उन बुजुर्ग सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में दिशा निर्देश दें, उनका मार्ग-दर्शन हमारे लिए निश्चित रूप से एक ऐसी परम्परा होगी, ऐसी सहायता करेगी जो अकाल से पीड़ित जनता है उसके लिए सहायक सिद्ध होगी।

सभापति महोदया, अकाल की समस्या के साथ पेयजल की समस्या भी जुड़ी हुई है, चारे की समस्या भी जुड़ी हुई है। इन सारी समस्याओं का समाधान तो हो जायेगा लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा एक कठिन संघर्ष निश्चित रूप से खाद्यान्नों का आने वाला है। जैसे कल एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि 65 हजार टन जहां राजस्थान को आवश्यकता होती है वहां केवल 10 हजार टन मिला है। इसके वितरण की व्यवस्था के संबंध में कल आपको खाद्य मंत्री ने बताया था पर मैं इस संबंध में अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में यह कठिन समस्या है भाव बढ़ रहे हैं और बढ़ सकते हैं परन्तु हमें इस समस्या को मिलकर सुलझाना होगा क्योंकि देश के सामने जो समस्यायें हैं उनसे राजस्थान अलग नहीं रह सकता। राजस्थान को देश की समस्याओं के साथ जुड़ना होगा। इसलिए इस सारी समस्या के लिए जब हम अकाल के प्रश्न पर चर्चा करेंगे तो विस्तार में जायेंगे। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अकाल की समस्या के समाधान के लिए हम दृढ़ संकल्प हैं और सभी साथियों का

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)
सहयोग लेकर हम आगे काम करना चाहते हैं।

मैंने अकाल और शिक्षा की समस्या का जिक्र किया है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन पर चर्चा करना चाहता था किन्तु अब केवल मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण था और पिछले 7–8 महीनों में जो कुछ किया जा सकता था, वह करने का प्रयास मात्र है, मैं नहीं कहता कि जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वे हमने प्राप्त कर लिए हैं या जो कुछ किया जा सकता था, वह सब कर लिया है। केवल प्रयास है और मेरी मान्यता यह है, हमारा दिल और दिमाग साफ है, हमारा लक्ष्य बहुत साफ है, हमारे नेता के मार्ग-दर्शन में हम अपने दल के सिद्धांतों में आस्था रखते हुए यदि कर्त्तव्य के प्रति जागरुक बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली समस्याओं का समाधान कर पायेंगे।

इसी विश्वास के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़): सभापति महोदया, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, अभी मंत्री महोदय ने जैसी जानकारी दी जनता पार्टी के राज में एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में सब लोगों के अधिकारों को ओवरलुक करके जनता पार्टी वालों ने अपने खास विशेष विचारधारा के लोगों को सर्विसेज के अन्दर पहुंचाने का गलत षड़यंत्र करने का प्रयत्न किया। उसको दूर करने के लिए क्या सरकार कोई कारगर कदम उठा रही है? मैं समझता हूं इतने बड़े महत्वपूर्ण मसले पर, जो हमारी सर्विसेज। पवित्रता से जुड़ा हुआ है उसमें किसी भी विचारधारा के लोग जो सरकार में आ जाते हैं और अपनी विचारधारा के लोगों को येन-केन-प्रकारेण कानून कायदों को तोड़कर इस प्रकार से हमारी मशीनरी को गंदा बनायें जो आगे चलकर देश के विकास में बाधक हो, इस खतरे को साधारण रूप से हमें नहीं लेना चाहिए और सरकार को विचार करके शीघ्र ही उन सब लोगों को जो बिना एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज के लिये गये हैं निकाल कर बाहर करना चाहिये, यह मेरा सुझाव है।

एक माननीय सदस्य: सभापति महोदया, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री सरकार की तरफ से जवाब दें उससे पहले . . .

श्री श्रीराम गोटेवाला: सभापति महोदया, मैं निवेदन कर रहा था कि मुख्य मंत्री अभी जो राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद हुआ है, उसका उत्तर देंगे। मैं मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिससे हमारी पार्टी और प्रशासन को काफी बदनामी हो रही है। इकानामिक टाइम्स 10 फरवरी का है उसमें एक न्यूज छपी है:

(1.48 म.प.)

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

"The Planning Commission has slashed the approved annual plan for the year 1981 from Rs. 330 crores to Rs. 300 crores. The State has, however, not been able to spend more than Rs. 90 crores so

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

far, with a little less than two months left for the close of the current financial year. Thus not even 30 per cent of the reduced allocation has been utilised.

The reason for Planning Commission's slashing down the approved allocation is the State Government's failure to mobilise necessary resources as promised.

The largest single cut of Rs. 12 crore has been in the power sector. The Rajasthan State Electricity Board is already in a serious financial crisis since the revenue of the Board has dropped considerably due to continuous power shortage. Indiscriminate wage increases allowed by the present Government to RSEB staff, added to the crisis."

तो मैं मुख्य मंत्री से इस बारे में अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपा करके इसका खुलासा अवश्य कर दें क्योंकि इसको लेकर कुछ गलतफहमी पैदा हो रही है कि जहां 300 करोड़ आपके लिये 1980-81 के अंदर जो सैंक्शन हुए, उसके स्थान पर आप केवल मात्र 90 करोड़ खर्च कर पाये। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसका डी.पी.आर. से खण्डन किया जाता वस्तुस्थिति की लोगों को जानकारी दी जाती अगर किसी कारणवश खण्डन नहीं किया जा सका तो आज जब मुख्य मंत्री जी अपना जवाब दें तो कम से कम हाउस में वो पूरी जानकारी दे दें ताकि आज जब लोगों के मन में राजस्थान के विकास के काम होने के बारे में जो गलतफहमियां हो रही हैं वह कम से कम दूर हो जायें। इसके अलावा एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण नहीं होगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, भाषण नहीं दे रहा हूं मैं तो एक समस्या का निराकरण करने के लिये कह रहा हूं, मैं तो एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। भाषण तो मैं नहीं दूंगा। भाषण तो मुख्य मंत्री जी का अभी हाउस में होगा मैं तो दूसरी ही बात निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि अभी भोपाल में कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का अधिवेशन हुआ था उसमें राजस्थान से एक बस गयी थी। माननीय यातायात मंत्री श्री प्रभाकर जी यहां पर बैठे हैं, वह इस बात की जांच करके बतावें कि जयपुर से एक बस किराये पर रोडवेज की, की गयी थी। 35 व्यक्तियों की वह बस बुक हुई थी वह बस कोटा से झालावाड़ जाने वाली थी। वह यहां से कोटा गयी और जगह-जगह से सवारियां कलेक्ट करती हुई वह बस कोटा गई और कोटा से झालावाड़ जाने वाली बस कोटा से झालावाड़ नहीं जाकर भोपाल गयी। अध्यक्ष महोदय, इतना नहीं उस बस ने कोटा के पैसेन्जर तो उतार दिये और भोपाल चली गयी। वहां पर राजस्थान स्टेट रोडवेज की वह बस दो दिन तक रही। जो पदाधिकारी लोग यहां से गये थे उनको लेकर वापस आयी। तो मेरा निवेदन यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे ऊपर तो तरह-तरह के अनर्गल आरोप लगाते रहते।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
हैं, मैं यातायात मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि वह इसकी जांच करके माननीय सदस्यों को बतायें कि यह सारा किस प्रकार हुआ ? इस जमाने में किस प्रकार से राजस्थान स्टेट रोडवेज की बसें कहां जा रही हैं। यह सब घपला किस लेवल पर हुआ। इसकी सूचना देने की कृपा करें।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, अभी फेमिन रिलीफ मंत्री जी ने यहां पर अकाल राहत कार्य के बारे में सदन में प्रकाश डाला। मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि अभी एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है, जहां छोटी-छोटी म्यूनिसिपैलिटीज हैं वहां के नागरिकों, जिनमें किसान भी हैं, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोग हैं, को अकाल राहत के काम पर नहीं लगाया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, यह नियम बनाये गये हैं ये तो बहुत ही कठोर नियम हैं। अध्यक्ष महोदय, जो भी नागरिक नगरपालिका क्षेत्र में रहते हैं उन्हें अकाल राहत कार्यों में नहीं लगने दिया जायगा यह क्या हुआ ? मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस समस्या का तो समाधान किया जाये।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे वक्त में एक सुझाव देना चाहता हूं अकाल राहत मंत्री जी को जब कि अभी मुख्य मंत्री जी धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर हुए वाद-विवाद का जवाब देने वाले हैं, मैं आपकी अनुमति से अकाल राहत मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि मैं जो सुझाव देने जा रहा हूं उस पर गौर करेंगे। अकाल राहत मंत्री जी आपने जो अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत वर्क्स शुरू किये हैं उसके लिये सुझाव देना चाहता हूं आपने जो जी. टी. रोड्स सैंक्शन की हैं उनके कार्य अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत चल रहे हैं उनमें आपने मजदूरों को नहीं लगाया है। आपने यह व्यवस्था की है। हमारे यहां पर पहले ही ग्रेवल रोड्स बनी हुई थी। वह तो 69-70 के अकाल के समय ही बन गयी। अब आपने उन ग्रेवल रोड्स को प्लान में लिया है। उन्हें सिक्स्थ प्लान में लिया। कुछ एडवान्स प्लान में और कुछ को आपने मिनिमम नीड्स प्रोग्राम्स के अन्तर्गत ले लिया है। अध्यक्ष महोदय, जोधपुर जिले में जहां तक मुझे याद पड़ता है इस प्रकार की 1100 किलोमीटर रोड्स हैं उनकी हालत खराब हो रही है पर अभी आपके पास रोड रोलर्स नहीं है और हो सकता है आप इस पीरियड में उनको पूरी तरह से ठीक नहीं करा सकें। स्थिति यह है कि फेमिन के लिये राजस्थान में 1800 रोड रोलर्स थे उनमें अभी फेमिन वर्क्स में सिर्फ 120 रोड रोलर्स आन रोड्स काम करते हैं। अभी जो सड़कें टूटी हुई हैं उन पर जो क्राइटेरिया आपने बना रखा है उसके अनुसार आप सिर्फ 50-60 या 100 मजदूर ही लगा सकते हैं। 9 फरवरी को जोधपुर आप गये थे तब अपने कुछ इन्स्ट्रक्शन्स कलेक्टर, जोधपुर को दिये थे। उसके बाद में 12 फरवरी को जब जोधपुर में फेमिन रिलीफ एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई तब हमें कलेक्टर ने यह जानकारी दी कि आपने कलेक्टर्स को आथोराइज कर दिया है कि वह उन सड़कों को ठीक नहीं करावें। अध्यक्ष महोदय, यह सड़कें टूट गयी हैं उन सड़कों के

(श्री परसराम मदेरणा)

टूटने का मुख्य कारण यह है, अध्यक्ष महोदय, यह ग्रेवल रोड्स थीं जो कि बहुत पहले बनी थीं। उनकी बहुत अच्छी हालत थी। जब यह बनी उस वक्त इन ग्रेवल रोड्स पर 6 से लेकर सात इन्च की पर्त थी। ऐसी सड़कें कम से कम दस साल तक चलती हैं। उनकी रिपेयर्स भी नहीं हुई है। वह तो एक तरह से पहले से ही भगवान भरोसे ही चल रही है। आप उनकी रिपेयर्स नहीं कर रहे हालांकि वह सड़कें प्लान में मौजूद हैं। अभी सन् 79 में जब कि फ्लड आया तो यह सड़कें खराब हो गयीं। अध्यक्ष महोदय, मैं अकाल राहत मंत्री जी को यह भी बताना चाहूंगा कि इन सड़कों पर कई जगह काजवे बने हुए थे। मैं समझता हूं कि ऐसे काजवे आपकी प्लान रोड्स पर भी नहीं बने हुए थे। अध्यक्ष महोदय, तीन हजार फीट के ऐसे काजवे बने हुए आपको बहुत कम मिलेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह पार्टली डेमेज हुए हैं बहुत कम डेमेज हुए हैं इसलिए इनकी तुरन्त रिपेयर्स करायें। मुझे ऐसा मालूम हुआ है शायद राज्य सरकार ने ऐसे डायरेक्शन्स दे दिये हैं कि इनका काम नहीं किया जाये। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर फेमिन में बाकी दूसरे काम होने की बहुत ही कम पासिबिलिटी है। बाकी जब आप रोड्स को रिपेयर कराना नहीं चाहते हैं अर्थ वर्क आप करना नहीं चाहते हैं केवल मिट्टी 1200 किलो मीटर तक पड़ी हुई है ग्रेवल का काम आप करवाना नहीं चाहते हैं जिसको आप खुदवा रहे हैं। इससे तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत हो जायेगा। आप सिर्फ ठेकेदारों को ही पैसे देंगे। सारा का सारा पैसा बेकार में ठेकेदारों की जेब में चला जायेगा। मैं समझता हूं कि कोई काम नहीं होने वाला है। बिटुमन की प्राइज हाई हुई है। दूसरे पैट्रोलियम प्रॉडक्टस के पैसे भी बढ़ गये हैं। बिटुमन वैसे भी पांच सौ रुपये हाई हो गया है बिटुमन अवेलेबल नहीं है तो मेरा कहना यह है कि जब आप प्लान रोड को कर नहीं सकते हैं और रिपेयर्स आप कर नहीं रहे तो फिर जोधपुर जिले में खास तौर से बिलाड़ा सब डिवीजन में तो स्थिति बहुत ही गम्भीर हो जायेगी। अभी पिछले साल यहां पर फ्लड आया। आपके पास रोलर्स नहीं हैं बिटूमन नहीं है और आप रिलीफ वर्क देना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि जोधपुर जिले में लगातार पिछले तीन साल से फेमिन पड़ रहा है। जब फेमिन तीन साल तक लगातार कॉन्टीन्यूटिव ईयर से पड़ा है, जोधपुर जिले के करीब 400 गांव इफेक्टेड हैं इसलिए मैं सरकार से, खास तौर से अकाल राहत मंत्री जी से स्पष्ट तौर पर स्पेसिफिकली यह कहना चाहूंगा कि कलेक्टर को इन्स्ट्रक्शन दें कि वहां पर रिलीफ वर्क जल्दी से जल्दी शुरू करें ताकि वहां के लोगों को जो फेमिन की वजह से दिक्कत आ रही है वह नहीं आये और वह लोग फेमिन रिलीफ वर्क्स से महरूम नहीं हों।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली): अध्यक्ष महोदय, अभी थोड़ी देर पहले अकाल राहत मंत्री जी ने सदन में अकाल राहत कार्यों के बारे में राज्य सरकार क्या क्या कर रही है उनका उल्लेख किया। यह बात सही है कि अकाल राहत कार्यों के लिये आपके प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण रहे, आपकी मंशा भी रही कि आप अकाल की स्थिति

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

को तत्परता से निपेटे। राजस्थान के 26 जिलों में भयंकर अकाल की छाया पड़ी हुई है। आपकी जानकारी के लिए मैं यह भी बताना चाहूंगा, समाचार पत्रों में भी आपने पढ़ा होगा कि सवाई माधोपुर जिले में कितना भयंकर अकाल छाया हुआ है। आपको पत्र भी मिले होंगे लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि दुर्भाग्य से हमारे सवाई माधोपुर जिले में एक भी अकाल राहत कार्य शुरू नहीं किया गया है। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि कलेक्टर ने अधिकारियों को यह कहा है कि फेमिन का सर्वे करें और अपनी नेगेटिव रिपोर्ट दें। यही कारण है कि सवाई माधोपुर में सिवाय बोंली तहसील के कहीं भी राहत कार्य नहीं खोले गये हैं। अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर में 9 विधान सभाई क्षेत्र हैं उनमें से 8 विधान सभा क्षेत्र में कोई अकाल राहत कार्य नहीं खुला है वहां के लोग अकाल से पीड़ित हैं। मेरा अब निवेदन यह है कि फेमिन की सर्वे रिपोर्ट आने के बाद जहां दूसरी जगह राज्य सरकार द्वारा नये राहत कार्य खोले हैं उसी तरह क्या सवाई माधोपुर जिले में भी आप अकाल राहत कार्य खोलने की मन्शा रखते हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मंत्री जी जब अपना जवाब दें तो मेरा यह निवेदन है कि वह इस स्थिति को भी स्पष्ट करें कि राजस्थान के विकास का जो बजट है उसका 10 प्रतिशत हिस्सा वैर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये और 25 प्रतिशत हिस्सा बयाना निर्वाचन क्षेत्र के लिये खर्च किया जा रहा है। वहां पर डिस्पेन्सरीज के मामलों में, औषधालय खोलने के मामलों में, सड़कों के निर्माण के मामलों में और स्कूल आदि खोलने के मामलों में क्या विकास के नाम पर पैसा खर्च किया जा रहा है ? इस विषय में हाउस में बड़ी उत्तेजना है। हाउस के सदस्यों में उत्तेजना है। मुख्य मंत्री, राजस्थान का जो होता है वह पूरे प्रदेश का मुख्य मंत्री होता है। जब मुख्य मंत्री जी यहां पर आये थे तब उन्होंने कहा कि वह विकास करने के लिये आये हैं। क्या वह पूरे राजस्थान का विकास करने आये हैं या एक दो कान्स्टीट्यूएन्सीज का ही विकास करने के लिये आये हैं ? आज राजस्थान की जनता अपने आपको पूरी तरह से उपेक्षित महसूस कर रही है और हाउस में बैठे हम लोग भी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के इतिहास में ऐसा कोई भी मुख्य मंत्री नहीं हुआ होगा जिसने इस तरह की भेदभावपूर्ण नीति अपनायी हो। शायद ही ऐसा कोई मुख्य मंत्री रहा होगा जिसने जैसा इन्होंने किया वैसा किया हो।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी!

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, अभी अकाल राहत मंत्री जी ने अकाल राहत कार्य खोलने के बारे में राज्य सरकार की नीति बताई। उनसे मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं उसकी भी सूचना आ जाये। जोधपुर जिले में जब फेमिन रिलीफ एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग 12 फरवरी को हुई उस समय जोधपुर जिले की चार पंचायत समितियों, जिनमें भोपालगढ़, बिलाड़ा, लूणी और मन्डोर पंचायत समितियां थीं, में एक भी फेमिन रिलीफ कार्य नहीं शुरू किया गया। जब हमने इस बारे में पूछा तो हमें बताया गया कि वहां पर मजदूर काम पर नहीं आते हैं। हमने जब हमारे सरपंचों को

(श्री रामसिंह विश्नोई)

पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे मजदूरों को काम पर नहीं लिया गया। वहां पर जो काम है वह पत्थर तोड़ने का है। दूसरे काम जो हमने 15-20 सड़कों के बताये उनमें से कोई काम सैंक्शन नहीं है, जो अधूरे काम थे वह भी पूरे नहीं किये गये। अध्यक्ष महोदय, वहां पर ऐसा मालूम चला कि कलेक्टर ने पी. डब्ल्यू. डी. को डायरेक्शन दे दिया कि किसी भी तरह जो उजड़ा इलाका है वहां पर अकाल राहत के काम खोले जायें। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इस तरह की नीति अपनाई और इस क्षेत्र की राज्य सरकार ने उपेक्षा की तो हमारा सहयोग उनके साथ रहेगा नहीं। इसी तरह की व्यवस्था रही तो वहां की जनता अकाल से भूखी, प्यासी मर जायेगी। वहां पीने के पानी की त्राहि-त्राहि मची हुई है। अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन सालों से वहां पर फ्लड और फेमिन पड़ रहा है लोग वहां पर बहुत दुखी हैं, भूख और प्यास से मर रहे हैं। अगर इस तरह की हरकतें कलेक्टर करता रहेगा तो वहां की जनता उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अध्यक्ष महोदय, वहां का कलेक्टर नाकाबिल है। उसकी नाकाबलियत से कांग्रेस सरकार की, कांग्रेस पार्टी की छवि जनता में खराब हो रही है। इसलिये मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसे निकृष्ट कलेक्टर के खिलाफ आप सख्त से सख्त कार्यवाही करें। जोधपुर जिला पूरा बाढ़ से पीड़ित था और अब अकाल से पीड़ित है। इसलिये जोधपुर जिले में अकाल राहत के कार्य जल्दी से जल्दी चलायें। वहां पर, अध्यक्ष महोदय, एक नहीं 20 सड़कों की मन्जूरी हुई है पर एक भी कार्य अकाल राहत के नीचे नहीं चल रहा है। इसलिये मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि उस कलेक्टर के खिलाफ इमेजियेटली इन्क्वायरी करके उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये और जोधपुर जिले में अकाल राहत कार्य तुरन्त चालू किये जायें।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी!

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर लगातार चार दिनों की चर्चा के बाद जो कुछ हमें इस सदन में सुनने को मिला उससे निष्कर्ष निकलता है कि राज्य के अन्य क्षेत्रों में जहां कहीं कठिनाइयां हैं वहीं इस बात की चर्चा सुनने को मिली कि उन समस्याओं के समाधान के लिए जो कुछ सरकार सीमित साधनों से कर सकती थी करने का प्रयास किया है। कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिये और कुछ माननीय सदस्यों ने तो अपनी पुरानी आदत और परम्परा के अनुसार केवल आलोचना करना और बुराइयां देखना ही उनका काम रहा मैं उस सिलसिले मे कुछ नही कहना चाहता जिसको जैसा ठीक लगे वह करे। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी सुझाव चाहे इस पक्ष के आये हों, चाहे उस पक्ष के आये हों अगर अच्छे सुझाव हैं, राज्य के हित में हैं, राज्य की जनता के हित में हैं, तो निश्चित रूप से हम उनकी ओर विचार करेंगे बल्कि मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वासन देना चाहता हू और सदन के माध्यम से राजस्थान की सारी जनता को

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

आश्वासन देना चाहता हूं कि उन विचारों पर क्रियान्विति करने का प्रयास हम करेंगे।

श्रीमन्, आलोचना की जाना प्रजातंत्र के ढांचे के अन्दर कोई बुरी चीज नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि शायद प्रजातंत्र में आलोचना करना स्वाभाविक है। मैं इन सारी आलोचनाओं को, जैसा मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि सुझाव मानकर चलता हूं, अपने हित में मानता हूं, सरकार के हित में मानता हूं, राजस्थान के हित में मानता हूं सारे प्रजातंत्र के हित में मानता हूं। केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आधारहीन बातें अगर सदन में कही जाती रहीं और वह भी इस मौके पर जब कि जो व्यक्ति यहां सदन में न उपस्थित है, न उपस्थित हो सकता है, वह व्यक्ति जो सदन का सदस्य तो है लेकिन उपस्थित नहीं हैं इस तरह की आधारहीन और अनर्गल बातें कही जाती रहीं और चूंकि मर्यादाओं के अन्दर हमें रहना पड़ता है, हम तत्काल जवाब न दे पायें तो बाहर जनता पर इस बात का असर पड़ सकता है कि विरोधी पक्ष के लोग जो कह रहे हैं वह सही है। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मर्यादा में बंधे हुए सदन के कुछ कायदे कानून हैं जिसके कि संरक्षक आप हैं और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसे मौके नहीं आने चाहिए जब कि परम्पराओं की दुहाई देकर, नियमों की दुहाई देकर चाहे मंत्री हो या साधारण सदस्य हो आरोप और प्रत्यारोप होते रहें। मैं आशा करके चलता हूं कि यह हमारे जो सदस्य हैं और विपक्ष के लोग हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस बात का ध्यान रखा जाये। मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बहुत मर्यादा बरती, नियमों का पालन किया, परम्पराओं का पालन किया वहीं विपक्षी दल के सदस्य ही नहीं बल्कि विपक्ष के नेता महोदय ने भी इन सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया। वह मुख्य मंत्री रहे हैं। यह उनका कर्त्तव्य था कि जब उनका भाषण हो रहा था उन्होंने किसी भी परम्परा का पालन नहीं किया। यह जानी हुई परम्परा है राजस्थान विधान सभा की ही नहीं बल्कि विश्व की सभी संसदों की और दूसरी विधान सभाओं की भी कि पहला वक्ता विरोधी दल का नेता होता है। मैंने उनसे प्रार्थना भी की थी, आपके माध्यम से भी प्रार्थना की थी लेकिन अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने इस परम्परा का निर्वाह नहीं किया और जान बूझकर वह गैर हाजिर रहे। अच्छा होता वह मेरा वक्तव्य भी सुनने के लिए हाजिर होते। मैंने उनकी एक एक बात को नोट किया है। मैं केवल उनकी ओर ही इंगित नहीं कर रहा हूं बल्कि अपनी बात सबको बता पाता। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि सुनने के लिए कोई है नहीं। यह कौन-सी परम्परा है, यह कौन-सा नियम है, मैं समझने की कोशिश करूंगा और अपने साथियों को भी समझाने की कोशिश करूंगा जिससे हम आगे चलकर काम कर सकें। जो मर्जी आये कहकर चले जायें उत्तर आता हो तो दो दिन तक गैर हाजिर हो जायें और फिर उसी बात को दोहरायें और फिर उनको कहा जाये कि इसका जवाब तो दिया जा चुका है तो वह कह सकें कि हम तो हाजिर नहीं थे। इस तरह की बातों को आपको देखना पड़ेगा।

मैंने सुना है कि सदन के अन्दर किसी प्रश्न को लेकर हमारे पत्रकार बन्धुओं ने

76

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

बहिष्कार किया है। कुछ पत्रकार सबके सब नहीं, कुछ चले गये। क्या नाराजगी उनको है, श्रीमान, यह तो आप उनसे पूछ सकते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है प्रश्न के उत्तर में जो कुछ कहा मेरे साथी मंत्रीजी ने वह प्राप्त सूचना के आधार पर कहा है और उसमें कोई गलती है तो उसको ठीक किया जा सकता है। हम पत्रकारों का सम्मान करते हैं। हम जानते हैं अखबार, रेडियो, टेलीविजन एक अच्छे साधन हैं जनता तक पहुंचने के, जनता के विचार जानने के। प्रजातन्त्र के अन्दर हम उनको महत्वपूर्ण साधन मानकर चलते हैं इसलिए जो कुछ हमसे बन पड़ता है सुविधायें देने का प्रयास भी करते हैं सरकार की ओर से, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि न केवल सामूहिक तौर पर बल्कि व्यक्तिगत तौर पर जो भी साथी मेरे पास आते है, अब तक नहीं आये हैं तो अब आ जायें उनकी बात सुनने को तैयार हूं और जो भी हमसे बन पड़ेगा सरकारी गैर सरकारी और व्यक्तिगत तौर पर करने के लिए तैयार हूं लेकिन कोई बात बतायें तो।

श्रीमन्; मैंने सुना है मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पत्रकार बन्धुओं के साथ कुछ घटना घटी। इसकी जानकारी सरकारी तौर पर जो प्राप्त हुई वह दे सकते हैं क्योंकि न मौके पर मन्त्री महोदय थे और न मैं था। क्या घटना किस गांव में हुई इसकी जानकारी तो सरकारी सूत्रों से जो प्राप्त होगी उसी आधार पर दी जाती है लेकिन कुछ जानकारी मुझे व्यक्तिगत आधार पर देनी है। मैंने सुना था कि पत्रकार बन्धुओं ने इसलिए बहिष्कार किया है कि उनके साथ दुर्व्यवहार चुनाव क्षेत्र में हुआ। जब चुनाव हो रहे थे तो पत्रकार बन्धु गये थे उन्होंने हमें कोई सूचना नहीं दी। हम तो लगातार इस बात का प्रयास करते रहे कि अगर कोई पत्रकार साथी आना चाहता है तो हमको बता दें हम व्यवस्था करेंगे। हमने कुछ औरों के लिए भी व्यवस्था की दिल्ली से आने वाले कई पत्रकारों की और व्यक्तिगत तौर पर एजेन्सीज के नाम बता सकता हूं जिनकी व्यवस्था हमने की। मैं आपको फिर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पत्रकार बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं और उनको हम सम्मान देते हैं, उनका सहयोग करना चाहते हैं, वह सहयोग करें या न करें यह तो उनकी बात है। मैं तो केवल मात्र अपनी बात कह सकता हूं कि इस प्रकार का वातावरण पैदा करना ठीक नहीं है।

मुझे एक ही जानकारी मिली, आज ही मैंने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी और मैं आपको व्यक्तिगत आधार पर कह रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। पिछली बार जब मैं भरतपुर जिले के दौरे पर गया था, दो प्रोग्रामों में गया। एक में पत्रकार आये थे उन्होंने मुझ से कहा कि हमसे क्या नाराजगी है। मैंने कहा कि मुझे तो कोई नहीं, आपको हो सकती है। मामला गांव वालों और पत्रकारों के बीच में हुआ होगा, सरकार बीच में आती नहीं, मैं बीच में आता नहीं, मेरी पार्टी का कोई सदस्य बीच में आता नहीं लेकिन मामला पत्रकारों और गांव वालों के बीच का है और सरकार को बीच में डाला जा रहा है। कोई घटना हुई उसकी जानकारी की जा रही है और जांच के आधार पर जो भी कार्यवाही होगी उसको हम जरूर करेंगे। किसी को बरशने

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

वाले नहीं हैं। जो भी अपराधी पाया जायेगा, मैं उस सारे विवरण में तो नहीं जाना चाहता हूं तरह-तरह की चर्चायें हमने सुनी हैं। कौनसी चर्चा सही है या गलत है यह तो जांच के बाद ही साबित हो सकता है क्योंकि हम मौके पर नहीं थे। इसलिए हम फैसला नहीं कर सकते। मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि किसी के साथ कुछ हुआ है तो जांच की जा रही है और कायदे से जा कार्यवाही होगी जरूर की जायेगी। मैं इस बात को बार-बार जो दबा-दबा कर कह रहा हूं, उसका उल्लेख इसलिये नहीं करना चाहता कि वह बात शायद अभी परिपक्व न हो, मेरे कहने के बाद भी वह बात बदली भी जा सकती है लेकिन चर्चा इसलिये करता हूं मेरे पास समाचार आया कि भरतपुर के कुछ पत्रकार, जिनके साथ कोई घटना हुई थी, मिलना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं। मैंने कहा, गांव वालों का मामला है, गांव वालों से तय कर लें। मैंने सुना है गांव वाले पत्रकारों से बात करने को तैयार नहीं। यह मैंने सुना है। बात सुनी सुनाई है इसलिये गलत भी हो सकती है जिन्होंने मुझे कहा है एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं इसलिये मैं आशा करके चलता हूं कि आप उन लोगों को समझायेंगे, बुझायेंगे। जैसा मैंने कहा कि हम किसी का असम्मान नहीं करना चाहते हम सबका सम्मान करना चाहते हैं, सबको सहयोग देना चाहते हैं और ऐसा मान कर चलते हैं वह भी शायद रेसीप्रोकेट करेंगे, यह उनके सोचने की बात है। मेरी तरफ से, मेरी सरकार की तरफ से मैं आपको निवेदन कर देना चाहता हूं कि पत्रकार, पत्र दोनों बहुत बड़ा जरिया है लोगों तक पहुंचने का, उनकी बात जानने का इसलिये हम उनको पूरा सम्मान देकर चलना चाहते हैं।

श्रीमान्, इस सिलसिले में एक बात जो कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से ताल्लुक नहीं रखती लेकिन जैसा सिलसिला चल गया है अर्थ टू स्काई सारी बातें कह दी जाती हैं, इस बारे में कह दिया गया। लेखकों का एक सम्मेलन हुआ था कई महीने पहले। वहां पर लगातार इस बात को उछाला जा रहा था कि मैंने लेखको का, हमारी एक लेखिका, काफी श्रद्धेय हैं, बुजुर्ग हैं, साहित्य की बहुत बड़ी सेविका हैं, उन्होंने राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा की है, आजादी के संग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया है, श्रीमान्, यह मैं आज ही नहीं कर रहा हूं, यह बातें मैंने उस मंच से भी कही थीं वह सारी की सारी बातें टेपरिकार्ड हैं और आपकी जानकारी के लिये उन्होंने क्या कहा था मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। उस सिलसिले में जाना नहीं चाहता उन्होंने कहा था राजनीतिज्ञों की इच्छानुसार न लिखने वालों को पागलखाने में रखे जाने का खतरा। अगर विस्तार में आप जायें, कांग्रेस पार्टी के बारे में, कांग्रेस सरकार के बारे में कांग्रेस नेताओं के बारे में क्या विचार व्यक्त किये थे, मैं नहीं कहता, यह अखबार कह रहे हैं। देश को विघटन से बचाओ: मैं नहीं कहता, यह अखबार कहते हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। मैंने ऐसा कहा था वह भी इसमें लिखा हुआ है सारा दोहराना नहीं चाहता। मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं। उन्होने साहित्य की बड़ी सेवा की है, भारत की बड़ी सेवा की है। हमारी बुजुर्ग हैं, हमें मार्ग दर्शन मिलता रहा है केवल दो बातें हैं जिनके बारे में वह कह रहे हैं। मैंने जरूर

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)
कहा था कि आप छायावाद की कवियत्री हैं। जब पढ़ते थे तब समझने का प्रयास करते थे, साधारण की समझ में नहीं आयेगी। कौन सी गलत बात मैंने कह दी। मैंने वास्तविकता बताई।

दूसरा, मैंने निवेदन यह किया था कि जितने भी साहित्यकार है, अधिकांश एक दो प्रतिशत जो पढ़े लिखे भाई हैं केवल उनके लिये लिखते है। अच्छा होगा सर्वसाधारण के लिये लिखें, जन साधारण के लिये लिखें। मेरा सुझाव था उनको पसन्द नहीं है। श्रीमान्, मैं तो साफ कहना चाहता हूं मैं तो उनकी इज्जत करता हूं, उनकी प्रतिष्ठा करता हूं। उनका सम्मान करता हूं, करता रहा हूं। देश को उन्होंने दिशा दी है। उन्होंने कहा था साहित्य समाज का दर्पण है। उस वक्त मैंने भी यह कहा था कि दर्पण स्वच्छ होता है तो समाज की छवि नजर आती है और दर्पण जब गंदा हो जाता है तो समाज की छवि भी बिगड़ जाती है। इस देश की, इस राष्ट्र की छवि को बनाये रखें यही अपील की थी। मेरी भावना थी उनको समझने की कोशिश करें और मेरे कहने से कोई ठेस पहुंची हो मैं उनके साथ था लगातार बाद में, मुझे तो कोई नाराजगी नहीं मिली, केवल अखबारों के जरिये से उनकी नाराजगी मिली है, तो मुझे दुख तो इस बात का है कि उन्हें दुख पहुंचा, कोई हमारी बुजुर्ग को, हमारी प्रतिष्ठित साहित्यकार को, समाज सेवी को। मैं तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता, उनके सम्मान के खिलाफ कुछ कहा जाये। उनके सम्मान के खिलाफ बात करना तो दूर सोच भी नहीं सकता। अखबारों के माध्यम से इस बारे में बात की जा रही है मैं उसको इसलिये निवेदन करना चाहता हूं अगर उनको व्यक्तिगत तौर पर कोई दुख पहुंचा है तो मुझे बड़ा खेद है लेकिन जिन साहित्यकारों ने, जिन लेखकों ने जो मेरे खिलाफ वहां पर कहा था इन्होंने जो व्यवहार किया था इन अखबारों में छपे हैं। श्रीमान्, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस पर नजर डालने की कृपा करें। जिस प्रकार से वातावरण वहां पर बन गया था तो इतना ही कह सकता हूं मैं तो छोटा व्यक्ति हूं अपनी बुद्धि के अनुसार जो बन पाता है करता हूं, जो गलत होता है उसको सुधारने का प्रयास करता हूं और फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं एक बार नहीं, कई बार कई माननीय सदस्य, हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, अच्छे-अच्छे सुझाव देते हैं, मैंने शुरू में कहा हम तो सब से सीखना चाहते हैं किसी गलत राह पर चले जायें तो ठीक राह पर आना चाहते हैं। अगर कोई भी काम हो गया, अशोभनीय है, अवांछनीय है, असामाजिक है, अराष्ट्रीय है उसको न दोहरायें, इस बात के लिये मैं और मेरी पार्टी बराबर कटिबद्ध हैं। इस तरह की कोशिश करते रहते हैं कि इस प्रकार की जहां कोई बात पाई जाये, श्रीमान्, सारा सदन और सारा समाज इस बात को देखेगा कि अगर हम गलती करेंगे तो हम सुधारने का प्रयत्न करेंगे। यह काम चाहे योजनाओं के सिलसिले में हो चाहे और कोई काम हो इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भाई बहन को, किसी पत्रकार को, किसी बुजुर्ग को और किसी व्यक्ति को दुख हुआ है तो इस बात का बहुत दुख है। श्रीमान्, एक बात फिर निवेदन करनी पड़ेगी यहां सुनने के लिये कोई है नहीं, किसको सुनायें। जहां तक मेरी पार्टी के लोगों का संबंध है,

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)
मेरे विचार जानते है सारी योजनायें यहां पर डिस्कस हो चुकी हैं। उन्होंने कई बातें तो ऐसी कह दी जो कहने योग्य नहीं हैं। जो व्यक्ति इस सदन में हाजिर नहीं हो सकता, उनके बारे में नाम लेकर कभी कहना नहीं चाहिये लेकिन न केवल मेरे मंत्रिमण्डल के एक साथी के परिवार के बारे में, कुछ अफसरों के बारे में खास तौर से विरोधी दल के नेता, जो स्वयं मुख्य मंत्री रहे हैं, वे बात कहें तो कितनी अशोभनीय है। कितनी परम्परायें उन्होंने निर्वाह कीं कितने नियमों का पालन उन्होंने किया, इस बात का वे स्वयं विचार करें। उनसे इतना ही कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय इन बातों की चर्चा होना, यह तो अब की बात आई, जिस समय राज्यपाल महोदय पधारे थे राज्यपाल महोदय के सामने जिस समय लोगो ने प्रदर्शन किया था हमसे छिपा हुआ नहीं है। अफसरान साहब सम्मान करते हैं सब का। हम भी सम्मान करते हैं। केवल अफसर के नाते नहीं, उम्र में भी बड़े हो सकते हैं। मैं आशा करके चलता हूं कि अगर अफसरान से कोई ऐसी भूल हो गई है उसको सुधारने के लिये आप भी सदन में है लेकिन जिस प्रकार की चर्चा आफिसरों का नाम लेकर की गई, उन्होंने कहा मेरे 9 रत्न हैं, मुझे इस बात की खुशी है मेरे 9 तो है। वहां तो एक ही था। मैंने सुना है उनका एक पर्सनल सैक्रेटरी था वही सारे काम को चलाया करता था। प्रजातंत्र में इस से बड़ा सबूत, भैरोंसिंह जी, और क्या लेना चाहते हैं। मैं कम से कम 9 की सलाह तो लेता हूं। मैंने सुना है एक की सलाह लिया करते थे और सलाह ही नहीं लिया करते थे उसको पूरा अधिकार था जो मर्जी आये करता था। मैंने सुना है। सुनी सुनाई बात करता हूं इसके सिवा मुझे जानकारी नहीं है।

श्रीमान्, इसके साथ ही मुझे एक निवेदन करना है जिस प्रकार मुख्य सचिव के बारे में कार्यभार संभालने की चर्चा की गई। मैंने जानकारी प्राप्त की। जहां तक वर्तमान मुख्य सचिव का सवाल है, श्रीमान्, उसके बारे में सारी प्रक्रिया आपको मालूम है। थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं, सदन के सदस्य भी जानते हैं आज मुख्य मंत्री की मर्जी के बिना कोई मुख्य सचिव नियुक्त नहीं हो सकता। श्रीमान्, यह केवल प्रक्रिया की बात है। वर्तमान में जो हमारे मुख्य सचिव हैं वे भारत सरकार में गये हुए थे। उन्हें वहां से रिलीव कराना था भारत सरकार से निवेदन किया। भारत सरकार ने प्रार्थना सुन ली और वैसे ही उन्हें रिलीव किया गया उन्होंने कहा मैं तो आपकी सेवा में हूं हुक्म कीजिये। मैं उनके शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं जो उन्होंने कहे थे। मैंने कहा, शुभ काम में देरी क्यों, आज ही आ जाओ। मैं दिल्ली से प्लेन में आया था वे शाम को आये थे। मैं सुबह आया था। उन्होंने इस बात की चर्चा की जिस प्रकार शाम को मुख्य सचिव का भार दिलाया गया। विपक्ष दल के नेता बोले। जिस समय वे मुख्य मंत्री थे मैं तो दिल्ली था, दिल्ली जाकर मुख्य सचिव को लाया था, मेरी मर्जी के हिसाब से, उनके भूतपूर्व मुख्य सचिव जब बने, मैंने सुना कोटा जिले में इन्टीरियर के दौरे पर थे। यहां से हवाई जहाज गया, हवाई जहाज से कार दौड़ी और कार से जीप दौड़ी और मुख्य मंत्री जी से दस्तखत कराकर लाया गया था। भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी को यह

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

पता नहीं था कि कौन मुख्य सचिव बनने वाला है। मैं तो स्वयं मुख्य सचिव को अपने साथ दिल्ली से लेकर आया था। इस तरह से हमारे बारे में यह कहना कि हमारे देश के नेता, या भारत की सरकार हमारे ऊपर नियन्त्रण रख है। श्रीमान्, हम तो पार्टी के हैं, अनुशासन मे रहने वाले सिपाही हैं, इन्दिरा गांधी के सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी के मेम्बर हैं हमको फक्र है भारत सरकार के सारे के सारे इस ढांचे के अन्दर हम सारे राजस्थान को चलाते हैं। राजस्थान हिन्दुस्तान का एक अंग है, हिन्दुस्तान भारत माता है जिसकी एकता की अखण्डता की चर्चा हम करते रहते हैं। हम राज्य के अंग हैं और केन्द्रीय अनुशासन में रह कर हुकुम बजाते हैं तो कोई खेद नहीं है। मैं आशा करके चलता हूं और आशा किस बात की न तो वे यहां हैं, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं जो गलती उन्होंने की, वे कृपया अब न करें। प्रधान मंत्री के कहने से, विदेश मंत्री के कहने से मुख्य सचिव के लिये कोटा में हों, चाहे छबड़ा में हों और चाहे वहां अन्य किसी क्षेत्र में हों दस्तखत कर दिये, बिना जानकारी के। मैं कहता हूं अब उनको मौका नहीं मिलने वाला है न उनकी पार्टी को मिलने वाला है। याद करना चाहिये उनको जब वे मुख्य मंत्री थे तो यह सारा का सारा नया कार्य भार मुख्य सचिव को समाप्त करके सम्भलाया गया था।

श्रीमन्, एक बात और जिक्र करनी पड़ेगी, करना तो नहीं चाहता था लेकिन मजबूरी हो रही है–उन्होंने बार-बार कहा यह सरकार निष्क्रिय है, सरकार अस्तित्व हीन है। अगर राजस्थान सरकार निष्क्रिय है तो रोज-रोज राजस्थान सरकार द्वारा किये जाने वाले कार्य कलापों की चर्चा क्यों माननीय सदस्य कर रहे हैं? अगर हम निष्क्रिय होते तो रोज-रोज सवाल रोज ध्यान आकर्षण प्रस्ताव किसी न किसी कार्य-कलाप के बारे में क्यों कर रहे हैं? जो उनकी नजर में गलती है, हमारी नजर में नहीं है। हो सकता है, हमसे गलती हुई हो लेकिन उसको देखकर सुधार सकते हैं लेकिन आरोप का क्या आधार है? रोज तो चर्चा करते हैं, हमारी सरकार के बारे में फिर कहते हैं निष्क्रिय है, अगर निष्क्रिय है तो काम कैसे चलता है? हम कुछ करते हैं तभी तो कुछ कहने का मौका मिलता है। इसलिये; श्रीमन्, यह बात कहना तो उनकी पुरानी आदत है, एक उनकी पुरानी परम्परा है। मेरा निवेदन है उनको अच्छी परम्परा निभानी चाहिये और पुरानी आदत को छोड़ देना चाहिये। उनको और उनकी पार्टी को अब सरकार बनाने का मौका मिलने वाला नहीं है। मैं निवेदन करूं पिछले चुनाव में संसद में चाहे विधान सभाओं में बड़े अनुपात के हिसाब से आज हम यहां बैठे हैं। हम तो सबक सीख चुके हैं शायद वे सीखे नहीं हैं क्योंकि उनके विचार रूढ़िवादी हैं। हमारे विचार संकीर्ण नहीं हैं चाहे धर्म हो, सम्प्रदाय हो, जाति हो अथवा भाषा हो और वह चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या प्रान्तीय स्तर पर हो, हमारी सरकार इस सब से ऊपर है। हम धर्म, सम्प्रदाय, जाति, भाषा के बारे में खुले विचार रखते हैं और यह आवश्यक है लोग अपने-अपने धर्म को मानें, अपने-अपने सम्प्रदाय को मानें, अपनी-अपनी जाति को मानें लेकिन उस सबके ऊपर हम भारत माता के लाल हैं। हिन्दुस्तान के

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

रहने वाले हैं। चाहे हिन्दू हों चाहे मुसलमान हों और कोई चाहे दक्षिण का हो या उत्तर का रहने वाला हो और राजस्थान में भी कहीं का रहने वाला हो हम सब मिलकर चलते हैं। मैं आशा करके चलता हूं कि इसी संकीर्णता के नाते आपकी पार्टी नहीं चल पाई है।

श्रीमन, यह बात मैंने इसलिये कही न केवल विपक्ष के द्वारा बल्कि कई बार भ्रम में आकर हमारे साथी भी रीजनल इम्बैलेन्स की बातें करते हैं। मैं इसलिये नहीं करना चाहता हूं जहां तक मेरा ताल्लुक है मुझे पूरा अहसास है कांग्रेस दल के सभी सदस्यों, ने जिनमें बहुत से बुजुर्ग भी हैं, तजुर्बेकार भी हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं सबने मिलकर मुझे नेता चुना है और इस विधि से सदन का नेता हूं इसलिये राजस्थान का जो काम चलता है उसमें न किसी जिले की सोच सकते हैं और न किसी क्षेत्र विशेष की। हमको सोचना पड़ेगा सारे राजस्थान के सन्दर्भ में और कहीं कोई खामी हो गई तो उसे दूर करना पड़ेगा जिससे किसी को बुरा न लगे। जो रीजनल इम्बैलेन्सेज हैं उनको दूर करना पड़ेगा। मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं और कई बार कहा क्यों कि बहुत से साथी इधर के भी और उधर के भी मंत्रिमण्डल में रह चुके हैं। कुछ आंकड़े मेरे पास है, मैं उनकी चर्चा करूं लेकिन वे हैं ही नहीं इसलिये मैं कहना चाहता हूं भरतपुर का मैं हूं, लेकिन उसके पहले, भारत माता, भारत माता के पहले हिन्दुस्तान का और हिन्दुस्तान के बाद राजस्थान का और राजस्थान के बाद भरतपुर आता है और फिर उसके बाद निर्वाचन क्षेत्र होता है। मेरा भी निर्वाचन क्षेत्र है। मेरे भी क्षेत्र में विकास का काम है-अपने-अपने क्षेत्र में विकास के काम हैं किन्तु विकास के कामों में किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जो सरकार के साधन हैं, जो योजनाएं हैं सरकार उसमें पूरा प्रयास करेगी कि सभी क्षेत्रों में, सभी स्थानों में विकास के काम होते चले जायें। अब यह हो सकता है कि कहीं पर कम विकास हो पाता है तो कहीं पर अधिक विकास हो जाता है। श्रीमन, मेरे लिये यह शोभनीय नहीं होगा कि भरतपुर का मुकाबला अन्य क्षेत्रों से या अन्य मुख्य मंत्रियों के क्षेत्रों से करूं क्योंकि वह यहां अच्छी नहीं लगेगी इसलिये मैं इस बात को छोड़ देता हूं। वरना आबादी के हिसाब से कहना पड़ता है, क्योंकि मैंने सुना कल भी यहां एक एजीटेटेड मूड हो गया था कि भरतपुर में डिस्पेन्सरी ज्यादा खुल गई हैं। मैं कहना चाहता हूं, एरिया के हिसाब से और आबादी के अनुपात के हिसाब से लोएस्ट है-स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से कम हैं। आप चाहें तो मेरे पास आंकड़े हैं, पढ़कर सुनाना पड़ेगा चाहे बांसवाड़ा हो, उदयपुर हो, कोटा हो, छबड़ा हो भरतपुर स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, बिजली की दृष्टि से, सड़कों की दृष्टि से, पेयजल के आंकड़े भी हैं सभी के आंकड़े हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं···

श्री सुरेन्द्र व्यास: आप आंकड़े पढ़ दीजिये कृपा होगी और आप यह भी बता दीजिये टोंक में कितनी डिस्पेन्सरी खोली हैं। आप कृपा करके मुझे बता दीजिये···

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया: इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं मेहरबानी करके इन बातों

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

को यहां न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। यदि श्री सुरेन्द्र जी व्यास को कोई शिकायत है तो अलग से बता दें उसको दूर करने की भी कोशिश करेंगे · · ·

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : शिकायत तो यह है कि मेरे क्षेत्र में ही नहीं बल्कि 120 विधायक हैं जहां पर न डिस्पेन्सरियां खोली गई हैं और न कोई औषधालय खोले गये हैं–120 इनक्लूडिंग अपोजिशन के हैं जहां डिस्पेन्सरी एक भी नहीं खोली गई।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है कहीं नहीं हैं तो उसको भी देखेंगे। मैं कोई बात छिपाकर नहीं रखना चाहता हूं अभी भी कई जगह बाकी हैं जहां खोलनी हैं–अगले साल भी खोलेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इस लॉस को मेकअप करेंगे क्या अगले साल ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : स्वास्थ्य मंत्री जी कह चुके हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इस डिस्पेरिटी को और वाइडन करेंगे क्या आप ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : सभी क्षेत्रों में करेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभी क्षेत्रों के लिये कह रहा हूं, आप राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, उदाहरण के तौर पर · · ·

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : विषमता की बहुत बड़ी बात है। मुख्य मंत्री पहले वालों ने खोल लिये और हम उस समय भी रह गये। 100 में आप और खोल लीजिये ताकि जो इम्बैलेन्स हो रहा है वह बैलेन्स हो जाये। इम्बैलेन्स को बैलेन्स कर लीजिये किन्तु वास्तविक बात यह है कि जनता पार्टी के रेजिम में 41 कांग्रेस (आई) के एम. एल. ए. जीतकर आये थे, उस समय जनता पार्टी ने तीन साल तक कोई डिस्पेन्सरी नहीं खोली, उन निर्वाचन क्षेत्रों में कोई स्कूल नहीं खुला और जब हमारा राज आया तब भी हम उसी कैटेगरी में गिने जा रहे हैं। स्कूल भी बहुत कम संख्या में हम लोगों को दिये गये, कोई डिस्पेन्सरी हमें नहीं दी गई इसलिये दुख पैदा होता है, इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी जो आपने शुरू के दिन कहा था कि मैं राजस्थान का विकास करने आया हूं तो राजस्थान का विकास करिये, राजस्थान का विनाश मत करिये। विकास से विनाश करने की परम्परा डाली तो राजस्थान का विकास नहीं होगा और अगर राजस्थान में कांग्रेस के लोग जीतकर नहीं आयेंगे तो आप समझते हैं कि मुख्य मंत्री बन जायेंगे या कांग्रेस की सरकार बन जायेगी, यह नहीं बन पायेगी। कोई वैर निर्वाचन क्षेत्र से जीतकर आने से ये कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जब बनेगी तब राजस्थान से सभी लोग कांग्रेस से जीतकर आयेंगे इसलिये कांग्रेस के साथ सौतेला व्यवहार मत कीजिये। यह सौतेला व्यवहार आपके द्वारा किया जा रहा है। वह हम सबके लिये शर्मनाक है, खौफनाक और अशोभनीय है और हमारी जनता के लिये दुख की बात है। इसलिए हम इसको बहुत ही दुख के साथ

(श्री जयकृष्ण शर्मा)
देखते हैं और हम इसकी निन्दा किये बगैर रह नहीं सकते।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय सदस्य बड़ी जिन्दादिली के साथ इस सदन के अन्दर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। मैं उनकी कद्र करता हूं और आशा करता हूं कि इसी तरह से अपनी जिन्दादिली बनाये रखेंगे और अपनी भावनाओं को इसी निश्छलता के साथ पेश करते रहेंगे। उन्होने जो कहा, अभी जो बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं, उनके बारे में भी मैंने पहले ही कह दिया, अपनी सरकार के साथियों से भी कह दिया कि जहां पर अभी तक स्कूल नहीं खुले हैं, वहां पर खुल जायेंगे, अगले साल में भी खोले जायेंगे, उससे आगे भी खोले जायेंगे। लेकिन उदाहरण के तौर पर मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि 76-77 में जितनी डिस्पेन्सरीज खुली थीं, उनमें से भरतपुर में एक भी नहीं खुली है, एक भी। 76-77 के ये सारे आंकड़े हैं, सड़कों के भी हैं, बिजली के भी हैं, स्कूलों के भी हैं, सिचाई के भी हैं। मैं कहना नहीं चाहता, मैं जनता पार्टी को कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह तो बतायें, उससे मालूम पड़ेगा। 76-77 में जितनी राशि रखी, हमारे क्षेत्र में नहीं खर्च हुई, उसके बाद भी खर्च कर दी, सारी सुविधाओं की राशि खर्च कर दी। तीन साल तक हमारे क्षेत्र में खर्च नहीं हुई। हमारी जनता ने अपेक्षा की थी तीन साल तक। पहले हम रोये तीन साल तक। हमारी जनता, हमारे 40 विधायकों, जो कांग्रेस के थे, ने कहा। कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमें वोट देकर कामयाब किया। उन लोगों ने कहा हमारे साथ वही ज्यादती हो रही है जो तीन साल पहले हो रही थी। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि यदि आप राजस्थान का विकास करना चाहते हैं, मान्यवर, आप जो विकास की बात करते हैं, उसको मानवीय दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। हमें यह सुनने की जरूरत नहीं है कि आपके यहां काम हुआ या नहीं हुआ। आप बीस साल से केन्द्र में मंत्री थे, बड़े अच्छे मंत्री थे यदि आपके भरतपुर में काम नहीं हुआ है तो वह हमारा दोष नहीं है, यह आपका दोष हो सकता है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं आशा करके चलता हूं उनकी भावनायें भगवान जल्दी पूरी करेगा कि लगातार मैं इसी तरह मुख्य मंत्री रहूं। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि आंकड़े इस प्रकार के हैं कि कई क्षेत्रों में कहीं न कहीं कभी ज्यादा खुल गये, कभी कम खुल गये। हर महकमे के बारे में इसी तरह उदाहरण दिये जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुख्य मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, इतना है तो नहीं होगा····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुख्य मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, ये कोई चर्चा का, बहस का तरीका नहीं। माननीय सदस्य सुन लें, उसके बाद यदि आप कुछ स्पष्टीकरण करना चाहें ····

श्री रामसिंह विश्नोई : ये सदन के नेता हैं, इस बात से हम इज्जत करते हैं, मगर, अध्यक्ष महोदय, हमने ये निवेदन किया था··

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आज इस सदन में विपक्ष बैठा हुआ नहीं है, सभी सत्तारूढ़ दल के आदमी बैठे हुए हैं, तो संयम से बात समाप्त की जानी चाहिये थी।

श्री रामसिंह विश्नोई : आज जो कुछ भी हुआ वह इसलिए हुआ कि पार्टी मीटिंग बुलाते नहीं, हम अगर पार्टी में अपनी बात कहना चाहते हैं तो हमें मौका मिलता नहीं। फिर मजबूर होकर माननीय सदस्यों को कुछ कहना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रकरण यहीं समाप्त किया जाये।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा····

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक पार्टी मीटिंग का सवाल है, यहां उसको उठाने के रूल्स नहीं हैं, 6 तारीख को पार्टी की मीटिंग बुलायी है। इनके भाषण के बाद में बात कर लीजिये। यहां व्यवधान मत डालें।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, हम व्यवधान नहीं डाल रहे हैं, हमारा व्यवधान डालने का कोई इरादा नहीं है। हम कौन-सा व्यवधान डाल रहे हैं। विधान सभा में हम बोल नहीं सकते। हमारी बात नहीं कह सकते। उसको यहां प्रकट नहीं करें, बाद में औषधालय खुलें, स्कूल खुलें और हम यहां बैठे रहें, हम सुनें आपकी बात। उसके बाद हम पार्टी की मीटिंग करें बैठे-बैठे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जैसा कि कार्य-सूची में आपको सूचित किया गया था, मुख्य मंत्री जी का भाषण होने दें उसके बाद में यदि कोई सदस्य स्पष्टीकरण करना चाहें तो मुख्य मंत्री जी स्पष्टीकरण भी करेंगे। धीरज रखें। आप जानते हैं कि इस प्रकार भाषण का प्रवाह टूट जाता है, मुख्य मंत्री जी को भाषण देने दीजिए। आप स्वयं भाषण देते हैं, बार-बार यदि कोई बीच में विघ्न या बाधा खड़ी हो जाये तो भाषण दिया नहीं जाता।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, अब तो भाषण का प्रवाह टूट ही गया, हम चाहते हैं कि प्रवाह जब तक स्पीड पकड़े उससे पूर्व हम स्पष्टीकरण कर लें तो गवर्नमेन्ट को, लीडर आफ दी पार्टी को उत्तर देना सुविधाजनक होगा। पार्टी के सदस्य चाहते हैं कि उनकी भावनाओं का उचित खयाल करें, यह बात सत्य है, अध्यक्ष महोदय, 1977 के आम चुनाव के वक्त जोधपुर डिवीजन से कांग्रेस के 36 एम.एल.ए. जीत कर आये। इस सदन के प्रांगण पर मुख्य मंत्री जी, जो आज सदन के नेता हैं, को बताना चाहता हूं, मैं उस वक्त अपोजिशन का लीडर था, इस आरोप को मैंने एक दफा नहीं लगाया, तीन साल तक बराबर आरोप लगाता रहा कि जनता सरकार जोधपुर डिवीजन के साथ सौतेला व्यवहार नहीं कर रही है लेकिन यह डिस्क्रिमिनेशन कर रही हैं, आउट रेजिअस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, कोई स्कूल, कोई डिस्पेन्सरी नहीं, कोई विकास नहीं। मगर आज भी महसूस करते हैं कि कांग्रेस के शासन में यही होगा तो हमारी मनःस्थिति का अन्दाज लगा सकते हैं। यह हुआ है। चाहे अपोजिशन के एक एम. एल. ए. की कान्स्टीट्यूएन्सी के अन्दर आठ प्राइमरी स्कूल खुले हैं, हायर सैकेण्डरी स्कूल दो खुले हैं, डिस्पेन्सरी खुली हैं तो हमे महसूस होता है कि

(श्री परसराम मदेरणा)

हमारे यहां क्यों नहीं हो रहा है, यह क्या कारण है, किस प्रकार की व्यवस्था हो रही है। मुख्य मन्त्री जी को पता है या नहीं है, मैं यह चाहूंगा कि कान्स्टीट्यूएन्सीवाइज जितने भी स्कूल खुले हैं कान्स्टीट्यूएन्सीवाइज जितने भी दूसरे काम हुए हैं, जितनी भी डिस्पेन्सरीज खुली हैं चाहे वह एलोपैथी की हों, चाहे वह आयुर्वेद की हों और चाहे होम्योपैथी की हों आपको पता भी नहीं होगा कि ऐसा हुआ क्यों है, शायद आपके ध्यान में नहीं होगा, आपको देखना तो चाहिए कि क्या हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट ऑफ आर्डर की जरूरत नहीं, अपनी पार्टी वाले बैठे हैं।

श्री हरिदेव जोशी (बांसवाड़ा) : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि मेरा यही पाइन्ट आफ आर्डर है। मुख्य मन्त्री जी ने जिस निर्विघ्नता से अपने भाषण को शुरू किया है उसको उसी निर्विघ्नता से वे करें। माननीय सदस्यों को जो कुछ भी कहना है, उसको व्यक्तिगत रूप से मुख्य मन्त्री जी से कहने के लिए समय ले लें, बातचीत कर लें। बाकी ये जो अवसर है, यह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुए वाद-विवाद का उत्तर देने का है, जो कुछ कहा गया है, वह सिर्फ इसलिए कहा गया है कि पालिसीज, प्रोग्राम और आगे का कार्यक्रम सामने रख कर लोगों का सहयोग लेना है। मैं समझता हूं कि हम सब एक विषम परिस्थिति में से गुजर रहे हैं, हम सब मिल कर के सबका सहयोग अकाल का मुकाबला करने के लिए अगर जुटा सकेंगे तो राजस्थान आगे बढ़ सकेगा।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, एक बात निवेदन कर दूं, इस पाइन्ट ऑफ आर्डर पर व्यवस्था दीजिए। क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं?

श्री सुखलाल सेंगवा (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपनी विचारधारा आपके सामने रखी। मैं तीन बार से सदस्य रहता आया हूं। जनता पार्टी के राज में भी कांग्रेस के विधायकों ने भारी कठिनाई का सामना किया था और आज मुझे कहते हुए भारी अफसोस है, मुख्य मन्त्री जी आपने सारे अधिकार प्रभाकर जी को दे दिये हैं। सारा काम जनता पार्टी की तरह हो रहा है, जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। सारा एन्टी-कोआपरेशन रूल चल रहा है, एन्टी-बैंचेज रूल चल रहा है इसका बड़ा भारी दुख है। इसको मुख्य मन्त्री जी को कन्ट्रोल करना चाहिए।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, जैसा मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं इस प्रकरण में जाना नहीं चाहता। मैंने पहले ही सदन को विश्वास दिलाया कहीं पर अगर कोई कमी रही है तो उसको पूरा करने का प्रयास भी करेंगे। अभी तो कई महकमों के काम बाकी हैं, जो कार्यान्वित होने वाले हैं, वे कर लेते हैं तो उसको करके इस बात का प्रयास किया जायेगा कि पूरी तरह से सन्तुलन हो सके। चूंकि सभी विरोधी दल के सदस्य चले गए हैं इसलिए आंकड़ों को पेश करने की बात नहीं करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : एक विरोधी दल बैठा हुआ है। प्रगतिशील दल मौजूद है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : वरना मैं इस बात को साबित कर सकता था····

(व्यवधान)

आप कैसे विरोधी हैं मुझे मालूम है और सभी को मालूम है, इसलिए रहने दीजिये।

मैं आपको कहना चाहता हूं कि जहां तक सरकार का ताल्लुक है, न केवल हमारी पार्टी का बल्कि जितनी भी और पार्टियां हैं उनका भी ख्याल रख कर चलना पड़ता है। सारे राजस्थान का विकास हमको करना है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर भी कमी रही हो, उसको देख लिया जायगा और उनको पूरा करने का प्रयास किया जायगा।

श्रीमान्, इस सदन के अन्दर अकाल के बारे में काफी जोरों से चर्चा की गई। मैं नहीं समझता कि उसी विस्तार से उन सारी बातों को दोहराऊं, क्योंकि सम्बन्धित मंत्री जी ने अभी मेरे से पूर्व ही अकाल पर पूरी चर्चा कर ली है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर अकाल रेगूलर पड़ते रहे हैं और हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाले वर्षों के अन्दर न केवल इस अकाल का स्थायी हल किया जाये बल्कि इस प्रकार के काम किये जावें जो कि जनहित में आगे तक काम में आ सकें। मुझे नहीं मालूम लेकिन माननीय सदस्य परसरामजी और जो दूसरे सदस्य इस सदन के सदस्य रहे हैं, जहां पर कि ज्यादा अकाल पड़ते हैं, वहां पर इस बात की जानकारी प्राप्त की और सभी की मंशा एक ही नजर आई कि इसका स्थायी हल होना चाहिये। ऐसे काम किये जाने चाहिये जो परमानेन्ट नेचर के हों। इस बात को ध्यान में रख कर इस प्रकार के फैसले किये गए कि जो रेश्यो पहले 30–70 का रहता था, लेबर ज्यादा होती थी और मैटीरियल कम्पोनेंट कम हुआ करता था उसको बदल कर, उस रेश्यो को बढ़ा कर मैटीरियल कम्पोनेंट को बढ़ाया है। इसी प्रकार से इस बात की भी कोशिश की है कि जो भाई पहले रोजगार से पीड़ित रहते थे, अकाल राहत कार्यों का पेमेंट नहीं मिलता था, इस बात का फैसला किया गया है कि 15 दिन की आधी मजदूरी पहले दे दिया करें जिससे वे अपना गुजारा कर सकें और बाद में महीने भर का हिसाब हो तब उसको अकाउण्ट फार कर लिया जावे। इसी प्रकार से हमने इस बात का भी फैसला किया है कि जहां-जहां पर, जिन-जिन क्षेत्रों के अन्दर और जिलों के अन्दर जो भाई पीड़ित हैं और जो भी काम करना चाहते हैं उन सब को काम दिया जाये। अभी तक यह बात सही है कि जितनी मात्रा के अन्दर अकाल राहत कार्य होने चाहिए थे और जितने मजदूर लगने चाहिए थे शायद नहीं लगे। इसलिए अकाल राहत मंत्री जी ने जैसा कहा कि इस बात की कोशिश होगी कि अगले महीने में हम और बढ़ायेंगे, और बढते रहेंगे उसके अगले महीने में और बढ़ायेंगे और उसके बाद जैसे-जैसे संख्या बढ़ती चली जाएगी, उन लोगों को काम देने की कोशिश करते चले जायेंगे।

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर माननीय सदस्य हैं अपने पुराने अनुभव के आधार पर और अपने क्षेत्र के बारे में सुझाव देंगे तो हमको इस बात की आसानी रहेगी कि किस प्रकार के काम होने चाहिए। कई बार ऐसे काम होते हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं, उनके बारे में चर्चा हुई है, और जगहों पर भी काफी चर्चा हुई है। हमने इस बात का फैसला कर लिया कि जो अधूरे काम रह गए हैं पहले उनको पूरा करें। पहले जो खर्चा किया हुआ है, जहां पर मैटीरियल पड़ा हुआ है, जहां पर काम अधूरे पड़े हुए हैं उनका उपयोग किया जाये वरना वह मेटीरियल और काम समाप्त हो जायेंगे। इसलिए उन कामों को पूरा कराने का हमने फैसला कर लिया है और हमने आदेश भी दे दिये हैं। मुझे आशा है कि अगर इसमें कहीं कमी रहे तो माननीय सदस्य मेहरबानी करके इस बात को सरकार के ध्यान में लायें तो इसको देख लिया जायेगा और उसका सुधार कर लेंगे।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके बोलने से पहले मैंने एक सुझाव दिया था, सवाई माधोपुर के अकाल के बाबत मंत्री महोदय ने जवाब नहीं दिया है, इसलिए मुख्य मंत्री महोदय जवाब दे दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर, माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमान्, मैं एक बात निवेदन करता हूं कि जहां तक अकाल का ताल्लुक है राजस्थान के अन्दर पहला मौका है जब कि पिछले सालों के मुकाबले में पहले गिरदावरी की गई, पहले सालों के मुकाबले में पहले टैस्ट वर्क शुरू किये गये, पिछले सालों के मुकाबले में अकाल राहत कार्य सुन्दर तरीके से यहां पर शुरू किये गये हैं और मुझे यह कहते हुए फक्र होता है कि हमारे देश की प्रधान मंत्री और नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस बात को ठीक तरह से महसूस किया और सबसे पहले राजस्थान में पिछले महीने के अन्दर हमारे राजस्थान के उन हिस्सों में जो दूर हैं, कठिन हैं, वहां पर स्वयं पधारीं और उन्हें इस बात का अहसास हुआ कि राजस्थान के अकाल राहत कार्यों के लिए ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। इसी का नतीजा है कि राजस्थान को जितनी सहायता मिलती रही है उससे अधिक मात्रा में सहायता मिली है और इस बात का भी विश्वास प्रधान मंत्री ने दिलाया है कि सम्बन्धित मंत्रियों से बात-चीत करने के बाद भी अगर कमी रहे तो वे स्वयं उसको पूरा करेंगी। इसीलिये मैं जल्दी से जल्दी दिल्ली जा रहा हूं और जहां से भी जो सहायता मिल सकती है उसका प्रयत्न करूंगा।

श्रीमान्, इसी प्रकार से यहां पर बिजली के बारे में काफी चर्चा की गई। यह बात सही है कि बिजली की कुछ कठिनाई है। मैं स्वयं इस बात को महसूस करता हूं कि इस समय के अन्दर, खास तौर से आने वाले पन्द्रह बीस दिनों में किसानों के लिए बहुत कठिनाई है। अगर पानी समय पर नहीं मिला तो फसल सूख सकती है। डीजल और बिजली की आवश्यकता को कौन इंसान महसूस नहीं करता। लेकिन कठिनाई यह है कि कुछ तो प्रकृति के प्रकोप से और कुछ

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

मानव निर्मित जिसको कह सकते हैं, जिसकी वजह से बिजली का उत्पादन जितना होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। चाहे वह हमारी पन बिजली की योजनायें हों, चाहे पुरानी परिपाटी से चलने वाले संयंत्र हों चाहे हमारे ताप बिजली घर हों और चाहे अणु बिजली घर हों। कहीं न कहीं, कोई न कोई टेक्निकल खराबी आ सकती है या पानी की कमी पड़ जाती है या कोयले को ढोने में कठिनाई आ जाती है जिसकी वजह से बिजली का उत्पादन बढ़ नहीं पा रहा है। मैं इस समय विस्तार से सारा विवरण नहीं देना चाहता हूं, माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैंने यह फैसला किया कि एक पूर्ण विवरण विस्तार के साथ माननीय सदस्यों को भिजवा दिया जावे और सारे फैक्ट्स आपको उपलब्ध करा देंगे जिससे आप स्वयं यह महसूस करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा बिजली 'किसानों' को दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रख रहे हैं कि हमारे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी भाई हैं उनको भी समय पर बिजली मिल सके। जो छोटे मोटे उद्योग धन्धे चलते हैं उनको भी बिजली मिल सके। छोटे उद्योगों को, बड़े उद्योगों की बात मैं नहीं करता हूं, छोटे उद्योगों को बिजली दे रहे हैं। इसी प्रकार से जल प्रदाय योजनाओं को पानी के लिए बिजली देनी पड़ती है। इसी तरह से स्ट्रीट लाइट्स के लिए शहरों के अन्दर बिजली देते हैं। जहां तक सम्भव हो सकता है बिजली देने की कोशिश कर रहे हैं।

श्रीमान्, मैं आपके सामने बड़े उत्साह के साथ और उमंग के साथ हाउस के अन्दर कुछ बिजली की बढ़ोतरी की चर्चा करना चाहता था ताकि राजस्थान के किसानों के साथ साथ सारे राजस्थान को राहत मिल सके। लेकिन कठिनाई इस बात की है कि आप हम यहां पर कोई घोषणा कर दें और कल फिर संयंत्र में खराबी हो जाये और हम उसको पूरा नहीं कर सकें तो इससे भी दुविधा में पड़ जाते हैं इसलिए बजाय इसके लिए हम ऐसी कोई घोषणा करें··

(व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : 15 दिन उद्योगों को बिजली बिलकुल बन्द कर दें और 15 दिन किसानों को बिजली दे दें।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : हमारे यहां ऊनालू में ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती है। 15 दिन का सवाल नहीं है। ऊनालू में बाजरा बोया जाता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, यदि आप पूरक प्रश्न पूछना चाहते हों, स्पष्टीकरण करना चाहते हों तो बाद में कर लें। ऑर्डर प्लीज···

श्री विष्णुप्रकाश बजारी (ब्यावर) : अनाज ही नहीं होगा तो खायेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : कृपया भाषण होने दें। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने दो दिन पहले बिजली बोर्ड के अध्यक्ष जी और सैक्रेट्रीज को भी मध्य प्रदेश भेजा था जिससे वहां पर बात करके हमारे हिस्से की जितनी बिजली है वह पर्याप्त मात्रा में हमको मिल सके। हमको पानी भी मिल सके। बहुत आशाप्रद समाचार वहां से मिले हैं क्योंकि वहां से सचिव महोदय लौट कर आ गए हैं। अभी बिजली बोर्ड के अध्यक्ष लौट कर नहीं आए हैं। वार्ता चल रही है और मुझे आशा है कि मध्य प्रदेश अपने कमिटमेंट को पूरा कर देगा और मेरी इस बात के लिए पूरी कोशिश है, इस सदन की बैठक के तत्काल बाद में दिल्ली जा रहा हूं। ऊर्जा मंत्रीजी से, और आवश्यकता हुई तो प्रधान मंत्रीजी से भी निवेदन करके जहां जहां से बिजली मिल सकती है लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जैसा कि समाचार मिला है कि तीन चार तारीख को शायद कोटा के दूसरे अणु केन्द्र में बिजली का उत्पादन चालू हो जाएगा लेकिन इसके साथ ही जैसी सूचना है पहला अणु बिजली घर 8 तारीख से बन्द हो जायेगा। कुल मिला कर बिजली का उत्पादन उतना ही रहने वाला है। इसलिए हम आज घोषणा तो कर दें ...

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़) : प्रश्न यह है कि जो बिजली आज उपलब्ध है उसमें से आप प्राथमिकता किस को देते हैं ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : प्राथमिकता कृषि को देते हैं।

श्री अध्यक्ष : इस पर विवाद नहीं होगा। अगर माननीय सदस्य कुछ सुझाव देना चाहें तो बाद में मुख्य मंत्रीजी को दे सकते हैं।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : सुझाव का प्रश्न नहीं है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : माननीय सदस्य स्वयं इंचार्ज रहे हैं बिजली के महकमे के और उन्होंने बिजली का बहुत वितरण किया है, उनको सब मालूम है कि किस तरह से वितरण होता है। मैं सरकार की तरफ से इतना ही कह सकता हूं कि पहली प्राथमिकता खेती ही है। सरकार पहले प्राथमिकता किसानों को देती है। उसी के आधार पर आपको मालूम है कि हमको पहले जो बिजली उपलब्ध हो रही थी उसको किसानों के लिए बढ़ाया है, समय को हमने बढ़ाया था और कई जगहों पर समाचार मिले हैं कि लाइन की खराबी के कारण बिजली वहां पहुंच नहीं रही है तो उसको भी दिखवाया है और जो कठिनाई है उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इतना ही निवेदन है कि एडीशनल बिजली जो प्राप्त होगी उसमें से हम निश्चित रूप से कृषि को ही देंगे। उद्योग जो ऐसे हैं, जिनको जारी रखने के लिए समय निर्धारित किया है ...

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : जो बिजली आज आपके पास है उसको क्या...

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अब सवाल जवाब का समय तो है नहीं माथुर साहब।

श्री अध्यक्ष : इस सदन के प्रांगण के अलावा भी आपके पास पर्याप्त अवसर हैं। आप पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी के चेयरमैन हैं।

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं माननीय सदस्यों की भावना की कद्र करता हूं और जैसा मैंने निवेदन किया कि हम कोशिश कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से वार्ता पूरी हो जावे, कल रात को मैं सोच रहा था कि कुछ बढ़ोत्तरी कर दें लेकिन जिस प्रकार के समाचार मिले हैं, विस्तृत विवरण प्राप्त करना बाकी है। मैं नहीं चाहता कि आज घोषणा तो कर दूं और काम पूरा नहीं हो पाए उससे जनता का विश्वास उठ जावेगा इसलिए विस्तृत विवरण प्राप्त होने के बाद ही कुछ कह पाऊंगा। मैं माननीय सदस्यों को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा प्रयत्न इस बात का होगा कि यहां जितनी बिजली उपलब्ध है और आगे जितनी बिजली पैदा होगी वह सब खेती के लिये देने का प्रयास करेंगे। मैं ऐसा समझता हूं कि किसानों के लिये 15–20 दिन बहुत मुश्किल के हैं। इसमें अगर हम बिजली देंगे तो हमारी भी वाहवाही होगी, राज्य की आमदनी भी बढ़ेगी और किसानों को भी बचा सकते हैं।

श्री शिवचरण माथुर : आगे जो आपको बिजली मिलेगी उसमें से किसानों को मिलेगी। हम यह कहना चाहते हैं कि आज जो बिजली उपलब्ध है उसमें से किसानों को कितनी देंगे ?

श्री अध्यक्ष : मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया माननीय सदस्य यदि कोई स्पष्टीकरण चाहेंगे तो भाषण समाप्त करने के बाद मैं माननीय सदस्यों को अवसर दूंगा।

श्री जयकृष्ण शर्मा : भाषण जिनके लिये दिया जा रहा है, वह तो हैं नहीं। जिन्होंने एलीगेशन लगाया वे हैं नहीं। हमें तो केवल अपनी समस्या, अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्या विरोधियों के वाक आउट करने से मुख्य मंत्री को कहने के लिये मौका मिल गया। अपोजिशन वाले तो निकल गये अब उनके लिये क्या कहना है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अगर अनाज पैदा नहीं होगा तो खायेगा किसको ?

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : अनाज पकने का समय है। किसानों को अगर बिजली मिल जायेगी तो अनाज पक जायेगा। वरना एक अकाल तो है ही, बिजली का अकाल और पड़ जायेगा।

एक माननीय सदस्य : जिस प्रकार किसान मरण शैया पर पड़ा हुआ है····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। मैंने कहा स्पष्टीकरण करने के लिये मैं आपको अवसर दूंगा। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : विश्वास रखिये, सब ठीक होगा।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, मैं पहले ही कह चुका हूं . . .

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : किसानों के लिये घोषणा कर दें, नहीं तो दूसरा अकाल पुनः आमंत्रित कर रहे हो, या हमें कह दो एरिये में जायें नहीं।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामसिंह विश्नोई : हम अपने एरिया में जायेंगे कैसे ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, सरकार इस बात की कोशिश कर रही है और यथासम्भव कोशिश करेगी जितनी ज्यादा हो सके किसानों को बिजली उपलब्ध करायें। किसानों की भलाई के लिये ही नहीं सारे देश की भलाई इसी में है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को बिजली उपलब्ध करा सकें। इसलिये मैंने निवेदन किया।

श्रीमन्, एक बात योजना के बारे में यहां विरोध पक्ष द्वारा कही गई थी। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमारे बुजुर्ग नेता जो केन्द्र में मंत्री रहे हैं, उन्होंने यहां तक कह डाला कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में योजना का जिक्र तक नहीं है . . . .

एक माननीय सदस्य : मुख्य मंत्री जी का भाषण दिया हुआ मान लिया जाये।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : अध्यक्ष महोदय, मेरे को एक बात कहनी है। विरोधी दल के नेता महोदय एक आरोप लगा गये थे बोर्ड डेमरेज के . .

एक माननीय सदस्य : हमने तो भाषण मान लिया। किसानों के लिये कोई बात कह सकते हो तो कह दो। नहीं तो भाषण मान लिया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये।

श्री रामनारायण डूंडी (विलाड़ा) : भगवान की कृपा से राजस्थान में दो बरसात हो गयी। इस बदौलत राजस्थान का किसान जिन्दा है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जाइये।

श्री रामनारायण डूंडी : अब ज्यादा आपके पास कोई तरकीब बचाने के लिए नहीं रही है। हम चाहते हैं कि एक महीने भर 10 घंटे 12 घंटे बिजली दे दी तो राजस्थान का किसान बच सकता है, अनाज पैदा हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : बार-बार उस बात को दोहराने से लाभ नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि पूरी कोशिश करेंगे। जो बिजली उपलब्ध है उसमें से किसानों को देने का प्रयास करेंगे। 15-20 दिन मुश्किल के हैं। हम जानते हैं। जितनी बिजली उपलब्ध है उसमें से ज्यादा से ज्यादा किसानों को दे सकें इसकी कोशिश करेंगे।

श्रीमन्, योजना के बारे में अभी चूंकि विरोधी दल के सदस्य नहीं हैं, मैं इतनी ही चर्चा करना चाहता हूं कि अगर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को विरोधी दल के सदस्यों ने पढ़ लिया होता तो कहने की

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

आवश्यकता नहीं होती। मुझे तो ऐसा लगता है कि बिना पढ़े हुए, देखे हुये यहां आ जाते हैं वह जैसा मन बनाकर यहां आते हैं इसको पब्लिक मीटिंग समझते हैं। इसलिये आपसे निवेदन करता हूं आशा करके चलता हूं कि आगे से इस बात का निर्देश कम से कम उनको दें कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण और जो सरकार की तरफ से वक्तव्य दिया जाये उसको पढ़ कर आयें तो फिर आपको भी कठिनाई नहीं होगी और सदन का समय भी बर्बाद नहीं होगा। हमने इसमें जिक्र किया है, पहले जितने भी योजना है सारी बातों का जिक्र किया है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली उन्होंने जो योजना बनायी थी उससे 50 करोड़ रुपये अधिक की योजना हमारी है। यह लगभग ज्यादा है जहां तक मैं जानता हूं। छठी पंचवर्षीय योजना का इसलिये जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि वह सदन की मेज पर रखी जायगी। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं खासकर के ग्रामीण क्षेत्र में, खेतीबाड़ी में इन सब में वृद्धि हुई है। खास करके बिजली और सिचाई के मामले में हमें कठिनाई महसूस हो रही है, बिजली और पानी की पूर्ति हो जायेगी। वह कठिनाई नहीं आयेगी।

श्रीमन्, जिले निर्माण की चर्चा की गई। न तो सरकार ने कोई मीटिंग की और न कोई कमेटी बनायी है। उन्होंने कहा कि मीटिंग रखी बतायी जिसमें चर्चा की थी। उन्होंने यह कहा कि फैसला हुआ था। यह बिलकुल झूठ है। इस बात को मैं पहले ही सदन के अन्दर निवेदन कर चुका हूं और मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार आवश्यक समझेगी तो इस बात को ध्यान में रखकर चलेगी कि यहां जिले बनाने चाहिये। विरोधी पक्ष का यह कहना कि जिले बनाने का फैसला हुआ था, आधारहीन है कोई फैसला नहीं हुआ। कोई मंत्रिमंडल में चर्चा नहीं की।

श्रीमन्, औद्योगिक विकास के बारे में भी यहां काफी चर्चा की गई। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार के मुकाबले में इस सरकार ने कई उद्योगों के भारत सरकार से प्राप्त लाइसेंसों में बढ़ोतरी करायी है। यह बात सही है कि बिजली की कमी है, जितनी उपलब्ध करा सकते थे वह नहीं करा पाये लेकिन इस बात का ध्यान रखकर चलना पड़ेगा कि खेतीवाड़ी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। पहली प्राथमिकता खेतीबाड़ी की है। उसके बाद उद्योगों की बात सोची जायेगी। इसलिये इस बात की कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा बिजली उपलब्ध हो। सारी समस्याएं हैं, बिजली की पानी की। इसमें मैं समझता हूं इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात भी उन्होंने कही। मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं, माननीय सदस्य सदन में नहीं हैं। अगर अभिभाषण को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सारी बात की जानकारी मिल जायेगी सारी बातों की चर्चा की है, बिजली की पानी की, सिचाई की।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका और सदन का आभारी हूं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चार दिन की बहस में कई बातों की चर्चा की, राजस्थान के विकास

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)
की चर्चा की और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार इस बात का पूरा प्रयत्न करेगी कि माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं और जो आगे आयेंगे उन पर विचार करेंगे।

श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) : पाइन्ट ऑफ आर्डर··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने पहले निवेदन किया था सदस्यों को स्पष्टीकरण का मैं बाद में अवसर दूंगा, मेरा कहना आपने किसी ने माना नहीं···

श्री श्रीराम गोटेवाला : जिन्होंने माना है।

श्री मोहनलाल मोदी : हमने तो माना है।

श्री सूरजपालसिंह : राजस्थान में किसानों को जिन्दा रखना चाहते हो तो बिजली दे दो।

श्री अध्यक्ष : श्री मोदी।

व्यवस्था का प्रश्न

प्रशासकीय कार्य के लिए पर्याप्त समय

श्री बुलाकी दास कल्ला : पाइन्ट आफ आर्डर। Rule 23.

"23. Allotment of time for private members' business. The last two and a half hours of a sitting on each alternate Friday shall be allotted for the transaction of private members business: Provided that the Speaker may allot different such Fridays for the disposal of different classes of such business and on such Fridays so allotted for any particular class of business, business of that class shall have precedence.

मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करने जा रहा था, 3 बज चुके हैं और पांच बजे सदन का समय समाप्त हो जायेगा, ढाई घंटे का समय लगेगा, नहीं, उसके बाद विधायी कार्य होने वाला है अतः या तो सदन का समय बढ़ाने का आश्वासन दिया जाय या प्राइवेट मैम्बर्स के लिए कोई एक समय दिया जाय। यही आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर विचार करूंगा। पहले जो आज के कार्य हैं उनको विधिवत् निपटाने दें, फिर इस पर व्यवस्था करूंगा।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा जानकारी करना चाहता हूं मुख्य मंत्री महोदय से कि राजस्थान में टैक्सटाइल मिलों को बिजली किस आधार पर दी गई ? दूसरा मैंने अपने भाषण में निवेदन किया था कि नीम का थाना में अकाल राहत कार्य में 70 आदमी लगाये हुए हैं उसके बारे में कोई उत्तर नहीं दिया। रिग्स मशीनों के बारे में भी नीम का थाना में रिग्स मशीनें भेजने की व्यवस्था की जाये इसका उत्तर नहीं दिया, इनका उत्तर दिलाने की व्यवस्था करावें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, किन्हीं माननीय सदस्य ने अपने भाषण में क्या-क्या मुद्दे उठाये थे। धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस चलती है चार दिन, भाषण होता है एक घन्टे

(श्री अध्यक्ष)

में। तो सार रूप में जो माननीय सदस्य बातें कहते हैं उनका उत्तर दिया जाता है लेकिन माननीय सदस्य यह कहें, गिनाना शुरू कर दें कि मैंने एक, दो, तीन चार, पांच बातें कहीं उन सब का उत्तर आवे, यह संभव नहीं है। लेकिन मुख्य मुद्दा कोई हो, तो उसके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके 70 ही आदमी लगे हुए हैं या 80 लगे हुए हैं इसका फैसला अभी गवर्नर के भाषण के उत्तर में नहीं हो सकता।

श्री मोहनलाल मोदी : ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, मैं अकेला ही सदस्य हूं इसलिए पूछ रहा हूं इसलिए मेरे प्रश्नों का जवाब दिला दीजिए।

श्री बृज सुन्दर शर्मा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय मैं एक बहुत महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण चाहूंगा मुख्य मंत्री महोदय से, उन्होंने बम्बई में भाषण दिया था उसमें पलाना का नाम भी लिया गया था। पूछना चाहूंगा कि क्या पलाना में थर्मल पावर स्टेशन की छठी योजना में की मंजूरी हो चुकी है और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई कारण क्या है ?

श्री चेतराम मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल राहत कार्यों में सवाई माधोपुर जिले में तकावी हो रही थी उस समय जितनी भी ज्वार की फसल थी उसकी रेवेन्यू अधिकारियों ने चरी दर्ज किया था। हमने इस बारे में जिलाधीश महोदय को कहा तो उन्होंने आश्वासन भी दिया कि जांच करायेंगे, हमने मुख्य मंत्री महोदय को भी प्रार्थना की, जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि चरी जो दर्ज की गई है यह हमारे ऊपर कुठाराघात है वहां पर खराबा नहीं दिखाया गया है जबकि खराबा अन्न की पैदावार पर दिखाया जाता है जो चरी दर्ज करके दिखाया गया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री पधारे थे जिला मुख्यालय पर उनसे भी निवेदन किया, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि जांच दुबारा कराई जायेगी। लेकिन नहीं हुई। मैं मुख्य मंत्री जी से, राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि जो चरी दर्ज की गई है वह वास्तव में खराबा है उसको पुनः कंसीडर कर सवाई माधोपुर जिले को अकालग्रस्त घोषित किया जावे।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के भाषण में हमने 20 सूत्री प्रोग्राम का मेंशन किया है। मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि 20 सूत्री प्रोग्राम को इम्पलीमेंट करने के लिए राज्य सरकार क्या स्टेप ले रही है ? इसके बारे में स्पष्टीकरण दें।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : अध्यक्ष महोदय, ब्यावर में सीमेंट फैक्ट्री लगने वाली थी, उसका क्या हुआ किस स्टेज पर है ?

श्री देवदत्त तिवाडी : हमारे बाड़मेर जिला क्षेत्र में अकाल की भीषणता बहुत ज्यादा है। जब बरसात हुई थी तो 65 हजार मजदूरों को छोड़ा गया था उसके पश्चात् न तो कोई अनाज पैदा हुआ और न कोई परिस्थितियों में और कोई बदलाव आया, फिर जो टेस्ट वर्क खोले गये उनमें क्या देखा जा रहा था कि मजदूर काम पर आते हैं और अगर काम पर लगाये गये तो वे 65 हजार तो कम से कम काम पर लगाये जाने

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

चाहिए ही थे, उससे ज्यादा क्यों नहीं लगाये गये ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको अवसर दिया जायेगा।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मैंने एक विशेष प्रश्न रखा था कि आदिवासियों को जो ज्यादा राहत दी जाती है, अनुदान दिया जाता है और पुराना जो कर्जा दिया जाता है उसकी दुगुनी दुगुनी वसूली करने के बाद भी उनके ऊपर ज्यों का त्यों कर्जा रहता है इसलिए मैंने सुझाव रखा था कि उनको ब्याज माफ किया जावे। क्या मुख्य मंत्री जी इस विचार को रखेंगे ? मैंने दूसरा प्रश्न रखा था····

श्री अध्यक्ष : एक ही प्रश्न।

श्री भैरूंलाल मीणा : एक ही प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, नेशनल हाई वे में जो जमीन दोनों साइडों में 200-200 फीट ली जा रही है उसको क्या कम करायेंगे जिससे आदिवासी बच जायेंगे ?

श्री सी. एल. कंवरिया (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अकाल राहत कार्य, जिनकी स्वीकृति के लिए हमने जिला एजेंसी की मार्फत आपको लिस्ट बना कर भेजी कब तक शुरू किये जावेंगे ? अब तक मेरे यहां, जहां तक मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी का सवाल है, सिर्फ 3-4 कार्य मंजूर हुए हैं और वहां भी अभी तक कार्य चालू नहीं हुए। ये अकाल राहत के कार्य कब तक चालू हो जायेंगे और कब लोगों को राहत मिलेगी ? मैं दिल्ली रैली के संबंध में अपने क्षेत्र में गया था वहां कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां विकट अकाल की स्थिति है। मैं जानना चाहूंगा कि हमारी सरकारी एजेंसी जो कार्य करने वाली है वह कार्य कब तक शुरू करेगी और कब लोगों को राहत पहुंचाई जावेगी ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को एक अहम् बात का निवेदन किया था जिसका स्पष्टीकरण नहीं दिया। जनता पार्टी के राज में बने हुए संविधान और कानूनों को बलाये ताक रख कर एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के बनी हुई नियमावलियों को दूर हटा कर, रद्दी की टोकरी में डाल कर विशेष प्रकार के विशेष धारा के लोगों को हमारी सर्विसेज के अन्दर ठूंस कर विकृत कर दिया हमारी सर्विसेज को, उनके बारे में मौजूदा सरकार क्या करने जा रही है ? इस बात का मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में हवाला नहीं दिया। मेरा निवेदन यह है कि जिन सर्विसेज के द्वारा हम अपनी नीतियों को क्रियान्वित करना चाहते हैं उनका स्वस्थ रहना, साफ रहना बहुत जरूरी है इसलिये क्या मुख्य मंत्री जी इन सारी गंदगियों को, जो डाल दी गई है, दूर करने की कोशिश करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय

(श्री अध्यक्ष)

सदस्य, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है वह राज्य सरकार की नीतियां अगले वर्ष में क्या होंगी और पिछले वर्ष की उपलब्धियों का लेखा जोखा होता है और उसी दृष्टि से उस पर वाद-विवाद होता है और मुख्य मंत्रीजी उनका जवाब देते हैं, अब प्रत्येक महकमे में कौन सी कठिनाई है, क्या नहीं है. कहां अकाल राहत कार्य खोले गये कितनी कमी रह गई कौन सी जगह गिरदावरी हुई है, मुख्य मंत्रीजी इसका क्या जवाब दे सकते हैं ? लेकिन यह मुख्यमंत्रीजी के ऊपर है, प्रश्न जो आये हैं, मुख्य मंत्रीजी ने सुने हैं उनमें से ·· आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

अजी, मैं अध्यक्ष हूं, मेरा आदेश है, मैं उनको जवाब देने को कह सकता हूं, रोक भी सकता हूं, आपको भी रोक सकता हूं। इस सदन के टाइम को छोटे-छोटे प्रश्न काल में कर सकता हूं ? मुख्य मंत्री जी।

(व्यवधान)

अब मैं आगे किसी भी माननीय सदस्य को इजाजत नही दूंगा। आर्डर प्लीज। नो। कृपया बैठ जाये। माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्व की बात है। बहुत से सवाल ऐसे हो सकते हैं जो यहां उठाये जायें उनका उत्तर बाद में भी आवे तो फर्क नहीं पड़ता लेकिन बिजली की समस्या ऐसी समस्या है जो कि आज अगर सरकार निर्णय लेती है··

श्री अध्यक्ष : बिजली की समस्या का इतना आसान हल होता तो रोज बिजली के··

(व्यवधान)

इसलिये आपने कह दिया उससे हल हो जायेगा·

(व्यवधान)

स्थान ग्रहण करें, आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : मुझे अपनी बात कहने का हक है। सब से बड़ा सवाल बिजली का है। हम जानते हैं कि बिजली की उपलब्धि कम है परन्तु, अध्यक्ष महोदय, जो बिजली उपलब्ध है उसका उपयोग हम किस प्रकार से करना चाहते हैं, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान में जितनी बिजली उपलब्ध है, 105 लाख यूनिट प्रतिदिन हमको उपलब्ध हो रही है और 15 लाख बिजली राणा प्रताप सागर से मिलना प्रारंभ हो जाएगी। आज 95 लाख यूनिट हमारे पास में उपलब्ध है। अब यह जो बिजली उपलब्ध है उसको प्राथमिकता के आधार पर 10–15 घंटे किसानों को बिजली देते हैं तो उसका लाभ मिलता है। इसकी यहां पर घोषणा नहीं होती है, प्रतिदिन प्रति घंटा कितनी बिजली किसानों को दी जाएगी, यह घोषणा होनी चाहिए वरना खेती में नुकसान होगा। आज यह सवाल मुख्य है। आज इसका कोई निर्णय नहीं होता है तो कल जो फसल खेतों में है उसको नुकसान होगा। आज सरकार को इसका फैसला करना होगा। मैं कोई उद्योगों के खिलाफ नहीं हूं, उनको बिजली दी जाये परन्तु प्रश्न यह उठता है कि फसलें खेत में खड़ी हैं, उद्योगों को काट कर किसानों को बिजली दी जाती है. 60 लाख यूनिट ही किसान को बिजली देते हैं तो किसान की फसल बच जाती है। इसके अलावा उपलब्धि

(श्री शिवचरण माथुर)
कम है तो दूसरे सैक्टर में कटौती करें परन्तु बिजली देने में सबसे पहले प्राथमिकता किसान को दी जाए, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज !

श्री नानूराम कुमावत (ग्रासीन्द) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। मुख्य मंत्री ने ग्रपना वक्तव्य दिया है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही है, किस प्रकार की ग्रड़चन है, वह हमें बताइये। मैं ग्राज ग्रापके माध्यम से राज्यपाल महोदय के ग्रभिभाषण के उपलक्ष में माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं। ग्रादरणीय मुख्य मंत्री जी ग्राप पढ़ रहे हैं परन्तु हमारी बात को सुनिये। पहले मुझे, ग्रध्यक्ष महोदय··

श्री अध्यक्ष : लम्बा भाषण नहीं माननीय सदस्य।

श्री नानूराम कुमावत : दो मिनट··

श्री अध्यक्ष : मैंने इसीलिए ग्रवसर दिया है कि ग्राप बहुत कम बोलते हैं।

श्री नानूराम कुमावत : पहली चीज तो मुझे यह निवेदन करना है बिजली के सम्बन्ध में, हमारे मुख्य मंत्री ने भाषण में बताया है कि किसानों को हम छः घण्टे बिजली देंगे। बिलकुल ठीक है। हम उसको मानते हैं ग्रौर समर्थन करते हैं लेकिन, ग्रध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का ग्रवसर नहीं दिया गया। उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे भीलवाड़ा जिले के ग्रासीन्द क्षेत्र के किसानों को केवल पांच घंटे बिजली दी जाती है ग्रौर भीलवाड़ा प्रॉपर में जहां पर मिले हैं, उद्योग हैं वहां 18 घंटे बिजली दी जा रही है···

श्री ग्रध्यक्ष: भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री नानूराम कुमावत : नहीं होगा। यह शर्मनाक बात है। दूसरी चीज यह निवेदन करना चाहता हूं··

श्री ग्रध्यक्ष : कृपया बैठ जाइये।

श्री सूरजपाल सिंह : यह किसानों की ग्रहम समस्या है। इसको किसी तरह से हल करना चाहिए। यदि घोषणा नहीं करेंगे तो राजस्थान के सामने, सरकार के सामने एक भयंकर चुनौती खड़ी हो जाएगी। एक ग्रकाल तो है ही ग्रौर दूसरा ग्रकाल ग्रौर पड़ जायेगा। चाहे 15 दिन तक इन्डस्ट्रीज की बिजली काटनी पड़े, काटें ग्रौर किसानों को बिजली दें।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवधान हो रहा है। कृपया स्थान ग्रहण करें। मतदान हो रहा है।

प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय के ग्रभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव में जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, उसको स्वीकार किया जाए ?

(ग्रस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गया।

(व्यवधान)

मैंने गलत नहीं पढ़ा ग्रापने गलत हां कर दी।

प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय के ग्रभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव

(श्री अध्यक्ष)
प्रस्तुत किया गया है, उसको स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1981

विधायी कार्य।

पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक।

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्रीमती कमला : मैं, राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करती हूं।

विधेयक पर विचार

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1981

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1981

संशोधन/परिनियत संकल्प,

श्रीमती उजला अरोड़ा।

(अनुपस्थित)

श्री रघुवीरसिंह कौशल।

(अनुपस्थित)

श्री दाऊदयाल जोशी।

(अनुपस्थित)

श्री नाथूसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री गुलाब चन्द कटारिया।

(अनुपस्थित)

श्री नंदलाल मीणा।

(अनुपस्थित)

परिनियत संकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया।

मंत्री महोदय, संशोधन विचारार्थ लेने हेतु प्रस्ताव करेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1981" को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव।

श्रीमती उजला अरोड़ा।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

श्री बुलाकीदास कल्ला।

(अनुपस्थित)

श्री कैलाश मेघवाल।

(अनुपस्थित)

श्री हरीश शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री गुलाबचन्द कटारिया।

(अनुपस्थित)

श्री हीरालाल आर्य।

(अनुपस्थित)

श्री दाऊदयाल जोशी।

(अनुपस्थित)

श्री हंसराज शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर

(अनुपस्थित)

श्री अनंग कुमार जैन।

(अनुपस्थित)

श्री रघुवीरसिंह कौशल।

(अनुपस्थित)

श्री नन्दलाल मीणा।

(अनुपस्थित)

श्री नाथूसिंह

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशोर मीणा।

(अनुपस्थित)

प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं इसके बाद में आप इसको पारित करवाना चाहते हैं। इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर अन्य किसी स्टेज पर मंत्री महोदय यह तो बतायें कि यह अमेन्डमेंट आप क्यों ला रहे हैं। कोई नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं है कि अवैधानिक कार्यवाही कर ली जाए। पार्लियामेन्ट, लोक सभा ने इसको पास किया है, यह कन्वेन्शन है आज जिन्होंने मोशन मूव किया वे सदस्य नहीं हैं तो अन्य सदस्य तो हैं। क्या सदन की कार्यवाही को नियमानुसार पूरा नहीं करेंगे? यह तो बतावें सदन को कि यह अमेन्डमेन्ट क्यों लाना पड़ रहा है?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं समझ रहा था कि जो यह विधेयक है वह परिचालित कर दिया गया था तो इसके बारे में माननीय सदस्यों को जानकारी होगी। बहुत छोटा सा विधेयक है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 24 में ए.पी.पी. की पोस्टिंग का अधिकार दिया हुआ था। इसमें भारत सरकार ने एक अमेन्डमेंट किया था उसको अडाप्ट हमने किया था, उसमें यह था कि जो ए.पी.पी. के प्रमोशन किये जाते हैं, आगे चलकर जिला व सत्र न्यायालयों मे जो पी.पी. लिये जायें वे सीधे अपाइंट न होकर के ए पी.पी में से ही लिये जायें। इसमें यह प्रावधान किया हुआ है। राज्य सरकार यह

(श्री हीरालाल देवपुरा)

चाहती है और इसलिये चाहती है कि यह प्रोसीजर हमने नया नया लिया है ए.पी.पी. नयेनये बने हैं इसलिये अगर उन्हीं में से हायर कोर्ट्स के लिये ले लिये जायें तो ठीक तरह से काम नहीं हो पायेगा। सीनियर एडवोकेट्स को भी लिया जा सके इसलिये यह अमेंडमेंट किया गया है shall की जगह may करने का। कुछ सीनियर एडवोकेट को भी अपाइंट किया जा सके इसलिये इसमें shall की जगह may शब्द को सब्स्टीट्यूट किया जाना है।

श्री परसराम मदेरणा : shall की जगह may करना चाहते हैं, प्रभारी मंत्री जी तो भारत सरकार ने जो कानून बनाया है उससे आप डेवीयेट हो रहे हैं। आप इसके कनसोनेंट में नहीं हैं। भारत सरकार shall करना उचित समझती है और आप may करना चाहते हैं ताकि कुछ लोगों को प्रमोशन नहीं करके डायरेक्ट रिक्रूट कर सकें। इसका मतलब यही है भारत सरकार ने सोच समझ कर कानून नहीं बनाया है। हम थोड़ा बहुत उससे डेवीयेट हो जायें इसका क्या कारण है?

श्री हीरालाल देवपुरा : एक प्रश्न पूछा है उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ, कि राजस्थान में ए.पी.पी. के अपाइंटमेंट का यह प्रोसीजर कुछ वर्षों से लिया गया है कि ए.पी.पी. के डायरेक्ट अपाइंटमेंट किये हैं। पहले क्या होता था कि ए.पी.पी. पुलिस वाले होते थे। इनका कैडर सब-इंसपेक्टर के बराबर होता था, पर्टीकुलर पोस्ट का होता था वही अब ए.पी.पी. का कैडर बनाया गया है। कैडर बनने के बाद दूसरी स्टेट्स में यह पहले से होता था इसलिए वे लोग वहां पर काफी सीनियर हो गये हैं, उनको एक्सपीरीयेंस हो गया है। दूसरी बात यह है कि जो इस तरह के कैडर से लोग आयेंगे उन्हें क्रिमिनल केसेज का तो अनुभव होगा लेकिन सिविल का नहीं होगा। हमें हायर कोर्टस में वकीलों की भी जरूरत पड़ती है। इसलिये राज्य सरकार ने सोचा कि उनमें से भी लें और सीनियर एडवोकेट्स में से भी लें ताकि सिविल और क्रिमिनल दोनों का लाभ मिले। इससे सिविल में हमको फायदा होगा। सरकार को इसमें अधिकार दिया हुआ है, भारत सरकार ने जिस कानून को बनाया था हमने जिसको अडाप्ट किया था, उसमें यह अधिकार दिया है कि हम इसमें संशोधन ला सकें।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रस्ताव रखें, मंत्री जी, पारित करने का।

विधेयक का पारण

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1981 को पारित किया जाये।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उसे सुनकर मैं संतुष्ट नहीं हूं। उन्होंने एक बात तो कही कि एक्सपीरीयेन्स्ड लोग नहीं हैं वह तो ठीक है, लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि सिविल केसेज का अनुभव नहीं है। इन ए.पी.पी. को और केवल क्रिमिनल का ही अनुभव है। हमको आवश्यकता पड़ेगी सिविल लॉ जानने वालों की। सरकार के खिलाफ जो केसेज चलते हैं जिनको सरकार को लड़ना होता है उसमें एक प्रतिशत ही सिविल के होते हैं तो जैसे सरकार आज

(श्री परसराम मदेरणा)

भी जो प्राइवेट वकील होते हैं उनको अपाइन्ट करती है वैसे ही कर सकती है इसलिए यह कहना कि उनको सिविल का अनुभव नहीं होता है बिलकुल गलत है। ये पोस्ट क्रियेट हुई है। एक्सपेरीयेन्स का जहां तक सवाल है मैं उसको महसूस करता हूं वह तो ठीक है कि हमने केडर अभी बनाया है और अनुभवी लोग हमारे पास नहीं हैं डिस्ट्रिक्ट और एडीशनल सेशन जज कोर्ट्स में वे क्रिमिनल केसेज की पैरवी करें यह बात तो आपकी ठीक है लेकिन हायर कोर्ट्स में सिविल की दलील दे रहे हैं मैं समझता हूं कि वह बेकार दलील है। मैं समझता हूं कि वह काफी विकलांग है।

श्री हीरालाल देवपुरा : विकलांग नहीं है। एक तो एक्सपीरीयेन्स की बात कही दूसरी तरफ सात साल भी नहीं हुए हैं जो पी.पी. के प्रमोशन के लिए चाहिए इसलिए प्रमोशन भी नहीं हो पा रहे हैं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा 2 को पारित किया जाये।

एक माननीय सदस्य : धारा 2 नहीं।

श्री हीरालाल देवपुरा : वह पूरा पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1981 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1981 पारित किया गया।

शासकीय घोषणा

खेतीबाड़ी के लिये किसानों को 7 घंटे विद्युत एवं आवश्यकतानुसार डीजल का प्रदाय

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मंत्री) : श्रीमान्, मुझे खुशी है कि अभी अभी एक सुखद समाचार मिला है कि जो हमारी भारत सरकार से बात चल रही थी उसके तहत हमको अब कुछ और बिजली उपलब्ध होगी और इसलिये हमने तय किया है, माननीय सदस्य चाहें तो मैं विस्तृत विवरण दे सकता हूं कि एक तो आपका भ्रम निकल जाये कि जो आंकड़े आप पेश कर हैं वे सही हैं आज बिजली की उपलब्धि केवल 92 लाख की है उसमें से कितनी किसानों को मिलती है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने इसलिये तय किया है कि चाहे हमें बिजली में कटौती करनी पड़े बिजली नहीं आयेगी तो भी खेतीबाड़ी के लिये 3 मार्च से किसानों को 6 के बजाय 7 घंटे बिजली दी जायेगी और इसी तरह से यह भी तय किया गया है कि खेतीबाड़ी के काम में आने वाले डीजल की मात्रा पर जो सीमा थी उसको हटाकर यह किया जा रहा है कि खेतीबाड़ी के लिये जितना डीजल चाहिये वह उनको दिया जाये। श्रीमान्, मैं यह आशा करके चलता हूं और किसानों से अपील करूंगा और आप से अपील करूंगा कि वे अपनी समस्याओं के बारे में बताते रहें। मैं आपके माध्यम से अधिकारियों से कह रहा हूं कि इसका पालन बड़ी कड़ाई से किया जाये अगर इसमें कोई कोताई बरतेंगे तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जायेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम घोषणा करते जायें और किसानों को सुविधायें नहीं मिलें। मैं माननीय सदस्यों से भी

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

निवेदन करूंगा कि अगर उनके क्षेत्र में ऐसा कोई मामला आता है तो वे मुझे बताने की कृपा करेंगे। यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री नानूराम कुमावत : मुख्य मंत्री जी फिर कंजूसी कर गये। मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जब 68 लाख में से 6 घंटे थी और जिस रोज 15 दिसम्बर को 87 लाख थी जो हमें चेयरमैन ने बताया था उसमें 14 घंटे की घोषणा की थी, भारद्वाज भी साथ थे और हम गये थे हमने पर्चे भी निकाले थे। इसके बाद जो 6 घंटे की बात आयी थी हम 20 जनवरी को मिले तो उन्होंने यह कहा कि हमारे पास 65 लाख यूनिट ही है इसलिये हमने 5 घंटे दी है और फिर एक तारीख को 6 घंटे की घोषणा की तो अब जो 92 लाख मिल रही है तो एक घंटे बिजली देने में 7 लाख यूनिट खर्च होती है तो तीन घंटे तो और बढ़ा ही सकते हैं। 6 और 3-9 घंटे और दे सकते हैं। आसानी से पूर्व की स्थिति लाई जावे।

(3.27 म.प.)

(श्री तकीउद्दीन, सभापति, पदासीन)

श्री परसराम मदेरणा : मेरा प्रश्न यह है, सभापति महोदय, 92 लाख बिजली गवर्नमेंट के पास है और 7 घंटे बिजली देना चाहते हैं हमारे सामने डिफिकल्टी वोल्टेज की आती है। हाईटेंशन लाइन की लैन्थ ज्यादा है इसमें सबसे ज्यादा लॉस होता है जोधपुर टेल एण्ड पर आया हुआ है। इसलिये यह जो 7 घंटे दे रहे हैं यह वोल्टेज के हिसाब से 4 घंटे भी नहीं मिल रही है। मैं, सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 7 घण्टे की घोषणा मुख्य मंत्रीजी ने की है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि 92 लाख में से कितनी लाख बिजली किसानों को दी जायेगी। 92 लाख अवेलेबल है, डिमाण्ड कुछ भी हो किस क्षेत्र को कितने लाख यूनिट किसानों को दी जायेगी?

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्राइवेट उद्योग हैं जिन्होंने अपने अपने जनरेटर लगा रखे हैं अगर वे उनका पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं तो डीजल देने में उनको प्राथमिकता दी जाये। उनसे कहा जाये कि वह अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करें और उनको जो बिजली दी जा रही है उसमें कटौती की जाये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने बड़ी कृपा की और घोषणा की कि 7 घण्टे बिजली दी जायेगी तीन तारीख से। आप थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए यह घोषणा और कर दें कि यह तीन तारीख के बजाय कल से मिलने लग जायेगी और मार्च के महीने में और मिलने लग जायेगी, किसानों को मार्च में ही बिजली चाहिये फिर चाहे आप मत देना। अगर आप यह कर सकें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अप्रेल से चाहे चार घण्टे चालू कर दीजिये लेकिन अभी बिजली दिला दीजिये।

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि 20 तारीख को मध्य प्रदेश में 241 मेगावाट का उत्पादन जनरेट हो रहा था उसकी

(श्री छोगाराम बकोलिया)
जगह 196 मेगावाट 21-2-81 से किया गया है·...

(व्यवधान)

ऐसी स्थिति में जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया है कि वार्ता चल रही है, यदि मुख्य मंत्रीजी मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी से बात करके यह अवेलेबिलिटी 40 लाख यूनिट स्पेयर करके किसानों को राहत दिला सकें तो मुख्य मंत्रीजी इसका प्रयास करें। इसके साथ ही सतपुड़ा से हमको कुछ शेयर नहीं मिल रहा है। 8 लाख दस लाख यूनिट उनको कम्पेल करके ले लिया जाये तो दो महीनों में आठ घण्टे कर सकते हैं।

श्री शिवचरण माथुर : मेरा प्रश्न है कि 90 लाख में से 60 लाख और 65 लाख दे देते हैं तो काफी घाटा चला जाता है। उसके बाद कट कर देंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जायगा लेकिन अगर 15 दिन बिजली नहीं मिली तो देश का बड़ा भारी नुकसान होगा।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, अभी जो अर्ज किया कि 92 लाख में से 65 लाख के करीब बिजली इस तरह से खेती-बाड़ी के काम में ली जायगी।

(व्यवधान)

अब सुनिये मेरी बात को, बहुत हो गया।

अभी जो बिजली के बारे में कहा जा रहा है उससे कई लोगों में गलतफहमी है। कई उद्योगों ने अपने स्वयं के प्लान्ट लगा रखे हैं, उनको हम बिजली नहीं दे रहे हैं, उनके लिए सुझाव आया कि उनको अगर डीजल फ्री कर दें तो बिजली ज्यादा बनने लगेगी उसको काम में लिया जा सकेगा और बचत हो सकती है। इस बात का हम प्रयास करेंगे। इस प्रकार की इण्डस्ट्रीज को हम बहुत कम मात्रा में बिजली दे रहे हैं। आज के दिन डोमेस्टिक में साढ़े सात लाख, नॉन डोमेस्टिक में 5 लाख, स्माल इण्डस्ट्रीज में 8 लाख, मीडियम इण्डस्ट्रीज में साढ़े पांच लाख, वर्क्स सप्लाइज में डेढ़ लाख, स्ट्रीट लाइट में डेढ़ लाख, किसमें कितना सम्भव है वह हम कर रहे हैं। हाइटेन्शन लाइनों में जितना सम्भव है, भारत सरकार द्वारा जो अनुबन्धित इण्डस्ट्रीज हैं, बिजली के कारखाने हैं, इंस्ट्रूमेन्टेशन है, जिंक स्मेल्टर हैं, रेलवे इन्जीनियरिंग है, सीमेन्ट इन्डस्ट्रीज हैं, उनके लिये भारत सरकार के निर्देश हैं, हालांकि उन पर भी काफी कट लगा हुआ है। उनको भी आधे के लगभग दे रहे हैं। भारत सरकार के निर्देशों के मुताबिक असेन्शियल सर्विसेज जो हैं उनको हम दे रहे हैं और किसी इण्डस्ट्रीज को इस प्रकार से कटौती कर सकते हैं, कहीं-कहीं पूरी कटौती भी कर चुके हैं। यहां तक की कई इण्डस्ट्रीज को बन्द किया गया है जिससे खेतीबाड़ी के काम में दे सकें। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं और भी कहीं गुंजाइश होगी, यहां तक की स्ट्रीट लाइट को एक एक करके बन्द कराया है, इसी प्रकार देखेंगे कहीं गुंजाइश निकलेगी, निश्चित रूप से प्रयत्न करके खेतीबाड़ी के काम में देने का प्रयास करेंगे। इसलिए 55 लाख की गलतफहमी हो जाती है वह अलग बात है। 7 घंटे में 65 लाख देनी पड़ेगी, लेकिन मैं तो इससे भी संतुष्ट नहीं हूं और भी ज्यादा हम दे सकें तो देने का प्रत्यन करेंगे।

अशासकीय संकल्प

समस्त राजस्थान में 31 मार्च, 1981 से मद्यनिषेध समाप्ति

श्री सभापति : गैर सरकारी सदस्य कार्य, विचारार्थ लिए जाने वाले संकल्प। श्री रामनारायण डूंडी, सदस्य, विधान सभा संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री रामनारायण डूंडी (विलाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं "सदन की यह सम्मति है कि दिनांक 31 मार्च, 1981 से समस्त राज्य में नशाबंदी समाप्त करदी जाय"।

श्री सभापति : संशोधन प्रस्तुत कर्ता।

श्री रामनारायण डूंडी : सभापति महोदय; 1 अप्रेल; 1980 को इस प्रदेश के अन्दर नशाबन्दी लागू की गई। इस थोड़े से समय में यह कहां से आवश्यकता पैदा हो गई कि इस नशाबन्दी को समाप्त कर दिया जाये और इस पर पुर्नविचार करके राज्य में शराब की खुली बिक्री की जाये।

सभापति महोदय, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इस प्रकार कहना जिसने कभी शराब को छुआ तक नहीं, आज राजस्थान के अन्दर इसको खुला कर दिये जाने का प्रस्ताव एक बहुत ही अजीब बात है। जब देश आजाद हुआ, हमारे देश के संविधान के अन्दर धारा 47 में यह प्रावधान किया गया कि शराबबन्दी की जाये। मगर 1953 में इसके लिए एक समिति का गठन किया गया और उसके अनुसार इस कमेटी ने यह तय किया कि अलग अलग राज्य, चाहें तो शराबबन्दी लागू कर सकते हैं और चाहें तो नहीं भी करें।

इसके उपरान्त तमिलनाडु और गुजरात में पूर्ण रूप से शराबबन्दी लागू हुई और धीरे-धीरे दूसरे राज्यों में भी शराबबन्दी लागू करने की चेष्टा की गई। हमारे राजस्थान में भी धीरे-धीरे यह शराबबन्दी हुई।

सभापति महोदय, जिस प्रकार अप्रेल से लेकर 10, 11 माह में धीरे-धीरे जिन जिले के अन्दर पहले शराबबन्दी हुई, वहां जिस प्रकार से लोग अपने घरों में भट्टियां बनाकर कच्ची शराब बनाने लगे उससे इस प्रदेश के जन मानस पर उल्टा प्रभाव पड़ा। हाल यह हुआ कि जहां इससे पूर्व शराब की दुकानों पर बिक्री होती थी, कई लोग अपने कारोबार से वंचित हो गये लेकिन, सभापति महोदय, घरों और ढाणियों के अन्दर इसके अवैध धन्धे शुरू हो गये। इसमें रखा गया, जो लोग इसके आदी थे अपने लाइसेन्स बना लिये और वे पीते रहे। पता नहीं किस किस को लाइसेन्स दे दिये गये और शराबबन्दी देखने में नहीं आई। चाहे कोई भी विभाग हो सभी जगह लोग मिलते हैं, वे इसमें कामयाब नहीं हुए। और दूसरी जगह शराबबन्दी लागू की गई लेकिन पूरे राजस्थान में घर-घर और ढाणी-ढाणी में जैसे चाय चलती है, शराब का माहौल हो गया। सभापति महोदय, इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान का यह सदन इसको समाप्त करे। इससे पूर्व भी जिस वक्त राज्य सरकार ने इसको लागू किया था, तब प्रावधान रखा गया कि इसकी घाटापूर्ति या क्षतिपूर्ति, जितनी भी रेवेन्यू होगी, केन्द्र पूरा करेगा। इस बात का आश्वासन भी था मगर जब राजस्थान में शराबबंदी लागू की गई उस वक्त केन्द्र में कांग्रेस शासन हो चुका था और हमारे शासन में हमारी नीति जो एक सेपरेट नीति थी,

(श्री राम नारायण डूंडी)

हम नहीं चाहते थे, हमारे वित्त मंत्री वेंकटरमण ने एक वक्तव्य दिया कि वह क्षतिपूर्ति, जो घाटा है, राज्य सरकार खुद ही वहन करे। उसके उपरांत राजस्थान को कितना घाटा हुआ, कितना घाटा हो रहा है इस बात की हमें चिंता नहीं है। मगर इस बात की चिंता है, सभापति महोदय कि जिस हिसाब से यह जो नशाबंदी लागू होनी थी वह हुई नहीं और इसके अन्दर अनैतिकता पनपी, गांवों में कुरीतियां पैदा हुईं, लोगों ने अपनी भट्टियां चालू कर दीं। इससे बेहतर है कि इसको पूरा समाप्त किया जाये। इससे पूर्व मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर, एक अक्टूबर 1975 को भारत सरकार ने निर्णय लिया था 12 पाइंट प्रोग्राम का, गांधी जयंती के अवसर पर निर्णय इसलिए लिया गया भुवनेश्वर में 12 पाइन्ट प्रोग्राम में नशाबंदी 1976-77 तक देश में पूर्णतः लागू करनी थी। इन बातों को देखते हुए, हमें होटलों, छात्रावासों, क्लबों और जहां विश्वविद्यालय, फैक्ट्रीज और जहां भी सार्वजनिक आफिसेज वगैरह हैं वहां ये दुकानें नहीं खोली जाये, इसके साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि आइन्दा इन पर रोक लगा दी जाएगी और जो हमारी नीति है उसको कम किया जाये।

सभापति महोदय, इस 12 पाइंट प्रोग्राम में नशाबन्दी को समाप्त करके पुनर्विचार करें। जो 1 अक्टूबर, 1975 को 12 पाइन्ट प्रोग्राम गांधी जयन्ती पर तय किया गया था उसको लागू किया जाय और लागू करने के उपरांत यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां प्रोहिबिशन है, वहां पर सख्ती से लागू किया जाये। यह नहीं कि वहां लोग पीते रहें छात्रावासों में, होस्टलों में, क्लबों में, रेस्टोरेन्ट्स में। इस प्रकार जो शराब पीकर लोग सड़कों पर घूमते हैं, हल्ला करते हैं और झगड़े करते हैं उनको स्ट्रिक्टली रोका जाये, यही मेरा निवेदन है और इसी के साथ-साथ इस प्रस्ताव को पास कर दिया जाये।

श्री सभापति : इस प्रस्ताव पर संशोधन निम्न सदस्य करेंगे।

श्री दीपेन्द्र सिंह।

श्री बुलाकी दास कल्ला

श्री माधव सिंह दीवान।

श्री सूरज पाल सिंह।

श्री राम सिंह विश्नोई।

प्रत्येक सदस्य इस पर 5–5 मिनट बोलेंगे।

श्री माधव सिंह दीवान : 5–5 मिनट क्या होता है ?

श्री सभापति : श्री दीपेन्द्र सिंह। श्री बुलाकी दास कल्ला !

श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) : सभापति महोदय, अभी हमारे साथी विधायक ने जो प्रस्ताव रखा है, इस संकल्प की "दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त 31 मार्च 1981" के स्थान पर "1 मार्च 1981" प्रतिस्थापित करने हेतु मैं संशोधन हेतु प्रस्तुत करता हूं। उसका आधार यह है कि शराब बंदी भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्री मोरारजी ने एक सरकारी मिशन बनाकर लागू की थी, लेकिन शराबबंदी के पीछे जो उनका उद्देश्य था वह उद्देश्य हकीकत में इसलिये पूरा नहीं हुआ कि पूरे देश में शराबबंदी केवल कानून

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

बन कर रह गई लेकिन हकीकत में शराबबंदी लागू नहीं हुई इससे एक ओर जहां राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ, दूसरी ओर जहरीली शराब, अवैध शराब के धंधे जरायम पेशा लोगों ने घर-घर में, गांव-गांव में, शहर-शहर में और डगर-डगर में खोल दिये। मैं यह कहना उपयुक्त समझता हूं कि स्वयं जनता पार्टी के नेता लोग विदेशों में जाकर शराब पिया करते थे और किसी शायर ने ठीक ही कहा था–

"एक मयखाना था, एक रतनमखाना था, रिंद और शेख में बड़ा फर्क था, क्या मोअम्मा था दोनों में बनती नहीं, एक इधर जायेगा एक उधर जायेगा।"

ये लोग शराब पीकर स्वयं लड़ते थे और शराबबंदी लागू करना चाहते थे। हमारे राजस्थान के बारे में कहना चाहता हूं राजस्थान सरकार को कि यदि शराबबंदी नहीं हटाई गई तो निश्चित रूप से राजस्थान को आने वाली छठी योजना में लगभग 120 करोड़ रुपये का घाटा होगा जिससे हमारे विकास की योजनायें जहां हतोत्साहित होंगी, दूसरी ओर हमारे राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की आय राज्य की राष्ट्रीय आय, प्रान्तीय आय कम होती हुई चली जायेगी। दूसरी ओर इस शराबबन्दी का पालन करवाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था पर हम जो रुपया खर्च करते हैं, वह भी हमारा एक प्रकार से बचत के रूप में राज्य सरकार के पास रहेगा।

दरअसल प्रश्न यह उठता है कि शराबबंदी को लागू करने वाले लोग स्वयं शराब का सेवन करने से चूकते नहीं हैं, इसलिए शराबबन्दी की पालना नहीं हो पा रही है। इस कारण से मैं चाहता हूं कि जो हमारे साथी ने संकल्प प्रस्तुत किया है, उसमें यदि एक महीना देरी हो जायेगी तो राज्य सरकार को एक महीने में लगभग 3-4 करोड़ रुपये का नुकसान हो जायेगा और दूसरी ओर जो सेल्स टैक्स की हानि हो रही है, यह भी राज्य सरकार के लिए एक वित्तीय भार के रूप में रहेगी। वैसे मैं शराब पीने के पक्ष में नहीं हूं लेकिन इसके लिए मास एजूकेशन की आवश्यकता है। लोगों को बताया जाये कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे लीवर खराब हो जाता है, न्यूरोसिज की बीमारी हो जाती है और यह सामाजिक अपराध करने के लिए जो मनुष्य शराब पीता है, विवेक को खो देता है। मास एजूकेशन के द्वारा शराबबन्दी के बारे में समझाना चाहिये न कि कानून बनाकर। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए या अपने किसी भी रोग को मिटाने के लिए शराब पीता है तो उसको हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। यह एक व्यक्ति की स्वतन्त्रता है कि वह शराब पीये या न पीये। एक ओर तो हम किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर कुठाराघात करते हैं दूसरी ओर हम राज्य सरकार के वित्तीय घाटे को बर्दाश्त करते हैं, यह कहां तक उपयुक्त होगा? इसलिये मैं इस सदन से आग्रह करता हूं कि इस संकल्प को शीघ्रातिशीघ्र पारित कर 1 मार्च, 1981 से राजस्थान से शराबबन्दी कानून को हटा लिया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री माधवसिंह दीवान।

श्री माधवसिंह दीवान : सभापति महोदय, इस संकल्प में मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है "दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द

(श्री माधवसिंह दीवान)

"31 मार्च, 1981", के स्थान पर शब्द "1 अप्रेल, 1981" प्रतिस्थापित किया जाये," इसका मुख्य कारण एक ही है कि 31 मार्च 1981 की जगह 1 अप्रेल, 1981 कर दिया जाये क्योंकि अपना जो नया वर्ष है वह 1 अप्रेल से ही चालू होता है। सभापति महोदय, 1 अप्रेल, 1981 से समाप्त करने से सरकार को काफी सहूलियत अगले वर्ष के बजट में रहेगी और सरकार को अपने विकास के कार्यक्रम लागू करने में काफी मदद मिलेगी। सभापति महोदय, जबसे हिन्दुस्तान आजाद हुआ तब से ही कांग्रेस सरकार इस कार्यक्रम, बात पर विचार करती रही है कि हमारे देश में शराबबन्दी लागू की जानी चाहिये परन्तु कांग्रेस सरकार का हमेशा से ही यह असूल रहा है कि यदि किसी कानून को लागू करना हो तो वह तभी लागू हो सकता जबकि उसका मैजारिटी पालन करती हो। इस कारण शराबबन्दी के बाबत कांग्रेस सरकार अनेक बार विचार करती रही और इसको पोस्टपोन भी करती रही। हमारी सरकार ने पिछले 20 सालों से इसको लागू करने के लिये कार्यक्रम भी बनाये और टैस्ट केस के नाते कुछ जिलों में लागू भी की गई पर ऐसा पता लगा कि इससे तो भ्रष्टाचार बढ़ता है, सरकारी अधिकारी अपनी इल्लीगल आय बढ़ाते हैं और भ्रष्ट तरीके अपनाते हैं।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे देश के बहुत से राज्यों ने शराबबन्दी लागू भी की जैसे, महाराष्ट्र में लागू की गयी लेकिन आपको सुन कर यह आश्चर्य होगा कि शराबबन्दी लागू तो नहीं हुई किन्तु लोगों की आय का धन्धा हो गया। महाराष्ट्र में गुण्डों की एक फौज तैयार हो गई जिसमें कि बच्चे, औरतें, जवान सभी लोग शामिल हो गये और अपना एक धन्धा बना कर शराब बेचनी शुरू कर दी। सभापति महोदय, पूर्ण नशाबन्दी जनता शासन में लागू की गई। जिस वक्त राजस्थान में नशाबन्दी लागू की गई थी उस वक्त राजस्थान सरकार को दबाव में आकर इसको लागू करना पड़ा। सभापति महोदय, किन परिस्थितियों में शराबबन्दी लागू की गई उसके लिए मैं आपको राजस्थान के दैनिक अखबार "दैनिक नवज्योति" दिनांक 2-8-80 का वह एडीटोरियल पढ़ कर सुनाता हूं जिसमें लिखा है।

"यह बात किसी से भी छिपी नहीं है कि जनता सरकार ने अपने शासन काल में जब पूर्ण नशाबन्दी प्रक्रिया तय की थी उसके पीछे कौनसी मजबूरी थी। यह एक सर्व विदित तथ्य है कि शराबबन्दी की लड़ाई उस वक्त केवल मात्र तत्कालीन मुख्य मंत्री को अपदस्थ करने के राजनैतिक हथियार के बतौर काम में ली गई थी और मुख्य मंत्री जी को अपनी गद्दी बचाने के लिए उस फैसले को मानना पड़ा था।"

सभापति महोदय, यह एक्चुअली सही बात है कि यहां पर एक तरह का षड्यंत्र रचा गया था जिसमें यह भी वह लोग सोच रहे थे कि हमको अपने लोगों के अलावा मुख्य मंत्री के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी का भी सहयोग मिल जायेगा और दूसरे अन्य विपक्षी दलों का भी शायद सहयोग मिल जायेगा। इस प्रकार की परिस्थितियां क्रियेट करके यह षड़यन्त्र रचा गया था। इस प्रकार दबाव में आकर तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी को सदन में यह घोषणा करनी पड़ी कि राजस्थान में नशाबन्दी लागू की जाएगी। फिर भी, सभापति महोदय, राजस्थान में पूर्ण नशाबन्दी तो नहीं लागू की गई, उसमें तीन जिले छोड़ दिए गए थे। बड़े दुःख की बात है, सभापति महोदय, बाकी बचे तीन जिलों के लिए

(श्री माधवसिंह दीवान)

नशाबन्दी का जो आदेश लागू किया गया था, वह गवर्नर रूल में लागू किया गया था, वैसे राज्यपाल महोदय के रूल में इस प्रकार का पॉलिसी डिसीजन लेना उचित नहीं होता है। मगर उस वक्त राज्यपाल महोदय के जो सलाहकार थे उन दोनों भाइयों ने भी दबाव में आकर इस डिसीजन को राजस्थान में 1-4-80 से लागू किया। सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के शासन काल में किसी भी दल से इसके बारे में विचार विमर्श नहीं किया गया जबकि होना तो यह चाहिये था कि जो भी पॉलिसी डिसीजन्स होते हैं वह जनतांत्रिक सरकार ही ले सकती है। उस वक्त कोई जनतांत्रिक सरकार तो थी नहीं पर यह डिसीजन लिया गया जो सर्वथा अनुचित था। अगर कोई चुनिन्दा सरकार ऐसा डिसीजन लेती तो बात उचित रहती। इसके अलावा हमारे देश की प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने नशाबन्दी की नीति के ऊपर 31-7-80 को यह कहा कि हमारे देश में मद्य निषेध की नीति कहीं सफल नहीं हो सकी है। तो, सभापति महोदय, हमारे देश की प्रधान मंत्री जब इस नीति को फालतू मानती है तो फिर नशाबन्दी जैसी फालतू चीज को लेकर बैठे रहना कहां तक उचित है? सभापति महोदय, आज राजस्थान के कई थाने ऐसे हैं जिनमें शराब बन्दी की वजह से थानेदार हर महीने हजारों रुपये मासिक कमाते हैं। आप पश्चिमी राजस्थान को ही लें बिलाड़ा और सोजत जैसे थानों में हर महीने पुलिस के थानेदार को 10 से लेकर 15 हजार रुपया महीना मिलता है और इसके बदले में वहां पर शराब धडल्ले से बिकती है। कोई रोक वहां पर शराब पर नहीं है। इसके अतिरिक्त दैनिक अखबार टाइम्स आफ इण्डिया में लिखा है कि जनवरी के अकेले महीने में 20 लाख लोगों को शराब पीने के लिए परमिट हमारे यहां पर दिए गए हैं। इससे ऐसा मालूम होता है कि शराब के पीने वाले लोगों में कोई कमी नहीं आयी है। शराब के कन्जम्पशन में कोई कमी नहीं आई है और शराब खूब बिक रही है तो इस प्रकार आप एक गलत कानून बना कर लोगों को कानून तोड़ने के लिए बाध्य कर रहे हैं। जब एक व्यक्ति एक कानून तोड़ता है तो उसके बाद में 60 कानून और तोड़ता है। आज लोगों में कानून के नाम पर कोई आस्था नहीं रही और न ही कोई कानून तोड़ने का डर ही रहा है। इस प्रकार मैं समझता हूं कि हमारे यहां पर नशाबन्दी है ही नहीं इसलिये, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करके यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि 60 करोड़ रुपये का घाटा सरकार नशाबन्दी को लागू करके उठा रही है यह कहां तक उचित है। शराब तो धड़ल्ले से बिक रही है फिर इसको रखने से क्या फायदा? सभापति महोदय, एक तरफ तो राज्य सरकार की आय में 60 करोड़ का घाटा हो रहा है और राज्य में शराब बिक रही है और दूसरी तरफ हमारा इण्डियन एक्सप्रेस अखबार इसके बारे में यह लिख रहा है

"The prohibition policy in Rajasthan has not succeeded in curbing alcoholism, but only helped in slashing the State's excise revenue.

Also, a few top-rung liquor merchants are said to be enriching their offers at the cost of both the drinking fraternity and the State exchequer."

(श्री माधवसिंह दीवान)

तो, सभापति महोदय, जब पैसे यों ही जा रहे हैं, सभी आदमी शराब पी रहे हैं और रोज कानून को तोड़ रहे हैं तो किस दबाव में आकर हम शराबबन्दी कानून को हमारे यहां पर चला रहे हैं ? जो डिसीजन जनतान्त्रिक सरकार ने नहीं लिया और प्रेसीडेंट रूल में डिसीजन लिया गया उसको क्यों नहीं चेन्ज कर दिया जाये ? मुझे आशा है कि राज्य सरकार अब इस नशाबन्दी को 1-4-81 से समाप्त कर देगी।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री सूरजपाल सिंह।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : सभापति महोदय, सदन में जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसमें मैंने यह संशोधन प्रस्ताव किया है कि संकल्प की दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "31 मार्च, 1981" के स्थान पर शब्द "1 अप्रेल, 1981 प्रतिस्थापित किया जाये।"

श्री सभापति : एक अप्रेल से या एक मार्च से।

श्री सूरजपाल सिंह : एक अप्रेल से नशाबन्दी समाप्त करने का संशोधन मेरा है। सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में नशाबन्दी लागू किये जाने से कोई फायदा नहीं हुआ। केवल हमारे प्रदेश की सरकार को 60 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। जो रेवेन्यू राज्य सरकार को 60 करोड़ रुपयों की होती थी वार्षिक वह अवश्य कम हो गयी। सभापति महोदय, नशाबन्दी लागू करने का सही मायने में तो अर्थ तब होता जब हमारे प्रदेश की जनता इस नशाबन्दी से पूर्ण रूप से विमुख होती। जब लोगों की अन्तर आत्मा से शराब छोड़ने की इच्छा होती तब इसे लागू करते तो उचित रहता। इसके लिये पहले हमें वातावरण बनाना चाहिए था। पहले हमारे समाज में नशाबन्दी के हित में वातावरण बनाया जाता और फिर इसको लागू किया जाता तो कुछ और बात होती। लेकिन जब तक शराब को लोग बुरी चीज समझ कर उससे नफरत नहीं करते हैं तब तक इसको लागू करना अनुचित है। पहले इसे लागू किये जाने के लिये समाज में चेतना उत्पन्न करनी चाहिये। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि जब नशाबन्दी से हमारे स्टेट की रेवेन्यू में 60 करोड़ रुपये का लॉस हो रहा है और कोई फायदा नहीं है और राजस्थान का विकास रुक रहा है क्योंकि हमारी सरकार के पास पैसों का अभाव है, फाइनेंसेज की शॉर्टेज है, हम पैसे-पैसे को तरस रहे हैं और प्लान के पैसे भी फेमिन में लगा रहे हैं तब नशाबन्दी राज्य में लागू रहे इसको कतई मैं उचित नहीं मानता हूं। अगर नशाबन्दी समाप्त कर 60 करोड़ की रेवेन्यू हम हमारे प्रदेश के विकास के लिये योजनाओं में लगायें तो मेरी समझ में हमारे प्रदेश का ज्यादा विकास हो सकेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नशाबन्दी को राजस्थान से 1-4-81 से हटाकर हमारे राज्य का विकास जो धीमी गति से चल रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिये 60 करोड़ की एक्स्ट्रा रेवेन्यू करके राजस्थान का विकास किया जाये। नहीं तो, सभापति महोदय, नशाबन्दी के कारण एक्साइज डिपार्टमेंट वाले और पुलिस वाले मिल कर पैसे कमा रहे हैं और इस नशाबन्दी को चैक करने में निष्फल रहे हैं। आज जो शराबबन्दी को लागू करने वाले हैं, वही प्रॉहिबिशन फोर्सेज ही शराब को हर जगह धड़ल्ले से बिकवा रहे हैं, पुलिस वालों को सहयोग देते हैं। आज

(श्री सूरजपाल सिंह)

जगह जगह पर इल्लीसिट लिकर घर घर पर मिल रही है। जनता पार्टी जब बनी और उनकी सरकार आयी तो उन्होंने कहा था कि हम कुटीर उद्योग घर घर में खोल देंगे। सभापति महोदय, मैं यह मानता हूं कि कुटीर उद्योग तो नहीं लगे पर शराब बन्दी लागू करके शराब बनाने का कुटीर उद्योग उन्होंने घर घर पनपा दिया है। घर घर में इल्लीसिट लिकर बन रही है और जहरीली शराब पीने से हजारों डैथ्स हो रही हैं। मैं इसको न तो उचित समझता हूं और न इससे कोई फायदा है। इसलिये यह प्रस्ताव जो रखा है उसमें मैंने यह संशोधन रखा है कि 1-4-81 से पूर्ण नशाबन्दी राजस्थान में समाप्त की जाये।

श्री सभापति : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई : सभापति महोदय, सदन में माननीय सदस्य श्री रामनारायणजी डूंडी ने एक संकल्प प्रस्तुत किया है कि राज्य में नशाबन्दी को समाप्त किया जाये। मैंने इस संकल्प पर अपना संशोधन प्रस्ताव रखा है कि संकल्प की दूसरी पंक्ति में संयुक्त शब्द "31 मार्च, 1981" के स्थान पर शब्द "1 अप्रेल, 1981" प्रतिस्थापित कर दिया जाये यह बड़ी ही अजीब सी बात है। सभापति महोदय, विधान सभा में शराबबन्दी को समाप्त करने के लिये संकल्प आया उसमें मैंने संशोधन प्रस्ताव किया है सभापति महोदय, बड़ी मुश्किल से राजस्थान के अन्दर शराबबन्दी लागू की गई थी। हालांकि उस समय की सरकार ने बहुत कोशिश की कि राज्य में शराबबन्दी लागू नहीं की जाये। इसका कारण यह है, सभापति महोदय, राजस्थान का इलाका एक पिछड़ा हुआ इलाका है यहां पर पग पग पर पैसों का अभाव है। राजस्थान के विकास के कार्यक्रमों में पैसों के अभाव के कारण रोड़े अटकते हैं। शराब से राजस्थान सरकार को बहुत बड़ी आमदनी होती थी। वैसे शराब बेच कर विकास करना कोई न्याय की बात नहीं है पर, सभापति महोदय, शराब कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस की सरकार ने शुरू नहीं की। कहा तो यह जाता है कि सदियों से, प्राचीन काल से शराब हमारे देश के ऋषि मुनि देवी देवताओं को प्रसाद के रूप में चढ़ा कर पीते थे। मैं इसके पक्ष और विपक्ष में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन अगर लोग अपने मनोरंजन के लिये अपने घर पर बैठ कर शराब पीते हैं तो लोगों को क्या तकलीफ है ? इससे सरकार को आमदनी होती थी, राजस्थान के विकास के कार्यक्रम भी चालू होते थे और गरीब लोगों का विकास होता था। इस आय के बन्द होने से राजस्थान के गरीब लोगों को अपने विकास से हाथ धोना पड़ा है। यह राजस्थान सरकार के पास आय का बहुत बड़ा साधन था। सरकार की अकलियत की कमी के कारण राजस्थान सरकार को 60 करोड़ रुपये की आमदनी, जो कि एक बहुत बड़ी आमदनी थी, राजस्थान में शराबबन्दी लागू करके खो कर राजस्थान के हितों पर कुठाराघात किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं, मेरा समाज मेरी सरकार की पार्टी का व्यक्ति कोई शराब नहीं पीता और हम तो पान तक नहीं खाते, बीड़ी सिगरेट का तो कोई मामला ही नहीं है लेकिन मेरे नहीं पीने से मेरे साथी या कांग्रेस पार्टी के लोगों के शराब नहीं पीने से, कई लोग पीते हैं उनकी

(श्री रामसिंह विश्नोई)

मैं बुराई नहीं करता हूं । कोई सिगरेट का शौक करता है, कोई पीने का शौक करता है, कोई कोका कोला का शौक करता है, कोई घी पीता है, कोई अपने गम को भुलाने के लिए, माननीय सभापति महोदय, अगर घर बैठकर शराब पीता है और उस शराब से 60 करोड़ या 1 अरब की आमदनी मौजूदा हालात में होती है । जहां एक-एक जगह पैसे की जरूरत है । हमारे श्री प्रभाकर जी ने स्कूल खोले तो उसके लिये पैसे की जरूरत, हमारे देवपुरा जी ने अस्पताल खोलने हैं उसके लिए पैसों की जरूरत, अकाल में खर्च करने के लिए पैसों की जरूरत है । साधनों की कमी है इसलिए हम चाहते हैं कि शराबबंदी, जो इन्होंने लागू की है, को पुनः प्रारम्भ करके सरकार के जो आमदनी के स्रोत हैं उनको जुटाया जाये ।

माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा था कि जनता पार्टी की सरकार में कुछ ऐसे तत्व थे जो कुछ विचारों से थे, उनकी भावना थी, उनकी हार्दिक इच्छा थी कि शराबन्दी लागू होनी चाहिए । वह जी जान से कोशिश करते थे लेकिन कुछ शराब पीने वाले लोगों ने देखा कि अगर शराबन्दी लागू हो जाती है तो हमारे जो पुराने बड़े-बड़े ठिकाने हैं, बड़े-बड़े गढ़ और फोर्ट टाइप के मकान हैं और जहां सौ सौ आदमी कुटीर उद्योग में लगे हुए हैं तो जहां मालूम नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है अब घर घर के अन्दर लाखों लीटर शराब बनती है । सरकार की करोड़ों रुपयों की आमदनी मारी जाती है और गलत धंधे को हम पकड़ नहीं पा रहे हैं । पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट के आदमी उनसे मिले हुए हैं । सभापति महोदय, मैं आपको सत्य बयानी कर रहा हूं कि महीने में थानेदार के और एक्साइज इन्सपेक्टर के दस-दस और बीस बीस हजार रुपये बंधे हुए हैं । एक तरफ तो सरकार ने ऐसा करके करोड़ों का घाटा सरकार को दिया है और लोगों को विकास से महरूम रखा है और घर बैठे-बैठे दस, दस और बीस, बीस हजार रुपये की आमदनी का स्रोत लोगों के लिए खोल दिया । हम शराब के बिलकुल पक्षधर नहीं हैं, हमारी पार्टी नहीं है, सरकार नहीं है लेकिन हमें बाध्य होकर मौजूदा परिस्थिति के अन्दर जब हमारी राजस्थान कैनाल का मामला पिछले 15 सालों से अटका हुआ पड़ा है जो कि कभी का पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन पैसे के अभाव में, साधनों के अभाव में काम नहीं हो रहा है । आज हमारी जनता 30 साल की आजादी के बाद भी पानी से महरूम है । शराब पीने वाले पीयेंगे, उनको नहीं रोक सकते । जो साधन सम्पन्न लोग हैं जिनके पास एशो आराम और अय्याशी के साधन उपलब्ध हैं उनको कोई नहीं रोक सकता और रोकना चाहिए भी नहीं । जो पीये वह पीये मन चाहे जो कर सकते हैं लेकिन विद्यालयों के पास, मन्दिरों के पास इस तरह की हरकतें नहीं करें । इसके लिए कानून बनाया जा सकता है, सरकार बहुत सक्षम है, सरकार के पास इतने पावर्स हैं अधिकार हैं कि अपने अधिकारों का प्रयोग करके बाध्य किया जा सकता है कि कोई भी आदमी शराब पीकर बाहर चौराहे पर नहीं आ सकता, कोई आदमी शराब पीकर ड्राइविंग नहीं कर

(श्री रामसिंह विश्नोई)
सकता, कोई आदमी शराब पीकर आफिस में नहीं आ सकता। इस तरह के कानून बनाकर इसको आप रोक सकते हैं लेकिन कोई आदमी घर में शराब पीता है तो इतने आपके पास अधिकारी कहां हैं, ऐसी एजेन्सी कहां है कि मालूम कर सके कि कौन शराब पी रहा है ?

आपने शराबबंदी लागू कर दी और दूसरी तरफ आपने सोचा कि वापस चालू करेंगे तो बदनामी होगी तो बदनामी से बचने के लिए आपने अच्छा कदम उठाया। मैं नहीं कहता लेकिन आपने दोहरी नीति अपनाई है परमिट सिस्टम को। 15 साल का आदमी, 20 साल के आदमी के लिए, 60 साल के आदमी के लिए डाक्टर लिखकर दे दे और डाक्टर को सौ पचास रुपया दिया और वह कह देगा कि इसको हैल्थ के लिए जरूरी है तो परमिट वाले आदमी कई बार परमिट लेने के बाद पचासों बोतलें गलत तरीके से लाते हैं और बेचते हैं और कमाई के साधन करते हैं। इसलिए एक गलती को छिपाने के लिए पचास तरह की गलती सरकार करती है, आंखों के सामने करती है, अधिकारियों की बेईमानी से करती है और पुलिस के संरक्षण में हो रहा है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं यह उचित समझता हूं कि शराबबंदी 1 अप्रेल, 1981 से समाप्त की जाये, सरकार की आमदनी का स्रोत पुनः खोला जाये और देश के अन्दर पिछड़ा हुआ राजस्थान है पग-पग पर विकास की आवश्यकता है, उस पैसे का उपयोग करके जो धनी आदमी हैं, जो गम को भुलाने वाले हैं, जो एशो-आराम वाले आदमी हैं उनकी जेब खाली होकर गरीब आदमियों के काम में आती है तो सही ढंग से उपयोग होगा। इन्हीं विचारों के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाये।

श्री सभापति : जिन माननीय सदस्यों ने इसमें संशोधन प्रस्तुत किये थे उनके अलावा मेरे पास 4 माननीय सदस्यों के नाम और आये हैं। क्योंकि यह जनहित का प्रश्न है इसलिए मैं उन माननीय सदस्यों, जो इस संबंध में बोलना चाहते हैं, को केवल 4–4 मिनट ही बुलाऊं करूंगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि दूसरा संकल्प और भी है। उसे भी आज मूव किया जा सके इसलिए जरा समय ध्यान से दिया जाये। चाहे तो व्यक्ति कम ही बोलें लेकिन दूसरा संकल्प मूव हो जाना चाहिए यह मेरा नम्र निवेदन है।

श्री सभापति : श्री अमर चन्द।

श्री अमरचन्द (गंगरार) : माननीय सभापति महोदय, शराबबंदी के संबंध में माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव भी रखा और उसके बाद में संशोधनों पर भी अपने विचार व्यक्त किये। बात दरअसल यह है कि गांधी जी का उद्देश्य था कि सबसे पहले अगर कोई चीज बन्द की जायेगी तो शराब बंद की जायेगी। उसके पीछे उनकी मूल भावना यह थी कि जो बेकारी का रास्ता है, जो गरीबों के घरों के अन्दर प्रेत के रूप में बैठा हुआ है वह शराब है। कई समय तक इस प्रकार के विचार चलते रहे, जगह-जगह संस्थाओं ने प्रस्ताव भी भेजे थे राज्य सरकार को, उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी

(श्री अमर चन्द)

कांग्रेस सरकार ने भी आखिर में निर्णय लेने के लिए, इसको अन्तिम रूप देने के लिए सारी तैयारियां करली थीं लेकिन दुर्भाग्य से हमारी सरकार 3 साल से अपनी सत्ता को नहीं रख पाई और जनता सरकार ने सत्ता में आने के बाद सीधा ही एक रास्ता ले लिया बनी बनाई खीर, जैसे कई ऐसी चीजें राज्य सरकार के पास थीं उनका फायदा उन्होंने उठाया। दरअसल यह हमारी सरकार की नीति थी, हमारी योजना थी उसके अन्दर जरा सा इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था बाकी सही मायने में तो यह हमारी ही नीति थी, हमारी सरकार की नीति थी। जब से दारूबन्दी हुई है तभी से उन झोंपड़ों के अन्दर जो लोग चैन से नहीं रह सकते थे, चैन से शादियां नहीं कर सकते थे, चैन से कोई भी अपना समारोह नहीं कर सकते थे और पीकर लड़ाई झगड़ा करना, पड़े रहना, मजदूरी पर नहीं जाना तो कई प्रकार की बीमारियां हमारे घरों में घुसी हुई थीं, जब से शराब बन्दी हुई है तभी से हमारे शादी विवाह, समारोह और भी हमारे सामाजिक कार्य बड़े सुन्दर ढंग से हो रहे हैं और आज वे लोग चैन से अपना जीवन जी रहे हैं। मांग कहां लगती है? पैसे वालों के घर में, पैसे वाले जो लोग हैं उनको अय्याशी सूझ रही है। उनको शराब चाहिये। उनको हर प्रकार की अय्याशी चाहिये। उन लोगों को शराब की आवश्यकता है। तो बात यह है कि हमारे गरीबों के लिये शराबबन्दी बहुत ही उपयोगी और बहुत ही सुन्दर है। शराब बन्दी रहनी चाहिये। शराब बन्दी से हमारे गरीब तबके को खाने के लिये अनाज, पहनने के लिये कपड़ा सुलभ हो गया है और बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था सुलभ हो गई है। शराब एक ऐसी वस्तु है, किसी के जीवन में किसी प्रकार की बुराई नहीं है यदि शराब पीना प्रारम्भ कर दे तो उसके जीवन में जो भी बुराई होगी वह उसमें प्रवेश करेगी इसमें शंका की बात नहीं है। यहां पर अभी-अभी माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये मनोरंजन की बात बताई और दूसरी बात बताई पैसों की। यह भी बात सही है कि मनोरंजन भी होना चाहिये, पैसों की कमी नहीं होती है तो हर एक योजना आसानी से चलाई जा सकती है। मनोरंजन के लिये कई प्रकार के साधन हैं। क्या शराब पीकर मनोरंजन किया जा सकता है? इसका भावी पीढ़ी पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। देश के अन्दर शुद्ध आचरण को लाना चाहते हैं, गरीब परिवार को ऊपर उठाना चाहते हैं तो इस प्रकार का प्रस्ताव अगर शराबबन्दी को तोड़ने के विषय में रखा जाता है तो वह गरीबों को चुंगल में फंसाने का प्रस्ताव होगा। दूसरी बात पैसे की है, राज्य सरकार को अगर शासन चलाना है तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। शराब ही एक मात्र रास्ता नहीं है जिससे पैसों की व्यवस्था हो सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पैसा हम किसी तरह जुटा सकते हैं। कई तरह के प्रस्ताव हैं। शराब ही एक ऐसी वस्तु नहीं है जिस पर सारे राजस्थान का भार टिका हुआ हो। अगर शराबबन्दी टूट जायेगी तो सारा विकास रुक जायेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं बताऊं, उन गरीबों के दिल पर हाथ रख कर उनसे पूछा जाये कि शराबबन्दी से उनको कितने फायदे हुए तो वे यह बात कहेंगे कि शराबबन्दी से उनके

(श्री अमर चन्द)

शादी-विवाह आसान हो गये हैं और आसानी से चल रहे हैं। शराब पीकर घूम नहीं सकते, जा नहीं सकते इसलिये शराब बन्दी रहनी चाहिये। इससे गरीबों की मदद होगी।

यही कह कर मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री सभापति : श्री जयदेव।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़): सभापति महोदय, सदन में शराब बन्दी के विषय में जो यह चर्चा चल रही है मैं इसको बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। हम जिस संस्था के सदस्य हैं उसको मद्‌देनजर रखते हुए यह जरूरी है कि हम समाज के अन्दर जो भी कुरीतियां हैं, शराब पीने जैसी, उनको बन्द करें लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि शराब न पीने वाले भी कह रहे हैं शराबबन्दी नहीं होनी चाहिये। शराब पीना सामाजिक दृष्टि से एवं आर्थिक दृष्टि से दोनों ही तरह से नुकसानदेय है। मैंने अपने क्षेत्र में देखा है कि जो लोग शराब पीते थे उनके मनों में हमेशा अशांति का वातावरण रहता है। विशेषकर के अनुसूचित जाति मेहतर, रैगर, खटीक, मोची मोहल्लों में आये दिन झगड़ा फसाद होता था। लोगों में एक अशांति की स्थिति बनती जा रही थी। शराब बन्द होने से उन लोगों ने शराब छोड़ दी। आज उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। उनके बच्चे अच्छे कपड़े पहनने लगे हैं, खाना उनको अच्छा मिलने लगा है। बच्चे स्कूल पढ़ने को जाते हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी दृष्टि से शराबबन्दी की छूट देना यह एक नैतिक अपराध होगा। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो आर्थिक अभाव महसूस कर रहे हैं उसके दूसरे स्रोत हो सकते हैं लेकिन लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए, लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह परम आवश्यक है कि शराबबन्दी रहनी चाहिये। मैं यह समझता हूं कि शायद यह प्रस्ताव इसलिये लाया गया हो कि पिछले दिनों जनता पार्टी की सरकार ने शराबबन्दी कर दी। मैं उसका विरोध कर इसको खत्म करना उचित नहीं मानता। अच्छी चीज चाहे कोई भी सरकार कायम करे, वह अच्छी है। हम सभी लोकतंत्र के माध्यम से इस सदन के अन्दर हैं। हमारा नैतिक दायित्व है कि हम जनता को स्वास्थ्य, शांति और सुरक्षा की गारन्टी दें और शराबबन्दी को कायम रखा जाये। इसी मन्तव्य के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी।

(व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : मुझे मौका दिया जाये।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (पंचायत मंत्री) : सभापति महोदय, जो संकल्प प्रस्तुत किया गया इसके पक्ष और विपक्ष में बहुत बातें कही जा सकती हैं। मैं मान कर चलता हूं यह बहुत बड़ा नीति सम्बन्धी प्रश्न है। राज्य सरकार को इसके सभी पक्षों पर विचार करना होगा। साथ ही साथ दल के साथ बैठकर चर्चा करनी होगी। जैसा मैंने आपसे कहा, पक्ष और विपक्ष दोनों में दलीलें बहुत सी हैं। इसलिये मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस संबंध में दल :: बैठ कर विचार कर

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

और केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क कर जो भी कदम उठाने होंगे, राज्य सरकार उठायेगी। मैं संकल्प के जो प्रस्तोता हैं उनसे निवेदन करूंगा कि संकल्प को वापस ले लें।

श्री रामनारायण डूंडी : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जो आश्वासन दिया है उससे प्रेरित होकर मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं।

श्री सभापति : संकल्प के प्रस्तुतकर्ता ने इस संकल्प को वापस लेने की अनुमति चाही है मैं इस सदन से यह जानकारी चाहूंगा।

क्या सदन की सम्मति है कि संकल्प को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

संकल्प वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री रामनारायण डूंडी : सभापति महोदय, मैं संकल्प वापस लेता हूं।

राजस्थानी भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची प्रविष्ट

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) : सभापति महोदय, मैं दूसरा संकल्प प्रस्तुत करती हूं। सदन का यह अभिमत है कि "राजस्थानी भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित कराने हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार को पुरजोर सिफारिश करे।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : बहस की जरूरत है, नहीं साहब।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : औपचारिक रूप से तो हो जाये।

(व्यवधान)

मंत्री महोदय कह दें, इसके रखने की आवश्यकता नहीं है तो नहीं रखूंगी।

एक माननीय सदस्य : आप राजस्थानी में बोलेंगी।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : सभापति महोदय, राजस्थानी भाषा है वा तीन करोड़ से वत्ती मनखा की भाषा है। राजस्थान के बाहर देश का कोई कोना कोना ऐसा नहीं है जहां राजस्थानी भाषा बोलने वाला न रहता हो। केन्द्र भी बोलना वाला है और वठै पुरानी पोथियां का इतना भण्डार भरा है जिकी अभी तक शिक्षा विभाग सूं गिनती भी नहीं आई है चाहे वे जैन ग्रन्थ हों और चाहे अभिलेखागार के ग्रन्थ हों–राजस्थान रां साहित्य ने हजारां हजारां लोग जानै हैं। राजस्थानी साहित्य में कर्नल टाड को नाम भी ऊंचो है–रविन्द्र नाथ टैगोर है बाकी राजस्थानी भाषा की कविता ने देखो तो साहित्य रां नाम सूं माथा फोड़ने जसी बात हो जावै। विश्व कवि रविन्द्र नाथ टैगोर ने राजस्थानी भाषा के वास्ते बहुत कुछ लिख्यो है। मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस यूनिवर्सिटी में राजस्थानी भाषा को विभाग राख्यो है ईं वास्ते राजस्थानी भाषा का जितना गुण गाया जावे उतना थोड़ा है।

आज की जो समस्या है वा आपने अर्ज करूं जैसी आपरी जबान है वसी राजस्थानी भाषा है। आज सब जगहां का बैठ्या हुआ लोग अपनी अपनी भाषा रो प्रयोग करे है। बंगला में बैठ्या हुआ लोग बंगाली बोलै है, आसाम में आसामी बोले है, उड़ीसा में उड़िया बोले है। मणीपुर जिसा छोटा सा

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

प्रान्त में मणीपुरी भाषा बोलें है लेकिन राजस्थानी जो भाषा है इको उपयोग पूरो नहीं हो रियो है। अठै दूसरी भाषा के रूप में राजस्थानी है तो 30 बरसां में आप इ भाषा की मान्यता नहीं दिला सक्या और तो और रोवनो यो है कि राजस्थानी भाषा की कोई स्वतन्त्र अकादमी नहीं है आज तक। हिन्दी भाषा अपना माथा पर है, उर्दू की भी मैं कद्र करूं हूं और कई तरह की भाषायें हैं। सिंधी भी है, संस्कृत भाइयों के लिये भी देव वाणी है, बंगाली है। मैं उन सबरां स्वागत करती हूं पर आज दुःख यो है कि राजस्थानी भाषा की स्वतन्त्र अकादमी कोनी इससे अधिक अफसोस की, बात काई हो सके। यू. पी. में उर्दू है और वठै वा भाषा ने सैकण्ड लैंग्वेज के रूप में मान्यता है और वीं की एक स्वतन्त्र अकादमी है। आपा अकादमी कायम न कर सक्या। जब केन्द्र की साहित्य अकादमी में राजस्थानी भाषा स्वीकार कर राखी है और ऊं में राजस्थानी भाषा रां साहित्य का मोटा-मोटा इतिहास छप्या है। वां का अनवाद होकर जगह-जगह भेजा जा रिया है–बंगाली में, उड़िया में, अंग्रेजी में सब में अनुवाद हो रिया है। वा भाषा की कद्र अठै पूरी नहीं है। लम्बी चौड़ी बात अर्ज करनी नहीं चाहूं जो संकल्प रख्यो है जिके वास्ते अर्ज करूं हूं। दूसरा सारा का सारा माननीय सदस्य बोलणो चावै है और सबकी जानकारी में है कि राजस्थानी सारा गांवा की भाषा है, किसाना की भाषा है मजदूरां की भाषा है और सारी वर्ग ईं ने चावै है। और ईं वास्ते पुरजोर शब्दों में ईं संकल्प ने आगे भेजो जावे ईं के वास्ते निवेदन कर बैठूं और दूसरा भाइयों ने हाथ जोड़ अर्ज करूं कि बात रो गौर डालें...

(व्यवधान)

श्री सभापति : इस संकल्प के सम्बन्ध में माननीय सदस्यगण संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री दीपेन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित)

श्रीमती उजला अरोड़ा।

(अनुपस्थित)

श्री दाऊ दयाल जोशी।

(अनुपस्थित)

श्री रघुवीरसिंह कौशल।

(अनुपस्थित)

श्री महावीर प्रसाद।

(अनुपस्थित)

श्री दीपेन्द्रसिंह।

(व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) : सभापति महोदय, देवगढ़ से आने वाली माननीय सदस्य महोदया ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री सूरजपाल सिंह : मारवाड़ी में बोलें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं मारवाड़ी में बोलना जानूं हूं लेकिन लिखना वालां ने दिक्कत हो जासी ईं वास्ते।

सभापति महोदय, डा. वी. एन. शर्मा जो एक भाषाविद् है, जो राजस्थानी भाषा

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

में प्रसिद्ध हैं वा लोगा ने राजस्थानी भाषा को लोहा मान्य है और आ वार्ता है कि या भाषा समृद्ध भाषा में से एक है जिका सारा हिन्दुस्तान का जना माने। साहित्कार रविन्द्र नाथ टैगोर, बंकिम चन्द्र चटर्जी, आसुतोष मुकर्जी ये सारा का सारा राजस्थानी भाषा रां प्रशंसक रहया है। आज हिन्दुस्तान में राजस्थान लोक गीत, स्थापत्य कला, संस्कृति कला, मूर्ति कलाई में इतना आगे है कि पेरिस जिसा शहर में जो बहुत बड़ा संस्कृति का केन्द्र मान्यो जावे है। वठे संग्रहालय में राजस्थानी लोक गीत रां सबसे ज्यादा संग्रह मोजूद हैं। हिन्दुस्तान में जिनकी 16 गुना है बजाई जावै है ऊं में ए धुन्या राजस्थान के लोक गीता से सम्बंधित है बाकी का 6 धुन्या है विदेशी गीता सूं सम्बंधित है। इससे महसूस होवे है कि राजस्थानी भाषा अपने आप में कितनी धनवान है। राजस्थानी भाषा के बारे में कुछ लोग यह विवाद उठाया करें कि या भाषा 10-20 तरह सूं बोली जावे तो यह तो एक भाषा री बहुत बड़ी तारीफ है। जिमे इतना बड़ा शब्द कोष है कि ऊंट जिस्या शब्द ने कोई डागों बोले है, कोई राकीजो बोले है, कोई महियो बोले है। इतनो बड़ो शब्द कोष जी भाषा में है उने इगनोर करता जावे तो यह ठीक कोनी।

राजस्थानी भाषा बोलने वाला पांच करोड़ आदमी हैं और अगर ऊंकी कद्र न करी तो वो लोगां रे वास्ते कुठाराघात है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं स्व. जय नारायण जी व्यास जो संविधान की आठवीं अनुसूची बनाने वाला था वा टाइम में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी और पुरुषोत्तम दास जी टन्डन ने साथ मिलकर विचार कर हुया था वा टाइम दबाव पड़यो कि राष्ट्र भाषा हिन्दी बनाने के वास्ते आप लोग त्याग करो और आप अपना प्रदेश में हिन्दी भाषी घोषित करने वास्ते म्हाने सर्व सम्मति से राय दो ताकि राष्ट्रभाषा हिन्दी बन सके। मैं यह चाहूं कि हिन्दी राष्ट्रभाषा हो लेकिन राजस्थानी भाषा जिको इतनो मान और आदर होन्यो चाहिये कि पांच करोड़ आदमी का घरा में बोली जावे उने भी इकी सूची में शामिल करो। डा. राजेन्द्र प्रसाद जब तक रहया वा टाइम तक राजस्थानी भाषा के विकास के बारा में प्रयत्न करयो और स्व. जयनारायण जी भी इकै वास्ते प्रयत्न करयो म्हारा राज्य में संविधान की आठवीं अनसूची में छोटी छोटी भाषा है वी ने बहुत कम लोग बोले है वा संविधान रे अनुच्छेद 346 रे मायने शामिल कर ली गयीं पण राजस्थानी भाषा ने सम्मिलित नहीं कियो गयो। राष्ट्रपति जी ने अधिकार है कि एक प्रान्त से यदि अधिकांश लोग ईं भाषा ने बोले है तो राष्ट्रपति महोदय ईं भाषा रे बोलन वाला रो आदर करता हुआ आठवीं अनुसूची में ईं भाषा ने सम्मिलित कर सके है।

(4.34 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई अध्यक्ष, पदासीन)

तो कोई कारण है कि राजस्थानी भाषा, जीने 5 करोड़ लोग बोले हैं, ने संविधान री आठवीं अनुसूची रे मायने क्यूं नहीं सम्मिलित कियो जा रहयो है। मैं ईं सम्बन्ध में कुछ सुझाव देनो चाहूं हूं। संविधान री आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के सागे राज्य सरकार ने उर्दू अकादमी, सिन्धी अकादमी, कई अकादमी खोल राखी है वा का स्वागत है पण

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

इणरे सागे राजस्थानी भाषा के विकास री खातिर राजस्थानी साहित्य अकादमी की स्थापना करें और राजस्थानी साहित्य शिक्षण संस्था, विश्वविद्यालयों में पठावण वास्ते ई' विकास के वास्ते काम करें। कुछ लोग मरदमशुमारी कर रह्या है तो मरदमशुमारी करता वाला लोग यो पूछ रहया हैं कि थारी भाषा हिन्दी है कांई? भाषा रे सम्बन्ध में न पूछ वां से यो पूछ लियो जावे कि आपरी मात्र भाषा किसी है, आप घर में कुण सी भाषा बोले हो। तो जनसंख्या रे सही आंकड़ां आ जायला। इन बातां रे साथ मू' ई संकल्प रो समर्थन करू' हूं और कहूं हूं कि राजस्थान आपणो त्याग, बलिदान और साहित्य रे लिए प्रसिद्ध है, वी की भाषा रो आदर कर संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करणे वास्ते यह सदन सर्व सम्मति से संकल्प पारित करे। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री दीपेन्द्र सिंह।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर): अध्यक्ष महोदय, हमारे से पहले आदरणीय चूण्डावत जी और आदरणीय कल्ला जी ने राजस्थानी के विषय में बहुत कुछ सदन में आपके सामने अर्ज किया। इस सदन में जब हम नये लोगों ने राजस्थानी भाषा के समर्थक के रूप में और सबसे पहले हमारी मातृभाषा को बोलने का प्रयास किया और हम दो सदस्यों ने राजस्थान विधान सभा में राजस्थानी भाषा में शपथ लेने का प्रयास किया तो मुझे रोका गया। बहुत बड़ा दुःख हुआ, मेरी भावनाओं पर भी और जिन लोगों का मैं प्रतिनिधित्व करने के लिए यहां आया, उन लोगों के दिलों पर भी एक कुठाराघात हुआ। उसका बहुत बड़ा कारण है वह अध्यक्ष महोदय ने बताया कि राजस्थानी भाषा संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं है। हमारा ख्याल है, अक्लमंद लोगों को, इस देश के बुद्धिजीवियों को राज चलाने वाले लोगों को एक संकेत समझना चाहिए था कि राजस्थान के लोग इस भाषा को मान्यता दिलाना चाहते हैं। राजस्थान के विधायक अपनी मातृभाषा में शपथ ग्रहण करना चाहते हैं, इस बात की भी अनदेखी की गयी और इससे मजबूर होकर हमारे सदन की सदस्या, बुद्धिजीवी सदस्या ने इस बात को महसूस करके आपके सामने इस बात का प्रस्ताव रखा। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता लेकिन इतना अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थानी भाषा का सम्मेलन पिछले दिनों जयपुर में हुआ। हमारे राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इस समारोह के अध्यक्ष थे। राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष का अभिप्राय, मेरी मान्यता है, राजस्थान के वे लोग, जो लोग चुनकर एम. एल. ए. को भेजते हैं, उनका प्रतिनिधित्व हम करें तो उन लोगों का प्रतिनिधित्व हो सकता है। मुख्य मंत्री के रूप में पूरे सदन का प्रतिनिधित्व मुख्य मंत्री नहीं कर सकता लेकिन उनको आपको भी फिक्र होना चाहिए कि पूरे सदन का, चाहे विरोधी हों, चाहे समर्थक सरकार का हो, सब का संकेत, सबका समर्थन आपके रूप में है। जब आपने स्वयं महसूस किया और आपने जब स्वयं इस बात का संकेत किया तो इसका मतलब राजस्थान की पूरी जनता एकमत से होकर आपके रूप में आपको भेजा और आपने सब की भावनाओं

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

को प्रदर्शित किया। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं।

श्री अध्यक्ष : इसमें लोक सभा के अध्यक्ष जी भी बैठे थे।

श्री दीपेन्द्र सिंह : मैं आगे आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने सोचा कि आप भूल गये हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह : मैं भूला नहीं हूं, जब राजस्थान का अध्यक्ष, राजस्थान की जनता का सबसे बड़ा प्रतिनिधि, सारे की भावनाओं को बताने वाले ने उसके बारे में महसूस किया और उनके साथ सहयोग सारे देश के सारे संसद सदस्यों का, उनकी योग्यताओं को, उनकी मान्यता को, उनकी भावनाओं ने सारे की कद्र देते हुए संसद के प्रतिनिधियों के रूप में सुन्योड़ा लोकसभा के अध्यक्ष महोदय ने भी इस बात पर जोर दिया। मुझे दुख है और अफसोस है, ये कहना पड़ता है आज इस सदन में और इस तरह का प्रस्ताव लाना पड़ता है। जब हिन्दुस्तान सारा एकमत होकर ये कहता है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दी जानी चाहिए। अफसोस है कि फिर भी मुझको इस सदन में कहना पड़े। मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता लेकिन निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात का फैसला तो करो। इसके साथ-साथ किसी भी भाषा के विकास के लिए कोई भी भाषा के उत्थान के लिए उसकी साहित्य अकादमी होनी चाहिए। हमारा सुझाव है कि राजस्थानी साहित्य अकादमी के मायने राजस्थानी भाषा की अलग साहित्य अकादमी बने, माननीय शिक्षा मन्त्री जी विराज रहे हैं, इससे बड़ी खुशी का मौका और मुझे कोई नहीं मिल सकता और आज इस बात की घोषणा भी की जा सकती है कि राजस्थान में जिस तरीके से समान रूप से सब बातों को ईमानदारी से साहित्य अकादमी बनाकर प्रतिनिधित्व दिया जाये उसके विकास के लिए योजना दी जाये, इसी तरह से राजस्थानी के विकास के लिए राजस्थानी साहित्य अकादमी की घोषणा करें और राजस्थान के लोगों की भावनाओं की कद्र करें। राजस्थान की प्रजातांत्रिक सरकार की तरफ से राजस्थान के कोने कोने में बैठे हुए जो भी हिन्दुस्तान के नागरिक, राजस्थान के कोने-कोने में बैठे हुए कोई भाषा नहीं जानते, उस भाषा का सम्मान करें और साहित्य अकादमी अर्पित करें। इसके साथ में सिद्धान्त रूप से शिक्षा विभाग ने इस बात को स्वीकार कर लिया, जोधपुर विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग की तरफ से एक राजस्थानी का विभाग खोला जा चुका है। इसका मतलब इस बात की आवश्यकता महसूस की गयी, इसका मतलब उदाहरण है कि राजस्थान में राजस्थानी भाषा को एक विश्वविद्यालय में मान्यता मिली तो फिर मुझे इस बात का बड़ा दुःख है कि दूसरे दो विश्वविद्यालयों में हाल में इस बात की तरफ कोई उचित कार्यवाही क्यों नहीं की गयी। मुझे खुशी होती कि हमारे ये शब्द कहने से पहले राजस्थान सरकार आपकी तरफ से राजस्थान के तीनों विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा के वास्ते पाठ्यक्रम लागू करवाती, सैकण्डरी स्कूलों में पाठ्यक्रम लागू करवाती। राजस्थान के छात्रों के वास्ते विशेष सुविधा देने के लिए राजस्थान

(श्री दीपेन्द्र सिंह)
लोक सेवा आयोग में राजस्थानी भाषा को बोलने वालों को महत्व दिया जाता तो लोगों को बहुत खुशी होती। मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता और अन्त में इस संकल्प के अन्त में निम्न शब्द जोड़ देना चाहता हूं:--

"एवम् राजस्थान में पृथक् से राजस्थानी साहित्य अकादमी का गठन किया जाये तथा तीनों विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा के पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाये।"

सदन के समस्त बुद्धिजीवी सदस्यों की, राय है और मेरी प्रार्थना है माननीय शिक्षा मंत्री जी से विशेष तौर पर कि मेरी भावनायें केवल मात्र मेरी भावनायें ही नहीं हैं, इस सदन के बहुत से सदस्यों की और करीब-करीब सभी लोगों की ये भावनायें सर्वसम्मत भावनायें हैं। इन भावनाओं के रूप में अध्यक्ष जी हैं और अध्यक्ष जी अपनी भावनायें मेरे व्यक्त करने से पहले खुले मंच पर व्यक्त कर चुके हैं, इसका मतलब राजस्थान के कोने-कोने के लोगों की भावनायें हैं। जो राजस्थान के विधान सभा के मुखारविन्द से, समाचार पत्रों से, सी. आई. डी. से पहले पहुंच चुकी हैं। इसके बावजूद भी देरी क्यों की जा रही है इसका मुझे अफसोस है और मैं इस बात का निवेदन करना चाहता हूं कि इस संकल्प के रूप में, सुझाव के रूप में जोड़ दिया जाये और इस बात की सरकार घोषणा करें कि सरकार मान्यता देगी, सरकार साहित्य अकादमी खोल देगी। सरकार विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में राजस्थानी भाषा का समावेश करेगी और राजस्थानी भाषा को हमारी मातृभाषा का सम्मान देकर, राजस्थान की सरकार अपने को गौरवान्वित करती। राजस्थान की जनता के वास्ते इस मौके पर इस सदन में इस सत्र में एक बहुत बड़ी सौगात होगी जिसको पहले की सरकार ने आज तक नहीं किया, नहीं सोचा। यदि आप इस बात पर ध्यान देंगे तो मैं आप लोगों का बहुत बड़ा अहसान मानूंगा और राजस्थानी भाषा के वास्ते, इस समाज के वास्ते, इस देश के वास्ते राजस्थानी के वास्ते बहुत बड़ा आप लोगों का एक समर्थन मानूंगा। जय हिन्द।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (छमना रामगढ़): अध्यक्ष महोदय मैं भी अपने कुछ विचार इस विषय पर रखना चाहता हूं। असल में यह है यह ठीक है कि हिन्दुस्तान विभिन्न भाषाओं विभिन्न प्रकार के जलवायु विभिन्न प्रकार के रीति-रिवाजों और विभिन्न प्रकार के समुदायों का देश है परन्तु जहां तक राष्ट्र का सवाल है, उसकी एकता किस तरह से मजबूत हो...

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत: यह एकता के प्रतिकूल नहीं है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज: वह ठीक है, मेरे अपने विचार हैं जो मैं सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं किसी पर अपने विचार नहीं थोपना चाहता परन्तु मेरे मन की बात को कहना चाहूंगा और वह यह है कि हम इस राष्ट्र को किस तरह से एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर लायें। सम्प्रदायों के तौर पर, भाषाओं के तौर पर या धर्म, भाषा और जातियों के तौर पर किसी भी नाम से इसके अलग-अलग टुकड़े दर टुकड़े न करके, जो टुकड़े हैं उनको

(श्री भैरूं लाल भारद्वाज)

जोड़कर जहां तक हो सके उसका साम्य स्थापित करें, यह हमारी भावना होनी चाहिए। जहां तक राजस्थानी भाषा का प्रश्न है; राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है जो 22 रियासतों में बंटा हुआ था। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आप जानते हैं कि राजस्थानी भाषा नाम की कोई चीज राजस्थान में कहीं नहीं चल रही है। माननीय सदस्य कहीं बीकानेर में रहते हैं तो बीकानेरी बोलते हैं वे राजस्थानी भाषा बता कर अपना आत्म संतोष करते हैं। हम लोग जो जयपुर के रहने वाले हैं, जयपुरी और ढूंढारू भाषा को बोल करके यह कहने की कोशिश करते हैं कि यह राजस्थानी भाषा है। मैं यह कहता हूं कि राजस्थान में जब कोई एक भाषा है ही नहीं तो फिर हम जबर्दस्ती राजस्थानी का रूप देकर एक अलग भाषा और एक अलग खण्ड तैयार करने की बात करें तो यह बुद्धिमानी की बात नहीं है। यह ठीक है कि हिन्दी, हमारे देश की राष्ट्रभाषा और हमारे देश की राज भाषा तो है ही पर राजस्थान की और उत्तर भारत की मातृभाषा है। यह मादरी जुबान है जिसको हम हिन्दी कहते हैं। मगर जैसा कि हिन्दी में खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है वह स्थान भेद के नाम से उसकी बोली, लहजे और उसके शब्दों के रूपान्तर से चलती है ठीक उसी प्रकार यह हिन्दी भाषा राजस्थान में अपने अलग ही विचार, लहजे और शब्दों से बोली जाती है। हिन्दी को छांट कर अलग से उसको राजस्थानी का रूप देना मैं समझता हूं कि कुछ मित्रों का एक प्रकार का शगल हो सकता है परन्तु यह न देश के लिए, न ही भाषा के लिए, न ही हिन्दी के लिए कोई रचनात्मक सुझाव हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं आपको निवेदन करूं कि अभी पिछले मित्र थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, किसी दूसरी भाषा में, शायद पश्चिम राजस्थान के थे, उन्होंने जिस भाषा का उपयोग किया, मैं आपको सच कहता हूं कि मेरे एक आना भर भी पल्ले नहीं पड़ी। अगर मैं भी मेरी ढूंढारू भाषा बोलूं तो उन मित्रों के पल्ले भी नहीं पड़ सकती है। जो राजस्थानी राजस्थानियों के ही आपस में पल्ले नहीं पड़े तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि राजस्थानी की वकालत करने वाले मित्र जरा चल कर अपने इलाके से आगे, अगर आप जोधपुर के हों या बीकानेर के हों तो आप मेरे जयपुर के गांवों में यहां से दस मील पर आपको ले चलूं मेरे यहां के आदिवासी, यहां के अनुसूचित जाति और ग्रामीण इलाकों में, जो अपने आपको मारवाड़ी बोलते हैं और उसको राजस्थानी का जामा पहनाते हैं उस भाषा में भाषण देकर देखो कि कोई कुछ समझेगा भी क्या ? आप वहीं जाकर हिन्दी में भाषण दीजिए तो समझते हैं कि नहीं ? मैं आपके मारवाड़ में चलूं या बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर चलूं और वहां पर अगर मेरी ढूंढारी भाषा का प्रयोग करूं तो मैं समझता हूं कि धेले भर भी मेरी बात उन लोगों की समझ में नहीं आएगी। यदि मैं अपनी बात हिन्दी में कहूंगा तो अच्छे ढंग से समझेंगे। यही कारण है कि हम भाषाओं के हिसाब से टुकड़े करके कुछ लोगों को, उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन भले ही दे दें परन्तु देश के लिए, एकता के मामले में, ग्या.

(122)

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

भाषाई एकता के मामले में और देश की तरक्की के मामले में हम कुछ प्राप्ति कर सकें ऐसे कदमों से, इसमें मुझे बड़ा संदेह है। मैं ऐसा उन मित्रों से इसलिए भी कहना चाहता हूं कि जो हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी है, जब हम अंग्रेजों से लड़ते थे तो हमारी कांग्रेस और महात्मा गांधी ने खासतौर से इस बात को कहा था कि मैं केवल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता हूं बल्कि अंग्रेजी के खिलाफ भी इस रूप में लड़ना चाहता हूं कि वह देश की राज भाषा और राष्ट्र भाषा के रूप में छाई हुई है। आज अंग्रेजों के जाने के 33 साल के बाद भी हम हमारी मादरी जुबान हिन्दी को राज भाषा के रूप में पूर्णतया स्थापित नहीं कर पाये हैं। इससे शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती कि हिन्दुस्तान के रहने वाले हिन्दी का पूरा प्रचार प्रसार नहीं कर पायें और हिन्दी को राज भाषा का रूप नहीं दिला पायें। आज भी अंग्रेजी हमारे कन्धों पर चढ़ कर चली जा रही है। अंग्रेजी हम सब पर सवारी किये जा रही है। हमारे कन्धों पर, हमारे सिर पर अंग्रेजी बैठी है। यह माननीय राजस्थानी मित्रों को बुरी नहीं लगती? उन्होंने कभी इस बात की शिकायत नहीं की कि उनके सिर पर अंग्रेजी जुबान आज भी चढ़ी हुई है। आज इस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं . . .

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : हम हिन्दी भाषा के विरोधी नहीं हैं। हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : आप सुनने की कोशिश कीजिये। दूसरों पर अपनी बात थोपने की कोशिश मत कीजिए। मैं यह जानता हूं कि अंग्रेजी को दूर हटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हिन्दी को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बल्कि हिन्दी की उसके घर के अन्दर एक छोटी बोली है उसके टुकड़े करके अलग भाई बेटे के रूप में बिठा कर एक नया झगड़ा, दो लीक और तीन लीक स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप मित्रों को यह सुझाव दूंगा कि राजस्थानी तो कोई भाषा है ही नहीं बल्कि ठीक जसे बिहारी, उड़िया और उत्तर भारत के दूसरे प्रान्तों की बोलियां हैं वह केवल हिन्दी भाषा है और हिन्दी भाषा के क्षेत्रीय रूपान्तर हैं।

इसलिये हमको इस प्रकार का आन्दोलन चलाना चाहिये हिन्दी समर्थक ऐसे लोगों को कि उत्तर भारत के हिन्दी भाषी जो प्रान्त हैं उनमें दूसरे प्रकार से गांवों में अलग-अलग तरीके से बोली जाती है, हमारे एक साधारण तौर पर गांवों के बोलने वाली भाषाएं हैं वैसे ही हैं, वरना हमारी असली मातृ भाषा है वह हिन्दी ही है। सभी लोग एक ही नारा दें कि हिन्दी हमारी भाषा है, हमारी मादरी जुबान है और दक्षिण भारत के लोग जो हिन्दी नहीं जानते हैं उन लोगों से भी अनुरोध करें कि हिन्दुस्तानी होते हुए अपने आप हिन्दी नहीं सीखते हैं और हिन्दी के प्रचार प्रसार को बल नहीं देते हैं तो न तो राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी और न ही आगे चलकर हमारे देश की तरक्की और विकास का जो हमने सपना संजोया था वह पूरा हो सकेगा।

मैं इस मौके पर अपने इन मित्रों की भावनाओं को तो ठेस नहीं पहुंचाना चाहता

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

परन्तु मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके एक नया शगल करने की कोशिश नहीं करें। हां, यह बात जरूर है कि अगर आप कवि हैं, आप लेखक हैं तो निश्चित रूप से अलग-अलग प्रान्तों के हिसाब से, अलग-अलग जगहों के हिसाब से, अलग-अलग रियासतों के भूतपूर्व टुकड़ों के हिसाब से जिस तरीके से आप अपनी स्थानीय भाषाओं में सरस कवितायें और सरस लेख लिखते हैं, यह अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है परन्तु आप हिन्दी के मुकाबले में ला करके खड़ा करके अलग विषय बनाने की कोशिश करते हैं तो यह उचित बात नहीं है। मैं समझता हूं कि आपकी और मेरी आन्तरिक भावना हिन्दी और हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हुई है राष्ट्रीय एकता के साथ जुड़ी हुई है और उसी परिपेक्ष से मैंने अपनी बात कही है। किसी तरह से आपको डिस्टर्ब करने के लिए या आपकी बात की काट करने की नीयत से ये बातें नहीं कही हैं। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम रह गया है। माननीय मंत्रीजी जो भी उचित समझें उत्तर दे दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, अभी विचार पूरा नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास !

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थानी भाषा के नाम से जो आज एक वातावरण बनाया जा रहा है, जो राजस्थान प्रान्त के अन्दर राजस्थानी भाषा का समाचार रोज शाम को रेडियो पर आता है, मैं समझता हूं कि राजस्थान के अन्दर तीन चौथाई आदमी उस समाचार को समझ ही नहीं सकते। प्योरली जोधपुर का लेवलिंग का समाचार आता है। जयपुर के लोग नहीं समझ सकते। भरतपुर के लोग बिलकुल नहीं समझ सकते उसी आधार पर यह चलाना चाहते हैं कि यह राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले और राजस्थानी भाषा के नाम से एक टुकड़ा जो राजस्थान का है उसकी भाषा को पूरे राजस्थान प्रान्त पर लादने की कोशिश की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थानी बोलियां हैं, डायलेक्ट हैं, हर दस मील पर बोली बदलती है। आज जयपुर की जो भाषा है वह मालपुरा में आपको डिफरेंस मिलेगा। मालपुरा से आगे कोटा जायेंगे तो डिफरेंस मिलेगा। अब हम जब नेशनल इण्टीग्रेशन की बात करते हैं, यह बात कहा करते हैं कि हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है और हिन्दी का प्रचार और प्रसार दक्षिण भारत में भी हो, अहिन्दी भाषी राज्यों के अन्दर भी हो और किसी प्रकार से हिन्दी वह महत्व प्राप्त कर सके जो एक राष्ट्रीय भाषा को प्राप्त होना चाहिए उससे नेशनल इण्टीग्रेशन होगा और एकरूपता पूरे राष्ट्र के अन्दर आएगी तो इन परिस्थितियों में हम जा करके राजस्थानी भाषा को अलग बनाने की कोशिश कर रहे हैं यह बड़ा दुखद कदम है। राजस्थानी के अन्दर साहित्यकार हैं और जैसा जमवारामगढ़ से आने वाले माननीय

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

सदस्य ने कहा, मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। राजस्थानी के नाम से जो भी लेखक हैं और जो इस पर्टीकूलर लैंग्वेज या डायलेक्ट में अपना लिट्रेचर लिखते हैं, कविता लिखते हैं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, एनकरेजमेंट मिलना चाहिए। उनको सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिए, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर राजस्थानी भाषा के नाम पर मारवाड़ी को अगर आप राजस्थान पर लादना चाहें तो इसकी प्रतिक्रिया होगी, अध्यक्ष महोदय। इस सदन के अन्दर मैं समस्त माननीय सदस्यों को बहुत नम्रतापूर्वक इस बात के लिए आगाह करना चाहता हूं कि ऐसा कोई कदम नहीं उठायें। आज राजस्थान की हिन्दुस्तान के अन्दर डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स लैंग्वेज है और बिलकुल पोशाक, खान-पान सब जगह अलग अलग है। आप दक्षिण भारत में जायेंगे तो आपको लगेगा कि दूसरे मुल्क में आ गये। लेकिन फिर भी हमारा राष्ट्र एकता से चल रहा है, एकजुट है। उस स्थिति के अन्दर राजस्थान में भी विभिन्नताएं हैं और विभिन्नताएं होना अच्छी बात है कोई बुरी बात नहीं है। जो छोटे-छोटे रीजन्स हैं वह अपनी डायलेक्ट को एडीहर करें, उसको डवलप करें, उसमें लिट्रेचर लिखें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जिस प्रकार से भारतवर्ष के अन्दर हमारी केन्द्र सरकार है वह भी हिन्दी के मामले में लिबरल एटीट्यूड रखती है, लिबरल स्टेण्ड रखती है महज इस गर्ज से कि दक्षिण भारत के लोगों में या अहिन्दी लोगों में उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो, कोई उनके दिमाग में ऐसी बात पैदा न हो कि हिन्दी भाषी लोग पूरे मुल्क के अन्दर हमारे ऊपर हिन्दी लादना चाहते हैं, हिन्दी थोपना चाहते हैं। इस प्रकार की भावना लेकर चलते हैं। नेशनल लेवल पर इंग्लिश को रिकोग्नाइज करते हैं और उनकी लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो उसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, राजस्थानी . . .

(व्यवधान)

मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं इस निवेदन के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि आपको व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिये, उदार दृष्टिकोण रखना चाहिये। यह हो सकता है कि मारवाड़ी लैंग्वेज के अन्दर, डायलेक्ट के अन्दर, बोलियों के अन्दर कुछ ज्यादा लेखक हो गये हों। उस नाम से आपने सफलता प्राप्त कर ली, किसी प्रकार मैनीपुलेशन कर लिया, कुछ मैनोवरिंग कर लिया कि मारवाड़ी के अन्दर समाचार ने, राजस्थानी के नाम से स्थान प्राप्त कर लिया और रेडियो के ऊपर राजस्थानी में समाचार आते हैं। इस प्रवृत्ति को आगे नहीं बढ़ायें। राजस्थान में इसका घोर विरोध होगा और बाकी मारवाड़ के बाहर के लोग इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मारवाड़ी बोलियों को राजस्थानी के नाम से राजस्थान के ऊपर लादा जाये।

श्री अध्यक्ष : और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे ?

(व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : आप दो मिनट बोल नहीं सकते हैं। उत्तर देने दीजिए। उत्तर दे नहीं सकेंगे।

एक माननीय सदस्य : माननीय चूंडावत जी, बोलने दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : सदन का समय नहीं बढ़ा सकते हैं तो आप इसको डेफर करवा दें ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, प्लीज । जो बोलना चाहेंगे वह माननीय सदस्य बोलेंगे ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्राइवेट मैम्बर डे के रोज टॉक आउट हो गया । संकल्प रखा है, इस पर सदन एकमत तो है नहीं । अध्यक्ष महोदय, टॉक आउट ही होगा ।

श्री अध्यक्ष : टॉक आउट नहीं होगा, यह आगे चलेगा और ।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह कन्ट्रोवर्सी बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : वे बोलना चाहेंगे ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय अध्यक्ष जी, आज सदन के समक्ष जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है राजस्थानी भाषा के नाम से उसके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक भाषा शास्त्र का प्रश्न है, उसकी दृष्टि से राजस्थानी भाषा नाम की कोई भाषा नहीं है । राजस्थान में कल यह प्रश्न पैदा होगा, हाड़ौती वाले कहेंगे हमारी भाषा हाड़ौती है, मारवाड़ वाले कहेंगे हमारी भाषा मारवाड़ी है, जयपुर डिवीजन वाले कहेंगे हमारी भाषा ढूंढाडी है। राजस्थानी भाषा, कोई भी माननीय सदस्य, मैं यह दावा करता हूं, भाषा शास्त्र के नाम पर राजस्थानी नाम की भाषा सिद्ध कर दें तो उस चैलेंज को मैं स्वीकार करने को तैयार हूं । राजस्थानी नाम की कोई भाषा नहीं है। भाषा शास्त्र को मैंने पढ़ा है, आज अगर यह प्रवृति राजस्थान में पैदा हो रही है तो कल यह बीमारी यू. पी. में फैलेगी । वहां के लोग कहेंगे कि वृज भाषा होनी चाहिए, मैथिल होनी चाहिए, कौकिल होनी चाहिए, अवधि होनी चाहिए । यह प्रवृत्ति मूल रूप में बहुत छोटी लग रही है, भावनात्मक दृष्टिकोण से यह मुद्दा उठाया जा रहा है लेकिन आगे चल कर देश के विघटन का मजबूत आधार पेश किया जा रहा है ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं ।

श्री हरिसिंह : मैं बहुत कुछ समझ रहा हूं इसलिये कह रहा हूं । आगे समझने के लिए भी मैं आपकी क्लास में आ जाऊंगा । मेरा निवेदन है कि यह संकल्प पारित होने से पूर्व कम से कम सदन इस बात पर विचार करे कि राजस्थानी भाषा वास्तव में कौन सी होगी ? आया मारवाड़ी होगी, ढूंढाडी होगी, हाड़ौती होगी ?

एक माननीय सदस्य : अकादमी तय कर लेगी ।

श्री हरिसिंह : अकादमी कहां की तय कर लेगी । बहरहाल यह संकल्प इस रूप में आता कि डिंगल भाषा की अपनी जगह है तो बात समझ में आती ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज । समय समाप्त हो रहा है । आपका भाषण अगले किसी अवसर पर करा देंगे ।

श्री हरिसिंह : मैं आपकी भावना को पहचान रहा हूं और आपके आदेश की पालना कर रहा हूं । इसमें कोई बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि माननीय सदस्य, बुलाकी दास कल्ला ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि कोई भी प्रस्ताव माननीय सदस्य नियम 23 के अन्तर्गत प्राइवेट मेम्बर डे पर रख सकते । उस दिन ढाई घंटे का कम से कम समय मिलना चाहिए । मैं सोचता हूं या तो कमी को समय बढ़ा कर पूरा किया जाय । तो समय बढ़ाने का इरादा है क्या ? इरादा नहीं है तो फिर उसमें व्यवस्था यह होगी कि आज गैर सरकारी सदस्यों का दिन था वह आधा दिन होना चाहिए । वह आधा दिन पूरा माना जाये, पहली तो यह व्यवस्था है ।

माननीय सदस्य जो बोल रहे थे इनका भाषण अधूरा रहा है । आगे जब कभी अवसर आयेगा वह अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं ।

आसन को भी कभी कभी कुछ कहने का अधिकार होता है । मैं एक छोटी सी कविता आपके सामने पेश करता हूं :

दोई सेन, उढ्ढग न खंग न समंग न अज्ञ तुरंग न वग्ग लीं ।

मतलब समझे आप कुछ ?

अनेक माननीय सदस्य : नहीं ।

श्री अध्यक्ष : नहीं समझे । आप तो हिन्दी जानते हैं ना । यह जिस कोटी की कविता है उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं । लेकिन हिन्दी साहित्य सम्मेलन होता है उसके जितने भी प्रकाण्ड पंडित होते हैं उन्होंने इसको एक नमूना चुना है । बहुत लम्बी कविता है, पूरी बोली नहीं जा सकती है । नमूना चुना है कि इतने भाव व्यक्त करने वाली, इतनी सुन्दर कविता है जिसमें ध्वनि से ही युद्ध का वर्णन है, ध्वनि से ही इस तरह का वातावरण बनता है । उन्होंने यह जरूर माना है कि यह सुन्दरतम अभिव्यक्ति है साहित्य की, अपने देश की भाषाओं की । लेकिन आप समझ नहीं सके, इसका मतलब यह हिन्दी तो नहीं है । यह है राजस्थानी । फिर कुछ भाई कह रहे थे, कुछ माननीय सदस्य फर्मा रहे थे कि यह तो मारवाड़ की और अपने बीकानेर की भाषा हो सकती है । हाड़ोती वाले क्या करेंगे ? मैं नम्र निवेदन कर दूं कि यह कविता सूर्यमल मिश्रण की है । आप किस इलाके से आते हैं ?

श्री हरिसिंह : सवाई माधोपुर से ।

श्री अध्यक्ष : सवाई माधोपुर के पास बूंदी है । यह बूंदी के राजकवि सूर्यमल मिश्रण की है, जिनका मारवाड़ी से कोई लेना देना नहीं है । मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं ।

सूचना

आय-व्ययक 1981-82 की प्रस्तुति

एक सूचना और अर्ज कर दूं । बजट 6 मार्च, 1981 को सुबह 11.00 बजे प्रस्तुत किया जायेगा ।

(श्री अध्यक्ष)

सदन की कार्यवाही दिनांक 6 मार्च, 1981 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

[तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5.00 बजे शुक्रवार दिनांक 6 मार्च, 1981 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।]

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 94 की सूची

वन्य जीवों की गणना की सूचना वर्ष 1979–80

क्र. सं	सैंक्चुरी का नाम	टाईगर	पेन्थर	सांभर	चीतल	नीलगाय	चौसिंगा	चिकारा	रीछ	सूअर	जंगली बिल्ली	सियार	काला हिरण
1.	बाघ परियोजना सरिस्का	16	8	6421	—	3473	596	—	—	3117	175	661	—
2.	घना पक्षी बिहार भरतपुर	—	—	28	206	256	—	—	—	211	11	41	—
3.	जय समन्द (उदयपुर)	—	5	20	13	—	—	102	—	90	—	—	—
4.	दरा गेम सैंक्चुरी (कोटा)	5	20	333	1524	238	231	189	16	544	—	—	—
5.	कुम्भलगढ़ सैंक्चुरी	—	18	35	—	66	206	23	64	275	—	53	—
6.	वन बिहार धौलपुर	—	2	21	85	167	—	57	6	198	—	—	—
7.	माऊंट आबू गेम्स सैंक्चुरी	—	13	50	—	8	—	—	7	—	—	—	—
8.	डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर	—	—	—	—	—	—	82	—	—	—	—	—
9.	सीता माता सैंक्चुरी	—	10	13	—	—	417	—	—	1173	—	—	—
10.	तालछापर गेम सैंक्चुरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	850
	योग	21	76	6921	1828	4208	1450	453	93	5608	186	755	850
	राष्ट्रीय उद्यान का नाम												
1.	रणथम्भौर	32	21	3246	3117	1861	—	235	136	1941	7	97	—
	महायोग	53	97	10167	4945	6069	1450	688	229	7549	193	852	850

नोट :—राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य एवं नाहरगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जयपुर का निर्माण हाल ही में किया गया है यथा उनमें वन्य जीवों की गणना अभी नहीं करवाई जा सकी है।

परिशिष्ट 2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

नगर परिषद् जोधपुर द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य

96. श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा), श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी), श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा) एवं श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रशासक, नगर परिषद्, जोधपुर ने परिषद् द्वारा चलाये जा रहे निर्माण कार्यों को बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या परिषद् की राशि बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा है ? यदि हां, तो किन किन बैंकों में कितनी-कितनी ?

(3) क्या यह सही है कि गत वर्ष बजट में रखी गई निर्माण कार्य की राशि का अधिकांश भाग व्ययगत हुआ ? यदि हां, तो कितनी राशि ? इस वर्ष निर्माण कार्य हेतु कितनी राशि रखी गई तथा कितनी व्यय हो चुकी है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल स्थगित किया गया था।

(2) जी हां। विवरण संलग्न है।

(3) जी नहीं। केवल 16,93,000 रु. की राशि शेष रह गई थी। इस वर्ष 50 लाख रुपये की राशि निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृत है तथा इसमें से 44.39 लाख रुपये अब तक व्यय हो चुके हैं।

दिनांक 20-2-81 तक परिषद् की राशि निम्नलिखित बैंकों में स्थाई जमा इस प्रकार है :—

क्र.सं.	बैंक का नाम	राशि	दिनांक
1	2	3	4
1.	यूनाइटेड बैंक	50,000	8-7-81
2.	विजया बैंक	50,000	11-7-81
3.	पंजाब नेशनल बैंक	50,000	25-7-81
4.	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	50,000	17-7-81
5.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	50,000	15-7-81
6.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	50,000	2-6-81
7.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	2,00,000	10-5-81
8.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	1,00,000	17-5-81

(स्वायत्त शासन मंत्री)

1	2	3	4
9.	बैंक आफ बड़ौदा	50,000	7-7-81
10.	दी यूनियन बैंक आफ इण्डिया	1,00,000	7-7-81
11.	जोधपुर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक	1,00,000	1-5-81
12.	जोधपुर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक	2,00,000	1-5-81
13.	जोधपुर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक	1,00,000	1-5-81
14.	जोधपुर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक	3,00,000	9-9-81
15.	जोधपुर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक	2,00,000	16-5-81
16.	जोधपुर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक	1,50,000	24-5-81
17.	जोधपुर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक	4,00,000	26-5-81
18.	ओरियन्टल बैंक	3,00,000	9-4-81
19.	ओरियन्टल बैंक	1,00,000	14-4-81
20.	ओरियन्टल बैंक	1,00,000	9-4-81
21.	सिंडीकेट बैंक	2,00,000	2-7-81
	कुल	29,00,000	

ग्राम पंचायत चांदेरा के विरुद्ध शिकायतें

97. श्री बन्सीलाल पटवा (भीलवाड़ा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :—

(1) क्या सरपंच, ग्राम पंचायत चांदेरा, तहसील सिकराय, जिला जयपुर के विरुद्ध जिला प्रशासन को शिकायतें प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो क्या उनकी जांच की गई ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या रहे ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सरपंच द्वारा खातेदारी की भूमि पर नाजायज लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कुए का निर्माण पंचायत कोष से करवाया गया है ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। माह अगस्त, 1980 में सरपंच ग्राम पंचायत चांदेरा के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच की जा रही है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। जांच प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर ही परिणाम के बारे में ज्ञात हो सकेगा।

(2) जी नहीं। ग्राम पंचायत चांदेरा के सरपंच श्री रामकिशोर ने ग्राम ब्रह्मबाद से सामूहिक खातेदारों के कुएं पर निर्माण कार्य कराया था। इस कुएं को पूर्व से ही सार्वजनिक रूप में उपयोग लिया जा रहा है तथा अब सामूहिक खातेदारों ने ग्राम पंचायत को उक्त कुएं को दान कर दिया है। इस कुएं पर काम के बदले अनाज योजना द्वारा 4,492.40 व्यय किया गया है। इस राशि द्वारा कुएं की मरम्मत तथा पशुओं को पानी पीने हेतु खेली बनाई गई है।

झुन्झुनूं में पथ परिवहन निगम का बस स्टेण्ड

98. श्री लच्छूराम (मण्डावा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झुन्झुनूं जिला मुख्यालय का पथ परिवहन निगम के बस स्टेण्ड का निर्माण अधूरा है ?

(2) यदि हां, तो उक्त स्टेण्ड के पास पुराने बस स्टेण्ड को छोड़कर स्थानाभाव व शैड बना न होने पर भी स्टेण्ड लाने का क्या कारण है ?

(3) क्या पुराने बस स्टेण्ड पर बस रोकने व बुकिंग करने का इरादा सरकार रखती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) पुराने बस स्टेण्ड की बजाय नये बस स्टेण्ड से वाहन संचालन करने के प्रमुख निम्न कारण थे :—

1. पुराने बस स्टेण्ड जहां से निजी वाहनें कच्चे मार्गों के लिए चलती हैं, खड़ी रहने के कारण वाहनों के घुमाने के लिये पर्याप्त स्थान नहीं था।

2. पुराने बस स्टेण्ड जहां से निगम एवं निजी वाहनें संचालित होती थीं विशेषकर ग्रामीण लोगों को सही बस में बैठने में गफलत होती थी जिसके कारण निजी वाहन स्वामी अनधिकृत रूप से राष्ट्रीयकृत मार्गों की सवारियां उठाने का प्रयास करते थे।

3. आगार से पुराने बस स्टेण्ड जाने के लिये झुन्झुनूं शहर के बीच होकर जाना पड़ता है जिससे दुर्घटना होने की संभावना रहती थी एवं अनावश्यक यातायात अवरुद्ध होने के कारण वाहन संचालन में विलम्ब एवं बाधा होती थी।

4. वर्तमान बस स्टेण्ड शहर एवं स्टेशन के समीप है जो यात्रियों के लिये अधिक सुविधाजनक है। पुराना बस स्टेण्ड सरकारी कार्यालयों से काफी दूर होने के कारण इस प्रयोजनार्थ आने जाने वाले यात्रियों को भी असुविधा होती थी।

5. पुराने बस स्टेण्ड पर यात्रियों के लिये कोई विश्राम गृह नहीं था जबकि नये बस स्टेण्ड पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं।

6. निगम की वाहनों को पुराने बस स्टेण्ड तक खाली आना जाना पड़ता था जिससे डीजल की अनावश्यक खपत होती थी।

(3) निगम का विचार नहीं है।

माउण्ट आबू शरद समारोह

99. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

माउण्ट आबू में इस वर्ष मनाये गये शरद समारोह में कौन से कार्यक्रम रखे गये ? उनमें से कितने प्रतिशत कार्यक्रम राजस्थान की सांस्कृतिक परम्परा को उजागर करने के लक्ष्य से रखे गये ? कृपया संबंधित कार्यक्रम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

कार्यक्रमों की सूची संलग्न है। शरद समारोह में कुल 7 दिवसों में 7 कार्यक्रम आयोजित किये गये थे। इसमें से 3 कार्यक्रम परंपरागत राजस्थानी थे, जो पूरे कार्यक्रम के लगभग 43 प्रतिशत होते हैं।

(पर्यटन मंत्री) **शरद समारोह का कार्यक्रम**

क्र.सं.	दिनांक	कार्यक्रम	कलाकार
1.	25-12-80	सन्तूर वादन	पं. शिवकुमार
2.	26-12-80	राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रम (लोक नृत्य एवं लोक संगीत वाद्य एवं गायन)	रविन्द्र कला भारती, उदयपुर के कलाकार (क्षेत्रीय प्रचार प्रसार निदेशालय (भारत सरकार) के सौजन्य से
3.	27-12-80	राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रम (लोक नृत्य एवं लोक संगीत वाद्य एवं गायन)	"
4.	28-12-80	मनहर रात्रि	मनहर एवं पार्टी, बम्बई
5.	29-12-80	भरत नाट्यम्	यामिनी कृष्णमूर्ति, दिल्ली
6.	30-12-80	कत्थक [जयपुर घराना]	अलका नुपुर, दिल्ली
7.	31-12-80	नव वर्ष पूर्व संध्या कार्यक्रम	डेविड एवं पार्टी, दिल्ली

टोंक शहर के विकास हेतु सर्वेक्षण

100. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) टोंक शहर का योजनाबद्ध तरीके से विकास करने की दृष्टि से क्या कोई सर्वेक्षण हुआ है ?

(2) यदि हां, तो कृपया सर्वेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सर्वे कार्य चालू है।

(2) अभी सर्वे कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। सर्वे रिपोर्ट कार्य पूर्ण होने पर ही प्रस्तुत की जा सकेगी।

जयपुर शहर की कच्ची बस्तियां

101. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : क्या नगरीय विकास एवं नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

(1) जयपुर शहर में अंधाधुन्ध बसती जा रही कच्ची बस्तियों के प्रति सरकार की क्या नीति है ?

(2) क्या सरकार इन अवैध रूप से बसी कच्ची बस्तियों को नियमित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक बसी हुई बस्तियों को ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार इस समस्या पर गम्भीरता से विचार कर रही है।

(2) यह भी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

नगर परिषद् सीकर द्वारा विकास कार्यों पर व्यय

102. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 अप्रेल, 1980 के बाद नगर परिषद्, सीकर द्वारा विकास कार्यों पर कितना-कितना रुपया किस-किस मद पर व्यय किया गया ?

(2) 1 अप्रेल, 1979 से 30 मार्च, 1980 तक कितना रुपया व्यय किया गया था ?

(3) समन्वित शहरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सीकर नगर परिषद् को कितने रुपये व्यय करने की स्वीकृति दी गई है ? यह योजना कब तक चालू रहेगी तथा अब तक इस योजना पर कितना रुपया व्यय किया जा चुका है ?

उत्तर

(1) व्यय किया गया विवरण संलग्न–

(क) मद सं. 11 सार्वजनिक मरम्मत

(द) अन्य व्यय
वार्षिक मरम्मत पर व्यय
52,753.49

(ख) मद सं. 13 विकास कार्य–नए कार्यों का निर्माण 79,941.67

(2) 1 अप्रेल, 1979 से 30 मार्च, 1980 तक नए विकास कार्य व सार्वजनिक मरम्मत पर कुल व्यय 10,03,302.27 किया गया है।

(3) सीकर नगर परिषद् के लिए वर्ष 1980-81 के लिए पांच लाख रुपयों की स्वीकृति दी गई है। यह योजना वर्ष 1983 तक चालू रहेगी। अभी तक इस योजना पर नगर परिषद् द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया है।

श्री डूंगरगढ़ कस्बे में रेफरल हॉस्पिटल खोलना

108. **श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़)** : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार की यह योजना है कि प्रति वर्ष बड़े कस्बों में एक–एक रेफरल हॉस्पिटल खोला जायेगा ? यदि हां, तो चूरू जिले में अभी तक कितने और कहां–कहां खुल चुके हैं ? श्री डूंगरगढ़ कस्बे में रेफरल हॉस्पिटल कब तक खुल जायेगा ?

उत्तर

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत कर रेफरल हॉस्पिटल में परिवर्तित करने की योजना है। इस समय चूरू जिले में एक रेफरल हॉस्पिटल सांडवा में है। डूंगरगढ़ में रेफरल हॉस्पिटल बनाने का प्रस्ताव अभी राज्य सरकार के समक्ष नहीं है।

उदयपुर संभाग में विशेष न्यायालय

104. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आदिवासियों एवं हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों और ज्यादतियों की रोकथाम के लिये राज्य सरकार ने उदयपुर संभाग में कहां कहां विशेष न्यायालय स्थापित किये हैं? कृपया जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) पूर्व में हरिजन एवं आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिये क्या व्यवस्था थी?

उत्तर

(1) उदयपुर संभाग में कोई विशेष न्यायालय आदिवासियों एवं हरिजनों पर अत्याचारों और ज्यादतियों की रोकथाम के लिए नहीं खोले गये हैं।

(2) उदयपुर संभाग में हरिजनों एवं आदिवासियों पर अत्याचारों से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई क्षेत्राधिकार वाले सामान्य न्यायालयों द्वारा ही की जाती है।

उदयपुर नगर की अण्डर ग्राउण्ड ड्रेनेज स्कीम

105. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर में अण्डर-ग्राउण्ड ड्रेनेज बनाने की प्रस्तावित योजना नगरपालिका उदयपुर के सम्बन्धित अधिकारी ने राज्य सरकार को भेजी है? यदि हां, तो कब एवं उस पर कितना व्यय अनुमानित है?

(2) क्या राज्य सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो क्या? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उदयपुर नगर की भूमिगत जल निस्सारण योजना नगरपालिका द्वारा नहीं बल्कि जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा माह नवम्बर, 1980 में तैयार की गई है। इस योजना को, जिसकी अनुमानित लागत 2.27 करोड़ रुपये है, राजस्थान जल प्रदाय व मल निकासी प्रबन्धक मण्डल द्वारा स्वीकृत करने का निर्णय ले लिया गया है। योजना पर चालू वर्ष में कार्य प्रारम्भ हो जाने की आशा है।

(2) योजना की प्रशासनिक वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की कार्यवाही की जा रही है।

135

राजस्थान विश्वविद्यालय की अंक तालिकाओं में अशुद्धियां

106. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षा परिणामों की अंक तालिकाओं में कई की प्रकार की कमियां पाई गई हैं ?

(2) यदि हां, तो यह कमियां क्या क्या थीं तथा कहां कहां से व किस कक्षा की अंक तालिकाओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

(3) विश्वविद्यालय के इस प्रकार गिरते हुए स्तर तथा अकुशलता के लिये कौन जिम्मेदार है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कुछ परीक्षा परिणामों की अंक तालिकाओं में कतिपय त्रुटियां पाई गई थीं जो निम्न प्रकार हैं :––

(अ) राजकीय महाविद्यालय हिण्डौन से सम्बन्धित प्रथम वर्ष कला के 7 छात्रों को अंक तालिकायें बिना भरी हुई भेज दी गई थीं तथा 84 अंक तालिकाओं पर कुल-सचिव की मुहर लगने से रह गई थी।

(ब) एक अंक तालिका एम.ए.फाइनल इतिहास, 1980 की कुमारी ऊषा शर्मा की थी जिसमें अंक नहीं भरे हुये थे परन्तु गलती से सम्बन्धित छात्रा को भेज दी गई।

(स) इसके अतिरिक्त अन्य कुछ अंक तालिकाओं में भी कतिपय साधारण कमियां रह गई थीं।

(3) इसके लिए सम्बन्धित कर्मचारी उत्तरदायी थे जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वांछित सावधानी नहीं बरती। इन कर्मचारियों को अर्थदण्ड दिया गया है तथा परीक्षा अनुभाग से स्थानान्तरित कर दिया गया है तथा भविष्य में चार वर्षों के लिए इस प्रकार के कार्य से वंचित कर दिया गया है।

सहकारी बैंकों की समितियों व संचालक मण्डल के चुनाव

107. श्री अमीन खां (शिव) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के संचालक मण्डलों को कब भंग किया गया था और उस स्थान पर प्रशासकों की नियुक्ति कब की गई थी ?

(2) राज्य सरकार केन्द्रीय सहकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों तथा क्रय विक्रय सहकारी समितियों के संचालक मण्डलों का चुनाव कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार मनोनीत संचालक मण्डल बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) केन्द्रीय सहकारी बेंकों के संचालक मण्डलों को दिनांक 3·9·77 को भंग किया जाकर उसके साथ ही प्रशासकों की नियुक्ति की गई थी।

(2) संचालक मण्डलों का चुनाव कराने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

चीनी की वितरण व्यवस्था में घपला

108. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार चीनी विषयक नीति एवं चीनी की वितरण व्यवस्था में सितम्बर माह में केन्द्र की घोषणा के पहले ही गोपनीयता को रखने में असमर्थ रही है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि सितम्बर से आज तक चीनी की वितरण व्यवस्था में हुए काफी घोटाले, स्थानीय एवं प्रदेश के राज्य सरकार के पास पहुंचे हैं? यदि हां, तो क्या किसी स्थानीय एवं प्रदेश के दोषी अधिकारी को दोषी मान कर उनको जनता की मांग पर दंडित किया गया है।

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश में अलग-अलग जिलों में अलग अलग मात्रा में नगरीय जनता को चीनी वितरित की गई? यदि हां, तो भेदभाव क्यों किया गया?

उत्तर

(1) जी नहीं। फ्री सैल चीनी निश्चित मूल्य पर मिलों से राज्य सरकारों को वितरण हेतु दिलवाने की केन्द्र सरकार की नीति माह सितम्बर, 80 से अक्टूबर, 80 के लिए थी जिसे बाद में 15 नवम्बर, 80 तक बढ़ाया गया। इसकी सूचना समाचार-पत्रों में राज्य सरकार को औपचारिक सूचना प्राप्त होने के पूर्व ही प्रकाशित हो चुकी थी। मिलों से केन्द्र सरकार की इस सम्बन्ध में बात हो रही थी इसलिए इसमें गोपनीयता भंग होने का प्रश्न नहीं है।

(2) लेवी चीनी वितरण के संबंध में अन्य शिकायतों की भांति जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उन्हें सम्बन्धित जिलाधीशों को भेजा जाता रहा है। किसी अधिकारी विशेष के दोषी होने की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए किसी को दण्डित नहीं किया गया है।

(3) जी हां। केन्द्र सरकार सन् 1971 की जनसंख्या के आधार पर राज्य के लिए लेवी चीनी आवन्टित करती है एवं फ्री सैल चीनी भी कन्जम्पशन पैटर्न के आधार पर आवंटित की गई थी, जो राज्य की वर्तमान जन संख्या को ध्यान में रखते हुए बहुत कम है। लेवी चीनी का जिलों को आवंटन अगस्त, 1978 के पूर्व की व्यवस्था के अनुसार सन् 1971 की जनसंख्या में 10 प्रतिशत वृद्धि करके किया जाता है। तदर्थ सैल चीनी का आवन्टन भी कन्जम्पशन पैटर्न को ध्यान में रखते हुए जिलों को किया गया था। यूनिट संख्या में विभिन्न जिलों में विभिन्न अनुपात में वृद्धि होने के कारण जिलाधीश उपलब्धि के अनुसार प्रति व्यक्ति

(खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री) अलग-अलग मात्रा निर्धारित करते हैं। जिसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया है। वर्तमान जनसंख्या के आधार पर जब तक मासिक आवंटन में वृद्धि नहीं होती है, समान रूप से वितरण संभव नहीं है।

कृषि मण्डियों के अस्थायी कर्मचारी

109. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत 5 वर्षों से कृषि मण्डियों में कितने अस्थाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि विपणन बोर्ड ने अपने स्तर पर कर्मचारियों की नियुक्ति कर बड़ी समितियों में पदस्थापित करने से इन समितियों में लगे अस्थाई कर्मचारियों को निकाला जा रहा है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(3) क्या सरकार मण्डी समितियों के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान मानती है ? यदि हां, तो क्या उन्हें दिये जाने वाले सारे परिलाभ नियुक्ति तिथि से दिये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) मण्डी समितियों में कार्यरत अस्थाई कर्मचारियों की संख्या 1208 है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

राज्य सरकार के कर्मचारियों के अनुसार मण्डी समितियों के कर्मचारियों को निम्न परिलाभ दिये जाते हैं :—

1. वेतन, महंगाई भत्ता एवम् मकान किराया।

2. यात्रा भत्ता।

3. चिकित्सा व्यय का पुनर्भरण।

किन्तु निम्न परिलाभ जो राज्य कर्मचारियों को मिलते हैं किन्तु मण्डी समिति कर्मचारियों को नहीं दिये जाते हैं :—

1. पेंशन एवम् ग्रेचुएटी।

2. राज्य सरकार द्वारा घोषित अवकाश।

मण्डी समिति कर्मचारियों को पेंशन एवं ग्रेचुएटी के स्थान पर अंशदायी प्रावधायी निधि का परिलाभ देने का प्रावधान है एवं राजपत्रित अवकाश के स्थान पर मण्डी समिति के लिए पृथक् से ही मण्डी समिति कर्मचारी सेवा नियमों में अवकाश दिवस निश्चित किये गये हैं, क्योंकि मण्डी समिति के अवकाश दिवस मण्डियों के कार्यकरण के अनुरूप रखा जाना आवश्यक समझा गया है।

जयपुर–बीकानेर यातायात मार्ग

110. श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर–बीकानेर मार्ग का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था ?

(श्री भंवरलाल)

(2) इस मार्ग पर राष्ट्रीयकरण से पूर्व कितनी निजी बसें चलती थीं तथा वर्तमान में राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बसें चल रही हैं ? यदि इनकी संख्या राष्ट्रीयकरण के पूर्व से कम है, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर-बीकानेर मार्ग का राष्ट्रीयकरण दिनांक 16-10-74 को किया गया।

(2) राष्ट्रीयकरण से पूर्व इस मार्ग पर 30 निजी वाहनों द्वारा 12 एकल सीधी सेवाएं प्रदान की जाती थीं। परिवहन निगम द्वारा वर्तमान में उक्त मार्ग पर 302 वाहन सेवाएं संचालित की जाती हैं जिसमें जयपुर-रतनगढ़, बीकानेर मार्ग पर 6 व जयपुर-बीकानेर सालासर मार्ग पर 2 सीधी सेवाएं भी शामिल हैं।

रामगंज बाजार, जयपुर की गुलाबी पुताई

111. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) रामगंज बाजार की गुलाबी पुताई कराने के लिये जन सहयोग से एकत्रित राशि नगर परिषद्, जयपुर में कब व कितनी जमा की गयी थी ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बाजार में अब तक रंग क्यों नहीं कराया गया है ? अब कब तक निश्चित रूप से रंग करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) रामगंज बाजार में गुलाबी रंग किए जाने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को ताकीद की जा रही है।

वाजार रामगंज लाइन जनूबी गुलाबी कलर

क्रम सं.	नाम	पता	रसीद नं.	रकम	ता.
1	2	3	4	5	6
1.	नानगराम-भगवतीलाल	रामगंज वाजार	27843 279	100.00	17–9–75
2.	वालीलाल–मदन लाल	,,	27844	100.00	,,
3.	मानेश्वर लाल–मदन लाल	,,	27845	100.00	,,
4.	दुर्गा लाल–नारायण लाल	,,	27846	100.00	,,
5.	प्रेमचन्द सर्राफ	,,	27847	100.00	,,
6.	केशर लाल–गुलाबचन्द	,,	27848	100.00	,,
7.	नरसिंह लाल–मथुरदास	,,	27849	100.00	,,

1	2	3	4	5	6
8.	महरचन्द जैन एन्ड सन्स	रामगंज बाजार	27850	100.00	17-9-75
9.	राधेगोपाल खूंटेटा	,,	27851	100.00	,,
10.	विजय प्रकाश खंडाका	,,	27852	100.00	,,
11.	दामोदर–राम लाल सर्राफ	,,	27853	100.00	,,
12.	श्री ग्राभूषण भंडार	,,	27854	100.00	,,
13.	मोहन लाल–केदारमल	,,	27855	100.00	,,
14.	लाभसिंह–जीवतसिंह	,,	27856	100.00	,,
15.	चम्पालाल–दौलतमल	,,	27857	100.00	,,
16.	साहानुलाल सर्राफ	,,	27858	100.00	,,
17.	समन्दरसिंह–मेहरबानसिंह	,,	27859	100.00	,,
18.	मन मोहन–लक्ष्मीनारायण शर्मा	,,	27860	100.00	,,
19.	गोरधनदास–केवलराम	,,	27861	100.00	,,
20.	मूलचन्द–ठाकुरदास	,,	27862	100.00	,,
21.	मिरचूमल–छमलदास	,,	27863	100.00	,,
22.	राय मेडिकल स्टोर्स	,,	27864	100.00	,,
23.	नैमनदास–रूडमल	,,	27865	100.00	,,
24.	श्रीकृष्ण हिन्दू रेस्टोरेन्ट	,,	27866	100.00	,,
25.	बोम्बे हेयर ड्रेसर रामेश्वरलाल	,,	27867	100.00	,,
26.	लादूराम–पवनमल	,,	27868	100.00	,,
27.	दौलतराम–ग्रोमप्रकाश	,,	27869	100.00	,,
28.	बाटा शू स्टोर्स	,,	27870	100.00	,,
29.	बाटा शू स्टोर	,,	27871	100.00	,,
30.	मोहम्मद यासीन क्लाथ	,,	27872	100.00	18-9-75
31.	सरदार मेडिकल स्टोर प्रो. एल. ग्रजमेरा	,,	27873	100 00	,,
32.	जयपुर जिला बुनकर	,,	27874	100.00	,,
33.	रामचन्द–मोतीलाल	,,	27875	100.00	,,
34.	रामचन्द- मोतीलाल	,,	27876	100.00	,,
35.	रामचन्द–मोतीलाल	,,	27877	100.00	,,
36.	फतेहपुरिया क्लाथ स्टोर	,,	27878	100.00	,,
37.	ममुनिदीन फकीर मोहम्मद	,,	27879	100.00	,,
38.	ग्रब्दुल रसीद एण्ड कम्पनी	,,	27880	100.00	,,
39.	राजस्थान चार स्टोर	,,	27881	100.00	,,

1	2	3	4	5	6
40.	नेशनल चून्दड़ी हाउस	रामगंज बाजार	27882	100.00	18–9–75
41.	जनता क्लोथ स्टोर	,,	27883	100.00	,,
42.	नेशनल कटपीस स्टोर	,,	27884	100.00	,,
43.	हाजी अब्दुल रसीद	,,	27885	100.00	,,
44.	भारत टैक्सटाइल	,,	27886	100.00	,,
45.	फैन्सी क्लाथ स्टोर मो. हुसैन	,,	27887	100.00	,,
46.	पैराडाइज होजरी	,,	27888	100.00	,,
		कुल योग		4600.00	
47.	गुलाब चन्द गट्टूलाल	,,	27889	100.00	19–9–75
48.	देवी लाल गट्टूलाल	,,	27890	100.00	,,
49.	महबूब क्लाथ स्टोर	,,	27891	100.00	,,
50.	ताम्बी क्लाथ स्टोर	,,	27892	100.00	,,
51.	गोरधन दास खण्डेलवाल	,,	27893	100.00	,,
52.	ईश्वर कटपीस सेन्टर	,,	27894	100.00	,,
53.	केशवानी वाच रेडियो	,,	27895	100.00	,,
54.	कुशल किराना जनरल	,,	27896	100.00	,,
55.	अब्दुल रहमान	,,	27897	100.00	,,
56.	इन्डियन लिब्टी हाउस	,,	27898	100.00	,,
57.	विसमिल्ला होटल	,,	27899	100.00	,,
58.	गुलाबग्रहमद बक्स	,,	27900	100.00	,,
59.	,,	,,	40001	100.00	,,
			योग	1300.00	

चौकड़ी घाटगेट बाजार रामगंज लाइन जनूबी गुलाबी कलर

क्रम.सं. 1	नाम 2	पता 3	रसीद नं. 4	ता. 5	रकम 6
1.	सरफूद्दीन अब्दुल रसीद	रामगंज बाजार	40002	21-9-75	100)
2.	हाजी अकदस अली	,,	40003	,,	100)
3.	कल्लू पुत्र अब्दू खां	,,	40004	,,	100)
4.	कल्लू पुत्र अब्दू खां	,,	40005	,,	100)

1	2	3	4	5	6
5.	बुन्दु पुत्र भूरे खां	रामगंज बाजार	40006	21-9-75	100)
6.	गोरधन दास सूरजनारायण	,,	40007	,,	100)
7.	मोहरी लाल गोरधनदास	,,	40008	,,	100)
8.	कमल मेडिकल स्टोर	,,	40009	,,	100)
9.	अब्दुल सत्तार	,,	40010	,,	100)
10.	नत्थूमल दालूमल	,,	40011	,,	100)
11.	नथमल-दालूमल	,,	40012	,,	100)
12.	मोहम्मद इशाक-नूर मोहम्मद	,,	40013	,,	100)
13.	लीली जनरल स्टोर	,,	40014	,,	100)
14.	करीमुद्दीन पुत्र रहीम बक्स	,,	40015	,,	100)
15.	राधेश्याम सीताराम	,,	40016	,,	100)
16.	राधेश्याम-सीताराम	,,	40017	,,	100)
17.	गोविन्द सहाय पुत्र चतुरभुज	,,	40018	,,	100)
18.	हकीम पीर अब्दुल	,,	40019	,,	100)
19.	मोहम्मद रमजान	,,	40020	,,	100)
20.	मोइनुदीन	,,	40021	,,	100)
21.	मोहनलाल	,,	40022	,,	100)
22.	मोहनलाल	,,	40023	,,	100)
23.	बनवारी लाल मोहन लाल	,,	40024	,,	100)
24.	माधो विहारी लाल	जौहरी बाजार	40035	,,	100)
25.	त्रिलोक चन्द एण्ड कं.	रामगंज बाजार	40036	,,	100)
26.	अब्दुलगफ्फूर नूरमोहम्मद	,,	40037	,,	100)
27.	दामोदर-मदनलाल	,,	40038	,,	100)
28.	महादेव राजू रेस्टोरेन्ट	,,	40039	,,	100)
29.	रामसहाय-रामदेव	खंदा रामगंज पुलिस चौकी	40040	,,	100)
				कुल योग	2900)

रामगंज बाजार की सूची

क्रम सं.	नाम	पता	रसीद सं.	तारीख	रकम
1.	फर्म हर सहाय गंगासहाय	रामगंज बाजार	42196	29–9–75	100/–
2.	समीउल्ला जयपुर वर्क स्टोर	"	42198	"	100/–
3.	मालिक मोहम्मद सईद	"	42199	"	100/–
4.	लक्ष्मीनारायण राधेश्याम	"	42200	"	100/–
5.	जयपुर सहकारी क्रय विक्रय संघ	"	42205	1–10–75	100/–
6.	बाबू लाल भागीरथ लाल	"	42206	"	100/–
7.	राजेन्द्र बुक एन्ड जनरल स्टोर	"	42211	3–10–75	100/–
8.	मोहम्मद गुलामबक्ष पुत्र हाजी सरीफुल्ला	"	40306	29–9–75	100/–
9.	गप्पू पुत्र इलाईबक्ष	"	40307	"	100/–
10.	सय्यद सौकत अली मुगदस	"	40209	"	100/–
				योग	1000/–
				कुल योग	4600.00
					1300.00
					2900.00
					1000.00
					रु. 9800.00

जयपुर नगर परिषद् के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल

112. श्री राजबहादुर (भरतपुर) एवं श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जयपुर नगर परिषद् के सफाई कर्मचारियों ने जुलाई, 1980 में 32 दिन की हड़ताल करने और सरकार द्वारा उनके साथ समझौता हो जाने के बाद 11 जनवरी, 1981 से पुनः हड़ताल की थी जिससे जयपुर नगर की विभिन्न गलियों और मोहल्लों में गन्दगी, मलबे और दुर्गन्ध के कारण जन साधारण का जीना दूभर हो गया था ?

(2) इस हड़ताल को समाप्त करने और जन साधारण को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की और भविष्य के लिये क्या कदम उठाने जा रही है ?

(3) जयपुर नगर परिषद् के हड़ताली कर्मचारियों से समझौता करने में विलम्ब के क्या कारण थे ?

उत्तर

(1) जी हां। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण गन्दगी बढ़ गई थी।

(2) हड़ताल दिनांक 13-2-81 को समाप्त हो चुकी है एवं भविष्य में हड़ताल नहीं कर विवादास्पद मामलों को समझौता द्वारा तय करने का निर्णय हो गया है।

(3) नगर परिषद्, जयपुर द्वारा हड़ताली कर्मचारियों से समझौता किया जा चुका है।

बहरोड़ एवं किशनगढ़ में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत खोलना

113. श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़) : क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष बहरोड़ एवं किशनगढ़ (अलवर) में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत खोली गई थी ? यदि हां, तो उन्हें किस कारण से इन स्थानों से हटा कर पुनः अलवर में स्थापित किया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस निर्णय के विरुद्ध वकीलों एवं जनता में आक्रोश है और वहां जनता द्वारा आन्दोलन किया जा रहा है ? यदि हां, तो इन अदालतों को पुनः बहरोड़ व किशनगढ़ में सरकार कब तक स्थापित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) हां, यह सही है दिनांक 15-2-80 से किशनगढ़वास (अलवर) में अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश का न्यायालय खोला गया था। उसके अतिरिक्त बैठक का स्थान बहरोड़ भी घोषित किया गया था। इस अदालत का अस्थाई तौर पर बैठक का स्थान अलवर इसलिए स्थापित किया गया क्योंकि उपरोक्त स्थानों पर न्यायालय भवन व पीठासीन अधिकारी के निवास स्थान उपलब्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त जुडिशियल लाक-अप की व्यवस्था नहीं थी, जिससे कार्य में बड़ी बाधाएं उत्पन्न होती थीं, जो न्यायालय अलवर स्थानान्तरित किया गया उसके अतिरिक्त बैठक का स्थान किशनगढ़वास भी रखा गया है।

(विधि एवं न्याय मंत्री)

(2) यह आदेश तब तक प्रभावशील रहेगा जब तक किशनगढ़बास (अलवर) में न्यायालय भवन एवं पीठासीन अधिकारी के निवास स्थान व लाक-अप उपलब्ध नहीं हो जायेंगे।

इस निर्णय के विरुद्ध वकीलों एवं जनता के विरोध पत्र आये थे। इस प्रश्न के भाग 2 का उत्तर भाग 1 में समाविष्ट है।

जिला पाली हेतु खाद व बीज

114. श्री शिवदानसिंह (पाली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 1980 में पाली जिले में खाद-बीज की रबी व खरीफ की फसल हेतु कितनी मांग थी ?

(2) इस मांग को देखते हुए सरकार ने कितना खाद व बीज उपलब्ध कराया एवं कौन-कौन सी तिथि को ?

उत्तर

(1) पाली जिले में फसल खरीफ तथा रबी 1980 में खाद तथा बीजों की मांग का विवरण इस प्रकार रहा :—

बीज की मांग (क्विंटल में)

खरीफ		रबी	
बाजरा-बी.जे.-104	750	गेहूं-कल्याण सोना	1000
बी.के.-560	50	सोनालिका	1000
ज्वार-सीएस एच-5	75	अर्जुन	100
मक्का-जी-2	—	राज-1114	800
जी-5	300	राज-821	200
मूंग-एस-8	30	डी-65	500
पी.एस.-7	30	राज-911	100
पूसा-वैसाखी	10	के-65	100
			3500
तिल-प्रताप	125		
टी-13	25		
अरहर-यूपीए एस-120	1	चना-जी-130	—
उड़द-टी-9	1	एच-208	—
कैस्टर-जी-1	2	सी-235	—
अरुणा	1	सरसों-टी-59	100

खाद की मांग (मैट्रिक टन में)

	खरीफ	रबी
1-नत्रजन	675	5500
2-फासफोरस	80	1500
3-पोटाश	30	260

(कृषि मंत्री)

कपास–320–एफ	1000
बी–नरमा	200
एच–4	2
गंगानगर अगेती	25

(2) मांग के विरुद्ध राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा पाली जिले में बीज की आपूर्ति इस प्रकार रही :—

खरीफ			रबी		
किस्म	दिनांक	पूर्ति	किस्म	दिनांक	पूर्ति
बाजरा,	पिछला शेष	106–56	गेहूं कल्याण सोना	8–10–80	110
बी.जे.–104	4–6–80	101–70		9–10–80	120
	14–6–80	241–20		10–10–80	140
				22–10–80	20
		449–46		29–10–80	110
					500
बी.के.–560	पिछला शेष	73–98			
ज्वार सी.एस.एच.–5	2–6–80	70–00	सोनालिका	22–10–80	200
मक्का–जी–2	पिछला शेष	46–00		1–11–80	100
				3–11–80	200

(कृषि मंत्री)

खरीफ			रबी		
किस्म	दिनांक	पूर्ति	किस्म	दिनांक	पूर्ति
मक्का जी-5	23-6-80	220-22		4-11-80	100
मूंग-पूसा वैसाखी	11-3-80	8-20		10-11-80	100
					700
उड़द-टी-9	—	0-80			
			अर्जुन	17 10-80	110
कपास वी नरमा	23-4-80	90-00		20-11-80	50
					160
ग्वार-दुर्गाजय	पिछला शेष	10-00			
मूंगफली-एम-13	,,	5-10	राज-1114	24-10-80	200
			राज-821	6-11-80	100
				कुल	1600
			चना-जी-130	6-10-80	150
			एच-208	9-10-80	150
			सी-235	29-10-80	100
				—	400

खरीफ	रबी		
	सरसों–जी–59	22–9–80	21–00
	"	3–10–80	20–25
		15–10–80	12–00
			53

उक्त अवधि में रासायनिक खाद की आपूर्ति इस प्रकार रही :–

	खरीफ (फरवरी से जुलाई) 80	रबी (अगस्त से जनवरी) 1980–81
1. नत्रजन	637 मैट्रिक टन	2803 मैट्रिक टन
2. फासफोरस	111 ,,	604 ,,
3. पोटाश	35 ,,	97 ,,

खाद की तिथिवार आपूर्ति का विवरण एकत्रित होने में समय लगेगा ।

परिशिष्ट 3

अतारांकित प्रश्न संख्या 86 की सूची व शर्तें

(नियमित आवंटी)

सीकर जिले की तह. दांतारामगढ़ के ग्राम रेवासा में लवण उत्पादन हेतु आवंटित भूखण्डधारियों की सूची

क्र.सं.	आवंटी का नाम	आवंटित भू. सं.	क्षेत्रफल
1	2	3	4
1.	श्री भंवर लाल पाटनी पुत्र श्री गुलाब चन्द प्लाट नं. 127 बापू नगर, जयपुर	21 22 27	30 एकड़
2.	श्री नवरंग राय अग्रवाल कुचामन रोड (नावां), जि. नागौर	11 12 13	30 ,,
3.	श्री सांवर मल पंसारी पुत्र श्रीदत्त पंसारी पो. बीदासर, जि. चूरू	23 24 26	30 ,,
4.	श्री हुकम चन्द जैन रेलवे स्टेशन के पास, सुजानगढ़, जिला चूरू	1 7 8	30 ,,
5.	श्री महावीर प्रसाद जैन, द्वारा विजय साल्ट ट्रेडर्स सुजानगढ़, जिला चूरू	2 23 3.38	30 ,,
6.	श्री पुरषोतम दास नवाव, द्वारा मै. सुरय साल्ट ट्रेडर्स, सुजानगढ़, जिला चूरू	4 5 6	30 ,,
7.	श्रीमती गीता देवी अग्रवाल भालानियों का रास्ता, किशनपोल बाजार, जयपुर	28 29 30	30 ,,
8.	श्री कन्हैया लाल काला रेलवे स्टेशन के पास, सुजानगढ़, जिला चूरू	9 10 16	30 ,,
9.	श्री रामजी दास अग्रवाल द्वारा श्री ग्यारसी लाल नानक राम, पो. बगरू, जि. जयपुर	38 43 40	30 ,,
10.	श्री किशन लाल दूगड़ द्वारा ओम एजेन्सीज, एस-22 ग्रीनपार्क, एक्सटेन्शन, नई दिल्ली-16	35 36 37	30 ,,

1	2	3				4
11.	श्री भोजराज दुगड़ द्वारा ओम एजेन्सीज, एस–22 ग्रीनपार्क, एक्सटेन्शन नई दिल्ली–16	33	34	40	30	एकड़
12.	कमल किशोर अग्रवाल पुत्र श्री कृष्णावतार अग्रवाल सांभर लेक	14	19	20	30	,,

जिलाधीश द्वारा कृषि से अकृषि में परिवर्तित भूखण्डों पर लवण उत्पादन कर रही इकाइयों की सूची

1.	श्री समन्ती कुमार जैन	13.44 एकड़
2.	श्री भंवरीलाल वैद्य	10.00 एकड़
3.	श्री हरिश कुमार ताम्बी	22.00 एकड़
4.	श्री जुगल किशोर ताम्बी	20.00 एकड़
5.	श्री सोनथलिया इन्जी. इण्ड.	7.05 एकड़

आवंटन की शर्तें

लवण भूखण्ड राजस्थान भू-राजस्व (लवण क्षेत्र आवंटन) नियम, 1970 के अंतर्गत किये जाते हैं। जिनकी मुख्य शर्तें निम्न प्रकार हैं :—

1. लवण क्षेत्र भूखण्डों का आवंटन दस वर्ष के पट्टे पर किया जाता है, तथा दोबारा ईकाई के आवेदन पर अगले दस वर्षों के लिये नवीनीकरण किया जाता है।

2. पट्टेदारी को 15/– रुपये प्रति वर्ष प्रति एकड़ के हिसाब से भूराजस्व देना पड़ता है।

3. भू-राजस्व के बराबर ही राशि प्रति भूमि के रूप में इकाई द्वारा जमा करानी पड़ती है।

4. 5/– रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सीमाबन्दी शुल्क देय है।

5. आवंटन के 30 दिन की अवधि में लीज डीड का निष्पादन करना होता है।

6. पट्टेदार 500 वर्ग फीट तक अपने आवन्टी भूखण्ड में भवन निर्माण कर सकता है।

7. राजस्थान सरकार की लिखित आज्ञा बिना आवंटी अपनी भूमि के किसी भाग को दान में देने, बेचने अन्यथा उसके अन्तरण का कोई अधिकार नहीं होगा।

8. आवंटित किये गये भूखण्ड का उपयोग केवल नमक या उसके उप पदार्थ बनाने के लिये ही किया जावेगा।

9. आवंटी आवंटन होने के 6 माह की अवधि के भीतर नमक बनाना आरम्भ कर देगा तथा भविष्य में लगातार बारह महीने तक प्लाट बेकार न पड़े रहें।

(152)

परिशिष्ट 4

अतारांकित प्रश्न संख्या 88 की सूची

क्र. सं.	नाम इकाई व पता	पूंजी विनियत (000) रु. में
1	2	3
1.	मैसर्स अमरपुरा बासा हाथ कर्घा वस्त्र उत्पादक सं. समिति लि., भीनासर	7
2.	,, पारस होजरी, भीनासर	47
3.	,, विमल होजरी वर्क्स, भीनासर	12
4.	,, चमडा उत्पादक, भीनासर	3
5.	,, मोम टाइल्स फैक्ट्री, भीनासर	
6.	,, आनन्द होटल, स्टेशन रोड	55
7.	,, छोटू मोटू जोशी, स्टेशन रोड	26
8.	,, ग्रीन होटल, स्टेशन रोड	86
9.	,, होटल डी लक्स ,,	10
10.	,, श्री बीकानेर डेयरी फार्म परदेशी की बगीची	11
11.	,, नोलख गम एण्ड दाल मिल, रानी बाजार	100
12.	,, ए. एम. टी ब्रिटो एण्ड कम्पनी, एम. एस. कालेज	19
13.	,, कमल एंड गोगगेट	22
14.	,, उमा बेकरी इण्ड, जस्सुसरगेट के बाहर	20
15.	,, एफ. डी. दाल एण्ड आयल मिल मदीना मस्जिद	19
16.	,, महेश आयल मिल. ओ. बस्ती	131
17.	,, बीकानेर आईस फैक्टरी, रानी बाजार	224
18.	,, कैलाश आइस केण्डी, कोरिया का मो.	18
19.	,, हिन्दुस्तान ग.फै. पुराना ओ. क्षे.	41
20.	,, सत्यराज एण्ड कपनी, रानी बाजार	72
21.	,, लाधू राम सत्य नारायण, सिटी कोतवाली के पीछे	11
22.	,, नारायण पापड़ भण्डार, रामपुरिया मो.	9
23.	,, श्री राम पापड़ भण्डार, रामपुरिया मो.	14
24.	,, डाडा प्रॉडक्शन, अन्दर रोब गेट	24
25.	,, नेशनल जर्दा फैक्ट्री, सिक्ल गोरवो का मो.	6
26.	,, साखूवाला टैक्सटाइल्स फै. छिपों का मो.	29
27.	,, बीकानेर होजरी मिल्स, धोलरी तलाई	30
28.	,, जैन होजरी मिल्स, सोनगिरी रोड	19
29.	,, शिव शक्ति ब्रेड कम्पनी, ओ. बस्ती	107
30.	,, सत्यप्रकाशन एण्ड कम्पनी, गजसर रोड	15
31.	,, भंवर लाल ओमप्रकाश, जस्सुसरगेट के बाहर	3
32.	,, बी. चन्द्रा एण्ड सन्स, पुराना ओ. क्षे.	88
33.	,, बीकानेर वूलन प्रेस, रानी बाजार	289
34.	,, बीकानेर वूल, नया शहर	57
35.	,, बीकानेर वूल एन्टरप्राइजेज	35

1	2	3
36.	मैसर्स बीकानेर वूल ट्रेडर्स, सोनगिरी रोड	22
37.	,, बीकानेर वूल सप्लायर्स, नया शहर	24
38.	,, वरदीचन्द भीखमचन्द, नया शहर	19
39.	,, डीडवाना वूल सप्लायर्स, सोनगिरी वेल	20
40.	,, गणेश वूल प्रेसिंग, गजनेर रोड	355
41.	,, गणपतलाल राठी एण्ड कम्पनी, डागा चौक	19
42.	,, गिरधर वूल ट्रेडर्स, अन्दर जस्सुसरगेट	16
43.	,, गिरधारी लाल भागीरथ, मेहता चौक	18
44.	,, गोरधन दास रतनलाल, बाहर जस्सुसरगेट	21
45.	,, गोविन्दराम भंवरसिंह, डागा चौक	21
46.	,, इण्डिया वूल, जस्सुसरगेट अन्दर	10
47.	,, जय चन्द विमल चन्द दाऊजी मन्दिर के पीछे	13
48.	,, जेठमल पूनमचन्द, दाऊजी मन्दिर के पीछे	19
49.	,, जुगलकिशोर गणेशलाल, रानी बाजार	37
50.	,, केवल चन्द नथमल जस्सुसरगेट के बाहर	15
51.	,, कमल सिंह नरेन्द्र कुमार, नया शहर	40
52.	,, खेमचन्द चेतनप्रकाश, अन्दर बीकानेर, बीकानेर वूल प्रेस	17
53.	,, किशन गोपाल बुलाकीदास	10
54.	,, महावीर वूल स्टोर औ. क्षे.	40
55.	,, महेन्द्र कुमार विमल कुमार, नया शहर	24
56.	,, महेश वूल प्रोसेस, डागा स्कूल	26
57.	,, मालूराम कालूराम, पाबूबारी	10
58.	,, मानक लाल छगनलाल, डागा मो.	23
59.	,, मोहारी राम दिवानचन्द, रानी बाजार	19
60.	,, मुकन्द लाल मोतीलाल, जस्सुसरगेट के बाहर	21
61.	,, नथमल भरोसी दास, जस्सुसरगेट के बाहर	14
62.	,, पाबूदान चम्पालाल, ,,	12
63.	,, पारस वूल ट्रेडर्स, दाऊजी मन्दिर के पीछे	13
64.	,, परबती राम चतुर्भुज, जस्सुसर गेट के अन्दर	17
65.	,, पोकरमल नारायण दास, गंगा मां का कुआं	17
66.	,, राज. वूल केन्द्र, अन्दर बीकानेर वूल प्रेस	24
67.	,, राज. वूल प्रोसर्स, डागा चौक	62
68.	,, राज. वूल सप्लायर्स, नया शहर	39
69.	,, राज. वूल सिडिकेट, डागा चौक	32
70.	,, राकेश कुमार ब्रिजेश कुमार, नया शहर	9
71.	,, रमेश चन्द हरसुख लाल, डागा चौक	21
72.	,, राम रख लोढ़ा ब्रदर्स, डागा चौक	12
73.	,, रतन कुमार ओम नारायण, जस्सुसर गेट के बाहर	11
74.	,, सत्य नारायण लक्ष्मी नारायण, डागा स्कूल के पास	19
75.	,, शिव कुमार किशन कुमार, सोनगिरी रोड	16
76.	,, शिवा राम वर्मा राम, नया शहर	24

1	2	3
77.	मैसर्स सुरेन्द्रनाथ रविन्द्रनाथ, अन्दर बीकानेर वूल प्रेस	20
78.	,, विश्वनाथ शर्मा	26
79.	,, वी. के. एन्टरप्राइजेज, बीकानेर वूल प्रेस	10
80.	,, वाल्कर एण्ड अनजारिया एण्ड सन्स, नया शहर	21
81.	,, वूल ट्रेडिंग कम्पनी, नया शहर	10
82.	,, अशोका वूलन मिल्स, गजनेर रोड	258
83.	,, बीकानेर वूलन मिल्स, रानी बाजार	654
84.	,, छलानी वूलन मिल्स, गजनेर रोड	277
85.	,, इण्डिया वूल सोसायटी, चौपड़ा कटला	14
86.	,, लक्ष्मी वूलन मिल्स, जस्सुसर गेट	85
87.	,, मॉडर्न वूलन मिल्स, औ. क्षे.	336
88.	,, राज. वूलन मिल्स, गजनेर रोड	347
89.	,, गणेश होजरी, पावर हाउस	11
90.	,, जनता होजरी, चौतरी कुआं	24
91.	,, कृष्णा होजरी, कमला कालोनी	50
92.	,, प्राइमरी फेल्ट मैन्यू. कम्पनी, रानी बाजार	49
93.	,, रामलाल कृष्णालाल, भुट्टो का मो.	24
94.	,, सूरज डाईंग वर्क्स, पावर हाउस के पास	31
95.	,, बीकानेर ऊन गृह उद्योग मन्दिर, गजनेर रोड	50
96.	,, प्रकाश निटिंग मिल्स, सोनगिरी कुआं	32
97.	,, बम्बई टेलर्स, गोस्वामी चौक	11
98.	,, सीमा थ्रेड, बागीनारा रोड	7
99.	,, छोटेलाल रामदेव, जोशीवाडा	28
100.	,, राज. टिम्बर सप्लायर्स कं. कोट गेट के अन्दर	15
101.	,, अशोक एण्ड कम्पनी, पब्लिक पार्क के पास	14
102.	,, न्यू मॉडल फर्नीचर वर्क्स, दाऊजी रोड	9
103.	,, विश्व कर्मा इंजि. वर्क्स, औ. क्षे.	77
104.	,, जिया राम रामनारायण, माल गोदाम रोड	20
105.	,, जय श्री महा प्रेस, सोनारों की गवाड़	15
106.	,, जन सेवा प्रिन्टर्स, दाऊजी रोड	39
107.	,, लक्ष्मी प्रिंटिंग प्रेस, सादुल स्कूल के पास	52
108.	,, लोकमत प्रिंटिंग प्रेस, सिविल लाइन्स	60
109.	,, महेश मुद्रणालय, स्टेशन रोड	24
110.	,, महेश्वरी प्रिंटिंग प्रेस, स्टेशन रोड	52
111.	,, पवन आर्ट प्रेस, रेलवे क्रासिंग	73
112.	,, शिक्षा भारती प्रेस, फड़ बाजार	61
113.	,, बीकानेर शू फैक्ट्री, के. ई. एम. रोड	25
114.	,, मनसुख जयराम काठियावाड़. के. ई. एम. रोड	24
115.	,, बीकानेर टायर्स, अलखसागर कुआं	52
116.	,, विक्टर टायर रिट्रेडिंग, गंगासागर रोड	76

1	2	3
117.	मैसर्स अग्रवाल प्लास्टिक इण्ड. मकाम चौथरी का मो.	43
118.	,, भारत सैल्यूराड एण्ड प्लास्टिक इण्ड. दाऊजी रोड़ पीछे	31
119.	,, भारत प्लास्टिक प्रोडक्ट, नया कुआ	35
120.	,, बीकानेर पोलीथिन प्रोडक्ट, चोनगिरी का मो.	116
121.	,, वी. महेन्द्रा प्लास्टिक इण्ड. लाभणी का कटला	84
122.	,, बजाज प्रोसिंसिंग इण्ड. रानी बाजार	31
123.	,, जय केमिकल वर्क्स, सादुल कालोनी	6
124.	,, नेशनल एजेन्सीज जस्सुसर गेट के बाहर	5
125.	,, मोहिनी केमिकल्स एण्डमिनरल इण्ड. श्रो. वस्ती	62
126.	,, चोरडिया मैन्यु. कं. नया कुआ	5
127.	,, सुमेरमल दफ्तरी, रानी बाजार	42
128.	,, मोहता आयुर्वेदिक रसायनशाला, स्टेशन रोड़	99
129.	,, श्री नागार्जन रसशाला, जस्सुसर गेट के अन्दर	19
130.	,, श्री नारायण चिकित्सा सदन, जेल बल	55
131.	,, त्रिमर्ती आयुर्वेदिक फार्मेसी, रानी बाजार	
132.	,, अशोका डाईंग एण्ड केमिकल इण्ड.	16
133.	,, बीकानेर केमिकल लेबोट्री, मोहता चौक	23
134.	,, देव इण्ड. कारपो., आचार्यों का चौक	9
135.	,, गणेश केमिकल्स, इण्ड. नई वैल सिटी कोतवाली	36
136.	,, हलवाई सोप वर्क्स, प्रकाश चित्रा के पीछे	22
137.	,, हिमालय हलवाई कारपो., ईदगाह वारी	9
138.	,, लक्ष्मी नारायण रंग वाला, नई सरक्यूलर मार्केट	16
139.	,, नेशनल परफ्यूमेरी वर्क्स, के. ई. एम. रोड	8
140.	,, ओमप्रकाश नरेन्द्र कुमार, आचार्यों का चौक	36
141.	,, राज सोप एण्ड केमिकल वर्क्स, सादुल कालोनी	12
142.	,, राम राज सेवा सदन, तौलियासर, भैरूं जी मन्दिर	50
143.	,, विजय केमिकल इण्ड, गोलछा चौक	10
144.	,, विनोद सोप फैक्ट्री, फड बाजार	17
145.	,, लक्ष्मी फायर वर्क्स, गोगागेट के बाहर	13
146.	,, डूंगरमल जोशी एण्ड सन्स, तेलीवाडा	23
147.	,, त्रिमूर्ति फार्मेसी, रानी बाजार	25
148.	,, हनुमान जोशी एण्ड कम्पनी, के. ई. एम. रोड़	6
149.	,, इन्द्र केमिकल इण्ड. श्रो. क्षे.	136
150.	,, महेश केमिकल इण्ड. दामानी चौक	10
151.	,, नेशनल केमिकल कारपोरेशन, सिवानी चौक	10
152.	,, विक्टर केमिकल इण्ड. रतन व्यासों का चौक	10
153.	,, घाघराम एण्ड कं., के. ई. एम. रोड़	32
154.	,, प्रेम एण्ड कं.	10
155.	,, हिन्द ऑप्टीकल कं., के. ई. एम. रोड़	12
156.	,, बीकानेर लाईम वर्क्स, रानी बाजार	3
157.	,, बीकानेर प्लास्टर एण्ड मिनरल इण्ड, श्रो. बस्ती	28

156

1	2	3
158.	मैसर्स चूना भट्टा खादी मन्दिर	223
159.	,, डावसन इण्डिया कारपो. औ. बस्ती	27
160.	,, लकी पेन्टस् एण्ड केमिकल इण्ड., औ. बस्ती	38
161.	,, माडर्न प्लास्टर वर्क्स, प्लाट नं. 14-बी	51
162.	,, मीन प्लास्टर इण्ड, औ. क्षे.	18
163.	,, प्रकाश प्लास्टर, औ. क्षे.	30
164.	,, राज प्लास्टर प्रा. लि. औ. क्षे.	499
165.	,, शाह चाक इण्ड. औ. क्षे.	44
166.	,, श्री जिप्सम उद्योग, रानी बाजार	47
167.	,, स्नोवाईट इण्ड. औ. बस्ती	42
168.	,, बीकानेर करनी देवी कला केन्द्र, खडगावतो का मौ.	7
169.	,, के. जी. टाइल्स फे., रानी बाजार	146
170.	,, खंजाची टाईल्स फे., कोट गेट के अन्दर	21
171.	,, आर एम. आईल्स फैक्ट्री, रानी बाजार	58
172.	,, भारत सीमेंट वर्क्स, गोगा गेट घूमचक्र	10
173.	,, एमरी एण्ड कं. (इण्डिया), औ. क्षे.	64
174.	,, इमामुद्दीन एण्ड सन्स, कसाइयों की बारी	4
175.	,, भारत मेंटल एण्ड आयरन वर्क्स, रानी बाजार	160
176.	,, त्रिलोक आयरन फाउण्ड्री वर्क्स, रानी बाजार	16
177.	,, अब्दुल गफार एण्ड ब्रदर्स, लौ. मो.	14
178.	,, अब्दुल गफार पुत्र नसरुद्दीन, लौ. मौ.	4
179.	,, अब्दुल रजाक	5
180.	,, अब्दुल सत्तार पुत्र गुलाम मौ., लौ. मौ.	11
181.	,, अहमद एण्ड सन्स, लौ. मौ.	12
182.	,, अनवर हुसन, ठठेरा मौ.	3
183.	,, एणीज अहमद पुत्र लियाकत अली, लौ. मौ.	6
184.	,, भारत सिविंग मशीन कं., स्टेशन रोड़	26
185.	,, चान्द मोहम्मद एण्ड सन्स, लौ. मौ.	5
186.	,, चौधरी आयरन वर्क्स, लौ. मौ.	4
187.	,, दाउदी आयरन वर्क्स, लौ. मौ.	18
188.	,, गुलाम मो. आयरन वर्क्स, लौ. मौ.	14
189.	,, हाजी रहीम वर्क्स पुत्र अमरुद्दीन, लौ. मौ.	6
190.	,, इब्राहम पुत्र मोसा, लौ. मौ.	6
191.	,, इब्राहिम पुत्र मोहम्मद फारूक, लौ. मौ.	5
192.	,, जमालुद्दीन पुत्र फरीद वर्क्स, लौ. मौ.	13
193.	,, जमालुद्दीन ठठेरा, ठठेरा मौ.	4
194.	,, खलील अहमद, नई बैल	6
195.	,, मोहम्मद हुसैन पुत्र अब्दुल सत्तार, लौ. मौ.	6
196.	,, मोहम्मद हुसैन एण्ड सन्स, लौ. मौ.	28
197.	,, मोहम्मद इशाक पुत्र मोहम्मद हुसैन लौ. मौ.	11
198.	,, मोहम्मद रफीक पुत्र अब्दुल सत्तार, कसारा एण्ड सन्स, कसारा बाजार	6

(157)

1	2	3
199.	मैसर्स मोहम्मद सफी ग्रब्दुल सलीम, लो. मो.	5
200.	,, मूजदीन पुत्र ग्रलाहदीन, लो. मो.	5
201.	,, मूजदीन पुत्र सदरुद्दीन लो. मो.	6
202.	,, नसरूद्दीन कालू लो. मो. रामपुरिया कालेज के पीछे	26
203.	,, नूर पुत्र हुसैन लो. मो.	12
204.	,, सफी मोहम्मद पुत्र एहमद लो. मो.	10
205.	,, सरुफूदीन पुत्र फकरुद्दीन, नई बैल	8
206.	,, समसुद्दीन पुत्र मोसा, लो. मो.	3
207.	,, सैयद ग्रहमद सिदकी, लो. मो.	17
208.	,, शेराहिन्द ग्रायरन फैब्रिकेटर, दर्जियों की गवाड	18
209.	,, उसमान गनी गौरी, लो. मो.	28
210.	,, उसमान गनी राठोर, कंसारा का बाजार, बीकानेर	7
211.	,, यसीन बिन्दु लोहार, लो. मो.	3
212.	,, ग्रब्दुल गनी पुत्र नूर मोहम्मद, कोतवाली के पास	11
213.	,, ग्रयुब ग्रली पुत्र रमजान, लो. मो.	9
214.	,, फकरुद्दीन पुत्र मोहिनुद्दीन, लो. मो.	9
215.	,, हनीफ उस्ताद, लो. मो.	8
216.	,, हसन पुत्र फकीर मो. नई बैल	8
217.	,, फमरूदीन पुत्र नसरूद्दीन., नई बैल	18
218.	,, लाल मोहम्मद पुत्र चांद मो. लो. मो.	19
219.	,, मोहम्मद कासिम तेली, लो. मो.	6
220.	,, मोहम्मद सफी पुत्र मो. रहजान, गंगाशहर रोड	20
221.	,, रमजान पुत्र ग्रलाउदीन, चौकान्टी	9
222.	,, सफरुद्दीन पुत्र रूकनदीन, लो. मो.	11
223.	,, सोकत ग्रली लोहा, लो. मो.	24
224.	,, उसमान गनी पुत्र ग्रलाह बक्स, नया कुग्रा	9
225.	,, कमालुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन चौकान्टी	19
226.	,, मोहन ट्रेडिंग कोरपोरेशन, बिनानी बिल्डिंग के पीछे	47
227.	,, ग्रब्दुल गफार पुत्र हाजी नूर मोहम्मद, लो. मो.	8
228.	,, ग्रब्दुल मलीक पुत्र ग्रब्दुल ग्रजीज, सिंकी की मस्जिद	14
229.	,, ग्रब्दुल सतार पुत्र समसुदीन, लो. मो.	7
230.	,, बेनजा, रामप्रताप बस्ती	5
231.	,, चन्दाराम पुत्र गोदूराम; जलखा सागर कुग्रा	1
232.	,, गोदूराम पुत्र सालूराम, प्रताप बस्ती	2
233.	,, गोपाल ट्रेडिन्ग कं., दाऊजी रोड	11
234.	,, गुलाम नबी पुत्र सफरुदीन, चोखान्टी	5
235.	,, कमल इंजी. वर्क्स, रानी बाजार	139
236.	,, खेताराम पुत्र ग्रजीनाराम, प्रताप बस्ती	6
237.	,, लिखमाराम पुत्र बेगाराम, प्रताप बस्ती	3
238.	,, लूनकरन, प्रताप बस्ती	5

(158)

1	2	3
239.	मैसर्स मंगलाराम पुत्र अजीनाराम, प्रताप बस्ती	5
240.	,, मांगीलाल पुत्र नसरूदीन, ठठेरा बाजार, बीकानेर	16
241.	,, मानाराम पुत्र देशीराम, प्रताप बस्ती	2
242.	,, मानाराम पुत्र जेसाराम, प्रताप बस्ती	2
243.	,, मेघाराम पुत्र मंगताराम, प्रताप बस्ती	4
244.	,, मोहम्मद अली पुत्र जोहरूदीन, कोतवाली के पास	9
245.	,, मूलचन्द पुत्र मानेलाल, माल गोदाम रोड	
246.	,, नरसिंह दास पुत्र छोटूलाल, माल गोदाम रोड	11
247.	,, फासा राम पुत्र भेराराम, प्रताप बस्ती	3
248.	,, रघुनाथ पुत्र जयराम, अलखा सागर रोड	3
249.	,, रमजान पुत्र अनवर, लौ. मौ.	5
250.	,, रघुराम पुत्र भोमाराम, अलखा सागर कुआ	
251.	,, सिराजुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन, लौ. मौ.	
252.	,, शोकतअली, लोहार मो.	6
253.	,, उदाराम पुत्र किशना राम, प्रताप बस्ती	5
254.	,, उदाराम, प्रताप बस्ती	5
255.	,, यूसूफ हारुन नागौरी, लौ. मौ.	
256.	,, अब्दुल गफार अब्दुल मजीद	9
257.	,, अब्दुल गफार पुत्र रोशनदीन, लौ. मौ.	14
258.	,, अब्दुल गनी पुत्र करीम बक्स	9
259.	,, अब्दुल जावड़ा पुत्र फकरुदीन, लौ. मौ.	4
260.	,, अब्दुल क्यूम पुत्र मोह. रमजान, लौ. मौ.	5
261.	,, अहमद अली, चोखान्टी	6
262.	,, अहमद बक्स पुत्र जोहरुदीन, नया कुआ	21
263.	,, अलाम मोहोनुदीन, लौ. मौ.	7
264.	,, अनवर अली पुत्र नूर मो., लौ. मौ.	6
265.	,, अनवर अली पुत्र फकीर मो., नया कुआ	5
266.	,, बशीर अहमद पुत्र मो. रमजान, कंसारा का मौ.	5
267.	,, वासुदेव सोहनलाल, कंसारा बाजार	7
268.	,, बुद्धाराम पुत्र छोटूराम, प्रताप बस्ती	3
269.	,, ब्यावर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, नया कुआ	8
270.	,, दुलाराम पुत्र देशीराम, प्रताप बस्ती	4
271.	,, गनपत राम, प्रताप बस्ती	5
272.	,, गेन्दा जी पुत्र कमरुदीन, लौ. मौ.	16
273.	,, अनवर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, लौ. मौ.	15
274.	,, हसन अली पुत्र अलाह रख तेली, लौ. मौ.	3
275.	,, हाजी मोहम्मद सफी मो. लौ. मौ.	6
276.	,, अलाउदीन पुत्र सिराजूदीन, लौ. मौ.	6
277.	,, अलाउदीन ठठेरा, ठठेरा का मौ.	3
278.	,, जमालुदीन पुत्र गुलाम मो, लौ. मौ.	18
279.	,, खलील पुत्र सफरूदीन, लौ. मौ.	12

1	2	3
280.	मैसर्स किष्णा आयरन स्टोर, दाउदी रोड	5
281.	,, मोहम्मद अली पुत्र अलाह नूर, लो. मस्जिद	25
282.	,, मोहम्मद बक्स पुत्र अजीम पहलवान, कमला कालोनी	8
283.	,, मोहम्मद फारुक पुत्र गफार बक्स, सिटी कोतवाली	11
284.	,, मोहम्मद आयरन वर्क्स, लो. मो.	15
285.	,, मोहम्मद उमर, चौखान्टी	7
286.	,, मोहम्मद उमर पुत्र फकीर मोहम्मद लो. मो.	6
287.	,, मोहम्मद रमजान, लो. मो.	5
288.	,, मोहिनुद्दीन पुत्र गुलाम मो. लो. मो.	11
289.	,, नसरूदीन पुत्र अनरूदीन, कमला कालोनी	15
290.	,, नूर मो. पुत्र अलाह् बेली, कंसारा बाजार	3
291.	,, परशोतम आयरन वर्क्स, स्टेशन रोड	7
292.	,, रामा राम पुत्र धर्मा राम, प्रताप बस्ती	4
293.	,, रब आयरन स्टोर, लो. मो.	9
294.	,, सकरुदीन पुत्र शहाबादीन, लो. मो.	9
295.	,, शालूराम, प्रताप बस्ती	6
296.	,, शोकत अली पुत्र नूर मो. लो. मो.	5
297.	,, शोकत अली पुत्र समसुदीन तेली, लो. मो.	8
298.	,, सुभान पुत्र अजीम बक्स, लो. मो.	7
299.	,, तेजाराम पुत्र छोकूराम, प्रताप बस्ती	5
300.	,, उमरुदीन पुत्र अजीम बक्स, लो. मो.	9
301.	,, बी. आर. आयरन कुरेशी स्टोर, सिटी कोतवाली	14
302.	,, एस. पी. इंजि. वर्क्स, रानी बाजार	12
303.	,, श्री मुदडा मैटल वर्क्स, औ. क्षे.	438
304.	,, सुधीर टाइप फाउन्डरी, गोस्वामी चौक	15
305.	,, दीपक आयरन एण्ड स्टील इन्ड. चौखान्टी-रेल्वे लाईन	6
306.	,, मोहम्मद सबीर, नया कुआ	9
307.	,, स्वास्तिक बैटरी कारपो., गंगाशहर रोड	27
308.	,, रेडियो क्राफ्टस्, औ. बस्ती	45
309.	,, अब्दुल इन्जी. वर्क्स, जैल रोड	11
310.	,, अजीम खान गाडीवाला, माल-गोदाम रोड	11
311.	,, मनोहर इन्जि. वर्क्स, जस्सुसर गट के बाहर	14
312.	,, दुर्गा आरनामेंट मैन्यू, सुनार की बारी	7
313.	,, मासचन्द एण्ड कम्पनी, लो. मो.	9
314.	,, बीकानेर डीजल, गंगाशहर रोड़	89
315.	,, जगदम्बा जीप एण्ड ट्रक रिपेयरिंग वर्क्स	13
316.	,, महावीर इन्जि. वर्क्स, जस्सूसर गेट बाहर	33
317.	,, मिस्त्री जोरा राम एण्ड सन्स, अस्पताल रोड	125
318.	,, प्रदीप इन्ड., औ. बस्ती	84
319.	,, यूनाइटेड मोटर गैरेज, गंगाशहर रोड	11
320.	,, गुरू नानक आयल मिल्स, गंगाशहर	13

1	2	3
321.	मैसर्स महावीर स्टोर, गंगाशहर	21
322.	,, मानक चन्द डागा, गंगाशहर	23
323.	,, विनोद थ्रेड कं., गंगाशहर	9
324.	,, मांगीलाल सुथार पुत्र सिमरथरम, पुरानी लाइन	40
325.	,, सूरज उद्योग, गंगाशहर	37
326.	,, एल. के. डागा केमिकल्स, पुरानी लाइन	4
327.	,, प्रदीप केमिकल्स, गंगाशहर	16
328.	,, शारदा सोडियम सिलिकेट इन्ड.	67
329.	,, भंवरलाल ब्रिक्स फैक्ट्री, गंगाशहर	20
330.	,, बीकानेर ब्रिक्स ट्रेडर्स, गंगाशहर	39
331.	,, प्लास्टिक एम्पोरियम	28
332.	,, बद्रीनारायण भंवरलाल, मांपासर	2
333.	,, जेठाराम मद्दूराम, नापासर	6
334.	,, मानाराम पुत्र छोटूराम	7
335.	,, जयश्री ईन्ट. मैन्यू., नापासर	13
336.	,, प्रकाश टाइल्स् फैक्ट्री, नापासर	47
337.	,, गणेश ग्रायल दाल मिल्स, नोखा	57
338.	,, रतन दाल मिल, सदर बाजार, नोखा	111
339.	,, श्रीराम दाल मिल, नोखा	190
340.	,, धनराज देवकिशन, चाडक, नोखा.	17
341.	,, कानीराम भोमाराज, नोखा	4
342.	,, मदन गोपाल श्री निवास भंवर, नोखा	12
343.	,, चुन्नीलाल सोहनलाल, नोखा	90
344.	,, गुलाब केमीकल्स, बीकानेर	21
345.	,, नोखा मेच फैक्ट्री, नोखा	19
346.	,, हीरालाल महावीर प्रसाद, नोखा	8
347.	,, मघराम टाईल्स फैक्ट्री, नोखा	9
348.	,, नार्थ इण्डिया केबल्स्, नोखा	239
349.	,, बद्रीलाल इन्ड., नोखा	7
350.	,, मानक चन्द इन्ड., नोखा	7
351.	,, ग्रोमप्रकाश इन्ड., नोखा।	8
352.	,, रामकिशन इन्ड., नोखा	5
353.	,, हाथकरघा वस्त्र उत्पादक स. स., उदयरामसर	14
354.	,, ग्रासूराम बालूराम, राईसर	3
355.	,, किशना राम टिकूराम, राईसर	5
356.	,, मोडाराम उम्मेदाराम मेघवाल, राईसर	6
357.	,, सुरजाराम कुमनाराम, राईसर	5
358.	,, उदयरामसर चमड़ा उत्पादक स. स., उदयरामसर	41
359.	,, पन्नाराम पुत्र गोमाराम, धडसीसर	13

(161)

1	2	3
360.	मैसर्स सियाराम एण्ड कं., रिडमलसर	21
361.	,, बीकानेर क्ले एण्ड कं., कोलायत	57
362.	,, गणेश इन्ड. रानी बाजार	80
363.	,, किष्णा दाल फ्लोर मिल, रानी बाजार	20
364.	,, ए. एम. ब्रिटा एण्ड कं., गजनेर रोड़	7
365.	,, रमजान डबलरोटी, चोखान्टी	1
366.	,, गजानन्द इन्ड., डागा चौक	69
367.	,, महावीर ग्राइस फं.	45
368.	,, अशोक कुमार जैन, चोरडिया चौक	1
369.	,, गजानन्द पापड़ भण्डार, जस्सुसर गेट	1
370.	,, कमल पेपर इन्ड. सोनगिरी कुआं	1
371.	,, नारायण पापड़ भण्डार, रामपुरिया मो.	1
372.	,, सरस्वती पापड़ भण्डार, बाबू चौक	2
373.	,, शांतिलाल सुशील कुमार, पुरानी लाइन	1
374.	,, व्यास गृह उद्योग, आचार्यों का चौक	5
375.	,, जनता कोडिंग एण्ड स्पिनिंग इन्ड., चौपड़ा कटला	25
376.	,, अग्रवाल ब्रादर्स, रानी बाजार	5
377.	,, बेकाणा, नया शहर	1
378.	,, बीकानेर वूल सप्लाई, जस्सुसर गेट के बाहर	1
379.	,, बोथरा ब्रदर्स, जस्सुसर गेट	51
380.	,, चौधरी ब्रदर्स, दाऊजी मन्दिर के अन्दर	1
381.	,, चेतन राम चन्दर	1
382.	,, चौपर एण्ड कं.	1
383.	,, धर्मा राम किस्तूरराम, नया शहर	1
384.	,, दुबे एण्ड सन्स	1
385.	,, घनश्याम बाबुलाल, रानी बाजार	25
386.	,, गोपाल रामगोपाल एण्ड सन्स	1
387.	,, गोमान मल पंवार	1
388.	,, इण्डिया वूल कोरपो.	1
389.	,, जैन वूल इन्टरप्राईजेज, नया शहर	1
390.	,, ज्योति प्रकाश बोथरा, सोनगिरी कुआं	1
391.	,, कैलाशचन्द मदन मोहन, गणनेरा रोड	1
392.	,, कोठारी इन्टर प्राइजेज, सोनगिरी रोड	1
393.	,, कोठारी इमपेक्स, जस्सुसर गेट	1
394.	,, लाधुराम रामरख, नया शहर	30
395.	,, लक्ष्मी वूल केन्द्र, रानी बाजार	2
396.	,, लक्ष्मी वूल ट्रेडर्स, राज. वुलन प्रेस के अन्दर	22
397.	,, लक्ष्मी वूल ट्रेडर्स, जस्सूसर गेट के बाहर	1
398.	,, मनमोहन एण्ड कं, जस्सुसर गेट के अन्दर	1
399.	,, मनीष एन्टरप्राईजेज, नया शहर	1
400.	,, पन्नालाल एण्ड कं, जस्सूसर गेट	1

1	2	3
401.	मैसर्स प्रकाश चन्द्र तिल कुमार, सोनगिरी कुआं	1
402.	,, राधेश्याम किशन गोपाल, जस्सूसर गेट के बाहर	10
403.	,, एस. बी. वूलन एण्ड आयल मिल	26
404.	,, शिवजी राम रामचन्द्रा डागा, नया शहर	30
405.	,, शिव वूल ट्रेडर्स जिरजन, रामज. पुल प्रेस	1
406.	,, फाईवर ट्रेडिंग कं., रानी बाजार	1
407.	,, विजय लक्ष्मी वूल केन्द्र शांतिलाल, रानी बाजार	25
408.	,, गणेश वूल मिल्स, ग्रो. क्षे.	18
409.	,, बुनकर ऊन गृह उद्योग, ग्रो. क्षे.	36
410.	,, क्षेत्रीय समग्रतम विकास संघ	3
411.	,, नथमल जेठमल मिस्त्री दाऊजी रोड	3
412.	,, चांद प्रिंटिग प्रेस, गजनेर रोड	30
413.	,, गोविन्द प्रिंटिग प्रेस	13
414.	,, हनुमान पेपर इन्ड. अलख सागर	9
415.	,, मरुधे प्रिंटिग प्रेस कोट गेट के पास	12
416.	,, सतीश प्रिंटिग प्रेस, गजनेर रोड	20
417.	,, अग्रवाल उद्योग, नया कुआं	2
418.	,, छापड़ा सेल्यूलाईट इन्ड, सीतला गेट	4
419.	,, मरुधड़ा प्लास्टिक एण्ड रबड़ इन्ड. बाठिया चौक	7
420.	,, राजेन्द्रा केण्डल वर्क्स, जेल वैल	1
421.	,, सुषमा उद्योग, रेल्वे कालोनी	1
422.	,, बीकानेर ब्रिकेट कम्पनी, रानी बाजार	10
423.	,, ईगल पेन्टस् वर्क्स, गोगा गेट	3
424.	,, भारत सोप इन्ड. रानी बाजार	6
425.	,, डाडा डिस्ट्रीब्यूटस् लि., कोट गेट	12
426.	,, मुरली केमिकल इन्ड., ईदगाह के बारी के अन्दर	16
427.	,, गिरीराम एण्ड कं., गोगा गेट के बाहर	53
428.	,, इन्दर केमिकल इन्ड, औ. क्षे.	135
429.	,, बीकानेर सिरेमिक्स प्रा. लि. ग्रो. क्षे.	771
430.	,, इन्डिया लाइम एण्ड केमिकल इन्ड.	2
431.	,, खेताराम लाइम वर्क्स	2
432.	,, महेश लाइम उद्योग	7
433.	,, मार्डन लाइम वर्क्स	2
434.	,, मोडा राम लाइम वर्क्स	2
435.	,, पवार लाइम वर्क्स, गोगा गेट	3
436.	,, राम प्रोडक्ट प्लास्टर एण्ड फर्टीलाइजर	138
437.	,, सागर लाइम वर्क्स, सागर रोड	3
438.	,, शशी लाइम इन्ड.	3
439.	,, शंकर लाइम वर्क्स	5
440.	,, स्वास्तिक लाइम एण्ड केमिकल वर्क्स	6

1	2	3
441.	मैसर्स यूनिवर्सल प्लास्टो इन्ड., सुभाष रोड	36
442.	,, ए. के. टाइल्स फैक्ट्री, रानी बाजार	25
443.	,, भगवान दास रघुनाथ प्रसाद, रानी बजार	1
444.	,, बीकानेर सीमेन्ट उद्योग	2
445.	,, बीकानेर श्री लक्ष्मी ड्राईंग मूर्ति केन्द्र	1
446.	,, चौधरी सीमेन्ट वर्क्स, पाबू बारी	3
447.	,, दिवाकर उद्योग	41
448.	,, गहलोत सीमेन्ट प्रोडक्ट्, सोनगिरी कुआं	1
449.	,, जे.के. टाइल्स फैक्ट्री, गोगा गेट	6
450.	,, मार्डन सीमेन्ट प्रोडक्टस् रेल्वे साईडिंग	24
451.	,, सोनी टाइल्स फैक्ट्री, विदासर बारी	6
452.	,, अब्दुल मलिक अब्दुल रहमान आयरन इण्ड.	1
453.	,, अब्दुल सकूर अब्दुल सत्तार आयर इण्ड.	6
454.	,, अब्दुल शकूर इण्ड., लौ. मो.	6
455.	,, अब्दुल ,, ,, ,,	2
456.	,, भीखा मो. एण्ड सन्स, मदीना मस्जिद	15
457.	,, नाथीराम सुथार, गजनेर रोड	1
458.	,, न्यू आयरन सप्लायर्स	4
459.	,, नूर मो. दो पी. लौ. मो.	3
460.	,, रमजान पुत्र नथूराम चौखन्टी	3
461.	,, शेरे हिन्द आयरन फेब्रीकेटर्स	3
462.	,, शौकत अली नूर मो.	1
463.	,, चेतक आयरन प्रोडक्ट्स, स्टेशन रोड	1
464.	,, जफार आयरन इण्ड., चौखन्टी	8
465.	,, जमालुद्दीन नूरद्दीन, नया कुआं	2
466.	,, लतीफ आयरन इण्ड., पावर हाउस	1
467.	,, महादेव वर्क्स, लेडी स्कूल	1
468.	,, माडर्न स्टील कानर, नथूसर	60
469.	,, मोहम्मद आयरन इण्ड., लौ. मो.	11
470.	,, ,, इलाश आयरन इण्ड.	2
471.	,, ,, फारूक अब्दुल करीम	–
472.	,, सहद आयरन फैब्रीकेटर्स, नया कुआं	25
473.	,, सुधीर टाईप फाउन्डरी, गोस्वामी चौक	18
474.	,, भारद्वाज विद्युत् एण्ड रिपेयरिंग वर्क्स	2
475.	,, मैरी इलेक्ट्रोनिक्स, फड़ बाजार	20
476.	,, भोज हाई क्लास पेन्टिग वर्क्स, कोट गेट	1
477.	,, सुपर इण्डिया काटन कं.	5
478.	,, देशनोक आयरन वर्क्स	4
479.	,, भाटी केमिकल इण्ड, पुरानी लाइन	3
480.	,, शांति केमिकल इण्ड, पुरानी लाइन	189
481.	,, प्लास्टिक एम्पोरियम	17

1	2	3
482.	मैसर्स संतोषी सीमेंट उद्योग, नापासर	1
483.	,, उदाराम नत्थूराम	5
484.	,, ए. सी. वेल्डिंग वर्क्स	6
485.	,, बजरंग दाल मिल, नोखा	75
486.	,, श्री राम दाल मिल, नोखा	88
487.	,, घनश्याम एण्ड कं. रोडा रोड	49
488.	,, राज. ग्रायल एण्ड फ्लोर मिल	28
489.	,, नोखा सां मिल, इण्ड.	7
490.	,, राज. लाईम मेल्यू बद्रीलाल सुनार	3
491.	,, वर्मा टाईल्स फैक्ट्री	4
492.	,, गोपाल इन्जी. वर्क्स	23
493.	,, नार्थ इण्डिया केबल्स, नोखा	83
494.	,, कमल केमिकल वर्क्स, भीनासर	23
495.	,, भारत चूना इण्ड. कोगाटी	5
496.	,, नवीन लाइम उद्योग, सागर रोड	3
497.	,, ग्रोम लाइम ट्रेडर्स, उदयरामसर	3
498.	,, रमेश लाइम, काल्	2
499.	,, सुरेश लाइम वर्क्स, उदयरामसर	3
500.	,, गुलाब चन्द कोचर, कोलायत	13
501.	,, शिवरतन ज्वाला प्रसाद, कोलायत	2
502.	,, पवन केमिकल वर्क्स, धोबी तलाई	7.500
503.	,, सत्य प्रकाश हरीकिशन, पुरानी गिनानी, बीकानेर	16
504.	,, महावीर वूल इण्ड, गजनेर रोड, बीकानेर	40
505.	,, सागर कैण्डी इण्ड, कमला कालोनी ,,	7.500
506.	,, खेमचन्द कमलसिंह, बागड़ी स्कूल ,,	6.300
507.	,, विश्वकर्मा लघु उद्योग, नया शहर	8.350
508.	,, सनिक टाइल्स फैक्ट्री, पावर हाउस रोड	35
509.	,, जय किसान एग्रो केमि. ग्रामसर	24
510.	,, मेघराज देव किशन जस्सूसर गेट के बाहर	150
511.	,, गजानन्द ऊन भण्डार, नया शहर	0.200
512.	,, गणेश वूल स्टोर, नया शहर	0.250
513.	,, ग्रोसवाल सीमेन्ट प्रोडक्ट, भेरूदानजी बगला के पास	21.500
514.	,, डायर इलेक्ट्रो प्लेटिंग वर्क्स न्यू वेज	12
515.	,, नसीरूद्दीन सफी मो., कसाईयों का मो.	70
516.	,, श्री बालाजी हैण्डलूम फैक्ट्री, बस स्टैण्ड नोखा	120
517.	,, राज. श्री इण्ड, सौनगिरी कुग्रां, बीकानेर	100
518.	,, चोरडिया पेन्ट्स एण्ड केमिकल इण्ड., ग्रोखा	100
519.	,, शांतिलाल गौतम कुमार, नया शहर	100
520.	,, जय श्री लाइम इण्ड., नापासर	18

1	2	3
521.	मैसर्स मनसर वाला टैक्सटाइल्स, छिपो का मो.	105
522.	,, बीकानेर पापड़ ट्रेडिंग कारपो.	2
523.	,, आनन्द इण्ड., पुराना औ. क्षेत्र	440
524.	,, फ्रेन्डस बुशन इण्ड. औ. सम्पदा	150
525.	,, कुमार ट्रेडर्स, धोबी तलाई	155
526.	,, राज. कला केन्द्र, म्युनिसपिल रोड	0.100
527.	,, भारत वुल सप्लायर्स, सोनगिरी कुआ के पास	3.700
528.	,, त्रिलोक चन्द सीताराम, जस्सूसर गेट के बाहर, बीकानेर	0.200
529.	,, चम्पा राइस मिलिंग क., सीतला गेट के बाहर	0.400
530.	,, जय निटिंग उद्योग, टाटा पम्प के सामने	1.700
531.	,, आशा निटिंग उद्योग, अलखासागर कुए के पास	1.700
532.	,, डोगरा वुल प्रोसेसर, नया शहर	0.250
533.	,, सिल्वर एनामल पेन्टिंग वर्क्स, जस्सुसर गेट	1.500
534.	,, नत्थू हैण्डलूम इण्ड., बिजली घर के पास, बीकानेर	1.700
535.	,, नारायण हैण्डलूम इण्ड., पावर हाऊस के पास	2.000
536.	,, राज. वुलन टैक्सटाइल्स, सीतला गेट के बाहर	6.000
537.	,, सोमानी ब्रदर्स, जस्सुसर गेट के बाहर	0.200
538.	,, बंशीवाला कॉटेज एम्पोरियम, रेलवे क्रासिंग, चौखन्टी	1.000
539.	,, श्री टाइल्स इण्ड मार्बल्स, औ. क्षे	36
540.	,, बीकानेर ब्रिक्स सप्लायर, गंगाशहर	10
541.	,, शंकर गृह उद्योग, चौतीना कुआं	2
542.	,, मोहता कन्स्ट्रक्शन कं., पूगल रोड	3
543.	,, पूरमाराम एण्ड कं., सागर	2.100
544.	,, जे. एस. राठोड़ एण्ड कं., शिवबाड़ी	2
545.	,, भारत ईंट उद्योग, गंगाशहर	1.900
546.	,, गणपति वूलन मिल., औ. क्षे.	593.000
547.	,, महावीर आयल मिल्स, औ. क्षे.	171.000
548.	,, आनन्द ब्रिक्स, सागर	2.400
549.	,, श्याम सुन्दर पूनम चन्द, सागर	2.200
550.	,, गणेश एण्ड कम्पनी, करमीसर	2.200
551.	,, जामसर प्लास्टर इण्ड., डूंगरगढ़ रोड	10.000
552.	,, डी. के. इण्ड. कन्स्ट्रक्शन कं., पुरानी बिन्नानी	5.000
553.	,, विद्या निटिंग इण्ड., रानी बाजार	1.850
554.	,, सूरिया कारपेट यार्न इण्ड., जस्सूसरगेट	1.500
555.	,, सूरजा मेघवाल कारपेट यार्न स्पिनिंग इण्ड.	1.500
556.	,, देवकी टेलरिंग इण्ड., सोनगिरी कुआ, बीकानेर	0.600
557.	,, पुष्पा निटिंग इण्ड., छबीली घाटी, बीकानेर	1.850
558.	,, सुशीला सेविंग निटिंग इण्ड., मूघडा भोजक चौक	1.850
559.	,, कोसर परवीन निटिंग इण्ड., अलखसागर वैल	1.850
560.	,, जरीन निटिंग इण्ड., सादुल स्कूल के पास	1.850
561.	,, राजकुमारी गोड निटिंग इण्ड., पाबूबारी	1.850
562.	,, निर्मल (अपठनीय) निटिंग इण्ड., रेलवे कालोनी	1.850

(166)

1	2	3
563.	मैसर्स स्नेहलता गुप्ता निटिंग इण्ड.	1.850
564.	,, चन्द्रकान्ता वर्मा निटिंग इण्ड. रेल्वे कालोनी	1.850
565.	,, पुष्पा दम्माणी ,, ,, दम्माणी कालोनी	1.850
566.	,, जेसविन्द अरोड़ निटिंग इण्ड सादुल कालोनी	1.850
567.	,, भंवर कंवर नेवर ,, ,, बी.एस.एफ.	1.850
568.	,, सावित्री देवी निटिंग इण्ड	1.850
569.	,, शांति देवी निटिंग इण्ड. बी. एस. एफ.	1.850
570.	,, मदन कंवर निटिंग इण्ड. बी. एस. एफ.	1.850
571.	,, लता पंवार निटिंग इण्ड. बी. एस. फ.	1.850
572.	,, शकुन्तला यादव निटिंग इण्ड. रोशनी घर के पास	1.700
573.	,, इन्द्र कंवर तंवर निटिंग इण्ड. बी. एस. एफ.	1.850
574.	,, पदमा भटनागर निटिंग इण्ड. चौखन्टी	1.850
575.	,, शांति चौहान निटिंग इण्ड. हैड पोस्ट आफिस के पास	1.700
576.	,, गवरा कारपेटा यार्न इण्ड. जस्सूसर गेट	2.000
577.	,, राज. कार्माशियल कार्प. कोठारी मो.	0.350
578.	,, शेरे हिन्द आयरन फैब्रीकेटर्स मदीना मस्जिद के पास	2.000
579.	,, इन्सफ ट्रेडिंग कारपो. लो. मो.	2.550
580.	,, पुष्पा कारपेट यार्न स्पिनिंग इण्ड.	1.500
581.	,, सोनी मेघवाल कारपेट यार्न, इण्ड. जस्सूसर गेट	1.500
582.	,, पार्वती देवी कारपेट यान स्पिनिंग इण्ड.	1.500
583.	,, गीता मेघवाल कारपेट यार्न इण्ड. जस्सूसर गेट	1.500
584.	,, एलाइड फाईवस एण्ड टैक्सटाईल्स कापो. औ. क्षे.	320.000
585.	,, अनवर आयरन कुर्सी सेटोर सिटी कोतवाली के निकट	5.000
586.	,, करनी फ्लोर मिल लूनकरनसर	19.500
587.	,, जैन फ्लोर मिल	15.500
588.	,, खादी मन्दिर औ. क्षे.	38.800
589.	,, शुचि प्रिन्टर्स रानी बाजार	20.000
590.	,, संशद आयरन वर्क्स, लो. मो.	16.000
591.	,, ओरियन्ट वूलन टैक्सटाइल्स मिल्स (प्रा.) लि. गजनेर रोड़	525.000
592.	,, अशोका ट्रेडिंग कम्पनी, पशु अस्पताल के पास	2.100
593.	,, महावीर होजरी, आनन्द सागर के पास	10.000
594.	,, राज. केण्डल वर्क्स, नागीनाडा मो.	16.000
595.	,, भारत वूलन मिल्स, औ. क्षे.	800.000
596.	,, नेशनल टैक्सटाईल्स गजनेर रोड़	3.500
597.	पूनम चन्द डागा, पुरानी लाईन, गंगाशहर	5.000
598.	,, गिरधारी लाल गोपाल दास तेलीवाडा बीकानेर	17.000
599.	,, सरोज खत्री निटिंग इण्ड. कमला कालोनी	1.500
600.	,, कमला फ्लोर मिल्स, बीकानेर	15.000
601.	,, एस. बी. बी. आईस फैक्ट्री, नियर रेल्वे गेट	97.000

1	2	3
602.	मैसर्स अग्रवाल साल्ट क. ग्रो. क्षे.	95.000
603.	,, टावरी वूल ऐजेन्सीज, दाऊजी रोड़	0.500
604.	,, जोशी इंजि. वर्क्स, वस स्टेण्ड	19.700
605.	,, राज. टायर रिट्रेडियर्स, गंगाशहर रोड़	24.390
606.	,, अशोक कुमार अनिज कुमार नया शहर	15.100
607.	,, निसार ऐजेन्सीज, कोरियो का मो.	15.500
608.	,, अशोका आयुर्वेदिक फार्मेसी, नया शहर	29.800
609.	,, शारदा ट्रेडिंग क. गजनेर रोड़	54.400
610.	,, भागीरथ इण्ड. नोखा	35.500
611.	,, मधु ट्रेडिंग कम्पनी रामपुरिया गली	19.000
612.	,, हीरा लाल रामजमल, जस्सुसर गेट के अन्दर	0.200
613.	,, इन्द्र चन्द शांतिलाल, चोपडा कटला	1.500
614.	,, आनन्द वर्क्स मेकेनाईजण्ड नैनों का बास	175.000
615.	,, एस. पी. इन्जि. क. ग्रो. वस्ती	27.500
616.	,, सुजला वुल सप्लायर्स, डागा स्कूल के पास	0.200
617.	,, रामूजी किशनलाल, रंगरों का मो.	4.000
618.	,, एम. जी. ए म. क. ग्रो. क्षे.	70.900
619.	,, के. संजय कुमार एण्ड कं. न्यु सर्कुलर मार्केट	95.000
620.	,, अहमद अली आयरन स्टोर लो. मो.	26.000
621.	,, सी. के. प्लास्टर एण्ड केमिकल ग्रो. क्षे.	95.000
622.	,, अरोड़ा वुल सप्लायर्स नया शहर	0.200
623.	,, पन्नालाल हीराचन्द सोनगिरी कुए के पास	0.200
624.	,, लीलम चन्द कमलचन्द सोनगिरी कुए के पास	0.100
625.	,, दयालु फार्मेसी, सोनी मो.	25.000
626.	,, गंगाबिशन मूलचन्द बछावतों का मो.	2.600
627.	,, बीकानेर चाक इण्ड. रानी बाजार	1.000
628.	,, संयद अबरार अली जंदी, लो. मो.	2.000
629.	,, अब्दुल रहमान लोहार, कंसारा बाजार बीकानेर	1.300
630.	,, चांद मो. एण्ड ब्रादस लो. मो.	15.900
631.	,, कोडाराम पुत्र लिखमाराम, रंगरों का मो.	0.100
632.	,, मूलाराम पुत्र अकूड़ाराम रंगरों का मो.	0.100
633.	,, मंगाराम पुत्र नवलाराम रंगरों का मो.	0.100
634.	,, गणपतराम पुत्र अकूड़ाराम रंगरों का कोठी मो.	0.100
635.	,, लक्ष्मणराम पुत्र अकुडाराम रंगरों का मो.	0.100
636.	,, आधुनिक कला केन्द्र, परदेशियों की बगीची	2.000
637.	,, विक्रम ऊन प्रतिष्ठान, रानी बाजार	1.350
638.	,, बीकानेर लोहा उद्योग, लो. मो.	29.000
639.	,, फरीद मो. तेलियों का मो. जज्जु तहसील कोलायत	19.000
640.	,, राज. खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ ग्रो. क्षे.	1000.000
641.	,, जामिया आयरन वर्क्स, लो. मो.	6.700

1	2	3
642.	मैसर्स जमालद्दीन मोहम्मद लौ. मौ.	3.500
643.	,, भारत केमिकल्स इण्ड. कोचरों का मौ.	5.600
644.	,, एस. के. जैन पापड़ सप्लायर्स कंसारा बाजार बीकानेर	30.250
645.	,, हाजी मौ. बक्स शोकत अली, नये कुये के पास	42.500
646.	,, अब्दुल मजी पुत्र अनवन अली सीटी कोतवाली के पास	14.500
647.	,, बीकानेर कारपेट मैन्यु. के. शिवाडी	62.000
648.	,, श्री असरफ अली, लौ. मौ.	37.000
649.	,, राम नारायण लखानी महेश्वरी इण्ड. स्टेशन रोड़, नापासर	27.000
650.	,, मोला बक्स रमजान, पंजाबगरों का मौ.	8.000
651.	,, नवू आटो रिपेरिंग सेंटर	17·000
652.	,, कैलाश दाल मिल नोखा	87.000
653.	,, अमर ब्रिक्स कारपो. शिवबाड़ी	200.000
654.	,, अजय ब्रिक्स कारपो. शिवबाड़ी	200.000
655.	,, बीकानेर कारपेट नया शहर	11.200
656.	,, स्नो व्हाईट प्लास्टर इण्ड. औ. बस्ती	16.000
657.	,, राज· टिम्बर इण्ड. नापासर	31.400
658.	,, कोठारी ब्रदर्स जस्सुसर गेट के बाहर	15·000
659.	,, शंकर वुल ट्रेडस जस्सुसर गेट के बाहर	22.700
660.	,, मिस चन्द्रकान्ता सैनी, कीर्तस्तम्भ	15.850
661.	,, श्रीमती रतनी मेघवाल, जस्सुसर गेट	0.100
662.	,, राजू लाईम एण्ड केमीकल इण्ड. औ. क्षे.	2.200
663.	,, केदार दाल मिल्स, गंगानगर	42.500
664.	,, जी. एम. एग्रो इण्ड. न्यू वैल रोड, बीकानेर	5.000
665.	,, शौकत अली कलाकार आयरन वर्क्स, मदीना मस्जिद	13.000
666.	,, विजय हस्त कला केन्द्र, खारिया कुआ के पास	22.000
667.	,, ओमप्रकाश पुखराज बस स्टैण्ड	23.000
668.	,, ए. डी. पुरोहित गिरी राज कटला (5.300)	85.300
669.	,, मकबल हुसैन कसारा बाजार	6.500
670.	,, तसलीमुदीन फकरुदीन, सीटी कोतवाली के पीछे	21·500
671.	,, शिव कारपेट्स पावर हाउस के पास बीकानेर	33.000
672.[अ]	,, दम्माणी मोटर्स प्रा. लि. गंगानगर रोड (160.000)	160.000
672.	,, मै. ए. आर. इण्ड. पारीक चौक,	37·000
673.	,, शक्ति रोलर फ्लोर मिल्स, औ. क्षे.	
674.	,, करणी वूल सप्लायर्स चौपड़ा कटला के पीछे	222.000
675.	,, जगदम्बा टाईल्स फैक्ट्री, नोखा	25.000
676.	,, करणी ईट उद्योग, रानी बाजार, बीकानेर	4.600
677.	,, पुरोहित ब्रदर्स, नया शहर	11.000
678.	,, जे. डी. नागोर आयरन वर्क्स औ. क्षे.	11.500
679.	,, गुरुमति निटिंग इण्ड. कमला कालोनी	2.500

1	2	3
680.	मैसर्स मोहम्मद सफी अब्दुल रहमान, कसाइयों की घाटी	29.000
681.	,, कवन राठौड़ रानी बाजार, बीकानेर	3.000
682.	,, पुष्पा खत्री निटिंग इण्ड., कमला कालोनी	3.000
683.	,, शक्ति रोलर फ्लोर मिल, ओ. क्षे.	991.000
684.	,, आनन्द वूलन मिल्स ओ. क्षे.	55.000
685.	,, धरमाराम रूपराम शिवबाड़ी	2.400
686.	,, मो. इसमाईल अब्दुल सतार लो. मो.	14.000
687.	,, मोहम्मद अली मोहम्मद फक सीटी कोतवाली के पास	12.000
688.	,, मोहम्मद बक्स अब्दुल सतार नागौरी लो. मो. (5.500)	5.500
689.	,, उसमान गनी एण्ड सन्स लो. मो.	19.000
690.	,, नजीर मो. नयास मो. लो. मो.	6.000
691.	,, भोजोवत आयरन वर्क्स, गजनेर रोड	5.000
692.	,, मोहम्मद इब्राहीम मोहम्मद अनवर आऊटर सिंगनल के पास	11.500
693.	,, मोहम्मद फारुक पुत्र अलानूर	20.000
694.	,, अब्दुल सलाम कमरुदीन लो. आम. (6.000) रुपये	6.000
695.	,, मंजूर अली दोलम अली निचली बाड़ी, बीकानेर	6.000
696.	,, मोहम्मद हुसैन उमर दीन कसाइयों का मो.	10.5000
697.	,, न्यू नागौर आयरन वर्क्स, नया कुआं बीकानेर	12.500
698.	,, महबूब अली पुत्र कालू लोहार	19.000
699.	,, शोकत अली पुत्र अनवर अली लो. मो.	5.000
700.	,, एंसतियाक अहमद पुत्र खलील अहमद कसाइयों की गली	10.000
701.	,, सिकन्दर अली पुत्र यूनिल अली यूनिस अली, तेली लो. मो.	7.000
702.	,, ओटो ग्राईन्डस, गंगाशहर रोड, बीकानेर	70.000
703.	,, संजय वूलन मिल्स, जसूसर गेट के अन्दर	27.000
704.	,, कालूखां दीन मोहम्मद, जानवरों की अस्पताल के पीछे	7.000
705.	,, उमरदीन गफारबक्स लो. मो.	9.500
706.	,, प्रकाश प्लास्टर ओ. क्षे.	26.000
707.	,, उमा बेकरी जोशी पाडा	30.000
708.	,, राज. बिल्डिंग मटेरियल बागीनाडा	13.000
709.	,, सोपानी ब्रादर्स, सोनगिरी वेल रोड, बीकानेर	30.000
710.	,, बीकानेर कोल इण्ड. रानी बाजार	9.500
711.	,, अनिल एण्ड कम्पनी दुजारियों की गली	0.500
712.	,, आदर्श ऊन उद्योग ,, ,,	0.200
713.	,, शारदा भोजक पत्नी श्री फारुमल भोजक, कमला कालोनी	3.000
714.	,, गहलोत टाईल्स फैक्टरी, सुजानदेसर	14.500
715.	,, दर्शाना देवी पत्नी अर्जनसिंह मित्तल भवन के पास	3.000
716.	,, असरफअली आयरन इण्ड. लो. मो.	9.000
717.	,, अनीश आयरन इण्ड. लो. मो.	10.000
718.	,, रामदेव चर्म उद्योग, पूगल	2.300
719.	,, किशनलाल पुत्र मूलाराम बस स्टैण्ड पूगल	3.000

1	2	3
720.	मैसर्स स्टूडियो इण्डिया के. एम. ई. रोड	40.700
721.	,, सोहनलाल पन्नालाल ठठेरों का मो.	29.000
722.	,, स्वदेशी लेकेट इण्ड.	14.500
723.	,, श्रीमति सुलक्षणादेवी लालगढ	3.750
724.	,, एलाइड फावर्स इण्ड. यूनिट नं. 2 औ. क्षे.	550.000
725.	,, नेशनल फर्नीचर वर्क्स, नया कुआ के पास बीकानेर	65.000
726.	,, शर्मा निटिंग इण्ड., बेघ मघ राम कालोनी	18.000
727.	,, उदाराम हीराराम पाडुबारी बीकानेर	8.000
728.	,, पारीक आदर्स सत्यनारायण चौक	8.350
729.	,, विमल ऊन प्रतिष्ठान रानी बाजार	25.350
730.	,, ससवानी वूलन मिल्स औ. क्षे.	80.000
731.	,, अलेजा निटिंग इण्ड. सिटी कोतवाली के पास	3.000
732.	,, श्री राम मारबल्स टाईल्स कम्पनी रानी बाजार	60.000
733.	,, मोडाराम चूना उद्योग देशनोक	4.500
734.	,, कुमार एण्ड कुमार ब्रादर्स, दयानन्द मार्ग	35.000
735.	,, छाबड़ा इण्ड. कारपो. पोतीना कुआ के पास	113.000
736.	,, पेरामाउड आईस फैक्टरी गजनेर रोड बीकानेर	265.000
737.	,, सुमन स्टोर-सीपानी मो. पुरानी लाइन	3.300
738.	,, इण्डिया वूल सीझिडीकेट डागा चौक	70.300
739.	,, देव इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन औ. क्षे.	27.000
740.	,, मधु केमिकल सेन्टर गंगाशहर रोड	30.5000
741.	,, जैन ओसवाल लघु उद्योग नई लाइन धोरां का बास	22.000
742.	,, किसान फ्लोर मिल बाकोनारा	38.500
743.	,, मोडाराम इन्द्रचन्द्र सुजानदेसर	32.000
744.	,, देवकीनन्दन जोहरी एण्ड सन्स पुरानी गिनानी	15.000
745.	,, श्री किशनलाल श्यामसुन्दर जसूसरगेट	8.300
746.	,, ललवानी वूलन मिलस लक्ष्मीनाथाणी रोड	132.000
747.	,, आत्माराम सेवा राम औ. बस्ती	12.000
748.	,, कृष्णा गुप्ता पत्नी एस. के. गुप्ता शान्ति भवन	7.000
749.	,, बीकानेर ब्रिकेट एण्ड केमीकल इण्ड. औ. बस्ती	36.000
750.	,, निर्मला चांडक निमटिक इण्ड., रगारी चौक	10.5000
751.	,, महेश्वरी वुल सप्लायर्स, जसूसरगेट	150.000
752.	,, सुरेन्द्र स्टोर पुरानी लाइन गंगाशहर	3.300
753.	,, डागा दाल मिल पुरानी लाइन गंगाशहर	27.000
754.	,, विजय निटिंग इण्ड., 12 गवाड चौक	3.000
755.	,, शक्ति इण्ड. औ. बस्ती	40.000
756.	,, भगवती फ्लोर मिल्स पूगल	16.000
757.	,, गुलचन्द हरिराम फ्लोर मिल पूगल	23.000
758.	,, विश्वकर्मा फ्लोर मिल पूगल	11.000

1	2	3
759.	मैसर्स विकास ऊन उद्योग सठिया चौक	17.000
760.	,, राज पुरोहित प्रिंटिंग प्रस चोतीना कुआ	48.000
761.	,, हनुमानदास घनश्यामदास सराफा बाजार	49.000
762.	,, बीकानेर पापड़ उद्योग सुराजा का गवाड़	26.000
763.	,, मंजूर लाईम वर्क्स	20.000
764.	,, अशोक आईरन इण्ड. मराठी चौक नोखा	49.500
765.	,, जनरल इण्ड. औ. क्षे.	600.000
766.	,, भारत केमिकल्स औ. क्षे.	26.000
767.	,, क्वालिटी टायर स्टोर मदीना मस्जिद	5.000
768.	,, नरेन्द्र कुमार सिखरचन्द नया शहर	45.000
769.	,, सुराणा वूल एन्टरप्राईजेज सोनगिरी वैल	38.500
770.	,, सीमा एन्टरप्राईजेज, रानी बाजार	40.000
771.	,, जी. के. टूल्स रानी बाजार	56.600
772.	,, हाजी मो. सलीम सीलावट, रेल्वे लाईनिंग	36.200
773.	,, नागौरी आयरन वर्क्स, कसारा बाजार	5.000
774.	,, जयपाल चूना भट्टा उद्योग उदासर	4.500
775.	,, वूल ट्रेडर्स एण्ड प्रो. नया शहर	91.000
776.	,, बंशी वूल ट्रेडर्स नया शहर	22.500
777.	,, सिपानी वूल इन्टरप्राईजेज सोनगिरी कुआ	8.200
778.	,, दलीप होजरी फैक्टरी पुरानी मिनानी	16.500
779.	,, मोहम्मद हुसैन लोहार कसाइयों की बारी	11.000
780.	,, सुखदेव नार्क पुत्र मूलराम रा. लां. का मो.	10.500
781.	,, आचार्य फ्लोर मिल छत्तगढ़ (15.000)	25.000
782.	,, शिव फ्लोर मिल ,,	15.000
783.	,, जोशी फ्लोर मिल ,,	14.200
784.	,, मुस्लिम फ्लोर मिल ,,	13.200
785.	,, बुद्धसिंह इन्जि. वर्क्स, पाबूबारी]	14.500
786.	,, सूरज इण्ड. औ. क्षे.	587.000
787.	,, भूरखीदास रामदेव जसूसर गेट बीकानेर	8.500
788.	,, शिवरतन कमल कुमार बछावतों का मो.	90.000
789.	,, मधु आईस क्रीम रामपुरिया स्ट्रीट	45.000
790.	,, राज. पेपर बैग्स गंगाशहर	52.000
791	,, जैन आईस फैक्टरी, बीकानेर	37.400
792.	,, मुद्रण मन्दिर, पाबुबारी	6.000
793.	,, जैन उद्योग गंगाशहर	5.000
794.	,, औ. पी. फ्लोर स्टेशन रोड	30.000
795.	,, श्री गणेश आईस फैक्टरी, नत्थूसर दरवाजे	18.000
796.	,, राज. लेबर टेनरी रामचन्द्र पुत्र शिवलाल शिवबाड़ी	125.000
797.	,, बीकानेर पावर घानी फड़बाजार	55.000
798.	,, राज. हाथ कर्घा वस्त्र उत्पादक स. सं.	6.500
799.	,, भरत वूल सप्लायर्स एण्ड कं. रानी बाजार	8.400

(172)

1	2	3
800.	मैसर्स फोटोस्टेट सेन्टर पब्लिक स्कूल के पास	15.000
801.	,, राष्ट्रीय ग्रामोद्योग विकास समिति चोतीना कुआ	38.000
802.	,, श्री लक्ष्मी पापड़ भण्डार गंगाशहर	1.000
803.	,, कोटड़ी क्ले प्रोडक्ट गांव कोटड़ी	55.000
804.	,, महावीर पापड़ भण्डार गंगाशहर	1.000
805.	,, शशी कला पापड़ भण्डार गंगाशहर	0.700
806.	,, सोहनलाल रमेश कुमार जसूसर गेट के बाहर	15.000
807.	,, बजरंग सरन्जाम हाउस पावर हाउस रोड	34.750
808.	,, श्रीमति गुलर पत्नी श्री महरदीन सिक्का	10.000
809.	,, घेवरचन्द सन्तोकचन्द बेगानी चौक बीकानेर	16.250
810.	,, सूरज प्रकाश जैन बागड़ह मोहल्ला	17.000
811.	,, सरस्वती पापड़ भण्डार नई लाइन	6.000
812.	,, ओसवाल वूलन मिल्स औ. क्षे.	600.000
813.	,, महेशवरी वूल्स डागा चौक	37.700
814.	,, ओम फलोर मिल्स रंधखाना	25.000
815.	,, मदनलाल ईंट निर्माता गजनेर	62.000
816.	,, टावरी एण्ड संस दाऊजी रोड	0.400
817.	,, राज इन्जि. वर्क्स, गजनेर रोड	35.000
818.	,, सुनील एन्टरप्राईजज गाधनी चौक गंगाशहर	27.000
819.	,, भंवरलाल होजरी वर्क्स, रामपुरा कच्ची बस्ती	14.500
820.	,, नोखा गांव चूना भट्टा नोखा गांव	11.000
821.	,, रोड़ा लाईम वर्क्स रोड (नोखा)	8.000
822.	,, पूगलिया फलोर मिल गंगाशहर	30.000
823.	,, दुर्गा ग्रायल एण्ड जिनिंग फैक्टरी, खाजूवाला	27.000
824.	,, नीलकमल इण्ड. औ. क्षे.	120.000
825.	,, अमरदीप उद्योग औ. बस्ती	130.000
826.	,, अरविन्द मिल्क कोल्ड स्टोरेज तोलियासर भैरूजी की गली	18.000
827.	,, केशव कुंज बिहारी ट्रेडर्स बिमानी चौक	3.300
828.	,, बंशीलाल एण्ड श्री राम ब्रिक्स फैक्टरी, किसमीदेसर	9.000
829.	,, आशा लाईम मार्च फैक्टरी, किसमीदेसर	6.200
830.	,, विधा इण्ड. अलखसागर कुए के पास	4.250
831.	,, यादव प्रिंटिंग प्रेस-रामपुरिया कटला	22.000
832.	,, किसान फुड प्रोडक्ट रानी बाजार	8.000
833.	,, अम्बर आयरन वर्क्स, लो. मो.	15.000
834.	,, बाबा रामदेव दाल मिल रानी बाजार	9.000
835.	,, राज मागर फैक्टरी, गोगा गेट के बाहर	17.500
836.	,, चौधरी सिमेन्ट लघु-उद्योग-पारीक चौक	6.500
837.	,, गोल्डन भूजिया भण्डार छबीली घाटी	3.000

1	2	3
838.	मैसर्स महाराजा भूणिया-भण्डार-बवोनियों-की-पिरोड़	2.000
839.	,, जय केमिकल वर्क्स, सादूल-कालोनी	17.000
840.	,, विजय वुल प्रोसेसर्स, जसूसरगेट के अन्दर	0.200
841.	,, इलूमुदीन पुत्र अलावेरी रामपुरिया कालेज के पीछे	17.500
842.	,, भारत वुल मिल यूनिट नं. 2 औ. क्षे.	390.000
843.	,, चान्द रतन एण्ड को. पुष्करणा स्कूल के पास	15.000
844.	,, जे. के. वुलन मिल इण्ड. औ. क्षे.	350.000
845.	,, ए. जी. आयरन वर्क्स, रामपुरीया रोड	16.000
846.	,, अशोक वुल सप्लायार्स जसूसरगेट	37.000
847.	,, पारस वुल प्रासेसर्स दाऊजी मन्दिर के पीछे	8.200
848.	,, यूपेन्द्रकुमार रामेश्वर लाल ,,	8.000
849.	,, रिक्खावदास पुत्र श्री जेठमल जी बोड़ा, बेणीसर कुआ	20.000
850.	,, रूपसिंह लाईम वर्क्स, शिववाड़ी	10.000
851.	,, श्री श्याम दाल एण्ड आयल मिल औ. क्षे.	340.000
852.	,, पुष्पा इण्ड., गंगाशहर	6.590
853.	,, सुगन टेक्सटायईल इण्ड. भीनासर	69.000
854.	,, मीनू प्लास्टर इण्ड. औ. क्षे.	25.000
855.	,, जय श्री वूलन वर्क्स पुरानी लाईन, गंगाशहर	117.000
856.	,, मनीश एण्ड कं., जसूसरगेट के वाहर	75.500
857.	,, मोहन प्रिटिंग प्रेस, जोशीपाड़ा	42.500
858.	,, स्वास्तिक होजरी, गंगाशहर	31.000
859.	,, नव भारत केमिकल इण्ड. औ. क्षे.	24.500
860.	,, हिमालय आप्टीकल इण्ड. औ. क्षे.	135.000
861.	,, जाजड़ा इण्ड. औ. क्षे.	56.000
862.	,, जहरुदीन हसन, कन्सारा बाजार	51.500
863.	,, सराफदीन आयरन इण्ड., चौखन्टी	29.000
864.	,, राठौड़ आयरन इण्ड. रेल्वे साईडिंग चौखान्टी	16.000
865.	,, आर. आर. ब्रदर्स, रानी बाजार	35.000
866.	,, नेदानल ऐजेन्सील जसूसर गेट	0.760
867.	,, वर्धमान इण्ड. दाल एण्ड जनरल मिल्स औ. क्षे.	382.000
868.	,, नथमल खतरी हमालों की मस्जिद के पास	5.000
869.	,, करणी पापड़ उद्योग डागा मो.	28.000
870.	,, वी. के. केमिकल्स तोलियासर भैरुदानजी की गली	28.500
871.	,, लखानी ब्रादर्स, जसूसरगेट बाहर	21.000
872.	,, सरदार सुनेन्द्र इन्जीनियरिंग वर्क्स, गंगाशहर रोड	95.000
873.	,, धामू पेकेज इण्ड. जेल रोड	50.000
874.	,, सन्तोषी सिमेन्ट प्रोडक्ट, नापासर	3.000
875.	,, हनुमान केमिकल्स इण्ड., नापासर	2.000
876.	,, वागला इण्ड. लो. मो.	25.000
877.	,, रूपम केमिकल्स इण्ड. सुनारों की गवाड़	8.600
878.	,, रामप्रताप रतनलाल, जसूसर गेट	15.200
879.	,, श्री लक्ष्मी वूल ट्रेडर्स, जेल रोड	62.500

1	2	3
880.	मैसर्स सोमानी वूल ट्रेडर्स, जसूसर गेट बाहर	50.200
881.	मं. एन. एन. डिस्ट्रीबूटर्स अलखा सागर कुए के पास	5.200
882.	मं. सारिका निटिंग वर्क्स-क्वाटर नं. 7 ए	20.300
883.	मं. लक्ष्मी वूल, चौथड़ा कटला, बीकानेर	65.000
884.	मं. श्रीमती राजकुमारी भार्गव निटिंग वर्क्स	18.500
885.	मं. हनुमान होजरी, न्यू लाईन, गंगाशहर	40.000
886.	मं. रामपुरिया आइस फ. लि., पावर हाउस के पास	122.000
887.	मं. दर्शन ऐन्टरप्राइजेज, जसूसर गेट अन्दर	40.300
888.	मं. राम इन्ड. औ. बस्ती	32.580
889.	मं. कमल कारपेट्स औ. क्षे.	670.000
890.	मं. शांतिलाल विजयकुमार रामपुरिया का मो.	15.000
891.	मं. भवानीदास अनन्तदास, जसूसर गेट बाहर	100.000
892.	मं. केलाश सीमेन्ट इन्ड. नापासर	15.500
893.	मं. शलेन्द्र कुमार महेन्द्र कुमार, गणनेर रोड	40.400
894.	मं. पूरणमल सत्यनारायण इन्ड. नापासर	90.000
895.	मं. गजानन्द इन्ड.	68.850
896.	मं. कमल टार्यस. महतों का चौक	39.000
897.	मं. ओमप्रकाश पूनम चन्द, जसूसर गेट	15.000
898.	मं. उमेश बुनाई केन्द्र, के.ई.एम. रोड	15.000
899.	मं. पारीक ब्रादर्स, सोनगिरी कुआ, बीकानेर	0.660
900.	मं. मोहम्मद रमजान पुत्र नसरुदीन ए.के. टाइल्स के पास	4.000
901.	मं. नथमल लक्ष्मीनारायण, पत्थर पेडा	1.500
902.	मं. मदन भूजिया भण्डार दमाणी चौक, बीकानेर	10.000
903.	मं. मोदी कन्फेशनरी बिस्कुट एण्ड ब्रेड इन्ड. औ. क्षे.	46.000
904.	मं. अशोका फ्लोर मिल, भाटड़ों का चौक	12.000
905.	मं. आनन्द केमिकल, बीकानेर, आचार्यो को चौक	9.000
906.	मं. डागा उद्योग, औ. क्षे.	245.000
907.	मं. नवरंग एण्ड कम्पनी, औ. क्षे.	25.000
908.	मं. सुशील चोधरी निटिंग इण्ड. पत्नी संतोष कुमार	4.000
909.	मं. परवीन स्टोव गैस एण्ड बेटरी रिपेरिंग सेन्टर रेल्वे स्टेशन	0.400
910.	मं. वेस्टन रेडियो कारपो. लूनकरनसर	1.500
911.	मं. पुरोहित कुटीर उद्योग, आचार्यों का चौक	8.800
912.	मं. विश्व कर्मा फर्नीचर हाउस-कोट गेट	100.000
913.	मं. ओझा वूलन मिल, औ. क्षे.	700.000
914.	मं. ओरियन्ट सीमेन्ट फैक्टरी. गोगा गेट बाहर	7.000
915.	मं. श्री मोडाराम चर्म उद्योग, लूनकरनसर	5.200
916.	मं. बजरंग लाल मोची, लूनकरनसर	7.200
917.	मं. केवलराम मोची चर्म उद्योग, लूनकरनसर	0.200
918.	मं. नेमीचन्द मोची चर्म उद्योग, लूनकरनसर	0.200
919.	मं. रिखी वूलन इण्ड. औ. क्षे.	

1	2	3
920.	मेसर्स सूर्य वाच रिपेरिंग सेन्टर, डागा बिल्डिंग	111.000
921.	मै. अग्रवाल वूलन मिल, औ. क्षे.	500.000
922.	मै. ऊनी खादी ग्रामोद्योग संस्थान, रानी बाजार	351.000
923.	मै. निर्मल सेल्स कारपो. जसूसर गेट दरवाजे के अन्दर	29.000
924.	मै. इण्डियन स्टील वर्क्स, सीटी कोतवाली	20.300
925.	मै. डिवाइन ऐन्टरप्राईजेज इण्डिया औ. क्षे.	120.000
926.	मै. मोदी सीमेन्ट इण्ड. दाऊजी रोड	5.500
927.	मै. सोहन लाल चांडक निटिंग इण्ड. सोनारों का चौक	1.200
928.	मै. मूरली पुत्र नत्थू खुमार, गंगाशहर	0.500
929.	मै. कानाराम पुत्र पुरखाराम कुमार, खुमारी चौक	0.500
930.	मै. सरण फ्लोर मिल एण्ड आयल मिल, खाजूवाला	26.000
931.	मै. प्रशांत प्रोडक्टस, गंगाशहर	137.000
932.	मै. राज फूड प्रोक्डट्स, बागीनाड़ा	44.500
933.	मै. कालू रंगवाला, चूनगरों का चौक	10.200
934.	मै. आदर्श टैक्सटाईल्स, गजनेर रोड	145.000
935.	मै. गम्भीर चन्द भैया, सदर बाजार	15.200
936.	मै. कमल अगरबत्ती फैक्टरी	11.500
937.	मै. उसमान कमरुदीन, लो. मो.	14.500
938.	मै. शान्ति केमिकल, अनाथालय के पीछे	2.200
939.	मै. सिम्पलेक्स टाइल्स फैक्टरी, औ. क्षे.	110.000
940.	मै. सोना इलेक्ट्रिक प्लास्टिक इण्ड., बीकानेर	22.000
941.	मै. जय भैरूं कोल इण्ड., रानी बाजार	35.500
942.	मै. वतन प्रेस, बीकानेर, हनुमान हत्था, बीकानेर	175.000
943.	मै. पुरणाराम पुत्र धन्ना राम मेघवाल, उदयरामसर	3.000
944.	मै. मरुधर आटो सर्विस, सूरसागर के पास, स्टेडियम रोड	31.700
945.	मै. नेशनल कलर एण्ड केमिकल इण्ड., पारीक चौक	2.500
946.	मै. कोठारी टाईल्स फैक्टरी, औ. बस्ती	115.000
947.	मै. सलीम आयरन इण्ड. औ. क्षे.	20.000
948.	मै. डब्ल्यू. एच. डीथ बीकानेर एण्ड कं., लालगढ गजनेर रोड	58.200
949.	मै. जय संतोषी टाईल्स फैक्टरी, गंगाशहर	5.000
950.	मै. कपिल केमिकल वर्क्स, गंगाशहर	1.500
951.	मै. बीकानेर बोरिंग सेन्टर, रानी बाजार, बीकानेर	150.000
952.	मै. बीकानेर स्टील सेन्टर, वैदों की पोल के पास	19.500
953.	मै. सोहन एण्ड संस, नया कुआ के पास	25.700
954.	मै. लक्ष्मी फ्लोर मिल, बिस्सों का चौक	25.000
955.	मै. गम्भेश्वर दाल एण्ड आयल मिल्स, बीकानेर रोड, नोखा	400.000
956.	मै. महावीर दाल मिल, नोखा	350.000
957.	मै. हनुमान गत इण्ड. बीकानेर रोड, नोखा	412.000
958.	मै. दुर्गा फ्लोर मिल एण्ड गाडा वर्क्स, लूनकरनसर	10.000
959.	मै. आवेद अली आयरन स्टोर, लो. मो.	30.000

1-	2-	3
960.	मैसर्स मौतकासम पुत्र श्री मोला बक्स	25.000
961.	मै. रतीराम मोची चर्म उद्योग, लूनकरनसर	8.000
962.	मै. श्री गंगाराम मोची चर्म उद्योग, लूनकरनसर	8.000
963.	मै. सीभूराम मोची चर्म उद्योग, लूनकरनसर	8.000
964.	मै. नांवरलाल मोची चर्म उद्योग, लूनकरनसर	8.000
965.	मै. भीमराज मोची चर्म उद्योग, मोचियों का वास	10.300
866.	मै. पूर्णराम मोची चर्म उद्योग, लूनरकरसर	16.000
967.	मै. मूला राम मोची चर्म उद्योग, ,,	10.200
968.	मै. शोभाराम मोची, चर्म उद्योग, लूनकरनसर	8.200
969.	मै. अखाराम हाथ करघा उद्योग, मेनसर, नोखा,	6.000
970.	मै. श्री स्वास्तिक इण्डि., डागा मोहल्ला	0.200
971.	मै. शाला इण्ड. फड़बाजार	5.000
972.	मै. मोहन आयरन इण्ड. भैरूरामजी बंगले के पास	29.000
973.	मै. लक्ष्मी वूल एन्टरप्राईजेज, सोनगरी कुआ	27.300
974.	मै. रतन इण्ड. कारपो. मुकिम मो.	38.750
975.	मै. सुभाराम लाल सोमगिरी बेल रोड़, बीकानेर	45.000
976.	मै. फाणड़िया केंडल इण्ड.	8.500
977.	मै. उमा कोल इण्ड. रानी बाजार, बीकानेर	58.000
978.	मै. देवड़ा रंगाई छपाई उद्योग, हमोला की बाड़ी	10.000
979.	मै. जैन नवनीत डिटरजेंट एण्ड केमिकल, गोल कुए के पास	15.000
980.	मै. बाबूलाल मोची चर्म उद्योग, लूनकरनसर	5.400
981.	मै. राम लाल चर्म उद्योग, ,,	5.000
982.	मै. मदन लाल मोची, ,,	0.900
983.	मै. सूप्रिम आईस क्रीम, रामपुरिया गली	94.000
984.	मै. सती वूल सप्लायर्स, सोनगिरी कुआ	22.500
985.	मै. पूर्णचन्द मोची उचर्म उद्योग, लूनकरनसर	9.800
986.	मै. शंकर पापड़ भण्डार, गोलाछो का चौक	2.000
987.	मै. मोहन वेल्डिंग इण्ड., स्टेशन रोड	3.500
988.	मै. राज. इण्ड., कोट गेट के अन्दर	22.700
989.	मै. लाईम टाईम ए.सी. प्रोडक्टस, बागी नाड़ा	44.200
990.	मै. पोपुलर ईंट भट्टा, ग्राम सियेरा	37.000
991.	मै. किसान फ्लोर मिल, लूनकरनसर	22.000
992.	मै. बीकानेर वेल्डिंग वर्क्स, स्टेशन रोड के पास	58.000
993.	मै. देवीलाल खाती फ्लोर मिल, लूनकरनसर	13.000
994.	मै. हनुमान दाल मिल, तोलिया सर भैरूंजी के पास	12.000
995.	मै. महेश्वरी फ्लोर मिल, स्टेशन रोड, नापासर	17.000
996.	मै. बूजराम एण्ड राम चूना भट्टा, सागर रोड	5.800
997.	मै. चौधरी एण्ड कं., ढढा बाजार	68.000
998.	मै. माणक चन्द चौधरी, नोहटों का चौक	16.000
999.	मै. इमामुदीन मोहम्मद मिस्त्री, सीटी कोतवाली के पास	10.600
1000.	मै. चौधरी रिपट इण्ड., भीनासर	32.500

1	2	3
1001.	मैसर्स श्री करणी मेटल इण्ड. वागड़ी चौक	41.000
1002.	मैं. आनन्द मल आसूराम सोनी (कोलायत)	30.000
1003.	मैं. पंवार इण्ड. कोलायत	4.300
1004.	मैं. श्री फैनीराम शू मेकर, पावर हाउस के पास	15.300
1005.	मैं. भीमराज भंवर लाल भांडू	36.000
1006.	मैं. गोयल गम इण्ड. औ. क्षे.	533.000
1007.	मैं. बीडोकी झाडू उद्योग, गोगागेट	0.050
1008.	मैं. वली मोहम्मद आयरन इण्ड. मदीना मस्जिद के पास	31.000
1009.	मैं. तरला निटिंग इण्ड. रामपुरिया मो.	11.600
1010.	मैं. शिव निटिंग सेन्टर, कमला कोलोनी	11.500
1011.	मैं. नोखा पेपर इण्ड. जोधपुर रोड़ नोखा	225.000
1012.	मैं. मगरा आयरन वर्क्स, वस स्टेण्ड, कोलायत	10.000
1013.	मैं. रमा ट्रेनिंग कं., रामपुरिया स्ट्रीट	11.000
1014.	मैं. श्रीराम भुजिया भण्डार, रामपुरिया गली	1.000
1015.	मैं. वही स्टोर, फड़ बाजार	12.000
1016.	मैं. विश्वकर्मा आयलन स्टोर, चोखन्टी	5.000
1017.	मैं. वेस्ट वूल्स, शर्मा कालोनी	2.000
1018.	मैं. लालचन्द जुगलकिशोर एण्ड कं. कोट गेट	40.000
1019.	मैं. शिव फ्लोर मिल कोलायत	14.000
1020.	मैं. गोतम फ्लोर मिल, कोलायत	25.000
1021.	मैं. मुकनाराम फ्लोर मिल, श्री कोलायत	14.000
1022.	मैं. किशन पेपर बेग स्टोर, सादुल स्कूल के पास	8.100
1023.	मैं. सूपरकार एण्ड ट्रक सेल्स नोखा रोड़, गंगाशहर	73.000
1024.	मैं. सन्दीप एन्टरप्राईजेज, जसूसर गेट के अन्दर	50.000
1025.	मैं. अब्दुल कलाम एण्ड संस सुभाष रोड़ बीकानेर	22.000
1026.	मैं. अख्तर हुसैन कायम, ,, ,,	26.000
1027.	मैं. बीकानेर मारबल आयल्स फैक्टरी, रानी बाजार	97.000
1028.	मैं. गोरी शंकर फ्लोर मिल, नोखा	20.000
1029.	मैं. अशोका पापड़ भण्डार, आचार्यों का चौक	2.000
1030.	मैं. बीकानेर डेयरी स्वीट्स गंगाशहर रोड़, बीकानेर	103.000
1031.	मैं. जय श्री इण्ड. औ. क्षे. बीकानेर	40.000
1032.	मैं. बीरसिंह शांतिलाल डागा पिरोल के पास बीकानेर	5.000
1033.	मैं. जगदीशप्रसाद रामेश्वर लाल जसूसर गेट के बाहर	202.000
1034.	मैं. प्रेम सिरमेक्स वर्क्स, औ. क्षे.	447.000
1035.	मैं. गांधी सुगन्ध भण्डार कोट गेट बीकानेर	28.000
1036.	मैं. श्री तुलसीराम मोची चर्म उद्योग, मोचीवास बीकानेर	10.500
1037.	मैं. जय नारायण चर्म उद्योग, लूनकरनसर	10.700
1038.	मैं. पूर्णाराम मोची चमड़ा उद्योग, लूनकरनसर	5.600
1039.	मैं. खेताराम मोची चर्म उद्योग, ,,	3.500
1040.	मैं. नत्थु चर्म उद्योग, लूनकरनसर	20.500
1041.	मैं. त्रिलोक चन्द मोची, चर्म उद्योग, लूनकरनसर	5.200

(178)

1	2	3
1042.	मै. जितुराम चर्म उद्योग, करीसर	10.500
1043.	मै. ओम बृज भान फ्लोर मिल, लूनकरनसर	14.000
1044.	मै. बाबूलाल खमार, कुमारी उद्योग, ,,	15.300
1045.	मै. श्री करणी इण्ड. (इण्डिया) नोखा	5.200
1046.	मै. विश्वकर्मा इन्जी. वर्क्स, लूनकरनसर	43.000
1047.	मै. विश्वकर्मा रेडियो कारपो. ,,	9.000
1048.	मै. विश्वकर्मा रेडियो सर्विस, ,,	26.000
1049.	मै. शंकर एग्रीकल्चर इण्ड. गोस्वामी चौक	29.000
1050.	मै. जितेन्द्र वूल सिंडिकेट, रानी बाजार, बीकानेर	38.500
1051.	मै. बीकानेर आयरन सैन्टर, लौ. मो.	34.300
1052.	मै. जुगलकिशोर नवल किशोर, जसूसर गेट	14.000
1053.	मै. सी. बी. उल्स. गाडा चौक	1.000
1054.	मै. अब्दुल रहमान लोहार, कसाइयों की बारी	31.000
1055.	मै. मोहम्मद इस्माइल पुत्र गुलाम रसूल, लौ. मो.	32.000
1056.	मै. नजीर मोहम्मद एण्ड संस सुभाष रोड़	38.500
1057.	मै. सुराना वूलन टैक्सटाइल, औ. क्षे.	450.000
1058.	मै. चित्रा आईस फैक्ट्री एण्ड कोल्ड स्टोरेज, भीनासर	500.000
1059.	मै. श्री विश्वकर्मा इण्ड. नोखा	30.000
1060.	मै. करणी इन्जी. वर्क्स, नोखा	30.000
1061.	मै. रूरल स्पन पाइप फैक्ट्री, नापासर	200.000
1062.	मै. कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी, दाउजी रोड़	16.000
1063.	मै. ओझा केमिकल, बारह्‌ गवाड़	0.300
1064.	मै. राठी प्रिंटिंग प्रेस, नोखा	82.000
1065.	मै. न्यू भारत ब्रिक्स ट्रेडर्स, देव सार कुण्ड	58.000
1066.	मै. विजय वूल सप्लायर्स, नया शहर	29.450
1067.	मै. भंवर सेल्स कारपो. रानी बाजार	25.000
1068.	मै. लीलीधर अशोक कुमार, बीकानेर	105.000
1069.	मै. जैन साड़ी फाल्स सैन्टर, कोचर चौक	13.000
1070.	मै. रामकिशन प्रिंटिंग प्रेस, नोखा	47.500
1071.	मै. रेवन्तराम मोची चर्म उद्योग, लूनकरनसर	5.500
1072.	मै. गुलाबराम चर्म उद्योग, लूनकरनसर	3.000
1073.	मै. मोडाराम मोची चर्म उद्योग, लूनकरनसर	3.400
1074.	मै. सीताराम आयरन वर्क्स, लूनकरनसर	22.400
1075.	मै. रूपचंद आयरन वर्क्स, लूनकरनसर	6.000
1076.	मै. मुरली आईस फैक्ट्री, श्री कोलायत	36.000
1077.	मै. शांति केमिकल, ब्रह्मचर्य आश्रम रोड़, रानी बाजार	18.000
1078.	मै. मनोज लाइम वर्क्स, रेल्वे साईडिंग इण्ड.	5.000
1079.	मै. कपूर पोटरीज एण्ड डेकोरेटर्स, के. ई. एम. रोड़	20.000
1080.	मै. सोहनलाल निर्मलकुमार, जस्सूसरगेट	0.500
1081.	मै. श्री जगदम्बा ट्रेडिंग कं., जस्सूसरगेट के बाहर	25.700
1082.	मै. जे. के. वूलन एन्टरप्राइजेज, जस्सूसरगेट के बाहर	0.600

1	2		3
1083.	मै. यादव साल्ट एण्ड फ्लोर मिल, सर्वोदयी वस्ती		56.000
1084.	मै. बाबा रामदेव फैक्टरी, रानी बाजार, बीकानेर		1.500
1085.	मै. अटल वासिंग पाउडर, बोथरों का मो.		3.300
1086.	मै. इण्डिया आटोगेरेज, गंगाशहर		26.100
1087.	मै. गोबर गैस उद्योग, रानी बाजार		15.000
1088.	मै. ईश्वरलाल पुत्र तुलछाराम, ग्राम कोलासर		10.000
1089.	मै. मूलाराम सुगनाराम,	,,	11.000
1090.	मै. मोहन लाल तुलछाराम,	,,	10.000
1091.	मै. हुकमाराम भीकाराम,	,,	12.250
1092.	मै. जेठाराम नरसिंह राम,	,,	12.000
1093.	मै. भोलाराम उदाराम,	,,	9.500
1094.	मै. सुरजाराम मोडाराम,	,,	11.500
1095.	मै. केवलराम मोडाराम,	,,	12.000
1096.	मै. किशनाराम पिर्‌याराम,	,,	10.500
1097.	मै. कृपाराम तुलछाराम,	,,	10.000
1098.	मै. नारायण राम भैरूराम,	,,	11.750
1099.	मै. रामदेव कालूराम,	,,	14.000
1100.	मै. कृपाराम रूपाराम,	,,	12.000
1101.	मै. सोहनलाल पुत्र कालूराम,	,,	12.000
1102.	मै. सेवाराम मेघाराम,	,,	12.000
1103.	मै. रामदेव अराडाराम,	,,	12.000
1104.	मै. मोहनलाल भैरूराम,	,,	14.000
1105.	मै. मोहनलाल मोडाराम,	,,	11.000
1106.	मै. राहुल दुलाराम,	,,	10.000
1107.	मै. खेमाराम तुलछाराम;	,,	3.000
1108.	मै. सूरज उद्योग, रानी बाजार		1.000
1109.	मै. अनिल इलैक्ट्रिक, रेल्वे स्टेशन के पास, लूनकरनसर		14.000
1110.	मै. श्री चांदमल पापड़ उद्योग, लूनकरनसर		5.000
1111.	मै. उम्मेदमल, बूचा पापड़ उद्योग, लूनकरनसर		2.500
1112.	मै. श्री सुभाषचन्द पापड़ उद्योग, लूनकरनसर		0.500
1113.	मै. सुभाष चाक इण्ड, पुरानी लाईन, गंगाशहर		27.500
1114.	मै. कुमार एण्ड कम्पनी, जसूसर गेट के बाहर		2.600
1115.	मै. विजय ग्रेड वर्क्स. गणेशजी मन्दिर के पास, बीकानेर		20.000
1116.	मै. शर्मा निटिंग सेन्टर, रांगड़ी चौक, बीकानेर		2.000
1117.	मै. जुगल किशोर, गम इण्ड. औ. क्षे., बीकानेर		396.000
1118.	मै. द्वारकाप्रसाद माहेश्वरी, जसूसरगेट के बाहर		1.000
1119.	मै. महावीर वुल प्रोसेसर्स, मुकीम चौधरी का मो.		49.000
1120.	मै. इण्डिया मेटल वर्क्स, औ. क्षे. बीकानेर		155.000
1121.	मै. पलाना आयल मिल, पलाना		45.000
1122.	मै. धूसाराम ट्रेडिंग कम्पनी, लालगढ़, अजमेर रोड		70.000
1123.	मै. असरफअली साबीर अली, नया कुआँ, बीकानेर		22.300

(180)

1	2	3
1124.	मै. शारदा बुनाई केन्द्र 4, रांगडी चौक, बीकानेर	3.500
1125.	मै. प्राणेश्वरी वूलन मिल्स, ग्रो. क्षेत्र.	118.000
1126.	मै. प्रदीप लाईम सुणानदेसर (बीकानेर) नत्थूसरगेट	13.000
1127.	मै. ग्रोवराम ग्राइस फैक्टरी, धोबी तलाई, बीकानेर	30.000
1128.	मै. गोपी एग्रो इण्ड. जसूसर गेट	4.500
1129.	मै. मार्डन वुलन मिल्स, डागा चौक	0.200
1130.	मै. पुरोहित कारपेट, ग्रासाणियो का चोक, बीकानेर	0.250
1131.	मै. हारुराम पुत्र गंगाराम, ग्राम कोलासर, बीकानेर	12.750
1132.	मै. नानूराम भंवरलाल सुथार, नापासर	50.000
1133.	मै. नथमल पुत्र मंगताराम, ग्राम कोलासर	11.750
1134.	मै. बीरबलराम, कुम्हारी उद्योग, तहसील लूनकरनसर	11.750
1135.	मै. शेराराम लकड़ी उद्योग, ग्राम तहसील, लूनकरनसर	9.000
1136.	मै. पतराम कुम्हारी उद्योग, डेलवा बस्ती, लूनकरनसर	5.300
1137.	मै. फ्रेन्डस इंजिनि. वर्क्स, बस स्टेण्ड के पास, लूनकरनसर	24.000
1138.	मै. मेघाराम कुम्हारी उद्योग, डेलवा बस्ती	5.300
1139.	मै. लूनाराम कुम्हारी उद्योग, उलबाबस्ती, लूनरकनसर	53.000
1140.	मै. विश्वकर्मा फर्नीचर हाऊस, रेल्वे स्टेशन रोड, बीकानेर	3.000
1141.	मै. भैरु भाई मिस्त्री, सुजानगढ़ रोड, नोखा	14.400
1142.	मै. फोटोस्टेट कापी सेन्टर, नोखा	20.000
1143.	मै. नारायण इण्ड, नोखा	32.250
1144.	मै. जोशी ग्राई प्रिन्टर्स, सदर बाजार, नोखा	23.000
1145.	मै. दुर्गा काटन बीकानेर रोड नोखा	745.000
1146.	मै. मुलाराम ग्रलसीराम, कोलासर, तहसील बीकानेर	11.725
1147.	मै. जनता कारपेट सेन्टर, ग्राम जेमलसर, बीकानेर	60.000
1148.	मै. उमा कारपेट सेन्टर नं. एक रानी बाजार बीकानेर	35.000
1149.	मै. उमा कारपेट सेन्टर, नं. दो, सुजानदेशर	32.500
1150.	मै. उमा कारपेट सेन्टर, नं. तीन, घडसीसर	32.500
1151.	मै. सावित्री पापड़ उद्योग, गुणरों का मो.	16.000
1152.	मै. मोदी टाइल्स फैक्ट्री, धोबी तलाई, बीकानेर	7.500
1153.	मै. डीडवाना वुल सप्लायर्स एण्ड कं., जगमेनवेल के पास, बीकानेर	2.300
1154.	मै डीडवाना वुल ऐजेन्सी, बीकानेर	1.500
1155	मै विशाल नमकीन भण्डार, रेल्वे फाटक के पास, बीकानेर	1.700
1156.	मै. नोखा केबल्स इण्ड., नोखा	364.000
1157.	मै. गुमानाराम भवंरलाल लखाणी	89.700
1158.	मै. मास्टर नत्थूराम टेलर, सदर बाजार, नोखा	4.000
1159.	मै. गोयल प्रिन्टर्स, नया बाजार, नोखा	32.000
1160.	मै. बीकानेर वुलन टेक्सटाईल मिल, रिडमलसर	151.000
61.	मै. गणेश इण्ड., बीकानेर	22.000
.2.	मै. लक्ष्मी मोटर वर्क्स, स्टेशन रोड, बीकानेर	16.550
163.	मै. वेस्ट वुल सप्लायर्स, रानी बाजार, बीकानेर	2.000
1164.	मै. मेघाराम सुथारी उद्योग, महाजन, लूनकरनसर	5.200

(181)

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न संख्या 90 की सूची

नागौर जिले तक लिफ्ट नहर को ले जाये जाने की योजना के अनुसार मुख्य बातें

मद	इकाई	विवरण विद्युत् शक्ति महान औद्योगिक प्रभारों के लिए, दिये जाने वाली 6.5 पैसे प्रति यूनिट की दर से।
1. सम्पूर्ण क्षेत्र	लाख एकड़	7.00
2. अधीनस्थ कृषि योग्य क्षेत्र	,,	6.49
3. वार्षिक सिंचाई	,,	5.84
4. निर्माण परिव्यय	लाख रुपये	2213
5. लिफ्ट चैनल की शीर्ष तक राजस्थान कैनाल व संग्रहणालय की लागत का हिस्सा	,,	1042
6. कुल निर्माण लागत	,,	3255
7. वार्षिक परिचालन खर्च	,,	655

182

परिशिष्ट_6

अतारांकित प्रश्न संख्या 95 की सूची

सूची-"क"

टौंक जिले में सन् 1981-82 के अन्तर्गत निर्मित होने वाली सड़कों एवं गांवों के नाम की सूची

क्र.सं.	सड़क का नाम	सडक से जुड़ने वाले गांव	1981-82 के अन्त तक पूर्ण होने वाली सड़कों की लम्बाई
1	2	3	4
1.	हमीरपुर से फीराना सड़क	1. अबीरकपुरा (साईपुरा)	1 कि.मी.
		2. नानेर	
		3. हमीरपुर	
2.	बौंली से निवाई सड़क	1. झिलाया	4 कि.मी.
		2. करोरिया	
		3. नोडदा	
		4. जामडोली	
3.	मालपुरा से लाम्बा हरीसिंह सडकें	1. रूपाहेली	10 कि.मी.
		2. बगड़ी	
		3. लाम्बाहरीसिंह	
		4. आमली	
4.	दूनी से आंबा सड़क	1. नया गांव गोठड़ा	9 कि.मी.
		2. आंवा	

1	2	3	4
5.	लूणवाडा से बनेडा सड़क	1. उदयपुरा	9 कि.मी.
		2. लक्ष्मीपुरा	
6.	ककोड़ से नगर सड़क	1. अरनिया	10 कि.मी
		2. विलासपुरा	
		3. नगर	
			43 कि.मी.

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 99 की सूची

करौली शहर में कृषि भूमि में अनधिकृत निर्माण करने वालों की सूची :—

क्रमांक	नाम अप्रार्थी
1	2
1.	श्री रामस्वरूप लाल पुत्र पं. गजेला करौली
2.	श्री कल्याण मावली बस स्टेण्ड करौली
3.	श्री रामभरोसी पुत्र सरवन गूजर करौली
4.	श्री मेघराम पुत्र सरवन गूजर करौली
5.	श्री नारायण पुत्र सिब्बू लाल महाजन करौली
6.	श्री मांगी लाल हरदेनिया करौली
7.	श्री नथुवा शिवचरण सिपाही पि. नामालूम नि. छावर
8.	श्री मांगी लाल पुत्र शिवचरण ब्रा. करौली
9.	श्री गिर्राज प्रसाद पुत्र भौंरी लाल महाजन करौली
10.	श्री कालीचरण पुत्र रामकुमार महाजन करौली
11.	श्री शिवचरण पुत्र बृजमोहन ब्रा. करौली
12.	श्री हरिचरण कर्लीयान प्रसाद पुत्र रामेत महाजन करौली
13.	श्री भोलानाथ पुत्र मगन लाल महाजन करौली
14.	श्री आनंद पुत्र चिरंजी लाल ब्राम्हण निवासी करौली
15.	श्री रमेश चंद पुत्र फकीर चंद महाजन करौली
16.	श्री अब्दुल रहीम, अब्दुल जलील वर्ग. वकील बार एसोसियेशन करौली
17.	ए.ईन. विद्युत् विभाग करौली
18.	श्री कालीचरण, पुरुषोत्तम पुत्र चिरंजी माली बस स्टेण्ड करौली
19.	श्री आनंदी लाल पुत्र कस्बा करौली
20.	श्री रंगी लाल पुत्र सोना राम मीना नि. निठार
21.	श्री बहादुरसिंह कोटा, छावर
22.	श्री म्यूनिसिपल बोर्ड, करौली
23.	श्री भैरू लाल वकील ट्रक यूनियन करौली
24.	श्री हरिया महाजन करौली
25.	श्री रामसिंह राजपूत करौली
26.	श्री शिवचरण सिंह पुत्र अंगद सिंह गूजर करौली
27.	श्री पुरुषोत्तम पुत्र श्यामसुन्दर ब्राम्हण करौली
28.	श्री कमल गूजर ट्रक यूनियन करौली
29.	श्री मांगी लाल पुत्र सरवन गूजर करौली
30.	श्री कजोड़ी लाल पुत्र नंदकिशोर ब्राम्हण करौली
31.	श्री मूला, जमना लाल, हरिमोहन पुत्र कलुवा धोबी नि. करौली
32.	श्री हरिलाल पुत्र बृजमोहन ब्राम्हण चटीकना
33.	श्री मिश्रा पुत्र गुलीया मीना
34.	श्री श्याम सुन्दर पुत्र बृजमोहन ब्रा. करौली
35.	श्री गणेश पुत्र हरभजन मीना कोडर
36.	श्री शिवशंकर पुत्र कम चंद

1	2

37. श्री लक्ष्मण पुत्र बृजमोहन ब्रा. करौली
38. श्री निरंजन पुत्र दंगी ब्रा. चटीकना
39. श्री बाबू लाल पुत्र भोरु लाल ब्रा. करौली
40. श्री भंवर सिंह राजपूत
41. श्री हरेल लाल पुत्र शिव लाल महाजन
42. श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र गुवालिया मीना नि. महनोन पुरा
43. श्री मदन मोहन महाजन करौली
44. श्री गोपाल पुत्र दुर्गा लाल महाजन
45. श्री गिर्राज मांची वाले
46. श्री ईश्वरी प्रसाद पुत्र बद्री प्रसाद ब्राह्मण
47. श्री हंसराज पुत्र श्रीचंद गूजर
48. श्री चुनी नारायण पुत्र हरबक्स माली करौली
49. श्री शिवचरण सिंह पुत्र आनंद सिंह गूजर
50. श्री हंसराज पुत्र श्रीचंद गूजर
51. श्री रमेश चंद
52. श्री भोरु पुत्र बिसन जी माली
53. श्री भरोसी पुत्र सरवन गूजर
54. श्री भोरु लाल पुत्र शिव लाल ब्रा.
55. श्री हरी पुत्र लच्छी महाजन नि. आंतरी पुरा
56. श्री रामभरोसी पुत्र पन्ना ब्राह्मण
57. श्री धन्ना माली करौली
58. श्री अब्दुल कयूम करौली
59. श्री शिव चरण सिंह पुत्र अगद सिंह
60. श्री नारायण पुत्र केसरिया माली करौली
61. श्री हजारी पुत्र परसादी माली निवासी करौली
62. श्री देवी लाल पुत्र कल्याण सिंह गूजर सा. करौली
63. श्री बाबू लाल पुत्र द्वारिका प्रसाद शर्मा नि. करौली
64. श्री मोती पुत्र बुद्धू लोधा
65. श्री ओम प्रकाश, रामस्वरूप, हरिचरण पुत्र सलोना
66. श्री नत्थी लाल पुत्र मूलसिंह
67. श्री हरिचरण लाल महाजन करौली
68. श्रीमती उगंती देवी पत्नी राधेश्याम गुप्ता
69. श्री बद्री प्रसाद पुत्र रामनारायण गुप्ता
70. श्री रमेश चंद पुत्र भबूती लाल गोयल
71. श्री सूरज मल पुत्र हीरा लाल गुप्ता
72. श्री रामफुल पुत्र परसादी लाल माली
73. श्री गिर्राज प्रसाद पुत्र मोती लाल अग्रवाल

Sd/-
जिलाधीश,
सवाई माधोपुर।

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 104 के भाग (1) की सूची

			मांग	
क्रम सं.	दिनांक	प्राप्त प्रार्थना	मरम्मत हेतु	नव निर्माण हेतु
1	2	3	4	5
1.	4-1-80	24	554	–
2.	9-1-80	12	95	200
3.	10-1-80	3	25	60
4.	11-1-80	64	964	290
5.	14-1-80	76	1174	–
6.	15-1-80	1	1	–
7.	17-1-80	3	65	–
8.	18-1-80	38	517	–
9.	19-1-80	2	3	–
10.	21-1-80	28	371	–
11.	22-1-80	3	–	120
12.	25-1-80	50	720	–
13.	28-1-80	51	750	–
14.	1-2-80	29	611	–
15.	4-2-80	80	1282	–
16.	5-2-80	2	–	150

1	2	3	4	5
17.	6-2-80	7	2	50
18.	7-2-80	4	11	50
19.	11-2-80	22	233	–
20.	18-2-80	50	1032	–
21.	22-2-80	20	244	–
22.	25-2-80	35	427	–
23.	26-2-80	1	–	80
24.	27-2-80	1	470	–
25.	3-3-80	22	470	–
26.	7-3-80	10	163	–
27.	10-3-80	13	294	–
28.	14-3-80	6	152	–
29.	17-3-80	13	245	–
30.	21-3-80	7	125	–
31.	25-3-80	18	290	–
32.	28-3-80	37	722	–
33.	4-4-80	26	403	–
34.	7-4-80	37	1546	–
35.	8-4-80	1	–	100
36.	9-4-80	3	–	105
37.	10-4-80	217	519	1900
38.	11-4-80	113	97	2110
39.	14-4-80	64	1313	–
40.	15-4-80	17	54	290
41.	24-4-80	52	691	–
42.	30-4-80	90	1371	–
43.	1-5-80	69	956	–
44.	3-5-80	3	–	1421
45.	5-5-80	10	–	1752
46.	6-5-80	7	–	500
47.	7-5-80	41	534	450
48.	8-5-80	38	780	80
49.	9-5-80	5	–	5340
50.	12-5-80	9	–	985
51.	14-5-80	40	564	–
52.	15-5-80	28	760	–
53.	21-5-80	60	972	–
54.	26-5-80	12	–	1594
55.	2-6-80	15	–	2152
56.	4-6-80	106	1313	1501
57.	5-6-80	102	1468	250

1	2	3	4	5
58.	9-6-80	5	—	545
59.	11-6-80	114	1178	—
60.	12-6-80	84	1275	555
61.	16-6-80	10	—	823
62.	18-6-80	74	1239	180
63.	19-6-80	65	882	819
64.	21-6-80	1	—	84
65.	23-6-80	14	—	952
66.	26-6-80	99	1308	506
67.	30-6-80	22	—	2787
68.	2-7-80	25	295	1625
69.	3-7-80	15	383	—
70.	7-7-80	18	—	1997
71.	9-7-80	53	768	—
72.	10-7-80	21	284	—
73.	14-7-80	13	—	1556
74.	17-7-80	25	482	—
75.	21-7-80	27	—	3074
76.	23-7-80	69	900	—
77.	24-7-80	42	710	—
78.	28-7-80	8	—	1214
79.	30-7-80	40	691	—
80.	31-7-80	26	339	—
81.	1-8-80	2	—	470
82.	4-8-80	19	—	2009
83.	6-8-80	65	896	—
84.	8-8-80	67	1030	—
85.	11-8-80	17	—	2427
86.	18-8-80	17	—	1988
87.	20-8-80	113	1671	—
88.	22-8-80	59	993	—
89.	25-8-80	13	—	1437
90.	27-8-80	44	768	—
91.	28-8-80	3	25	—
92.	29-8-80	44	631	—
93.	1-9-80	9	15	678
94.	3-9-80	66	1131	—
95.	5-9-80	49	786	529
96.	8-9-80	14	1467	—
97.	10-9-80	62	1078	—
98.	12-9-80	66	1055	—
99.	15-9-80	5	2	589

1	2	3	4	5
100.	22-9-80	6	—	673
101.	24-9-80	1	—	10
102.	29-9-80	6	—	687
103.	13-10-80	17	—	2190
104.	21-10-80	3	—	345
105.	27-10-80	13	—	1569
106.	3-11-80	14	—	2045
107.	10-11-80	13	—	8320
108.	17-11-80	16	—	2587
109.	24-11-80	13	—	1635
110.	1-12-80	9	—	979
111.	8-12-80	14	—	1138
112.	14-12-80	14	—	1372
113.	22-12-80	18	—	761
114.	1-1-81	20	253	50
115.	5-1-81	12	—	1523
116.	7-1-81	62	996	—
117.	8-1-81	37	526	—
118.	13-1-81	16	—	1356
119.	14-1-81	53	899	—
120.	15-1-81	26	368	—
121.	20-1-81	15	—	1960
122.	21-1-81	52	738	—
123.	22-1-81	24	388	—
124.	27-1-81	3	—	650
125.	28-1-81	40	625	—
126.	29-1-81	28	618	—
127.	30-1-81	2	—	485
128.	2-2-81	22	—	2400
129.	4-2-81	35	589	—
130.	5-2-81	22	337	—
131.	9-2-81	19	—	1547
132.	11-2-81	18	227	—
133.	12-2-81	14	180	—
134.	16-2-81	18	—	1654
135.	18-2-81	27	370	—
136.	19-2-81	28	320	—
137.	23-2-81	13	—	1345

भाग (2) की सूची

क्र.सं.	दिनांक	जारी परमिटों की संख्या	दिये सीमेन्ट के कट्टों की संख्या
1	2	3	4
1.	9-1-80	12	295
2.	10-1-80	3	85
3.	11-1-80	13	341
4.	14-1-80	6	60
5.	15-1-80	1	1
6.	17-1-80	3	65
7.	19-1-80	2	3
8.	22-1-80	3	120
9.	28-1-80	3	35
10.	1-2-80	1	1
11.	5-2-80	2	185
12.	6-2-80	7	74
13.	7-2-80	4	61
14.	26-2-80	1	80
15.	27-2-80	1	30
16.	8-4-80	1	100
17.	9-4-80	3	185
18.	10-4-80	217	2418
19.	11-4-80	155	2664
20.	15-4-80	31	408
21.	21-4-80	6	30
22.	25-4-80	22	77
23.	29-4-80	22	90
24.	3-5-80	26	120
25.	5-5-80	31	145
26.	6-5-80	38	1000
27.	12-5-80	59	287
28.	16-5-80	30	142
29.	19-5-80	17	84
30.	30-5-80	42	197
31.	9-6-80	57	284
32.	10-6-80	70	1500
33.	17-6-80	59	294
34.	18-7-80	84	414

1	2	3	4
35.	19-7-80	38	3230
36.	25-7-80	15	72
37.	26-7-80	42	3334
38.	28-7-80	1	5
39.	2-8-80	2	10
40.	4-8-80	34	700
41.	12-8-80	70	346
42.	14-8-80	34	170
43.	16-8-80	26	130
44.	18-8-80	28	140
45.	25-8-80	25	125
46.	28-8-80	18	90
47.	30-8-80	74	370
48.	4-9-80	79	393
49.	9-9-80	2	7
50.	18-9-80	1	3
51.	24-9-80	1	2
52.	14-11-80	1	1
53.	20-11-80	1	1
54.	25-11-80	40	1853
55.	28-11-80	41	204
56.	3-12-80	2	10
57.	6-12-80	2	10
58.	8-12-80	20	1000
59.	12-12-80	82	4700
60.	15-12-80	24	700
61.	17-12-80	26	779
62.	20-12-80	47	238
63.	26-12-80	37	111
64.	31-12-80	31	93
65.	5-1-81	35	105
66.	6-1-81	5	15
67.	7-1-81	5	15
68.	8-1-81	1	3
69.	9-1-81	47	141
70.	13-1-81	1	3
71.	15-1-81	48	141
72.	16-1-81	4	12
73.	17-1-81	1	3
74.	22-1-81	42	126

1	2	3	4
75.	27-1-81	39	117
76.	28-1-81	82	1700
77.	30-1-81	58	171
78.	31-1-81	7	21
79.	2-2-81	2	6
80.	6-2-81	28	84
81.	7-2-81	2	3

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 109 की सूची

बोर्ड में नियुक्त किये गये कर्मचारियों की सूची :—

कार्यालय आदेश संख्या 111 दिनांक 16 जून, 1980 द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की सूची :—

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
2. (कु) चन्द्रा थदानी
3. श्री महावीर चन्द लोढ़ा
4. (कु) उषा रानी नरचल
5. श्री महेन्द्र सिह
6. श्री विमल कुमार यादव
7. श्री प्रहलाद नारायण अग्रवाल
8. (कु) उमा माथुर
9. श्री सत्य प्रकाश पुरोहित
10. श्री महेश नारायण नाग

कार्यालय आदेश संख्या 120, दिनांक 21जून, 1980 के द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की सूची :—

1.	श्री राजवर्धन सिंह	परिचालक से पदोन्नत
2.	श्री विश्राम सिंह	"
3.	श्री सूर्यनाथ पाण्डे	"

कार्यालय आदेश संख्या 166 दिनांक 20-7-80 के द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की सूची :—

1.	श्री रामदीन कछावा	परिचालक से पदोन्नत
2.	श्री प्रेम चन्द सैनी	"
3.	श्री राधेश्याम शर्मा	"
4.	श्री सुरेश चन्द जैन	"

दिनांक 26 जुलाई, 1980 को नियुक्त किये गये कर्मचारियों की सूची :—

1. श्रीमती सुमन वर्मा
2. कुमारी जय श्री काका
3. श्री दिनेश कुमार तिवारी
4. श्री केवल चन्द पंवार
5. कुमारी इन्द्रा जैन
6. श्री विजय कुमार काले
7. कुमारी प्रतिमा शर्मा
8. श्री ओम प्रकाश शर्मा
9. श्री महेश कुमारी राठी
10. श्रीमती उषा वाईकर
11. श्री नौरत मल महावर

सितम्बर, 1980 में नियुक्त किये गये कर्मचारियों की सूची :—

1. श्री रतन लाल परसोया
2. श्री घनश्याम मीणा
3. श्री शंकर लाल देवड़ा
4. श्री करण सिंह राठौड़
5. श्री रामस्वरूप मीणा
6. श्री रूप सिंह खण्डवाल
7. श्री राजा राम मीणा
8. श्री सुषान्त दत्ता
9. श्री धर्मी चन्द रैगर
10. श्री चांदमल हरिजन

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 111 के आंकड़े

परिशिष्ट "क"

मुख्य नहर के कि. मी. 74 तक शाखाओं, वितरिकाओं व माइनरों के लाइनिंग तथा खालों को पक्का करने के कार्यों पर पिछले पांच वर्षों में सीमेंट व कोयले का विवरण

वर्ष	मांग मै. टन में	प्राप्त हुआ मै. टन में	कमी रही मै. टन में
क–कोयला			
1975-76	75000	65198.30	9801.70
1976-77	70000	34,335.57	35664.43
1977-78	60000	28,205.90	31794.10
1978-79	83000	21,165.00	61835.00
1979-80	83000	6,530.00	76470.00
ख–सीमेंट–			
1975-76	82000	77,324.70	4675.30
1976-77	59950	57,000.00	950.00
1977-78	77340	49,007.00	28333.00
1978-79	131000	70,743.00	60257.00
1979-80	105000	63,868.75	41131.85

परिशिष्ट 'ख'

राजस्थान नहर परियोजना प्रथम चरण (किलो मीटर 74 से किलोमीटर 189) व द्वितीय चरण (किलोमीटर 189 से टेल) पर पिछले पांच वर्षों के सीमेंट व कोयले का विवरण

(मात्रा एम. टी. में)

क्र. सं.	वर्ष	सीमेंट		कोयला	
		मांग	प्राप्ति	मांग	प्राप्ति
1.	1975-76	92186	73872	80500	91394
2.	1976-77	76400	41518	77550	77550
3.	1977-78	94020	51586	59395	43112
4.	1978-79	129860	41763	54198	24737
5.	1979-80	126950	44435	74300	6806